राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] **तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का छठा दिवस** **[संख्या : 4**

मंगलवार,

26 फरवरी, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल।

अनूपगढ़ में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

53. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)) : (1) अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 54 उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त चिकित्सा संस्थानों के नामों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))

जी हां। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से लिखित परीक्षा उपरान्त उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है जिसकी वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाकर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त सूची में से यथा संभव प्राथमिकता, आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जाएंगे। विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पद पदोन्नति पश्चात् ही भरना सम्भव हो सकेगा।

(सूची व सूचना पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित बहुल एरिये से चुनाव जीतकर आया हूं अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र से। यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान की अन्तरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित है। अनूपगढ़ क्षेत्र से जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर 150 किलोमीटर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): पहले मैं आपको वस्तुस्थिति बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बीकानेर वहां से 125 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहां राजस्थान सरकार की शिशु जननी सुरक्षा योजना चल रही है, नि:शुल्क दवाई योजना चला रखी है, अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ क्षेत्र का यह हाल है कि 15 चिकित्सकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद 12 पद आज भी रिक्त हैं और ये 2003 से रिक्त चल रहे हैं। यह सूचना माननीय मंत्रीजी ने सदन में हमें दी है। (व्यवधान) हां, दोनों का ही काम है। इसके साथ-साथ घड़साना के हालात भी यही हैं; वहां कुल 7 पद स्वीकृत हैं, 7 में से मात्र 2 डाक्टर्स काम कर रहे हैं; 5 पद घड़साना में खाली हैं। ऐसी स्थिति में सरकार कौनसी फ्लैगशिप योजनाएं कामयाबी से चलाने का जिक्र सदन में कर रही है? वहां कौन दवाइयां लिख रहा है? जननी शिशु सुरक्षा योजना कौन चला रहा है? 150-150 किलोमीटर के अन्दर वहां कितनी कैजुअल्टीज हुई होंगी? माननीय मंत्रीजी सदन में इस बात का भी जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अनूपगढ़ में दूसरी तरफ से पाकिस्तान का बार्डर पड़ता है। हमारी सड़कों की हालत तो आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि हमारे साथ यह भेदभाव आखिर क्यों चल रहा है? इतना बड़ा

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

एरिया होने के बावजूद भी चिकित्सक वहां नहीं हैं तो वहां कितने जच्चा और बच्चों को नुकसान हुआ होगा! 2003 से पद खाली चल रहे हैं, 2006 से लगातार पद खाली चल रहे हैं। एक भी गायनी का डाक्टर हमारे यहां नहीं है; एक भी सर्जरी का डाक्टर नहीं है; मेडिसिन का डाक्टर नहीं है; ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार उस एरिये के अन्दर डाक्टर देने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? तारीख सदन में बता दो, मंत्रीजी।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पोस्टिंग में कहीं भी भेदभाव हम नहीं करते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी बताया, कई पोस्ट वैकेन्ट हैं, हमने पिछले दिनों 301 डाक्टर्स की पोस्टिंग की थी और अभी हमारे पास एक हजार डाक्टर्स की सूची आ गई है, उनको हम जल्दी से जल्दी पोस्टिंग आर्डर जारी कर देंगे। उसके बाद जितनी वेकेन्सीज और बचेंगी, उनके लिए भी हम तीसरी दफा बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करके भर्ती कर देंगे। हम कमिटेड हैं कि जितने भी हमारी पी एच सीज हैं, हम उनको जल्दी से जल्दी भर दें।

जहां तक प्रमोशन का सवाल है, कई डी पी सी हो चुकी हैं, अभी जहां-जहां डाक्टर्स लगे हुए थे उनको वहीं पर रखा हुआ है। जैसे ही नये डाक्टर्स की पोस्टिंग होगी पी एच सीज में, प्रमोटी डाक्टर्स को प्रमोशन की पोस्ट पर साथ-साथ हम लगा देंगे।

अभी जो खाली पद चल रहे हैं, हमने एक आर्डर जारी कर रखा है कि दो दिन के लिए पास के जिला अस्पताल से इन सी एच सीज पर डाक्टर्स आकर या अन्य सी एच सीज पर जहां ज्यादा डाक्टर्स हैं, वहां से आकर इन सी एच सीज पर दो दिन के लिए ड्यूटी देंगे। इसके अलावा, स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपाइंट कर रखी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में, वह रिकमंडेशंस देंगी कि और किस तरह से, आगे आने वाले दिनों के लिए मैन-पावर की जो कमी है, वह किस तरह से हम पूरी करें। इसकी रिपोर्ट वे जल्दी दे देंगे।

श्री पवन कुमर दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, दस वर्ष हो चुके हैं, पडोस की सी एच सी की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 150 किलोमीटर गंगानगर

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

पड़ता है। कौनसा सी एच सी बीच में आती है और कौनसी सी एच सी में आपने गायनोकालोजिस्ट लगा रखा है? यह तो बता दो सदन को।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति पूरे राजस्थान में ही है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): दूसरा आपने कहा कि आर्डर की कापी दे रखी है, कौन से आर्डर की कापी दे रखी है? कब और कौनसी तारीख को दे रखी है? यह भी बता दो। दस साल हो गये, 5 साल भारतीय जनता पाटी के निकल गये और चार साल इनके निकल गये, हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? क्यों उस अनुसूचित बहुल इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है? डाक्टर अगर नहीं देना चाहते हो तो उस पाकिस्तान का बार्डर खोल दो, हम उधर इलाज करवा लेंगे। कम से कम इलाज के लिए तो मनाही नहीं करेगी पाकिस्तान की सरकार।

अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है। कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं! सभी मेरे सदन के साथी जानते हैं कि हम 150 किलोमीटर बीकानेर जाते हैं और 150 किलोमीटर गंगानगर जाते हैं; सूरतगढ़ जाने के लिए 120 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो उत्तर दे रहे हैं, यही उत्तर पिछले चार साल से दे रहे हैं। यह उत्तर इन्होंने कम्प्यूटर में फीड कर रखा है। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): हमें पर्टिकुलर तारीख बता दें। मेरे यहां दो सी एच सीज हैं, दोनों सी एच सी में कम से कम एक गायनोकालोजिस्ट दे दो और एक सर्जन दे दो। इस बात की आज ही घोषणा करो। घड़साना के अन्दर तो यह हालत है कि 7 में से 5 पद रिक्त पड़े हुए हैं; दो हैं, दोनों ही एम बी बी एस हैं। वहां दवाइयां कौन लिख रहा है, दवाइयां कौन ले रहा है? डिलीवरी कौन करवा रहा है, यह सदन में बतायें तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक लगाने की घोषणा तो आप कर ही दें।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): मेरी सी एच सी की भी यही हालत है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))
मंत्री): सर, एक ही नहीं, जितनी भी वैकेन्सीज हैं, उनको जल्दी से जल्दी सभी को पूरी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): मेरे यहां सी एच सी हैं, सी एच सी पर 11 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 7 पद रिक्त पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कामन उत्तर है, यह कामन उत्तर इन्होंने कम्प्यूटर में फीड कर रखा है। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मेरे यहां से चार डाक्टर्स तिजारा ले गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सारे राजस्थान का प्रश्न नहीं पूछा गया है यह। यह केवल मात्र एक विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

प्रदेश के अभयारण्यों में व्यावसायिक गतिविधियों की प्राप्त शिकायतें

54. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के विभिन्न अभयारण्यों सहित रणथम्भौर अभयारण्य के कोर एरिये में कुल कितने अतिक्रमण व अवैध निर्माण की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है? अभयारण्यों में हुए अवैध निर्माण व अतिक्रमणों को हटाने हेतु कब-कब क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अभयारण्य के कोर एरिये में प्रतिबंध के बावजूद व्यावसायिक गतिविधियां किये जाने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री) (वन मंत्री के स्थान पर) : (1) राज्य के विभिन्न अभयारण्यों सहित रणथम्भौर बाघ परियोजना के कोर एरिये में अतिक्रमण/अवैध निर्माण के कुल 3,281 प्रकरण पाये गये हैं। वर्ष 2012-13 में इन अतिक्रमणों में से 91 प्रकरणों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी है जिनका अभयारण्यवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, आपने परिशिष्ट 'क' के अन्दर कुल 14 अभयारण्यों का जिक्र किया है और उनमें 3,281 अतिक्रमण के प्रकरण माने हैं और 4,536 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण माने हैं और 91 अतिक्रमण हटाये हैं, मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि ये अभयारण्य कब-कब घोषित हुए? क्या यह सही है कि अभयारण्य घोषित होने से पहले वहां गांव बसे हुए थे? किसान को खातेदारी अधिकार मिले हुए थे? और क्या यह भी सही है कि वर्ष 2006 में टाडा, माडा और सहरिया क्षेत्र में रिहायश कर रहे किसानों हेतु, जो जंगलों में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रह रहे हैं, तत्कालीन सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और परम्परा वन निवास वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 लेकर आयी थी? उस अधिनियम के तहत कितने-कितने पट्टे जारी किये गये? और यह जो आपने बताया 3,281 अभयारण्य, इनमें कुल कितने अतिक्रमण इन 14 अभयारण्यों में, कोर एरिया में, आप लिख लो, कुल कितने इनमें बफर जोन में हैं? और इनमें से कुल कितने प्रकरणों को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस दिया है और कुल कितने प्रकरणों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 72 की धारा 34(1) का नोटिस दिया है? कृपा करके आप यह बताएं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभयारण्यों की सूची का कहा, तो यह सब आपको उपलब्ध करा दी गयी है; अगर नहीं करायी गयी तो मैं निर्देश दूंगा कि आपको पूरे अभयारण्य कब-कब घोषित किये गये, कब-कब...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब तो सुनो। जवाब सुनो।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपने सिर्फ अतिक्रमणों के बारे में पूछा है, किस-किस अभयारण्य में कितना-कितना अतिक्रमण है, वह सूचना आपको दे दी गयी है और उसकी प्रति, जैसे आपने कहा कि कोर एरिये में कितने अतिक्रमण हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर एरिये में कोई अतिक्रमण नहीं है।

दूसरा, आपने जो कहा कि सेंसिटिव जोन में कितने अतिक्रमण हैं, वे मामले अभी राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं, उसको अभी हमने भारत सरकार को नहीं भेजा है और जो अतिक्रमण हैं, आपको बताया है कि 91 प्रकरण में अतिक्रमण हटाये गये हैं और बाकी जो ज्यादातर अतिक्रमण हैं, वे लैण्ड के हैं; जमीनें हैं, काश्तकारों की हैं जो वहां पहले से बसे हुए थे। उनको हटाने की धीरे-धीरे कार्यवाही की जा रही है, उनको मुआवजा देकर शिफ्ट किया जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करूंगा, कोर एरिये में कोई भी अतिक्रमण आज की तारीख में नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे प्रश्नों में पाइंटेड सवाल किये थे कि ये अभयारण्य कब-कब घोषित हुए; क्या अभयारण्य घोषित होने से पहले वहां गांव बसे हुए थे; वहां के लोगों को खातेदारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अधिकार दिये गये थे? फिर मैंने उनसे पूछा कि यह जो अतिक्रमण मानते हैं, उसमें कोर एरिया, बफर जोन और सेंसिटिव इको-जोन में कितने हैं? मेरे को वह सूची चाहिए, अध्यक्ष महोदय, ताकि मैं आगे के प्रश्न कर सकूं।

एक सवाल, मैंने इनसे यह कहा कि वह अधिनियम बना था 2006 में, इन्हीं लोगों को इन्हीं अभयारण्यों में, जो वहां के आदिवासी रह रहे हैं, उनको नियमितीकरण करने का, उसमें इन्होंने कितने-कितने नियमितीकरण किए, इसमें भी इन्होंने कुछ नहीं बताया।

क्या यह सही है कि रणथम्भौर के अन्दर कोर एरिये के 500 मीटर के अन्दर व्यावसायिक गतिविधियां जारी हैं, इसकी शिकायत सरकार को मिली? अगर हां, तो कितनी शिकायतें मिलीं?

क्या यह भी सही है कि नवम्बर, 2012 में सरकार ने शहरों के नजदीक जो गैर-मुमकिन वन और अभयारण्य हैं, उनमें बसी कालोनियों का नियमितीकरण करने के लिए प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान के अन्दर सारी सूचनाएं मांग कर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया? इसका भी आप मेरे को बताओ।

और क्या यह भी सही है कि ये जो अभयारण्य हैं, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभयारण्य घोषित हुए और उसके बाद इनका एरिया एक्सटेंड होता रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये अभयारण्य जो हैं, जिस तरह से सरिस्का का घोषित हुआ है 7 नवम्बर, 55 को, इसके बाद इसका एरिया बढ़ा है 3.5.59 को, फिर इसका एरिया बढ़ा दिया 72 में; तो आपने अतिक्रमण कहां से माना है?

क्या यह सही है कि आपने नये प्रस्ताव भेजे हैं रणथम्भौर अभयारण्य के लिए? और नये प्रस्ताव जो केन्द्र सरकार के पास आपने भेजे हैं, उस प्रस्ताव को मन्जूरी मिल गयी तो 75 प्रतिशत सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की जमीन उसमें शामिल हो जायेगी? क्या यह भी सही है? आप 'हां' और 'ना' में जवाब दे दो क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। अध्यक्ष महोदय, कितनी बड़ी संख्या में कितने किसान ...

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि कोर एरिया में किन-किन लोगों को हटाया, यह लम्बे समय से ही, जो भी

(श्री परसादीलाल)

टाइगर रिजर्व हो गया, जिसको कोर एरिया घोषित कर दिया सवाई माधोपुर में, चाहे दूसरी जगह, वहां से धीरे-धीरे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही, मैंने बताया कि 3,281 प्रकरण ऐसे थे जिनमें से 91 हटाये हैं; बाकी को हटाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कब घोषित हुए, अध्यक्ष महोदय? एक सवाल का उत्तर नहीं है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप सुनिये। बाकी को हटाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

आपने खण्ड-दो में पूछा कि व्यावसायिक गतिविधियां कोर एरिया में कितनी हैं? कोई व्यावसायिक गतिविधियां कोर एरिया के अन्दर नहीं हैं। आपने यहां तक किया, आपने कहा कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये, आप बीच में बोल रहे हैं, कोई अलाउ नहीं है। जवाब सुनिये पहले।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सरिस्का कोर एरिया में कोई अतिक्रमण नहीं है। इसलिए आपने जो भी सवाल पूछा, उस सवाल का मैंने पाइंटेड जवाब दिया है।

लैण्ड का, जिन खातेदारों का कब्जा है, जो वहां वर्षों से खेती कर रहे हैं, डिक्लेरेशन से पहले खेती कर रहे हैं, विभाग धीरे-धीरे उनकी शिफ्टिंग की कार्यवाही उनकी सहमति से धीरे-धीरे कर रहा है, उनको हटाया जा रहा है और धीरे-धीरे काफी लोग उनमें से सेटल हो गये; बाकी को हटाने की कार्यवाही करेंगे।

दूसरा, वन अधिकार अधिनियम में जो भी हैं, उनको आपने कहा कि कितने लोगों को पट्टे दिये गये हैं, तो लोगों को पट्टे भी दिये गये हैं अभी प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में; वह भी पूरी सूची जिले-वाइज, अभयारण्य में आपको दे देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, मेरे को यहां बताओ न आप। यह सदन का फ्लोर मेरे पजेशन में है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): बता रहा हूं न आपको, सुनिये तो सही आप। आप सुनिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बताइये आप, मेरे को नहीं लेनी आपसे सूची।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): 1,354 मामलों में 1,354 लोगों को हमने अभी तक पट्टे जारी किये हैं वन अधिकार अधिनियम में और जिनके मामले पेंडिंग हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको भी पट्टा देने की कार्यवाही जारी है। उनको भी, पट्टे देने का एक प्रोसेस है, उसको पूरा करने पर जो भी नियम के अन्तर्गत आएगा, सबको पट्टे देंगे।

यह जो कोर एरिया की बात है, यह कोर एरिये में किसी तरह की कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। यह आप क्लीयर कर लें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: बिना परमिशन के बोलने पर अंकित नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: अनुमति, आप पहले ही बोल रहे हो; अनुमति दे दो, काहे की? बोल चुके आप तो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। श्री जसवन्त यादव।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक ही स्थान पर, सरिस्का अभयारण्य है, उसके लिए दो मापदण्ड तो हो नहीं सकते। अभी मंत्रीजी बता रहे थे, वहां सरकार का, आर टी डी सी का टाइगर डेन चल रहा है, फोरेस्ट लाज में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं; अब प्राइवेट, अगर कोई गरीब आदमी वहां अपना व्यवसाय करना चाहे, वह तो सरकार के लिए अलग बात है। क्या सरकार जो आर टी डी सी के होटल चल रहे हैं, जो टाइगर डेन है, फोरेस्ट लाज है, इनको बंद करने की योजना बना रही है? या इन मापदण्डों को प्राइवेट लोगों के लिए अलग रखना चाहती है और सरकारी लोगों के लिए अलग?

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: अलाउ नहीं किया है आपको। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा। आपका जवाब भी दिला रहा हूं, दोनों का साथ आ जाएगा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में वन्य जीव अभयारण्य, सीता माता और उदयपुर में वन्य जीव अभयारण्य, फुलवारी की नाल; इनमें आदिवासी लोग अतिक्रमी बताये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय, अभयारण्य पहले बना या वहां के आदिवासी मूल रूप से पहले से निवास कर रहे हैं? खातेदारी अधिकार उनके हैं।

श्री अध्यक्ष: अभयारण्य बाद में बना होगा। यह तो स्वीकार करके कह भी चुके हैं कि धीरे-धीरे हम उनको हटाने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): दूसरा मेरा यह है, अध्यक्ष महोदय, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सीता माता के जंगल में और फुलवारी की नाल के जंगल में उन आदिवासियों ने, जो सदियों से परम्परागत रूप से वहां पर रह रहे हैं, उनके फार्म भरे गये खातेदारी अधिकार देने के लिए। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन दोनों अभयारण्यों में जो आदिवासी खातेदार वहां पर थे, उनका नियमन करने की कितनी एप्लीकेशंस आयीं और कितनी कंसिडर की और कितनों को पट्टे दे दिये?

श्री अध्यक्ष: डाक्टर जसवन्त का और नन्दलालजी का साथ।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सीता माता का पूछा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो प्रश्न में आधा घण्टा लग गया।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): यह अभयारण्य जो हैं, तेरह अभयारण्य हैं हमारे राजस्थान में, उनमें जो पट्टे दिये उसका विवरण है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, मेरे प्रश्न को तो भूल गये मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): 2006 के कानून के अन्तर्गत कितने आवेदन आपके पास नियमन के लिए आए?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, मेरा जवाब।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): दोनों बोलेंगे साथ, मैं क्या जवाब दूंगा?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): 2006 में वनाधिकार का जो कानून बना, उसके अन्तर्गत इन दोनों अभयारण्यों में से कितने आवेदन आपके पास आए और कितनों को पट्टे दे दिये?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्रीजी, मैंने पूछा था, आर टी डी सी और फोरेस्ट लाज वहां चल रहे हैं, प्राइवेट आदमी व्यावसायिक गतिविधियां करता है तो उनको तो आप बंद कराने की योजना बना रहे हैं, तो क्या इन दोनों को बंद करायेंगे? क्या उनको व्यावसायिक मानते हैं या नहीं मानते?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए इनका। दोनों का जवाब दे दीजिए, डाक्टर जसवन्त सिंहजी का और नन्दलालजी का।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल है कि फोरेस्ट में जो आदिवासी बसे हुए हैं उनके पट्टे कितने दिये, कितने पेण्डिंग हैं; मेरे पास जो अभी सूचना है, अध्यक्ष महोदय, वह इनके सीता माता अभयारण्य का सवाल है, सीता माता अभयारण्य में 424 लोगों को पट्टे दिये। अगर और भी कोई पेण्डिंग होगा तो हम उनको भी पट्टे देंगे।

दूसरा, माननीय बहरोड़ से आने वाले सदस्य ने पूछा कि पहले से जो आर टी डी सी के चल रहे हैं वे बंद करायेंगे या नहीं करायेंगे, इसको हम दिखवा लेंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): दिखवा लेंगे, इसको व्यावसायिक नहीं मानते आप? टाइगर डेन को दिखवाओगे क्या आप? आप इसकी क्या जांच कराओगे?

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुनो आप।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनिए तो सही आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्रीजी जवाब कह रहे हैं कि उसको दिखवाएंगे, वे तो व्यावसायिक हैं या नहीं, इतना जवाब मांग रहा हूं मैं तो।

श्री अध्यक्ष: यह जवाब ही तो दे रहे हैं ना।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आर टी डी सी के जितने भी होटल, वगैरह हैं ...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): टाइगर डेन है, टाइगर डेन चल रहा है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मेरी बात सुनिए ना आप। आर टी डी सी के होटल यदि कोर एरिये में हैं तो उनको हम बंद करा देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आजाद साहब।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट में पिछले दिनों ...(व्यवधान) एक आदेश पहुंचा है केन्द्र सरकार का जिसमें सारी गतिविधियां पूरे सवाई माधोपुर शहर में ...(व्यवधान) आप हमें बोलने दीजिए, आप घंटे भर से बोल रहे हैं। मेरे यहां का मामला है, आप मुझे बोलने दीजिए, बाद में बोल लेना आप।

पूरे इलाके में एक इस तरह का निर्णय लिया गया है कि वहां की सारी गतिविधियां बंद कर दी जाएंगी, कोर एरिया और बफर एरिया को एक मान लिया जाएगा; वे गतिविधियां बंद करने से सवाई माधोपुर, आलनपुर, सारे क्षेत्र में न आप हैण्डपम्प लगा सकेंगे, न औद्योगिक गतिविधियां कर सकेंगे। इस तरह की बातचीत कर दी है। इस तरह से हमारी मांग है कि सवाई माधोपुर शहर को शून्य मानकर ही उस एरिया को घोषित कर दिया जाए, नहीं तो 142 गांव और पुराना शहर बिलकुल खण्डहर और श्मशान हो जाएंगे। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि जो आदेश भेजा है, उससे तो ये सारी गतिविधियां धरी रह जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: विराजो। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी आबादियों का नियमन

55. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में पूर्व में 90-बी एवं वर्तमान में 90-ए के तहत अनियमित रूप से बसी हुई कालोनियों का नियमन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी तर्ज पर अनियमित या कृषि भूमि पर बसी आबादियों को नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): जी हां। नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान में 90-ए के तहत वर्ष 2012 में बने नियमों के अन्तर्गत कालोनियों का नियमन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 13 में यह प्रावधान है कि कोई खातेदार अनुज्ञा के बिना अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग कर लेता है तो उसे सम्परिवर्तन प्रभार की चार गुणा राशि लेकर नियमित करने का प्रावधान है।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्षजी, मैंने जो प्रश्न किया था कि शहरी क्षेत्र में तो आप प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान चला करके छूट दे रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों ने खातेदारी भूमि पर कालोनियां विकसित कर ली हैं और राज्य में लाखों मकान बन चुके हैं। तो उसके लिये सरकार क्या करने जा रही है, या क्या करना चाहती है? माननीय मंत्रीजी ने मुझे कहा, खातेदार अनुज्ञा के बिना अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग कर लेता है तो उसे सम्परिवर्तन प्रभार की चार गुणा राशि लेकर नियमित करने का प्रावधान है। माननीय अध्यक्षजी, जब सरकार शहरों में छूट दे रही है तो ग्रामीण क्षेत्र में क्यों छूट नहीं दे रहे हैं?

मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा, इस प्रकार के कितने प्रकरण पिछले 4 वर्षों में आपने निस्तारित किये हैं? कितने आवेदन आये हैं, कितने निस्तारित किये और कितने लम्बित हैं? निस्तारित में से कितने रिजेक्ट किये हैं और रिजेक्ट के कारण क्या रहे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या हो गया? यह तो रोज ही आते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपको भी मालूम है यह?

श्री अध्यक्ष: तो ये तो रोज ही आते हैं, आज कोई नयी बात थोड़े ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): घनश्यामजी के साथ बैठे हैं ना, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आज इससे ज्यादा प्रसन्नता हुई है कि कटारियाजी की जगह नहीं बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, घनश्यामजी के साथ बैठे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष: मेरे को तो अच्छे ही लगते हो आप भी और ये भी।

प्रश्न का जवाब, मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 'दृग ऊरजत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित्त प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिय, दई न ई यह रीत'

श्री अध्यक्ष: दुर्जन वे हैं क्या? आपने अंगुली इधर की है, दुर्जन ये हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह 'दुर्जन' शब्द असंसदीय है, इसको आप...

श्री अध्यक्ष: घायल की गति घायल जाने। चलिये। हां, मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजन के लिये सम्परिवर्तन के जो नियम हैं, उसमें नियम 13 का हवाला दिया कि जिन्होंने बिना सम्परिवर्तन करवाये कोई निर्माण कर लिया तो चार गुणा पेनल्टी लगेगी, जबकि उसको पहले सम्परिवर्तन करवा लेना चाहिये, उसके बाद निर्माण करना चाहिये। अगर इस तरह से हम पेनल्टी नहीं लगायेंगे तो फिर कोई भी सम्परिवर्तन करवायेगा नहीं, निर्माण कर लेगा और उसके बाद में फिर पेनल्टी नहीं होगी तो कोई परवाह नहीं करेगा। इसलिये यह चार गुणा पेनल्टी का प्रावधान रखा है।

आपने 90-ए की तर्ज पर बात कही; वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कृषि भूमि पर कालोनियां बसा दी गयी हैं या उस कृषि भूमि को कृषि के अलावा दूसरे प्रयोजन में काम लिया जा रहा है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत उसको सिवाय चक घोषित करने का प्रावधान है। इसलिये उसको सिवाय चक घोषित कर देते हैं। सिवाय चक घोषित करने के

(श्री हेमाराम चौधरी)

बाद, अगर माननीय सदस्य चाहें तो हम उसको पंचायत को हैण्ड-ओवर कर देंगे और बाद में पंचायत नियम बनाकर, जैसे नगरपालिका 90-ए के तहत जिसकी भूमि है उसको पट्टे देती है, उसके अनुसार पंचायत उनको नियम बनाकर पट्टे दे सकती है।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय मंत्रीजी से मैंने पूछा है, 4 वर्षों में आपने ऐसा कुछ किया है क्या? कितने प्रकरण पिछले 4 वर्षों में निस्तारित किये हैं? कितने आवेदन आये हैं, प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान को लें चाहे, कहीं भी? वह बताएं आप?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आंकड़े पूरे राजस्थान के आप पूछ रहे हैं, तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, कितने आवेदन आये, कितनों का निस्तारण हुआ, क्योंकि यह प्रश्न से हटकर आपने पूछा है लेकिन...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हटकर कहां है?

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुनो। जवाब तो सुन लें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पूरे राजस्थान के आप आंकड़े पूछ रहे हैं, कितने आवेदन आए और उसमें से कितनों का निस्तारण हुआ, ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, आप चाहेंगे तो मैं आंकड़े आपको भिजवा दूंगा लेकिन मैंने जो नियमों की, जिस किसी ने भी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आंकड़ें भिजवा रहे हो कि आंकड़े?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आंकड़े-आंकड़े।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आंकड़े। वह आकड़ा मत भिजवा देना।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): लेकिन जिस किसी ने भी आवेदन किया सम्परिवर्तन के लिये, उसका सम्परिवर्तन हुआ और किसी ने निर्माण कर दिया, उसके बाद में सम्परिवर्तन के लिये आवेदन किया तो चार गुणा पेनल्टी लगाने का प्रावधान है, वह पेनल्टी लगायी है। समय पर निस्तारण हुआ है। अब बिना कुछ किये आपने कालोनी बसा दी; कृषि भूमि है, आप कोई सम्परिवर्तन करवाओ नहीं और कालोनिया-कालोनियां बसा दो, तो उसके लिये तो फिर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

177 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सिवाय चक घोषित कर देंगे। सिवाय चक घोषित करने के बाद, अगर आप चाहें तो, माननीय

(श्री हेमाराम चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, वह ग्राम पंचायत को हैण्ड-ओवर कर सकते हैं और फिर ग्राम पंचायत जिस प्रकार से अरबन बाडीज हैं, आगे पट्टे जारी करती हैं, उस प्रकार से वह नियम बनाकर के पट्टे उनको दे दे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सवाल यही उठता है कि जिसकी खातेदारी की जमीन है उस पर तो पेनल्टी पर पेनल्टी और शहरी क्षेत्रों में राज की जमीन पर, नगरपालिका की जमीन पर अतिक्रमण करता है तो आप ग्राण्ट एक्ट में अलग-अलग एक रुपये में पट्टे दे देते हैं। यह भेदभाव मत करो आप गांव वालों के साथ।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, नहीं, गांव वालों के साथ कोई भेदभाव नहीं। यह तो बिना अनुमति, बिना सम्परिवर्तन करवाये, आप सम्परिवर्तन करवाओ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): शहरों में कौन अनुमति लेता है? निरन्तर कब्जे हो रहे हैं वह तो आप...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों में क्या हो रहा है, उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं यह कह रहा हूं, आप सम्परिवर्तन के लिये आवेदन करो, हम सम्परिवर्तन कर देंगे बिना पेनल्टी के, कोई पेनल्टी नहीं, लेकिन आप बिना सम्परिवर्तन करवाये उसको कृषि से दूसरे काम में लेओगे तो फिर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): वह इसलिये होता है कि आवास की जो आवश्यकता है हमारे प्रदेश की, वह समय पर फलीभूत नहीं होती इन सरकारी योजनाओं से। इस कारण से....

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्षजी, शहरों में जो भी... (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): शहरों में ही जो एग्रीकल्चर लैण्ड पर कालोनियां बसी हैं। (व्यवधान) रियायती दर पर। (व्यवधान) आप पेनल्टी वसूल कर रहे हैं। गवर्नमेंट। (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्षजी, यह काश्तकारों के साथ धोखा है। काश्तकारों के लिये, मान लो, नियम भी चेंज करने हों तो नियम चेंज कीजिये लेकिन काश्तकारों के साथ यह धोखा नहीं चल सकता है।

(श्री रामलाल गुर्जर)

(व्यवधान) यह काश्तकारों के साथ अन्याय है। भू-राजस्व नियम में संशोधन करना हो तो कीजिएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये। मूल प्रश्नकर्ता। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मूल प्रश्नकर्ता को अपनी बात कहने दीजिये। आप सब खड़े हो जाते हैं, जवाब कहां से आयेगा? मूल प्रश्नकर्ता, स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्षजी, मेरा तो यही है कि जब शहरों में आप छूट दे रहे हैं, सोसायटीज ने इल्लीगल तरीके से निर्माण कर लिया, अनियमित तरीके से कालोनी बसा ली है, उसको तो आप 1,500 वर्ग गज, बल्कि 200 ले रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी में उनको छूट दे रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते हैं? मंत्रीजी जवाब में कह रहे हैं कि हम गांवों में चार गुणा पेनल्टी लेकर ही नियमित करेंगे किसी भी आवासीय योजना को...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ जायेगा, 16 गांवों में 10 रुपये गज में आपने पट्टे जारी कर दिये....

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। जवाब आने दीजिये। अंकित नहीं होगा। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा, बिना परमिशन के अंकित नहीं होगा। मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ जो कालोनियां जिन्होंने काट दीं कृषि भूमि पर ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी बात कही है और खातेदार अगर अपने खुद के लिये कोई निर्माण करता है, मकान बनाता है, पशुओं के लिये बाड़ा बनाता है तो 500 वर्गमीटर तक नि:शुल्क कन्वर्जन करने का आदेश हमने जारी कर दिया।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय मंत्रीजी, यह तो पहले से ही आदेश है टीनेन्सी एक्ट के तहत।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलाउ नहीं किया मैंने। अंकित नहीं होगा।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): वह तो 500 वर्ग गज है। किसी ने एप्लाई किया है...

श्री अजय सिंह (डेगाना): यहां 500 गज के पट्टे की बात नहीं है...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अजय सिंह (डेगाना): अध्यक्षजी, बड़े-बड़े गांवों के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनकी जनसंख्या 4 से 5 हजार है...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): खातेदार अगर अपने लिये कोई मकान बनाता है, वह 500 वर्गमीटर तक आवेदन करेगा तो नि:शुल्क पट्टा दिया जायेगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाएं, मंत्रीजी। विराज जाएं आप।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

श्री अजय सिंह (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बतायें कि वह करना चाहते हैं क्या? नियमों में बदलाव की ऐसी कोई योजना है क्या? (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन यही है मंत्रीजी से कि क्या वे करना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु नियमों में बदलाव या ऐसा कुछ? मंत्रीजी यह बता दें, आज लाखों मकान बने हुए हैं प्रदेश के अन्दर कृषि भूमियों पर, उनका क्या करेंगे?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न था क्या? आपको परमिशन दी है क्या? भाषण टेक रहे हो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री अध्यक्ष: फिर भाषण।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

मानसरोवर (जयपुर) के वीर तेजाजी मार्ग पर रिक्त भूमि का उपयोग

56. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर शहर में मानसरोवर में वीर तेजाजी मार्ग पर खाली भूमि पर आवासन मण्डल द्वारा आवासीय योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि आवासन मण्डल द्वारा कामर्शियल उपयोग हेतु छोड़ी गयी थी? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त भूमि का व्यावसायिक से आवासीय भूमि में उपयोग हेतु भू-परिवर्तन कर दिया गया है? यदि हां, तो कितनी भूमि आवासीय रखी गयी एवं कितनी व्यावसायिक भूमि रखी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जयपुर के मानसरोवर में वी.टी. रोड मार्ग पर आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 09.03.2010 की बैठक में व्यावसायिक/आवासीय योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। इस निर्णय की क्रियान्विति के लिये कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गयी है।

(2) उक्त भूमि मास्टर प्लान 2011 व 2025 में व्यावसायिक ही दिखायी गयी है। मास्टर प्लान 2025 की मानचित्र की आंशिक प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त भूमि व्यावसायिक से आवासीय में परिवर्तित नहीं की गयी है, परन्तु भवन विनियम 2010 एवं संशोधित 2011 के अनुसार वाणिज्यिक भूखण्ड पर मिक्स लैण्ड यूज (ग्रुप हाउसिंग) अनुज्ञेय है। इसलिए व्यावसायिक/आवासीय में कितनी भूमि काम में आयेगी, इसका आकलन मुश्किल है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न 1, वी.टी. रोड के दोनों तरफ 2 लाख वर्ग गज जमीन, मानसरोवर में एस एफ एस में और उसके सामने वाले सारे इलाके में, महारानी बाग में व सब में केवल यही भूमि खाली है, बाकी सारी जमीन पर बड़े-बड़े भवन बन गये हैं।

प्रश्न 2, जो मानसरोवर में बची हुई जमीन थी, उसमें मेट्रो स्टेशन और बाकी काम के लिए रिजर्व कर दिया। इस जमीन को खाली रखकर, चूंकि यह जमीन खाली थी, इसको खाली ना रखकर अगर इसमें आवासीय या कामर्शियल किया गया तो पुरानी बस्ती से भी ज्यादा कंजेस्टेड यह सारा इलाका हो जायेगा। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस इलाके को पूर्णतया खाली रखकर दिल्ली में जैसे प्रगति मैदान डवलप हुआ, उसी प्रकार जयपुर में डवलप करेंगे तो हाउसिंग बोर्ड के भी परमानेंट इन्कम होगी, सरकार के लिए, और आम जनता के लिए कम से कम सांस लेने के लिए जगह बची रहेगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, चूंकि यह पहले खाली जमीन थी, फिर इसको व्यावसायिक किया गया, फिर इसको आवासीय किया गया, फिर इसको बिना किसी सीमा के 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष के लिये बदला गया; इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जयपुर के पर्यावरण को बचाने के लिए, मानसरोवर और प्रताप नगर को बचाने के लिए इसको आप खाली रखने के लिए हाउसिंग बोर्ड को दें, ताकि इसमें कोई बेइमानी भी नहीं हो और शहर का जीवन भी चल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज जयपुर शहर में रामलीला मैदान में रैली करेंगे तो ट्रैफिक जाम होगा, अमरूदों के बाग़ में जायेंगे तो समस्या पैदा होती है, आपके लिए एक इस जगह के अलावा शहर के बीच में कोई जगह बची नहीं है। यह जगह ऐसे स्थान पर है जिससे सारे यातायात बाहर की बाहर निकल जाते हैं। बड़ी मीटिंग करनी हो, बड़ी सभा करनी हो या प्रगति मैदान की तरह रोज जिस प्रकार से वहां प्रदर्शनियां लगती हैं, उनको लगाने के लिए यह एक मात्र जगह है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार पैदल चलकर आप इसको देखें, अगर आपके मन में जंच जाये तो इस स्थान को खाली रखने का प्रयत्न करें। यही जयपुर के लोगों की इच्छा है।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है, जयपुर के लोगों की इच्छा बतायी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मंशा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मंशा है। जो आपने सुझाव दिये हैं, मैं तो उनका वेलकम करता हूं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह आपकी जानकारी में है कि मानसरोवर में ये 3 टुकड़े थे, एक था गोपालपुरा बाइपास, जिसको कि मेट्रो को दे दिया गया, 1 लाख 6 हजार स्कवायर मीटर; दूसरा था, आपका यह द्वारकादास, यह भी वाणिज्यिक था प्लाट, लेकिन इसका लैण्ड यूज चेंज करके कुछ तो आवासीय में दे दिया गया और कुछ में पार्क बना दिया गया, बहुत बड़ा पार्क बनाया गया, जैसा कि आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा पार्क बनाया गया कि मानसरोवर में शायद इतना बड़ा पार्क नहीं होगा...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तीसरा, हाउसिंग बोर्ड के कुछ कार्यालय वहां पर हैं। अब यह रह गया प्लाट वी.टी. रोड और अरावली के बीच का, यह है करीब-करीब 4 लाख 30 हजार स्कवायर मीटर, यह आज भी खाली पड़ा हुआ है; सिर्फ 2 प्लाट बिके हैं इसके, एक 7 हजार स्कवायर मीटर का प्लाट बिका है और एक 9,917 स्कवायर मीटर का प्लाट बिका है और एक पैट्रोल पम्प का 500 स्कवायर मीटर का प्लाट अलाट हुआ है। बाकी सारा खाली पड़ा हुआ है।

आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रश्न के जरिये सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है। मैंने भी बात की है हाउसिंग बोर्ड वालों से और वे भी इस बात के लिये एग्री हैं कि इस पर दुबारा से पुनर्विचार किया जाना चाहिये। 09.03.2010 को जो मीटिंग थी, उसके पहले एक मीटिंग और हुई 2001 में, जिसमें यह कहा गया था कि इसको पूरे को कामर्शियल नहीं करके इसमें कुछ आवासीय रखा जाये, कुछ पार्क बनाया जाये, यह किया जाये। लेकिन उसमें हाई कोर्ट का फैसला फिर यह हो गया, एम एल एज, एम पीज, पत्रकारों को, इनको जो दी गयी थी वह बदलकर के इनको इंदिरा गांधी नगर दे दिया गया। अब इस पर नेक्स्ट मीटिंग जो मण्डल की होगी, उस पर पुनर्विचार करने के लिए हाउसिंग बोर्ड वालों ने कहा है।

मैं यह समझता हूं कि जो आपने बात कही है कि इसमें बड़े भूखण्ड पर पार्क आना चाहिए, सब पर तो नहीं आ सकता, 4 लाख 30 हजार पर तो नहीं ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 2 लाख गज के लिये कहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 2 लाख नहीं है, 4 लाख 30 हजार है जिसमें से 7,000 निकाल दें, 9,917 निकाल दें और फिर 500 निकाल दें, बाकी सारी जमीन खाली पड़ी हुई है, आज भी खाली पड़ी हुई है। आप वी.टी. रोड से निकल जाते हो इसलिए आप अच्छी तरह से नहीं देख पाते।

मैं आपके सुझाव का वैलकम करते हुए आपको यही एश्योर करता हूं कि अगली बैठक जो होगी, उसमें इस योजना पर पुनर्विचार करके पर्यावरण सुरक्षित कैसे रह सकता है, इस बात का प्रबन्ध किया जायेगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मंत्री महोदय, एक मिनट का समय लूंगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेट्रो स्टेशन वहां बन गया। बस अड्डा शहर के बीच में है, वहां पर बसें जाने की जगह नहीं है, पूरी बसें वहां जाने का रास्ता नहीं है...

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री ज्ञानचन्द पारख। अगला प्रश्न।

पाली जिले में चिह्नित बाल श्रमिकों हेतु विशेष विद्यालय

57. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पाली जिले में बाल श्रमिकों की पहचान हेतु वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सर्वे किया गया है? यदि हां, तो कितने बाल श्रमिक किस-किस क्षेत्र में चिह्नित किये गये?

(2) क्या उक्त बाल श्रमिकों को शिक्षित करने हेतु एवं उक्त कुप्रथा से मुक्त कराने हेतु विशेष बाल श्रमिक विद्यालय संचालित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं? यदि हां, तो कितने विशेष बाल श्रमिक विद्यालय किस-किस क्षेत्र में संचालित किये जाने प्रस्तावित हैं?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। केवल रोजगार मंत्री।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब दें, मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन (श्री मांगीलाल गरासिया): (1) पाली जिले में बाल श्रमिकों की पहचान हेतु वर्ष 2011-12 में सर्वे किया गया है तथा वर्ष 2012-13 में कोई सर्वे नहीं करवाया गया है। जिले में क्षेत्रवार चिह्नित बाल श्रमिकों की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(2) सर्वे में चिह्नित बाल श्रमिकों का सत्यापन पूर्ण नहीं होने के कारण विद्यालय संचालित करने हेतु अभी तक भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजे गये हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, उसके सम्बन्ध में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि 2 साल पहले आपने सर्वे करा दिया और आज तक उसका सत्यापन नहीं किया गया, इसके क्या कारण रहे? इसका सत्यापन कब तक हो जायेगा? सत्यापन में देरी के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? एक तो, माननीय मंत्री महोदय, आप यह बता दें।

दूसरा, मंत्री महोदय से यह भी आग्रह रहेगा कि पहले जो बाल श्रमिक विद्यालय चले हैं पाली में, क्या उनके संचालकों को और बाल श्रमिकों को उनका मानदेय दे दिया गया? दिया, तो कब दिया? और नहीं दिया, तो अब तक किन-किन कारणों से नहीं दिया गया? यह भी, माननीय मंत्रीजी, मुझे थोड़ा आप स्पष्ट कर दें।

तीसरा मेरा माननीय मंत्रीजी से एक पूरक प्रश्न और रहेगा कि यह जो आपकी बाल श्रमिक कल्याण योजना है, वह केन्द्र सरकार के भरोसे है क्या? राज्य सरकार भी ऐसी कोई योजना लाने की मंशा रखती है? क्योंकि हमारे प्रदेश में लाखों की संख्या में बाल श्रमिक हैं। अकेले मेरे पाली शहर में लगभग 3 हजार, आपके इस सर्वे में 165 आए होंगे, 3 हजार से भी ज्यादा की संख्या बाल श्रमिकों की है। आप देखना चाहते हैं तो किसी भी शादी-बारात को देख लो, उसमें जो लाइट उठाकर बच्चे जाते हैं, वे 12 या 13 या 14 साल की उम्र से ज्यादा के नहीं हैं, जो 50 किलो का बोझ तीन-तीन घण्टे तक ढोते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार भी इन बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई योजना चलाने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में? और नहीं, तो किन कारणों से?

इनका मुझे जवाब दिलवा दें आप।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पाली में बाल श्रमिकों के लिए परिचर्चा हुई,

(श्री मांगीलाल गरासिया)

माननीय सदस्य का प्रश्न था कि किन-किन संस्थानों के द्वारा चिन्हीकरण करने का काम बाल श्रमिकों के लिए किया गया, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पाली जिले में चार संस्थानों के द्वारा अलग-अलग सर्वे कराया गया; महिला अस्मिता संस्थान, पाली के द्वारा 51 को बाल श्रमिक के रूप में चिन्हीकरण किया गया; सुमेरपुर में चिन्हीकरण के रूप में 11 चिन्हित हुए; उसी तरह से, रायपुर में 70; इसी तरह से, सोजत में 63 और इसी तरह से,...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): यह सूची मेरे पास है। सत्यापन में दो साल कैसे लग गए, यह बता दें आप। इतना छोटा सा सत्यापन करना है आपको, कोई हजारों की सूची भी नहीं है यह।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय सदस्य, वही बता रहा हूं। तो इस तरह से सर्वे करके हमारे पास जो संख्या आई थी, 714, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह से 714 का आया। उसके बाद जब उनके प्रमाणीकरण करने का प्रश्न आता है, तो उप खण्ड अधिकारी के माध्यम से सर्वे किया जाता है और उसका प्रमाणीकरण किया जाता है। प्रमाणीकरण और सत्यापन होने के बाद फिर हमें भारत सरकार को उसका प्रस्ताव भेजना पड़ता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा 2011-12 का आपके आया तो हमने उनको प्रमाणीकरण करने के लिए विभिन्न स्तर पर पी डी के माध्यम से, जिला कलक्टर के माध्यम से और हमारे विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से जिस तरह से लिखा गया, 27.2.2012 को परियोजना निदेशक अधिकारी द्वारा और उसी तरह से ही 17.1.2013 तक 11 पत्र लिखे गये। लिखने के बाद में उनका चिन्हीकरण होकर के जब आने की स्थिति हुई और चिन्हीकरण हुआ, चिन्हीकरण के साथ में प्रमाणीकरण करने की इसलिए अनिवार्यता होती है क्योंकि बाल श्रमिक चिन्हित तो हो जाता है, उसके बाद में जब तक उनका प्रमाणीकरण नहीं होता है तब तक उनको उस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेकर के नहीं कर सकते। मैं पूरा-पूरा...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 714 की संख्या है मात्र जिले में, बहुत ज्यादा नहीं है; सत्यापन में इतनी अवधि कैसे लग गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और कितने दिन में यह सत्यापन करवा देंगे? इतना बता दें आप मुझे। कितने समय में करवा देंगे आप?

श्री अध्यक्ष: आप एक प्रश्न का जवाब दे दें कि कितने समय में सत्यापन करवा देंगे?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): एक मिनट में कह देता हूं कि हम एक सप्ताह भर में करके भारत सरकार को पत्र भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। अगला प्रश्न, श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): प्रश्न संख्या 58 ।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पुराना बकाया है, बाल श्रमिकों का जो पुराना बकाया है, वह आप कितनी अवधि में दिलवा देंगे पैसा?

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है, एक प्रश्न और आने दीजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): यह बहुत गम्भीर विषय है। जो पुराना बकाया है, मेरा खतम नहीं हुआ है प्रश्न, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पुराना पैसा कितने दिन में दिलवा देंगे आप? पुराने बाल श्रमिकों का जो मानदेय है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न खड़ा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न खड़ा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ××× ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दें, मंत्रीजी।

जोधपुर जिले के अभावग्रस्त/अकालग्रस्त गांवों में राहत शिविर

58. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2012-13 में जोधपुर जिले के राजस्व गांवों को अकालग्रस्त एवं अभावग्रस्त घोषित किया है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शेरगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में खरीफ व बरसाती फसलों में 50 से 70 प्रतिशत खराबा व नुकसान हुआ? यदि हां, तो कहां-कहां कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(3) क्या सरकार द्वारा अकालग्रस्त व अभावग्रस्त राजस्व गांवों में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं? यदि हां, तो कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अकालग्रस्त राजस्व गांवों में चारा डिपो तथा पशु सेवा शिविर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) प्रदेश में मौसमी बीमा के क्या मानदण्ड हैं?

(6) जोधपुर जिले में दिसम्बर 2008 से अब तक कितना प्रीमियम जमा हुआ व कितने दावों का भुगतान हुआ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार फसली मौसमी बीमे के मानदण्डों में सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं राहत (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) संवत् 2069 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर जोधपुर जिले में 958 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) शेरगढ़ उपखण्ड क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक खरीफ फसल खराबे वाले गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है, जिनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम एस डी आर एफ/एन आर डी एफ मानदण्डों में अकालग्रस्त गांवों में श्रम रोजगार हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ही मांग के अनुसार श्रम रोजगार उपलब्ध कराया जाना है।

(4) अकालग्रस्त गांवों में आवश्यकतानुसार चारा डिपो तथा पशु शिविर लगाने हेतु जिला कलक्टरों को दिनांक 28.01.2013 को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(5) मानदण्ड परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(6) जोधपुर जिले में दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2013 तक लिये गये प्रीमियम एवं दिये गये बीमा क्लेम दावों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(7) यह योजना भारत सरकार की योजना है। इस योजना का

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

सरलीकरण या किसी प्रकार का बदलाव भारत सरकार के स्तर से ही सम्भव है।

(सूचियां, प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरे चार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या सरकार ने घोषणा पत्र में फसल बीमा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत को इकाई बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? स्पष्ट करें। क्या सरकार ओलावृष्टि में सी आर एफ के अतिरिक्त राज्य सरकार से पैकेज देने का विचार रखती है? मुआवजे के बारे में स्पष्ट करें। खण्ड-4 के अनुसार 28.1.13 को जिला कलक्टर को चारा डिपो, पशु शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, अभावग्रस्त गांव घोषित होने के पश्चात् जोधपुर जिले में अकाल राहत शिविर, चारा डिपो और पशु शिविर कहां-कहां खोले गये? इसको भी स्पष्ट करें। खण्ड-6 के अनुसार मौसमी फसल बीमा में कम्पनियों द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है, जैसे शेरगढ़ में 2012-13 में 306 गांव अकालग्रस्त हैं और फसल बीमा के लिए जो प्रीमियम जमा हुआ वह 10,58,19,639 रुपये जमा हुआ; 306 गांव गिरदावरी के अनुसार अभावगस्त हैं और बीमा दावों का भुगतान हुआ 3,88,95,819 रुपये। वैसे ही फलौदी में 281 गांव अकालग्रस्त हैं...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें, समय समाप्त हो जाएगा। प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मेरा निवेदन है कि जोधपुर जिले में 2009 से लेकर 2013 तक जितना प्रीमियम कम्पनियों ने लिया है मौसमी फसल बीमे का, उसका 25 प्रतिशत भी बीमा क्लेम नहीं मिला है। इसलिए आप कैसे संयंत्र लगाएंगे? कैसे इसका सरलीकरण करेंगे? ग्राम पंचायत को इकाई बनाकर कम्पनियां जो किसानों को लूट रही हैं, जो लोन मिल रहा है उस लोन में उसका प्रीमियम काट लेती हैं। इस प्रकार से किसानों की लूट की ये दुकानें जो खोल दी हैं इसके लिए आप क्या करने का विचार रखते हैं? धन्यवाद।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं राहत): माननीय अध्यक्षजी, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन किया

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

है कि सरलीकरण, इसमें कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है। वैसे यह बीमा का विषय कृषि विभाग द्वारा देखा जाता है, माननीय कृषि मंत्रीजी भी यहां विराजे हुए हैं, मैं आपकी भावना उन तक पहुंचा दूंगा, उन्होंने सुना भी होगा, मैं भी उनसे निवेदन करूंगा कि वे भारत सरकार को चिट्ठी लिखें। जो भी वहां से कार्यवाही होगी, उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा जिला अकालग्रस्त है और कोई चारा डिपो, कोई पशु शिविर, अकाल के काम, नरेगा के काम, कुछ भी नहीं चल रहे हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आपके हाथ में नहीं था तो आपने घोषणा पत्र में क्यों छापा? आपके हाथ में ही नहीं था तो घोषणा पत्र में क्यों छापा? (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): पूरे जोधपुर जिले में मात्र एक बिलाड़ा में ...(व्यवधान) समीक्षा करवाइए गिरदावरी की। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): घोषणा पत्र में छाप दिया, क्यों छापा जब अधिकार में नहीं था तो? (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ओलावृष्टि हुई है चारों तरफ, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं; अकाल के मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं। अकाल के चारा डिपो, पशु शिविर, आपने कलक्टर को 28 तारीख को निर्देश दिए, 28 जनवरी को, एक चारा डिपो खुला हो तो बता दो; अकाल राहत के काम

(12.00 बजे)

खुले हैं तो बता दो। एक, नरेगा के काम बंद हैं...

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, बिलाड़ा को वंचित रख दिया है, अकालग्रस्त; क्या इनकी वापस समीक्षा करवाओगे आप गिरदावरी में और बिलाड़ा को वापस अकालग्रस्त घोषित करवाओगे?

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचना करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर की बकानी उप-तहसील को मुख्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।
2. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से कमीनपुरा, श्रीगंगानगर में शुरू होने वाली नई शुगर मिल को स्थानान्तरित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्रीमती अनीता सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर में हाल में हुई ओलावृष्टि से फसल के चौपट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री नरपत सिंह राजवी एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, ग्राम मदाउ, जयपुर की 73 बीघा भूमि पत्रकारिता विश्वविद्यालय को दिये जाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री अब्दुल सगीर खान एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जिला धौलपुर के विद्यालयों में अपर्याप्त शिक्षक एवं अन्य सुविधाओं का अभाव होने के सम्बन्ध में।
7. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश की 5,000 से भी ज्यादा पंचायतें रोडवेज की सुविधा से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8. डा. फूलचन्द भिण्डा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को सार्वजनिक परिवहन सुविधा से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9. श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य की ओर से उदयपुर से सोम वाया झाड़ोल मुख्य सड़क के जीर्ण-शीर्ण होने से यात्रियों को रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

10. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से बिजली विभाग द्वारा लगातार की जा रही लापरवाही से जन हानि की बढ़ती संख्या के सम्बन्ध में।

11. डा. जसवन्त सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम माजरी कला पं.स. नीमराणा में महानरेगा कार्य बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती संजना आगरी एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से तहसील रायपुर स्थित झीलमिल बांध से बिरांटियाकलां के काश्तकारों को सिंचाई के लिए पानी दिये जाने के सम्बन्ध में।

13. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से राज्य में साइबर क्राइम को रोकने की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

14. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

15. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद के राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, सांगलिया के प्राचार्य द्वारा अश्लील हरकत की कथित घटना के सम्बन्ध में।

16. डा. दिगम्बर सिंह एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से जिला भरतपुर में 25 और 16 के वी ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स की कमी से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

17. श्री भवानी सिंह राजावत एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से कोटा स्थित सेमटेक फैक्टरी प्रबंधकों की मनमानी से बंद पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

18. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर के शास्त्री नगर व लाल बहादुर सर्किल पर रात्रि 9.00 बजे से 02.00 बजे तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित

(श्री अध्यक्ष)

कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा. सदस्य श्री पेमाराम, डा. दिगम्बर सिंह, श्री भवानी सिंह राजावत एवं श्री कैलाश चन्द्र भंसाली को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्या की ओर से राज्य में शराब की दुकानों पर खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य लेने, मिलावटी शराब के मामले मिलने वाली दुकानों आदि के लाइसेंस निरस्त करने के सम्बन्ध में।
2. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से नरेगा योजना में विधायक कोष के समन्वय के साथ नरेगा कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु श्रम सामग्री का अनुपात पंचायत वार करने के सम्बन्ध में।
3. श्री ओमप्रकाश जोशी, सदस्य की ओर से पोकरण लिफ्ट एवं फलौदी लिफ्ट को सही करवाकर पानी देने के सम्बन्ध में।
4. श्री सी.एल. प्रेमी, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायतों में TFC, SFC व निर्बन्ध योजना की राशि से सी.सी. रोड का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।
5. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से मेवाड़ सर्किट के अन्तर्गत बने मेवा का मथारा महाराणा युद्धस्थली स्मारक का विद्युत कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा, सदस्य की ओर से राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने में तेजी लाने के सम्बन्ध में।
7. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर की पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में बरती जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में।
8. श्री फतेह सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के कतिपय गांवों की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।
9. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिकारी/कर्मचारियों को पेन्शन विकल्प परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में।
10. श्री रामहेत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास की जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री प्रभुलाल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के सिंचाई बांध पेच की बावड़ी में पड़ने वाले नहर रहित क्षेत्र काछोला सहित आस-पास के गांवों को डी-कमाण्ड घोषित करने के सम्बन्ध में।

12. श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर को जिला बनाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

डा. दिगम्बर सिंह। अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंह।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जिस गम्भीर बीमारी को लेकर पूरा राजस्थान आज परेशान है और कोई शहर ऐसा नहीं है, जहां के लोग आज परेशान नहीं हों।

(12.06 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जिस बीमारी को लेकर के सारा राजस्थान आज संशय की स्थिति में खड़ा है, कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा है, कोई भी पंचायत समिति हैडक्वार्टर नहीं बचा है, जहां स्वाइन-फ्लू का कोई न कोई पेशेंट आज की तारीख में नहीं हो। ऐसे समय में रोजाना, अख़बार में, 5-7-10 मौतें होती

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चली जा रही हैं। सरकार के सामने विषय हमने पहले रख दिया, मंत्रीजी ने अपना जवाब दे दिया, उसके बाद भी उस पर कोई कारगर कार्यवाही दिखाई नहीं दे रही है। अस्पताल में न उसके लिए कोई अलग से वार्ड की व्यवस्था है, न साधन की है, न उनको वेंटिलेटर है, न और किसी प्रकार की सुविधा है और इसके कारण से राजस्थान की जनता को यह संदेह है कि यह सरकार है भी या नहीं है।

इसी विषय को हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। उसके बाद भी अगर यह सरकार और उसका मंत्री इस बात की चिंता नहीं करता है, मैं और मेरा दल इस बात को लेकर के, राजस्थान की जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हुए, राजस्थान की सात करोड़ की जनता की पीड़ा मानते हुए, मैं बहिर्गमन करने की, अपने साथियों के साथ, घोषणा करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भवानी सिंह राजावत।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश चन्द्र भंसाली ।

(अनुपस्थित)

श्री पेमाराम।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, मेरा नाम था।

श्री सभापति: मैंने आपका नाम पुकार लिया। आप कहां थे? आप तो बहिर्गमन में शामिल हो रहे थे। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं यहीं पर था पर हल्ला हो गया।

श्री सभापति: आप अभी तो बहिर्गमन में शामिल हो रहे थे, माननीय सदस्य।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): नहीं, नहीं, सभापति महोदय, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है।

श्री सभापति: मैंने नाम पुकार दिया।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पहले मेरा नाम पुकारा था।

श्री सभापति: मैं आपको अनुमति दूंगा। पहले मैंने नाम पुकार दिया, आप विराजो। श्री पेमाराम जी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

धोद के राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, सांगलिया के प्राचार्य द्वारा अश्लील हरकत

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां एक तरफ हम बालिकाओं की शिक्षा की बात करते हैं पर मैं सीकर जिले के उस सरकारी सीनियर सेकण्डरी स्कूल, राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, सांगलिया के बारे में निवेदन करना चाहूंगा.... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, सांगलिया में लगभग 500 बच्चे अध्ययन करते हैं, उनमें से 300 के लगभग बेटियां और 200 के लगभग बेटे हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन में यह विषय इसलिए लाना पड़ा कि सरकारी संस्था है और कोई भी मां-बाप अपनी बेटी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी संस्थान में भेजते हैं तो उन्हें इकबाल होता है, यकीन होता है कि मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगी तो सुरक्षित घर में वापस आयेगी। लेकिन, सभापति महोदय, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, सांगलिया में यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एक टीचर ने अश्लील हरकत की थी। 10वीं, 11वीं, 12वीं में जो बेटियां पढ़ती हैं वे एडल्ट उम्र के नजदीक की होती हैं और उन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करें, उसका गांव के लोगों को पता लग जाए और गांव के लोग, कोई भी मां-बाप अपनी कुंआरी बेटी को पुलिस थानों में तो इसलिए नहीं लेकर जाते कि मेरी इज्जत लुट जाएगी, मेरी आबरू मिट जाएगी, पहली दफा गांव के नौजवानों ने उस अध्यापक को पीटकर के काम चला दिया।

सभापति महोदय, मैं सीडी भी लेकर आया हूं जिसमें सीनियर सैकण्ड्री स्कूल का प्रिंसिपल उन बेटियों को, और उसका परिणाम यह हुआ कि 10-12 बेटियों को पढ़ाई छोड़कर घर बैठना पड़ा। जहां पर 300 से ज्यादा बेटियां पढ़ती हैं, मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग को पता चलता

(श्री पेमाराम)

है तो कहते हैं कि जांच करवा रहे हैं। सभापति महोदय, एक साल में 3-3 दफा घटनाएं हो जाएं और उसमें जांच चलती रहे और उसका परिणाम यह आये कि बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़े; मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, जिस प्राचार्य ने उन बेटियों के साथ, क्योंकि मोबाइल वह सप्लाई करे और इस मोबाइल में आप सुनेंगे तो उसकी आवाज है जिसमें जो नाम लिये हैं वे मैं यहां पर बखान नहीं कर सकता। मैं यह गांववासियों के लैटर जिसमें लिखा है कि ऐसे प्राचार्य को हमारे यहीं से ही नहीं, राजस्थान में कहीं भी ऐसा प्राचार्य जाएगा... तो मैं समझता हूं कि बेटी, चाहे वह सांगलिया में पढ़ने वाली बेटी अपने मां-बाप की है लेकिन आप और हम सब की बेटियां हैं, हम यदि बेटियों को बचाने के लिए कुछ कदम नहीं उठायेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बेटियों की शिक्षा पर बड़ा अंकुश लगेगा।

मैं उम्मीद करता हूं, यह गांववासियों का पत्र है और यह सीडी जिसमें प्राचार्य महोदय की आवाज है, वह मैं टेबल भी करना चाह रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं मांग करता हूं, जांच की बात तो आप कहेंगे लेकिन जांच तब हो, जब प्राचार्य महोदय को सस्पेंड करके उसके बाद आप जांच करेंगे तब तो वह जांच न्यायसंगत होगी, वरना तो तीन घटनाएं हो गईं, जांच होती रही और हमारी बेटियों के साथ इसी तरह से मोबाइल पर यह छेड़खानी होती रही और आगे तक यह घटनाक्रम होता रहा है।

इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा का मंदिर, सरस्वती माता का मंदिर, जहां पर बेटा और बेटी पढ़ने के लिए जाएं और वहां पर ये घटनाक्रम हों तो हमें निश्चित तौर पर बेरहम होकर, हमारी बेटियों की तरफ जो आंख उठाये उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह कैसेट और गांव वालों का लैटर भी टेबल करना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय का जवाब आ रहा है, आप विराजो तो सही। आप विराजो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, निश्चित रूप से एक गम्भीर विषय है और शर्मनाक विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि अगर इस तरीके की कोई घटना घटी है तो उस प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगा।

श्री पेमाराम (धोद): अगर नहीं, सस्पेंड की घोषणा करो, साहब। सुन लो, साहब, आपने ए पी ओ कर दिया; कोई पक्षपात का सवाल नहीं है; यह उसकी आवाज सुन लो, अभी सस्पेंड करो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मेरी बात सुनें। निष्पक्ष जांच होगी, उस प्रधानाध्यापक को उस जांच से अलग रखा जाएगा और जांच में अगर वह दोषी पाया गया तो किसी भी बड़ी से बड़ी कार्यवाही करने में मैं नहीं हिचकूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति: डाक्टर दिगम्बर सिंह। अब आप विराजो न, हो गई न बात। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सस्पेंड करो। सभापति महोदय, तीन दफा घटना हो गई।

श्री सभापति: आप संतुष्ट नहीं हुए क्या? जवाब दे दिया मंत्रीजी ने। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): जो प्राचार्य ने मोबाइल पर चलाया..... (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, उसमें सब चीजें आ चुकीं; बस, ठीक है। डाक्टर दिगम्बर सिंह।

श्री पेमाराम (धोद): मैं सहमत हूं इस बात से। सभापति महोदय, क्यों न उसको सस्पेंड करें? यदि जांच में वह दोषी नहीं पाया जाता है तो उसको प्रमाणित करो, प्रमोशन दो। अभी तो सस्पेंड तो करो न, साहब। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, ऐसी शिकायतें आजकल बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। (व्यवधान) और जांच के नाम पर जो लीपापोती होती है न, इसलिए मंत्री महोदय, सस्पेंड करें उनको मेहरबानी करके। माननीय सदस्य सी डी पेश कर रहे हैं तो उसको अभी सस्पेंड करें। अगर वह निर्दोष हो तो वापस लगा देना। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मेरी बात तो सुन लें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ऐसी शिकायतें बहुत आनी शुरू हो गईं आजकल। आप सस्पेंड करें उसको। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय का वक्तव्य आ गया। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): आप मेरी बात तो सुनें पहले।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी, माननीय सदस्य की बात पर भरोसा नहीं! माननीय सदस्य की बात पर इतना भरोसा नहीं!

श्री सभापति: जिन माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव रखा है वे बोल चुके हैं। (व्यवधान) इससे आगे आप क्या चाहते हो?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह गार्जियन के रूप में स्कूल में प्राचार्य है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सदस्य की बात पर इतना भरोसा नहीं है! माननीय मंत्री महोदय, आप सस्पेंड करें उसको और जांच में यदि वह निर्दोष पाया जाए तो वापस बहाल कर देना। इसमें क्या दिक्कत है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, सवाल ए पी ओ का नहीं है; कौन अपनी बेटी को वहां भेजेगा जिस विद्यालय का प्रिंसिपल ही यदि बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा? आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से दामिनी के लिए लोग सड़कों पर आये हैं, अगर समय रहते हुए सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे तो हमारे विद्यालय सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बच्ची सड़क पर सुरक्षित नहीं है और विद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य इस तरह की कार्यवाही करते हैं! केवल ए पी ओ कर दिया; सस्पेंड कोई सज़ा नहीं है, सस्पेंड करें जिससे दुबारा कोई अध्यापक और प्रधानाध्यापक इस तरह की मन्शा नहीं रखे। एक अध्यापक अगर ऐसा करें, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात और हो नहीं सकती। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब बोल तो गये और वह की वह बात आप रिपीट कर रहे हो। अब विराजो, माननीय सदस्य। डाक्टर साहब, विराजें आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सस्पेंड की घोषणा कर दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: जब मंत्री महोदय ने पूरी बात आपके समक्ष रख दी, पूरे सदन ने उसको सुना है...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हम संतुष्ट नहीं हैं।

श्री सभापति: आप विराजें। आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की जब भी कभी शिकायत आये तो उसकी जांच होती है और उसकी एक प्रक्रिया है। मंत्री महोदय ने पूरे सदन को आश्वस्त कर दिया कि सख्त से सख्त सज़ा ऐसे मामलों में दी जाएगी, तो उसके बाद फिर क्या बचता है? आप विराजो। बिना जांच के क्या होगा? (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, स्कूल बंद है। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो प्रारम्भिक जांच है, उसके लिए उन्होंने कह दिया; प्रारम्भिक जांच के बारे में बता दिया कि सरकार ने क्या एक्शन किया। (व्यवधान) यह बता तो दिया। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अब नहीं होगा। आप विराजो। डाक्टर दिगम्बर सिंह। अब आप विराजें। अब अंकित नहीं होगा।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: आप समझाओ थोड़ा सा। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: सरकार ने गम्भीरता से ले लिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, आप थोड़ा जल्दी जांच करा दें। (व्यवधान) मंत्रीजी, जल्दी जांच करा दें और कराकर जो भी... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मुझे आज ही यह बात इनके जरिये जानकारी हुई है। मैं आश्वस्त करता हूं सदन को, इनसे ज्यादा सेंसिटिव मैं हूं बच्चियों के मामले में,..(व्यवधान) आप बैठ जाइये। सुन लीजिये। मेरी बात सुनें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: ऐसे नहीं करें, आप वरिष्ठ सदस्य हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: आप सुनना नहीं चाहते? (व्यवधान) आप मंत्रीजी को सुनना नहीं चाहते? (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते? वे बोल रहे हैं, उसके पहले आप रिएक्ट करना चाहते हो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, इसकी जांच 15 दिन में कराकर, आवश्यक कार्यवाही ही नहीं, अगर जांच में दोषी पाया गया तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

(श्री पेमाराम, सदस्य द्वारा सी.डी. व पत्र आदि सदन पटल पर रखे गये)

भरतपुर में 16 व 25 के वी ए के ट्रांसफार्मर्स की कमी

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये एक ऐसी समस्या आपके सामने पेश कर रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, आज पूरे राजस्थान के अन्दर और कम से कम मेरे जिले भरतपुर में ट्रांसफार्मर्स को लेकर राजनीति का जो दौर चल रहा है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। बच्चों का पढ़ने का समय है, परीक्षा का टाइम है और ट्रांसफार्मर्स 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक चेंज नहीं हों। मुझे याद है, सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय में ट्रांसफार्मर्स को चेंज करने का 72 घंटे का समय निश्चित था; अगर 72 घंटे में ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाये तो अधिकारी के खिलाफ एक्शन होता था। परन्तु इस सरकार को क्या हुआ है, इस विभाग को क्या हुआ है कि जयपुर तक में ट्रांसफार्मर्स अवेलेबल नहीं हैं? मैं वहां एस.ई. से बात करता हूं, एक्स.ईएन. से बात करता हूं तो कहते हैं कि जयपुर से ही नहीं दे रहे हैं। मैं बी जे पी के विधायकों की ही बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस वाले विधायक भी इस बात से परेशान होंगे। कि अगर किसी विधायक ने किसी गांव में ट्रांसफार्मर दिला दिया तो उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, धन्यवाद के लिए ऐसे फोन आते हैं जैसे कितना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।

क्या विभाग की जिम्मेदारी नहीं है? अगर ट्रांसफार्मर कोई जल जाता है, उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, वैसे तो आपने गारंटी कानून और पता नहीं, कौन-कौन से कानून यहां बनाकर रख दिये परन्तु जनता की तकलीफ की गारंटी यह सरकार ले रही है क्या? इन ट्रांसफार्मर्स पर जो राजनीति चल रही

(डा. दिगम्बर सिंह)

है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वास्तव में ट्रांसफार्मर की खरीद में कोई गड़बड़ है? ट्रांसफार्मर्स की क्वालिटी में कोई गड़बड़ है? 16 और 25 के वी ए के ट्रांसफार्मर्स की तो जबरदस्त कमी है, माननीय सभापति महोदय।

यह हो सकता है कि भरतपुर जिले के साथ सौतेला व्यवहार हो, हालांकि मुझे लगता नहीं क्योंकि हमारे डीग में मंत्री महोदय की ससुराल और है। अगर अंधेरे में मेरा डीग और भरतपुर जिला रहा तो मैं बाकी कुछ करूं या नहीं करूं, पर आपका रास्ता जरूर बंद करा सकता हूं मैं। आपके रहते हुए हमारे भरतपुर जिले के लोग तकलीफ पायें, किसानों के खेत भी हैं, जब पानी की आवश्यकता हो तो उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर्स उनको नहीं मिलते।

इसके उपरान्त बिजली विभाग ने इस बार अत्याचार किया, जैसे पहले दारू के ठेकेदार अपनी प्राइवेट फोर्स को भेजते थे 10-10 गाड़ियों में और जगह-जगह छापा मारते थे, आज बिजली विभाग ने लोगों से जबरदस्ती उगाही का एक सोर्स बना लिया है। एक-एक किसान को, उनके जबरदस्ती पेनल्टी लगाकर, 40-40 हजार रुपये की पेनल्टी उनको दी है, 20-22 हजार रुपये की पेनल्टी उनको दी है और इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि यह तो पेनल्टी लगाई है, इसमें तो यह है, इसमें तो वह है परन्तु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में छीजत इतनी ज्यादा बढ़ी है, इन अधिकारियों के नाकारापन से छीजत इतनी बढ़ी है और इस छीजत को तो कम कर नहीं पा रहे हैं, लोगों को टाइम से बिजली दे नहीं पा रहे हैं और जनता हल्ला नहीं मचाये, इसके लिए उनके घरों पर जाकर, छापे मार-मारकर, उनकी वी सी आर भरते हैं। मेरे भरतपुर जिले में कितने करोड़ की वी सी आर भरी होगी कि आज किसान बिलकुल कराह रहा है, जुबान से कुछ बोल नहीं रहा है।

सभापति महोदय, समय आने वाला है; लोगों ने वह समय देखा है जब 20-20 और 22-22, 24 घंटे गांवों को सिंगल फेज की बिजली मिली है; 36,000 गांवों में सिंगल फेज की 24 घंटे बिजली वसुन्धराजी ने दी थी और आज क्या हो गया कि चार घंटे और छह घंटे भी बिजली घर के लिए नहीं मिल पाती? यह बहुत सोचने का विषय है। यह पीड़ा केवल मेरी ही नहीं है, मेरे ख्याल से ज्यादातर विधायक इस बात से दु:खी होंगे, क्योंकि आजकल

(डा. दिगम्बर सिंह)

सुबह से टेलीफोन आते हैं, ट्रांसफार्मर्स दिलाने के लिए टेलीफोन आते हैं। हम दिन भर अधिकारियों को टेलीफोन करते हैं कि वे ट्रांसफार्मर्स दिलाये जायें। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोल रहे हैं ना माननीय सदस्य।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कभी चीफ इंजीनियर को फोन कर रहे हैं कि भरतपुर से डिमांड आई हुई है, यहां से 50 ट्रांसफार्मर्स भेजिये, तो कहते हैं कि 50 तो नहीं हैं, 20 भिजवा देता हूं। तो ऐसी क्या दुकान चला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता।

मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, मंत्री महोदय विराजमान हैं, पेशे से डाक्टर हैं, सेंसिटिव भी हैं, इस मामले में क्या इनको प्रोब्लम आ रही है, डिपार्टमेंट को, अगर वह सदन को बतायेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ये ठेकेदारों को बांटते हैं, ठेकेदारों को। (व्यवधान) ये ठेकेदार लेकर जाते हैं, पैसे ले-लेकर देते हैं फिर। यह आम प्रैक्टिस है। राजस्थान का सारा किसान त्रस्त है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री भवानी सिंह राजावत। (व्यवधान) आप बोल रहे हो, मंत्रीजी?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, डीग-कुम्हेर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की और जायज बात आपने कही कि ट्रांसफार्मर्स समय पर उपलब्ध नहीं हैं, यह अन्य जगहों से भी शिकायतें आई हैं मुझे। मैं स्वयं इसमें गम्भीरतापूर्वक अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि जितने भी जल्दी अवेलेबल हों, बीच में जरूर प्रोब्लम थी ट्रांसफार्मर्स की, लेकिन उनकी व्यवस्था हो चुकी है। मैं आग्रह करूंगा, विशेष तौर से आपसे और सभी सम्माननीय सदस्यगण से कि इस तरह की जहां-जहां भी हो, व्यक्तिश: अगर आप मुझे इसके बारे में अवगत करा दें, निश्चित रूप से मैं उसके ऊपर अवेलेबिलिटी की, जो भी हमारा डिसाइटेड टाइम है कि उसमें दिया जाये, मैं करूंगा।

जो इल्लीगल वी सी आर भरने की शिकायतें मुझे मिली हैं, आपने भी फरमाया है, तो अगर कोई आफिसर इसमें इन्वाल्व हुआ तो मैं उस पर सख्त, कोई भी डिस्सिप्लिनरी एक्शन लेने से नहीं चूकूंगा। मुझे कृपया इस बारे में

(डा. जितेन्द्र सिंह)

अवगत करायें, support me. बिजली की कोई कमी नहीं है, I can assure you. बिजली निश्चित रूप से बिलकुल समय पर, रात को सात घंटे, सुबह छह घंटे एग्रीकल्चर को दी गई और उसमें अगर ट्रांसफार्मर्स या अन्य कारण से कोई...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, सारे राजस्थान की स्थिति है, सिर्फ भरतपुर की ही नहीं है। यह ट्रांसफार्मर्स की स्थिति, मंत्री महोदय, हमारे यहां भी यह है; पूरे राजस्थान की स्थिति यह है। मेरे क्षेत्र में भी, अभी मैंने बाहर जाकर एस.ई. साहब से बात की है, तो उनका कहना है कि हमारे पास 25 और 16 के वी ए के ट्रांसफार्मर्स उपलब्ध नहीं हैं, तो 25 में आप 5-5 के वी ए के ले जाओ। उनको जोड़ने के लिए तार भी एक्स्ट्रा चाहिये, लाइनमेन आपके पास हैं नहीं, भर्ती आपने की नहीं है। यह मेरे रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की, अलवर जिले की स्थिति है।

श्री सभापति: पहले मंत्रीजी का जवाब तो आने दो आप, विराजिये तो सही ।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, मैं आपका सहयोग चाहूंगा, किसानों की समस्या है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जो फरमाया है, 15,000 टेक्निकल हेल्पर्स की भर्ती आलरैडी हो चुकी, पोस्टिंग हम कर रहे हैं। जो आपने कहा, उसके लिए और बिजली की समस्या के बारे में अवगत कराया है, मैंने डीग-कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य को तो, स्पेशली आपने पूछा था, मैंने सभी सम्माननीय सदस्यों से कहा है कि इसके बारे में व्यक्तिश: मुझे आप अवगत करा दें और मैं डेफिनेटली, टाइमली अवेलेबिलिटी के लिए प्रयास करूंगा।

श्री सभापति: श्री भवानी सिंह राजावत।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, मेरा निवेदन यह है कि घर में फ्रिज हो, कूलर हो, उनके घर पर पुलिस को ले जाते हैं, घर को चैक करते हैं। हीटर है तो उसके लोड का चेंज करते हैं और वहीं वी सी आर बनाते हैं। इसके बारे में आश्वासन चाहते हैं। क्या घर में चक्की रखने का अधिकार नहीं है? अपने मीटर से हीटर नहीं चला सकते हैं? मीटर से नहीं चला सकते हम फ्रिज-कूलर? यह सारी स्थिति है गांवों की। इसका आश्वासन दिलाइये मंत्रीजी से कि इसके बारे में क्या एक्शन लेंगे, जिन्होंने झूठी वी सी आर भरी है?

श्री सभापति: आप विराजो। श्री भवानी सिंह राजावत।

कोटा स्थित बंद सेमटेक फैक्टरी

श्री भवानी सिंह राजावत (लाड़पुरा): माननीय सभापति महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कोटा की एक गम्भीर समस्या को लेकर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कोटा में एक फैक्टरी है सेमटेक, इसमें लगभग 1,800 श्रमिक काम करते हैं; विगत सात नवम्बर, 2012 से इस फैक्टरी के ताले लग गये। प्रबंधकों की मनमानी के कारण फैक्टरी पहले भी एक बार बंद हुई और इस सदन में मैंने और कोटा दक्षिण से आने वाले भाई, बिरलाजी ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया और उसके बाद फैक्टरी चालू हुई। लेकिन अभी फैक्टरी के बंद हो जाने के कारण 1,800 श्रमिकों के परिवार बेरोजगार होकर दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गये हैं। सभापति महोदय, हालात यहां तक हो गये हैं कि जो श्रमिक कहीं किराये के मकान में रहते थे, मकान मालिकों ने उनको खदेड़ दिया, मकान से बाहर निकाल दिया। इस ठिठुरती हुई सर्दी के मौसम में बच्चों को लेकर पूरे परिवार को लेकर फुटपाथ पर श्रमिक कोटा में सोते रहे; सरकार सोती रहे; नुमाइंदे सरकार के, राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री जो कोटा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे धृतराष्ट्र बन गये; बच्चों के नाम स्कूल से कट गये; स्कूल से बच्चों को निकाल दिया गया। सभापति महोदय, यहां तक हालत हो गई है कि बच्चे अब चौराहों पर खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, महिलाएं कहीं झाड़ू-पोंछा करने जा रही हैं और एक समय तो यहां तक आ गया कि एक दिन पूरे श्रमिक, 1,800 श्रमिक गिरफ्तारी देने के लिए गये। गिरफ्तारी देने के लिए क्यों गये, उन्होंने कहा कि अगर जेल में चले जायेंगे तो कम से कम रोटी तो मिल जायेगी। लेकिन सरकार ने गिरफ्तार करके छोड़ दिया, आज उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ रही है।

सभापति महोदय, लगभग पांच महीने का छह करोड़ से ज्यादा उनका वेतन बकाया है, प्रबंधन वेतन नहीं दे रहा है। सेमटेक श्रमिक प्रबंधन ने, श्रमिकों के वेतन से काटा गया भविष्य निधि का एक करोड़ सैंतालीस लाख रुपया कर्मचारी भविष्य निधि विभाग में जमा नहीं करवाया, जिस पर भविष्य निधि विभाग ने फैक्टरी का 1.30 करोड़ का माल सीज कर लिया; एक्साइज, इन्कम टैक्स, विद्युत निगम ने बकाया राशि के लिए फैक्टरी पर चस्पा कर

(श्री भवानी सिंह राजावत)

दिया। श्रमिकों ने बकाया वेतन और भविष्य निधि जमा नहीं कराने पर अमानत में खयानत, आदि के मामले में फैक्टरी मालिक सतीश कोरा के विरुद्ध कोटा के बोरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इन प्रबंधकों को गिरफ्तार किया गया, इनकी जमानत हो गई और उसके बाद, अभी श्रमिक न्यायालय ने चार फरवरी, 2013 को फैक्टरी प्रबंधन को श्रमिकों का अक्टूबर माह का वेतन एक करोड़ पच्चीस लाख और छियासठ लाख रुपये क्षतिपूर्ति, कुल 1.93 करोड़ रुपये देने के निर्देश दिये और तीस दिन की मोहलत दी। तीस दिन की मोहलत, माननीय सभापति महोदय, निकलने वाली है लेकिन श्रमिकों को वेतन नहीं मिल रहा। सरकार सोई हुई है, सरकार के श्रम मंत्री ने अभी तक कहीं कोई दखल नहीं किया। यहां बुलाया जयपुर में, हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय धारीवाल साहब ने और उनको, श्रमिकों को डराया; उनको धमकाया कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जाओगे तो तुम्हारा समझौता नहीं होगा, फैक्टरी नहीं चलेगी। सभापति महोदय, यह कैसा न्याय है? यह अन्याय है, श्रमिकों डराया-धमकाया जाय, सरकार फैक्टरी को चालू नहीं करवाना चाहे।

मैं, अंत में, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा सरकार को, सरकार से मैं मांग करना चाहूंगा कि अभी भी फैक्टरी के पास लगभग एक अरब चवालीस करोड़ रुपये की सम्पत्ति है, पैंतीस करोड़ का तैयार माल रखा है, एक अरब रुपये की जमीन है, नौ करोड़ रुपये का कच्चा माल है, सरकार उस माल को नीलाम करे और नीलाम करके मजदूरों को उनका वेतन दिलाये, उनके भत्ते दिलाये और जो प्रबंधक हैं, प्रबंधकों को बाध्य किया जाय। ऐसे कैसे फैक्टरी की तालाबंदी कर दी जाय? कैसे मजदूरों को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया जाय? प्रबंधकों पर दबाव डालकर फैक्टरी को चालू करने की कार्यवाही की जाय और जो श्रम न्यायालय ने आदेश दिया वेतन दिलवाने का, वह वेतन श्रमिकों को दिलवाया जाय। नहीं तो, हालात भयावह हैं, श्रमिकों ने लिखकर दिया कलक्टर को कि हमें सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की इजाजत दी जाय। सभापति महोदय, आश्चर्य नहीं होगा, अगर आत्मदाह का सिलसिला कोटा में शुरू हो जाये। श्रमिक भूखा मर रहा है, आत्महत्या को मजबूर है, आत्मदाह को मजबूर है और यह सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई है।

मैं चाहूंगा कि श्रम मंत्री इसके ऊपर नीति स्पष्ट करें सरकार की, श्रम मंत्री जवाब दें।

श्री सभापति: आपने तो कर लिया; अब, माननीय सदस्य, विराजो; हो गया आपका।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): कि कब फैक्टरी चालू करेंगे? कब मजदूरों को वेतन दिलायेंगे? माननीय सभापति महोदय, न्याय की हम अपेक्षा करते हैं, उनकी आवाज को लेकर इस पवित्र सदन में आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, सरकार के कोई मंत्री अगर यहां पर हैं तो उनको जवाब देना चाहिए, मानवता के नाते देना चाहिए, नियमों के तहत देना चाहिए।

श्री सभापति: सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, सुन लिया, विराजो अब आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, यह फैक्टरी सेमटेक...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप, अब और क्या बात रह गई? माननीय सदस्य, मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, यह कोटा का मामला है और जिस तरीके से बिना कानून, प्रक्रिया के यह संस्थान बंद किया गया है, बिना कोई नोटिस दिये हुए जिस तरीके से संस्थान बंद किया है....

श्री सभापति: आप तो विराजो, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इस तरीके से कोई भी उद्योग बिना कानून, प्रक्रिया अपनाये हुए इस तरीके से बंद कर देंगे तो वह मजदूर बेरोजगार हो जायेगा।

श्री सभापति: स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य का है, ध्यान आकर्षित हो गया है, सरकार के मंत्री जवाब दे रहे हैं, विराजो अब आप। (व्यवधान) आप विराजो, हो गया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, सरकार खुद मानती है कि नियम प्रक्रिया नहीं की है, ऐसे में मजदूरों को किसके भरोसे छोड़ा जाये?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ऐसे मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। नहीं, बिलकुल नहीं। अब विराजो, आप विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, सरकार को जवाब देना चाहिए इस बात का।

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराज जाओ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी धोद से आने वाले सदस्य...(व्यवधान) धोद से आने वाले सदस्य...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या है? उद्योग मंत्री बैठे हैं न, वे देंगे जवाब।

श्री सभापति: आप तो विराजो, आप तो विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, उद्योग मंत्री बैठे हैं, उनसे जवाब दिलवाइये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो, आप तो विराजो।

धोद के राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, सांगलिया के प्राचार्य द्वारा अश्लील हरकत

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय धोद से आने वाले सदस्य ने जो मामला उठाया था, उसके बारे में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 21.2.2013 को ग्रामवासियों द्वारा विद्यालय की तालाबंदी कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को दूरभाष पर यह सूचना दी कि गौरीशंकर जाटोलिया, प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय के विद्यार्थियों से मोबाइल पर अश्लील वार्ता करने एवं उनके कार्य-व्यवहार के विरुद्ध घोर आक्रोश होने की सूचना मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम), सीकर एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (द्वितीय), सीकर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांगलिया के मौके पर भेजा गया। ग्रामवासियों के आक्रोश को शांत करने एवं विद्यालय की तालाबंदी खुलवाने हेतु गौरीशंकर जाटोलिया, प्रधानाचार्य को अग्रिम आदेशों तक इस कार्यालय हेतु कार्यमुक्त कर इनके विरुद्ध जांच प्रस्तावित की गई है। यह 21 तारीख की घटना है और 21 तारीख को ही उसको ए पी ओ कर दिया गया है और 21 तारीख को ही उसकी जांच बैठा दी गई है।

श्री सभापति: वह तो आपने बता दिया।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): नहीं, मैं आपको यह बात इसलिए कि...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपने पन्द्रह दिन का भी दे दिया, आश्वस्त कर दिया। (व्यवधान) पन्द्रह दिन का बोल दिया न। अब ठीक है, विराजो आप। मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, 26 तारीख को छह

(श्री अमराराम)

दिन हो गये हैं आज और अब भी मंत्रीजी कह रहे हैं कि पन्द्रह दिन और जांच होगी।

श्री सभापति: हो गया, पन्द्रह दिन में दे रहे हैं न। यह सदन चल रहा है...(व्यवधान) आप विराजो, पन्द्रह दिन का दिया। आज आपकी तारीख, 26 तारीख है, पन्द्रह दिन का समय दिया, पन्द्रह दिन पूछ लेना। पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर आ जायेगा।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मंत्रीजी ने, मंत्रीजी ने रखी थी, 21 तारीख; इससे पहले अक्टूबर में घटना हुई, उसमें भी, सभापति महोदय, जांच चली।

श्री सभापति: पन्द्रह तारीख का बोल दिया ना, अब आप विराजो।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, हम यही तो कह रहे हैं, जांच, बेटियों का सवाल है।

श्री सभापति: अब अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। अब अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा, विराजो आप। मंत्रीजी।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो। अंकित नहीं होगा आपका भी। आपका भी अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा आपका भी, आप विराजो।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। नहीं, ऐसे अलाउ नहीं करूंगा मैं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापति: नहीं अलाउ करूंगा आपको मैं। (व्यवधान) आप विराजो।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सेमटेक कम्पनी बंद होने के बारे में जो....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह अंकित नहीं होगा, इसका नियम कौन सा है? यह अंकित नहीं होगा, जो आपने....

श्री सभापति: आप भी सभापति रहे हो, आप आसन की व्यवस्थाएं जानते हैं। विराजो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, बताइये न। मेरे पास किताब है। नहीं, नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे।

श्री सभापति: अब आप जैसे वरिष्ठ आदमी मुझसे पूछेंगे तब तो हो गया फिर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह नियमों की प्रक्रिया की किताब मेरे पास है, यह अंकित नहीं होगा, कौनसे नियम में है?

श्री सभापति: साहब, आप तो वरिष्ठ सदस्य हो, माननीय। आप तो। (व्यवधान) विराजो आप। (व्यवधान) विराजो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बता दें नियम, क्या दिक्कत की बात है? नहीं, नियम बता दो न।

श्री सभापति: यह स्वविवेक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, नियम बता दो न।

श्री सभापति: यह आसन का स्व-विवेक है। (व्यवधान) यह आसन का स्व-विवेक है। यह कोई नई परिपाटी नहीं है, यह नई व्यवस्था नहीं है, स्व-विवेक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप ज्ञान चक्षु खोल ही दो न। आप ज्ञान चक्षु खोल ही दो।

श्री सभापति: आप विराजें। आप विराजें। राजेन्द्र जी, आप ही के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है। (व्यवधान) विराजो आप। मंत्रीजी।

कोटा स्थित बंद सेमटेक फैक्टरी

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सेमटेक कम्पनी के बंद होने के बारे में सदन को अवगत कराया है। निश्चित रूप से यह बड़ी समस्या है और खास तौर से यह तब और भी गम्भीर हो जाती है जब 1,100 स्थाई कर्मचारी और 600 ठेका श्रमिक जो हैं, उसमें धरने पर बैठे हुए हैं।

कम्पनी के मालिक मेरे से भी मिले थे, वैसे यह मेरा सब्जेक्ट नहीं था, श्रम विभाग का था लेकिन वे मेरे से भी मिले थे। सारे आप्शंस, सभापति

(श्री राजेन्द्र पारीक)

महोदय, तलाश किए गए कि कम्पनी किसी से एम ओ यू कर लें, दूसरी तरह से चले जाएं और यह समस्या पहली बार नहीं, इससे पहले भी आई थी। जब समस्या आई थी तब विडियोकान के साथ इनका एक करार हुआ था और विडियोकान इनको रा-मैटेरियल और सैलेरी, वगैरह का भुगतान कर रहे थे। लेकिन अब अचानक हालात ऐसे बन गए, माननीय सभापति महोदय, सेमटेक कंपनी जो माल निर्माण करती है, वह माल अब किसी तरह से उपयोग में नहीं आ रहा है, क्योंकि वे खास तौर से टी.वी. की पिक्चर ट्यूब, वगैरह, यह सब बनाते थे; आज जो नई टेक्नोलाजी आई है एल ई डी और एल सी डी की, इसकी वजह से कंपनी का माल, जो बना रहे थे, उत्पादन भले ही करें लेकिन बिक्री में कतई बंद था। इसलिए हालात ऐसे बन गए कि कम्पनी के न तो गैस के कनेक्शन के बिल चुक रहे थे, न श्रमिकों का बिल चुक रहा था, रा-मैटेरियल का बिल चुक रहा था। इसलिए हालात ऐसे बन गए कि बंद करने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं था।

कम्पनी के मालिक ने समय-समय पर बराबर कोशिश की कि किसी भी तरह से इसका भुगतान हो जाए। माननीय सभापति महोदय, रिटन में भी कम्पनी के मालिकों ने यह इच्छा जाहिर की है कि सबसे पहली प्राथमिकता कम्पनी के जो श्रमिक हैं, उनका पी.एफ., उनका बोनस, उनकी सैलेरी, वगैरह। सब हम चुकती करें और किसी तरह का कोई बकाया नहीं रहे; यह उनकी भी मंशा है। उन्होंने सरकार को भी इस बात के लिए अवगत कराया है कि आप इसकी व्यवस्था करें। उन्होंने यह भी एंश्योर करने की कोशिश की कि हमारे यहां अन्दर जो रा-मैटेरियल पड़ा हुआ है, उस रा-मैटेरियल की बिक्री करके भी और श्रमिकों का भुगतान कर दिया जाए। उन्होंने इसकी पूर्व सूचना, इसके बंद करने के पहले भी दी।

तो ये सारे हालात सरकार की जानकारी में हैं और सरकार भी इस बारे में प्रयत्नशील है और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जाकर के उनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रियाओं में मुक़दमे दर्ज होने थे, वे सारे मुक़दमे भी दर्ज किए हैं। लेकिन यहां इस सदन में एक सनसनी पैदा करके यह आरोप लगाना एक माननीय मंत्री पर, वे कोटा से आते हैं, इसलिए उन पर यह चार्ज करना कि माननीय मंत्री ने यहां पर बुलाया और उनको धमकाया, डराया, जान से मारने की धमकी दी कि तुम बी जे पी के समर्थन में यह नहीं करोगे; आप बड़े जिम्मेदार लोग हैं...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): यह समाचार पत्रों में छपा है।

श्री सभापति: आप पूरी बात तो आने दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मेरी सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत तसल्ली से सुना है। माननीय सदस्य, मैंने बहुत तसल्ली से आपको सुना है। आपका स्वभाव हो गया है। एक बात जो बहुत आसानी से और सहज तरीके से, यह सदन पूरा चिंतित है, यह सदन इस बात के लिए चिंतित है कि हमारे यहां का कोई भी मजदूर, रोजगारी करने के बावजूद उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो उसकी पीड़ा है। हम सबको इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन सनसनी पैदा करके, जोर-जोर से आवाज में, मतलब इस कद्र बोलकर के इस तरह का माहौल बनाना, मैं समझता हूं, आप जैसे सीनियर सदस्य के लिए उचित नहीं है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय मंत्री महोदय, आप चिंतित हैं, सरकार चिंतित है तो चार महीने तक सरकार सोई थी क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं, माननीय सभापति महोदय, पुरजोर शब्दों में इसका खण्डन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय, जो कोटा से स्वयं जो हैं बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से श्रमिकों का हित हो, श्रमिकों को उनके किए वेतन का भुगतान हो, कंपनी का श्रमिक लगातार जो है वहां पर रोजगार प्राप्त करें...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): तो इतना समय कैसे लग रहा है? चार महीने कैसे लग रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्रीजी को बोलने दो आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): बावजूद इसके इस तरह के हालात पैदा करना, माननीय सभापति महोदय, मेरा चार्ज है इन पर कि जो कुछ हालात पैदा किए गए, राजनीतिक रूप से इनके द्वारा पैदा किए गए हैं। आज सभी को वे भड़का रहे हैं वहां पर, इनको वे भुगतान नहीं करने दे रहे हैं।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): गलत आरोप लगा रहे हैं आप। राजनीतिक रूप से राजनीति आप कर रहे हैं, सरकार कर रही है, मज़दूरों को भूखा मार रही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सुनो तो सही।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से सचेत है और मजदूरों के हितों की अनदेखी नहीं करने देंगे। यह मेरा आपको, पूरे सदन को आश्वासन है।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र भंसाली।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बता दें कि क्या बंद होने के पहले उनको नोटिस दिया गया था? ये खुद कहते हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। बंद करने की कोई कार्यवाही नहीं की। जिस तरीके से माननीय मंत्री महोदय आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति इन्होंने की है, माननीय मंत्री महोदय खुद मान चुके हैं कि मालिक फैक्टरी चलाने में इच्छुक नहीं हैं, उसके बाद इस तरीके से गलत बयानबाजी करना, इस सदन में ठीक नहीं है।

श्री विट्‌ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ...(व्यवधान) मेवाड़ मिल की जमीन बिक गई, उसके बावजूद आज तक मजदूरों को पेमेंट नहीं मिला है।

श्री सभापति: आप तो विराजो, माननीय सदस्य, कोटा का मामला है। यह उठा दिया और मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। मैंने अब अगला नाम पुकार लिया है, अब आप विराजो।

श्री विट्‌ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मंत्री महोदय, जब इतनी बात कह रहे हैं तो इसका जवाब दें; ए.आर. मिल की जमीन बिके हुए कई साल हो गए हैं, आज तक एक पैसा मज़दूरों को नहीं मिला है।

जोधपुर के कतिपय स्थानों पर रात्रिकाल में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा

श्री कैलाश चन्द्र भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, पारदर्शी एवं संवेदनशीलता का ढोल पिटने वाली इस सरकार के मुखिया के गृह नगर में पिछले चार सालों से कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जब मेरे विधान सभा क्षेत्र में सत्रह स्थानों पर आक्रोश हुआ, रास्ता जाम हुआ, सरकार को उस ठेकेदार को हटाना पड़ा। इस कार्य में पिछले छह महीने में पन्द्रह मौतें हुई हैं। इसका कारण चाहे अधिक दारू पी या दारू पीकर के ऊधम मचाया हो, आपस का झगड़ा हुआ हो या विद्यार्थियों में मारपीट हुई हो, परन्तु ये शर्मनाक घटनाएं बार-बार जोधपुर में घट रही हैं। मुख्य मंत्रीजी का यह स्वयं का नगर है और बार-बार कहने पर, लोगों द्वारा धरना देने पर, रास्ता जाम करने पर, सरकार कुछ छोटी-मोटी कार्यवाही करती है, ए पी ओ कर देती है कांस्टेबल को, ए एस आई को और कुछ आगे कार्यवाही होती नहीं है। ए पी ओ के बाद में क्या रिजल्ट आए?

अभी तीन दिन पहले, शनिवार को जिला कलक्टर महोदय ने रात को

(श्री कैलाश चन्द्र भंसाली)

बारह बजे सारे शहर का दौरा किया। उन्होंने दस लोगों को सड़क पर पिया हुआ पाया और शास्त्री नगर सर्किल पर दो प्रेमी जोड़ों को रंगे हाथों पकड़ा और वहां पर हाथोंहाथ ए पी ओ किया दो कांस्टेबल और एक ए एस आई को। यह बड़ी शर्मनाक घटना हुई।

मैं उस स्थान के पास ही रहता हूं। एक दिन रात को महिला आई मेरे यहां कि भाई साहब, आप सो रहे हैं, हमारी इज्जत लुट रही है। शास्त्री नगर सर्किल पर नौ बजे के बाद गृहिणियां घूमने के लिए आती हैं, दस-ग्यारह बजे जमघट लग जाता है, स्टूडेंट्स का हो, चाहे शराबियों का हो या श्रमिकों का हो और छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, छह माह पूर्व एक महिला ने इसलिए जहर खाकर के आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पति के सामने उसके साथ वहां पर बलात्कार किया गया।

इसी प्रकार से, आसोपा सर्किल के पास में वरुण विद्यालय और सार्वजनिक विद्यालय के पास में खुलेआम ठेका चल रहा था, लोगों ने जाम किया। सार्वजनिक स्कूल में रात को कक्षाएं चलती हैं, बारहवीं तक की कक्षाएं चलती हैं, सभी बालिकाएं बड़ी उम्र की हैं, उनके साथ ऐसा हुआ और एक बालिका के साथ हुआ। उसमें एक अध्यापक भी शामिल था। इस प्रकार की घटनाओं से शर्म से हमारा सिर झुक जाता है।

इसी तरह से, राजीव गांधी सर्किल पर और एयर फोर्स के पास में सांसी कालोनी में दिन भर इस तरह से पाउच/पव्वे बिकते हैं और लोग दारू के नशे में एयर फोर्स से निकलने वाली सड़क पर पड़े रहते हैं। यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। केवल आबकारी अधिकारी जाते हैं, हमारी अनुशंसा करने के बाद ही ठेका देना पड़ता है तो उनको तो सरकार को बचाना पड़ता है; उनको कहना पड़ता है कि इसको हटाया जाएगा, हम इसका निरीक्षण कराते हैं। अभी पिछले चार सालों में करीब दस ठेके हटाए गए हैं। परन्तु अभी भी 56 मामले पड़े हुए हैं, उन पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सांसी कालोनी में जो घटना घटी, उसमें अध्यापक ने लड़की को घर से बुलाकर नंगा करके उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसको उसके पेरेन्ट्स ने देख लिया और उसने उसी समय फंदा मारकर अपनी मौत कर ली।

मारवाड़ के गांधी कहलाने वाले स्वयं मुख्य मंत्रीजी के, उनके निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मुझे बहुत शर्म आती है, ऐसी बात

(श्री कैलाश चन्द्र भंसाली)

सदन में कहता हूं परन्तु एक संवेदनशील जन-प्रतिनिधि के नाते कहता हूं। इस प्रकार की सरकार को अब जनता सहन नहीं करेगी और देख लीजिये, आने वाले समय में किस तरह से जवाब देगी जनता। मुख्य मंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा की बात कह रहा हूं मैं।

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निम्न माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राज्य में शराब की दुकानों में अनियमितताओं पर लाइसैंस निरस्ती

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं आपका ध्यान आबकारी विभाग में चल रही अनियमितताओं के बारे में आकर्षित करते हुए तथ्य सदन के अवलोकनार्थ रखना चाहूंगी।

सरकार ने वर्ष 2009-10 के लिए जो आबकारी नीति की घोषणा की, उसमें कई प्रकार की कमियां नजर आयीं, जैसे जिन ग्राम पंचायतों का निगम सीमा में विलय हो गया और जिन निगम वार्डों का परिसीमन के आधार पर अस्तित्व खतम हो गया, उन पर आज भी शराब की दुकानें संचालित हैं। सरकार द्वारा 2010-11 के लिए पुन: नवीनीकरण कर दिया गया।

सरकार ने वर्ष 2011-12 के लिए एक नई आबकारी नीति की घोषणा की जिसमें नये आवेदन मांग कर पुन: शराब की दुकानों का राजस्थान की जनता को नये सिरे से संचालन करने का अवसर प्रदान किया।

जिला कोटा में वर्ष 2011-12 की आबकारी निविदा में उन्हीं ग्राम पंचायतों व अस्तित्व खतम हुए वार्डों को लिखित रूप से निविदा फार्म पर दर्शा कर वहां शराब की दुकानें आबंटित कर दी गईं। जिन ग्राम पंचायतों का राजस्थान के नक्शे में अस्तित्व ही नहीं है, उनके नाम से दुकानें संचालित करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है?

नागौर जिले की ग्राम पंचायत देह, दुकान अनुज्ञाकारी श्रीमती गणपती बाई पत्नी श्री गंगा विशन की याचिका संख्या 6990/2011 में जोधपुर उच्च

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

न्यायालय के द्वारा 31.08.2012 को दिये गये फ़ैसले में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि अंग्रेजी शराब का खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य लेना लाइसेंस की शर्तों का पूर्णत: उल्लंघन की श्रेणी में आएगा, जिस हेतु उसका अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जायेगा। परन्तु आज भी पूरे राजस्थान की कई दुकानों पर खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य लेने के मामले दर्ज होने के पश्चात् भी दुकानें संचालित देखी जा सकती हैं। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर टीमें भेजकर बोगस ग्राहक की खरीद करवाई गई जिसमें बूंदी क्षेत्र के कापरेन, कोटा जिले के बवावरकलां, झालावाड़ जिले के खानपुर व बारां जिले के बड़ोरा की दुकानों पर अधिक मूल्य पर शराब बिक्री के मामले पकड़े गये और चारों अनुज्ञाधारियों के खिलाफ अनुज्ञा शर्तों के उल्लंघन के अभियोग पंजीबद्ध किये गये। लेकिन ग्राम पंचायत बड़ोरा जिला बारां की एक ही दुकान निरस्त की गई है, बाकी सभी दुकानें शिथिलता के तहत बख्श दी गईं, जबकि सभी मामले एक ही तरीके के हैं।

कोटा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कम्पोजिट राशि वसूलने का नोटिस कोटा ग्रामीण खेड़ा रसूलपुर, कोटा ग्रामीण के अलनिया, कोटा ग्रामीण ग्राम पंचायत बोराबांस की दुकानों को दिया गया था, नोटिस क्रमांक प./आब./बंदो/2011-12/1076-78 दिनांक 22.02.2012 जारी किया गया था। इसमें केवल खेड़ा रसूलपुर की दुकान में ही विभाग द्वारा मय ब्याज राशि चालान द्वारा जमा करवाई गई। बाकी दुकानें आज भी राशि जमा कराने की दी गई तिथि पश्चात् भी संचालित देखी जा सकती हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि इन मामलों की जांच करवाई जायें और जितनी भी दुकानों पर जांच के दौरान मिलावट, ओवर-रेट, आदि के मामले पाये गये हैं, उनके प्रति शिथिलता बरतने के बजाय दुकानें निरस्त की जायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अनिल जैन।

नरेगा योजना में श्रम सामग्री का अनुपात पंचायतवार करना

श्री अनिल जैन (खानपुर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा नरेगा योजना में विधायक कोष के समन्वय के साथ नरेगा कार्य

(श्री अनिल जैन)

स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया था जिसके अन्तर्गत विकास कार्य में लगने वाले श्रम एवं सामग्री व्यय का अनुपात 60:40 करने हेतु विधायक अपने कोष से राशि अनुशंसित कर स्वीकृत करवा सकता है। उक्त योजना में प्रत्येक कार्य का श्रम व सामग्री व्यय अनुपात 60:40 होना अनिवार्य किया गया, जबकि नरेगा योजना के अन्तर्गत पंचायत में विकास कार्य हेतु फण्ड पंचायतवार श्रम व सामग्री की दर से अनुदान दिया जाता है। समन्वयक योजना के अन्तर्गत भी विधायक कोष पूर्ण पंचायत के श्रम व सामग्री दर के अनुपात पूर्णता के अनुरूप होना चाहिए ताकि विधायक नरेगा में बजट की कमी के कारण नहीं हो सकने वाले कार्य पूर्ण करवा सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कई कार्य हैं जो योजना की उक्त नीति के कारण अटके पड़े हैं, जिनमें भीमखेड़ा से माल्याखेड़ा को खुरंजे से जोड़े जाना वाला कार्य, फदानिया की पुलिया, जठेड़ी की पुलिया, खण्डी का नाला, चितावा, धानोदा, सारोला व खानपुर के खुरंजे प्रमुख हैं। सरकार यदि इस पर विचार कर प्रावधानों में थोड़ा बदलाव करे तो विधायक कोष के माध्यम से नरेगा के रुके हुए कई महत्वपूर्ण विकास कार्य पूर्ण हो सकेंगे।

यदि समन्वयक योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य के श्रम व सामग्री दर अनुपात के अनुसार ही योजना चलाई जाती है तो सरकार की इस योजना का कोई लाभ जनता को नहीं मिल पायेगा। सरकार समन्वयक योजना में बदलाव कर दम तोड़ती नरेगा योजना में जान फूंक कर विकास कार्यों के मार्ग को प्रशस्त कर सकती है। सरकार पर इसका कोई अतिरिक्त भार भी नहीं आयेगा। समन्वयक योजना का लाभ क्षेत्र के विकास हेतु पहुंचाने की सरकार की मंशा है तो श्रम सामग्री का अनुपात पंचायतवार निर्धारित किया जाय, न कि प्रति कार्य के अनुसार।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि नरेगा योजना में विधायक कोष के समन्वय के साथ नरेगा कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु श्रम सामग्री का अनुपात पंचायत वार किया जाये, न कि कार्य वार। मैं उक्त विषय पर प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर रहा हूं।

श्री सभापति: श्री ओमप्रकाश जोशी।

पोकरण एवं फलौदी लिफ्ट को सही करवाया जाना

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री ओम जोशी)

विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विषय प्रतिपादन करने हेतु। महोदय जी, जोधपुर जिले की दूरस्थ तहसील बाप क्षेत्र में वर्षों पूर्व जय नारायण व्यास (पोकरण) लिफ्ट योजना एवं गुरु जंबेश्वर (फलौदी) लिफ्ट योजना पर स्वीकृति पश्चात् निर्माण कार्य हुआ परन्तु पिछली सरकार में कार्य बंद हो जाने से इन लिफ्ट योजनाओं में निर्धारित उद्देश्य सिंचाई तो दूर, बल्कि पीने के पानी की सुविधा भी उस क्षेत्र के काश्तकारों को उपलब्ध नहीं हो सकी है। निर्मित नहर में 5 पंप हाउस बन चुके परन्तु निर्मित नहर रेत से भरी होने के कारण करोड़ों की लागत सुविधा देने के बजाय आलोचना का कारण बनी हुई है।

पूर्व में समय-समय पर विधान सभा स्तर, मंत्री स्तर, अधिकारी स्तर पर ध्यान आकर्षित किया गया परन्तु कोई प्रगति नहीं हुई है तथा न ही काश्तकारों को पानी देकर राहत दी गई है। अभी प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के दौरान ग्राम पंचायत बारू, नूरे की भूर्ज, कानासर, कान सिंह की सिड्ड, कल्याण सिंह की सिड्ड, टेपू, टेकरा, आदि में ग्रामीणों ने पेयजल दिक्कत के साथ नहर से पानी दिलाने की पुरजोर मांग की गई।

हमारे बजट प्रावधानों में नहर में पानी छोड़कर सिंचाई की व्यवस्था घोषित होने के उपरांत भी नहर की सफाई नहीं करना, पंपिंग स्टेशन चालू नहीं करना तथा निर्धारित पानी देने की मात्रा से काश्तकारों को वंचित रखने से क्षेत्र के ग्रामीणों में असंतोष है। अधिकारी स्तर से कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। यहां तक कि रेग्यूलेटरी बैठकों की सूचना भी समय पर नहीं देकर इस विषय में पूर्ण अलग व अनभिज्ञ रखने की प्रक्रिया अपनाई हुई है।

भू-जल खारा होने एवं वर्षा के अभाव में पानी के लिए पिछड़े इलाके के ग्रामीण/किसान निरन्तर परेशान हो रहे हैं। पेयजल पर सर्वाधिक आर्थिक भार होने से वे इसे सहन करने की स्थिति में नहीं हैं।

अत: आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान सादर आकर्षित कर अनुरोध करता हूं कि पोकरण लिफ्ट एवं फलौदी लिफ्ट को सही करवाकर पानी देने की व्यवस्था करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सी.एल. प्रेमी।

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)।

श्री हरिसिंह रावत।

(13.00 बजे)

मेवाड़ सर्किट के अन्तर्गत बने मेवा का मथारा महाराणा युद्धस्थली स्मारक का विच्छेदित विद्युत कनेक्शन

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए मेवाड़ सर्किट के अन्तर्गत बने मेवा का मथारा महाराणा युद्धस्थली स्मारक का विद्युत कनेक्शन काटे जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 2005 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मेवाड़ सर्किट में जोड़ते हुए दिवेर में जहां पर महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच युद्ध हुआ था; महाराणा प्रताप-अकबर के बीच हल्दी घाटी में भी युद्ध हुआ था जो कि एक अनिर्णीत युद्ध था, लेकिन दिवेर का जो युद्ध हुआ था वह एक निर्णायक युद्ध था एवं उस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इसी युद्ध स्थली को पूर्व मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा 5 करोड़ व्यय कर उक्त विजय स्थली पर महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा एवं अन्य सम्बन्धित स्थानों का पर्यटन विभाग के माध्यम से कार्य करवाया गया एवं उसका उद्घाटन भी 10.1.2012 को पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा किया गया था लेकिन बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जब से उक्त स्मारक का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, तब से महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जब उद्घाटन हुआ, तब तक का विद्युत बिल नहीं भरे जाने के कारण अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया। इसकी वजह से उक्त स्मारक पर आने वाले सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

सभापति महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि उक्त रण स्थली के विकास हेतु मैंने अपने विधायक मद से ढाई लाख रुपये लाइटिंग हेतु दिये हैं। लेकिन विद्युत वितरण नहीं होने से मेरे द्वारा दी गई राशि का भी पर्यटकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अत: मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित

(श्री हरिसिंह रावत)

करना चाहता हूं कि उक्त राशि का भुगतान तत्काल विभाग को करने हेतु निर्देशित करें ताकि पर्यटकों को विद्युत के अभाव में हो रही असुविधाओं का सामना न करना पड़े।

श्री सभापति: श्री रविन्द्र सिंह बोहरा।

राजाखेड़ा के गांवों में घरेलू विद्युत कनेक्शनों में शीघ्रता

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व एवं गैर-राजस्व गांवों में घरेलू विद्युत कनेक्शन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य सहायक अभियंता द्वारा किये जाने थे। आज फरवरी, 2013 तक यह काम पूर्ण नहीं हो पाया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को तो लगभग 2 वर्ष पूर्व पूर्ण होना चाहिये, वह अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। हाल ही में जयपुर डिस्काम के सी एम डी द्वारा धौलपुर का दौरा किया गया तथा उनके निर्देशों के बाद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में गति आई है, परन्तु अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के कनेक्शन कब तक मिलेंगे, यह अभी अस्पष्ट है।

मैं सदन में पुरजोर आग्रह करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू कनेक्शन देने में तेजी लाई जावे ताकि बरसों से इंतजार कर रहे किसान भाइयों को घरों को लाइट-पंखों का लाभ मिल सके।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर शहर की पेयजल व्यवस्था में लापरवाही

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर शहर की पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में जलदाय विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अजमेर शहर में जलदाय विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही एवं सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण आज बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के उपरांत भी जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

गत भाजपा सरकार के समय अजमेर की पेयजल वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु पानी की टंकियों (उच्च जलाशयों) का निर्माण हुआ था परन्तु अत्यन्त खेदजनक स्थिति है कि आज चार वर्ष बीतने के बाद भी अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में चामुण्डा कालोनी, फायसागर रोड, विष्णु हिल टाउन, कालू की ढाणी तथा आंतेड़ क्षेत्र में बनी टंकियों से जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। जलदाय विभाग की उदासीनता एवं ढिलाई के कारण सरकार द्वारा बड़ी राशि खर्च किये जाने के बाद भी क्षेत्रवासी इन टंकियों से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं।

इसी प्रकार, अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र के पेरिफेरी गांव, अजयसर, खरेखड़ी, माकड़वाली, लोहागल को बीसलपुर योजना से जोड़ने के लिये गत भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी 'पीसांगन फ्लोराइड कंट्रोल योजना' में शामिल किया गया था परन्तु सरकार ने यहां पर भी उपेक्षापूर्ण कदम उठाते हुए गत दिनों इस योजना से उपर्युक्त गांवों को बिना किसी कारण के बाहर निकाल दिया गया, जबकि तुलनात्मक रूप से शहर से दूर स्थित गांवों को भी इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। वर्षों से बीसलपुर योजना से जुडने की आस लगाकर बैठे ग्रामवासियों को इससे भारी निराशा हुई है। वर्तमान में इन गांवों में जलदाय विभाग द्वारा पेयजल की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की हुई है।

सरकार द्वारा अजमेर शहर में 24 घंटे के अंतराल से नियमित जलापूर्ति किये जाने की घोषणा की गई थी परन्तु आज शहर के आधे से भी कम क्षेत्र में ही 24 घंटे के अंतराल से आपूर्ति की जा रही है। यहां तक कि अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र के फायसागर रोड, रामनगर, वैशाली नगर, मित्र नगर, अभियंता नगर, रातीडांग, चौरसियावास रोड, लौंगिया मोहल्ला, किशन गुरनानी मौहल्ला, सौदागर मोहल्ला, आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पेयजल आपूर्ति का प्रैशर इतना कम है कि क्षेत्रवासियों को सड़कों पर खड्डे खोदकर उनमें से मात्र पीने योग्य पानी मुश्किल से मिल पा रहा है। शहर में कई रिहायशी क्षेत्रों में आबादी विस्तार होने से वहां स्थित पाइप लाइनें छोटी पड़ रही हैं तथा कई नये बसे क्षेत्रों में पाइप लाइन डाली ही नहीं गई है, जिससे इन क्षेत्रों में निवास करने वालों के समक्ष पेयजल का भारी संकट विद्यमान है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि अजमेर की पेयजल व्यवस्था के

(श्री वासुदेव देवनानी)

सम्बन्ध में गम्भीरता बरतते हुए जलदाय विभाग को निर्देश प्रदान करें कि शहर में आवश्यकतानुसार नई पाइप लाइन डालकर जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार किया जाये एवं निर्मित टंकियों से जलापूर्ति की व्यवस्था शीघ्र प्रारम्भ की जाये। साथ ही, शहर के सभी क्षेत्रों में 24 घंटे के अंतराल से नियमित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था भी शीघ्र प्रारम्भ की जाये।

इसके अतिरिक्त, मेरा राज्य सरकार से यह भी आग्रह है कि अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र के उपर्युक्त गांवों को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने हेतु पुन: 'पीसांगन फ्लोराइड कंट्रोल योजना' में शामिल कर ग्रामवासियों को राहत पहुंचाने का श्रम करें तथा उपर्युक्तानुसार पेयजल व्यवस्था हेतु विभाग को आवश्यक बजट/संसाधन भी उपलब्ध कराने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फतेह सिंह।

कुशलगढ़ में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मैं विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण बांसवाडा जिले के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गईं सड़कें व पुलियाएं अत्यधिक बारिश में बह गयी हैं। ग्राम घाटा, सबलपुरा, करमदिया, ग्राम पंचायत सबलपुरा तथा ग्राम छापरी, ग्राम पंचायत रामबढ़ की पुलियाएं बहकर चली गयी हैं। उक्त गांवों में पुलियाओं के बह जाने के कारण आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक नुकसान होने के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक उक्त कार्यों के लिये राशि स्वीकृत नहीं की है। उक्त पुलों के टूटने से जनता में व्यापक आक्रोश है।

अत: आपसे निवेदन है कि उपरोक्त गांवों की टूटी सड़कों व पुलियाओं का निर्माण कराने हेतु राशि स्वीकृत कर जनता को राहत पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिकारी/ कर्मचारियों को पेंशन विकल्प परिवर्तन की प्रदायगी

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, मैं विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर; राजस्थान वेटेरिनरी एवं एनिमल साइंस विश्वविद्यालय, बीकानेर; मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर तथा एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, मूल रूप से ये चारों विश्वविद्यालय एक ही विश्वविद्यालय से अलग हुए हैं। एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ एक ही आदेश के तहत अपने विकल्प-पत्र, पेंशन के स्थान पर सी.पी.एफ. योजना में बने रहने के लिए दिये थे। उक्त प्रथम तीनों विश्वविद्यालयों ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन विकल्प परिवर्तन के आदेश जारी कर दिये हैं किन्तु एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों के शेष बचे हुए कुछ अधिकारी/कर्मचारियों को पेंशन विकल्प परिवर्तन के अवसर प्रदान नहीं किये गये, जो समानता के सिद्धान्त के विपरीत है।

जब राजस्थान वेटेरिनरी एवं एनिमल साइंस विश्वविद्यालय, बीकानेर; मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर; महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में विकल्प की अवधि दिनांक 01/01/2004 से बढ़ाकर दिनांक 31/01/2010 कर दी गयी तथा वेटेरिनरी विश्वविद्यालय, बीकानेर में विकल्प की तिथि बढ़ाकर दिनांक 17/08/1991 से जनवरी 31/01/2012 कर दी गयी, फिर एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में दुबारा विकल्प का अवसर क्यों नहीं दिया गया?

अत: सरकार से मांग है कि इस भेदभाव को मिटाने के लिए एस.के. राजस्थान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिकारी/कर्मचारियों को पुन: विकल्प भरने का अवसर दिया जावे।

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल सैनी।

हिण्डौली के सिंचाई बांध पेच की बावड़ी में पड़ने वाले नहर रहित गांवों को डी-कमाण्ड घोषित किया जाना

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की तहसील की पंचायत पेच की बावड़ी में बीस वर्ष पूर्व लघु सिंचाई परियोजना पेय की बावड़ी सिंचाई विभाग द्वारा बनवाई जाकर नहर तंत्र का साइट प्लान, ले-आउट, आदि देकर ग्राम काछोलास के साथ कुछ गांवों को नहर क्षेत्र घोषित कर कमाण्ड क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन आज तक भी उन क्षेत्रों में ना तो नहर का निर्माण हुआ है, ना ही किसानों को अपने खेतों में सिंचाई सुविधा मिल रही है, जबकि सिंचित भूमि का लगान राजस्व विभाग द्वारा किसानों से कई वर्षों से लिया जा रहा है। उक्त क्षेत्र को डि-कमाण्ड (असिंचित क्षेत्र) घोषित करने की मांग विभागीय अधिकारियों एवं जिला कलक्टर से की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौली तथा अधिशासी अभियंता, सिंचाई द्वारा परीक्षण कराकर ग्राम काछोला की लगभग 9,100 बीघा तथा कुल 2,177 खसरा नं. को असिंचित घोषित करने के प्रस्ताव जिला कलक्टर को अक्टूबर 2012 में भिजवाये गये थे। राज्य सरकार को भी उक्त प्रस्ताव मई 2012 में शासन उप सचिव, उपनिवेशन विभाग, जयपुर को स्वीकृति हेतु भिजवाये गये थे। किन्तु आज तक भी उक्त संदर्भ में कार्यवाही नहीं होने के कारण किसानों को सिंचित क्षेत्र के हिसाब से जमीनों को बेचान करने तथा बिना सिंचित हुए ही सिंचित क्षेत्र का लगान देने को मजबूर होना पड़ रहा है।

अत: मेरा माननीय उपनिवेशन मंत्री महोदय से निवेदन है कि सिंचाई बांध पेच की बावड़ी में पड़ने वाले नहर रहित क्षेत्र काछोला सहित आसपास के गांवों को जिला कलक्टर के प्रस्ताव अनुसार डि-कमाण्ड घोषित किया जाए।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

(अनुपस्थित)

आज दिनांक 26 फरवरी, 2013 शून्य काल में बोलने हेतु 27 पर्चियां प्राप्त हुईं। इनमें सिर्फ चार माननीय सदस्यों को पर्ची पर बोलने की अनुमति होगी। श्री अब्दुल सगीर खां।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

धौलपुर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में हो रहा अत्यधिक विलम्ब

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, ममलून हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

सभापति महोदय, धौलपुर में एन.एच. 3, वहां पर एक ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। सभापति महोदय, ओवरब्रिज बने हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए कि ओवरब्रिज में क्रेक्स आ गये, जिसकी शिकायत राजस्थान के मंत्री और दिल्ली के पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर के पास भी भेजी गई। जब इस ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा था, उस वक्त भी इसमें सब-स्टैण्डर्ड मैटेरियल इस्तेमाल हुआ और इसकी बीम गिरी, दुर्घटनाएं हुईं और सारे जन-प्रतिनिधियों ने शिकायत की कि यह ओवरब्रिज जो आप बना रहे हैं, इसमें सब-स्टैण्डर्ड मैटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। सभापति महोदय, आज की स्थिति यह है कि ओवरब्रिज बनने के बावजूद उसको बंद करके रखा है। इंजीनियर्स ने आकर यह पाया कि इसके अन्दर खामियां हैं। उस ओवरब्रिज को 6 महीने के अन्दर ही बंद कर दिया, यह बड़ी शर्मनाक बात है।

हम यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम यह बना रहे हैं, ओवरब्रिज बना रहे हैं लेकिन हमारे केन्द्रीय मंत्रीजी, उनको इतनी शिकायतें हमारे धौलपुर के जन-प्रतिनिधियों ने भेजीं, उस सबके बावजूद अभी उसकी कोई भी इन्क्वायरी नहीं की गई और ना उस कम्पनी को दंडित किया गया, वह पी एन सी, किस तरह से इस कार्य को मैनेज कर रही है और जो बड़े-बड़े नेता हैं उनको कैसे मैनेज करके, सब-स्टैण्डर्ड मैटेरियल इस्तेमाल करके इस ओवरब्रिज को बनाने का काम किया है।

अभी सर्विस रोड नहीं बना है, सर्विस रोड बहुत पहले बनना चाहिए था। यह अनियमितता हुई कि सबसे पहले जब कोई ओवरब्रिज बनता है तो सर्विस रोड बनाने का कार्य उस कम्पनी को करना होता है, लेकिन अभी भी, आज की तारीख में, दोनों तरफ कलक्टर साहब का और इस तरफ एस.पी. साहब का निवास है और वहां पर पूरे राहगीरों को, वहीं उसी रोड पर बस स्टैण्ड भी है, धूल मिट्टी उड़ती है, लोगों के अन्दर बीमारियां हो रही हैं; उस सबके बावजूद, इतना लंबा समय हो गया, लगभग आठ महीने और एक साल के आस-पास यह डिले हो गया, अभी भी यह कार्य चल रहा है। कब यह पूरा होगा? और जिस मकसद से इस ओवरब्रिज को बनाया गया है, क्या लोग महफूज रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। आज वहां से ट्रैफिक निकलने के लिए पाबंदी लगी हुई है, दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है।

सभापति महोदय, आर यू आई डी पी के माध्यम से धौलपुर के अन्दर

(श्री अब्दुल सगीर खां)

सीवरेज डाली जा रही है; पूरे शहर में फर्स्ट, सैकण्ड और थर्ड फेज के कार्य हो रहे हैं, खुदाई हो चुकी है और खुदने के बाद महीनों तक उसमें पाइप नहीं डाले जाते और ना उस सड़क को रेस्टोर किया जाता है। कई मृत्यु हुई, लोग खड्डे में गिरकर मरे, प्रशासन को बताया गया; आर यू आई डी पी मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं; जिस तरह से वहां कार्य हो रहा है, उसके अन्दर देरी भी हो रही है, उसमें नेग्लीजेंसी बरती जा रही है। अनियमितताएं हो रही हैं, सब-स्टैण्डर्ड मैटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और डिले हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बरसात आने वाली है, बरसात के आने से पहले-पहले इन खड्डों को भरा जाए, पाइप लाइनें डलें और रोड को रेस्टोर किया जाए। गौरव पथ बनाने का निर्माण का कार्य प्रगति पर है, आर यू आई डी पी के माध्यम से, उसको भी बहुत डिले हो चुकी है, अभी तक वह डग होकर तैयार हो जाना चाहिए था लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से वह कार्य डिले हो रहा है। मनमर्जी से काम हो रहा है, जनता परेशान हो रही है। मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी, जहां भी तशरीफ रखते हों, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो फर्स्ट, सैकण्ड और थर्ड फेज काम हैं, जो शिड्यूल दी गई है, उस शिड्यूल के मुताबिक जल्दी से जल्दी उन कामों को पूरा कराने का काम करें।

पी डब्ल्यू डी विभाग के द्वारा रोड का निर्माण हो रहा है, मेरे प्रश्न के माध्यम से मंत्रीजी ने यहां जवाब दिया था कि वह सारा का सारा काम किस तरीके से किस शिड्यूल से होगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज धौलपुर कालेज के अन्दर, गवर्नमेंट कालेज, जहां छात्र और छात्राएं साथ में पढ़ते हैं, कबल होटल से लेकर और कालेज तक इतनी खराब सड़क है, जहां विद्यार्थियों को, बच्चियों को और हमारे छात्रों को जाना होता है। दो साल से छात्र आंदोलित हैं, कितने ही ज्ञापन कलक्टर साहब को दिये हैं, मंत्रीजी से मांग की है कि कम से कम उस कालेज के लिए आप सड़क बना दें जिससे वहां के छात्र-छात्राएं कम से कम साइकिल से अपने कालेज तक पहुंचा सकें।

दूसरी और कितने गांवों की सड़कें हैं जो पी.डबल्यू.डी. को मेन्टेन करनी हैं, मरम्मत करनी हैं, मैंने मंत्रीजी को भी निवेदन किया था कि पुरैनी के अन्दर, पुरैनी पंचायत में एक सड़क स्कूल से लेकर गांव तक लगभग चार साल से गांव वाले मांग कर रहे हैं कि इस पुरैनी सड़क की मरम्मत कराई

(श्री अब्दुल सगीर खां)

जाए, सड़क का निर्माण कराया जाए। वहां लोकल अधिकारी येन-केन-प्रकारेण उसको टाल रहे हैं, राजनीतिक दबाव के कारण टाल रहे हैं।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, पी.डबल्यू.डी. के माध्यम से मिसिंग लिंक रोड्स बनायी जा रही हैं और रिलिजियस रोड्स भी बनाई गयी हैं, दो फेजेज में बननी थीं, आठ किलोमीटर, फिर वापस आठ किलोमीटर, 2011-2012, लेकिन अधिकारीगण विधायकों की अभिशंसा के बावजूद, जिस तरीके से उनको बनाया जाना चाहिए, उस तरीके से बनायी नहीं जा रही हैं और न उनको पूर्ण किया जा रहा है, उनमें खामियां हैं। अगर वहां शिकायत की जाए तो उस पर कोई सुनवाई होती नहीं है। अब यह 2013 के अन्दर अगला जो फेज चलेगा, उसके अन्दर आठ किलोमीटर सड़कें और बननी हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी मानिटर करें और देखें कि यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरे हों।

दूसरी बात जो रिलिजियस प्लेसेज हैं, उसका मैंने खास तौर से निवेदन किया, जो जगह बची हैं, जो पैसे बचे हैं, वहां अचलेश्वर महाराज के टेण्डर निकले थे कि इस मंदिर पर यह सड़क बननी चाहिए, आज दो बार टेण्डर होने के बावजूद उनको कैंसिल कर दिया जाता है और इसको डिले किया जा रहा है।

सभापति महोदय के माध्यम से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी समस्याएं मैंने आपके सामने रखी हैं, ये स्वायत्त शासन मंत्री और पी.डबल्यू.डी. मिनिस्टर, इन दोनों के अन्तर्गत ये सारी चीजें आती हैं, जल्दी से जल्दी इन समस्याओं को हल कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

गैर आबाद भूमि में विद्युत कनेक्शन

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी की जानकारी में कुछ मुद्दे ला रहा हूं और मेरा उनसे आग्रह भी रहेगा कि आप इस पर थोड़ा गौर फरमाएं ताकि गांव में रहने वाले व्यक्ति और शहर में कृषि भूमि पर बसने वाले गरीब को बिजली कनेक्शन मिल जाएं।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के 63 सालों तक गांव में यदि गैर-आबादी भूमि पर कोई ढाणी है, कोई घर बन गया और वह व्यक्ति भी यदि विद्युत सम्बन्ध लेना चाहता था तो जितना लाइन का व्यय होता था, उससे

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पैसे वसूल करके विभाग उसको विद्युत कनेक्शन देता था। गांव और ढाणी के डिमाण्ड नोटिस में थोड़ा अन्तर जरूर था। आप उसमें ज्यादा राशि वसूल करते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन दो साल पहले आपके कार्यकाल में कुछ नई शर्तें आपने रख दीं और आपने गैर-आबादी भूमि में कोई ढाणी बस गयी, कोई मकान बन गया, उसके विद्युत सम्बन्ध पर आपने रोक लगा दी।

माननीय सभापति महोदय, इसमें एक विसंगति और है। यदि सांसद कोष से या विधायक कोष से वहां लाइन बिछवा दी जाए, पोल लगवा दिये जाएं तब तो आप उन ढाणियों का विद्युतीकरण कर देते हो, उसमें आप मना नहीं करते, लेकिन गांव-वासी यदि खुद अपने पैसे से लाइन बिछवाना चाहें तो फिर आपने यह रोक क्यों लगाई है? यह मेरी समझ से थोड़ा बाहर है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें एक बात और है। कई ढाणियां ऐसी हैं, जहां पहले लाइनें बिछी हुई हैं, लगभग 50 मकान बने हुए हैं, 25 ने तो पहले कनेक्शन ले लिये, तीन साल पहले, अब कोई नया व्यक्ति जो उस समय किसी कारणवश कनेक्शन नहीं ले पाया और आज अगर वह कनेक्शन लेना चाहता है तो आपके अधिकारी यह कहकर उसको कनेक्शन नहीं देते या उसकी फाइल इसलिये जमा नहीं करते कि ढाणियों पर कनेक्शन में सरकार ने रोक लगा दी है। यदि कहीं लाइनें पहले बिछी हुई हैं तो वहां कनेक्शन देने में सरकार का कोई खर्चा नहीं आएगा और खर्चा आएगा तो आप कंज्यूमर से लें, उसमें भी मना नहीं है, पर लाइट उसके घर में जल जाए, यह मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, मैं गांव के हालात बता दूं कि गांव की आबादी भी बढी है, लेकिन गांव का आबादी क्षेत्र है, वह सीमित रह गया। परिवार बढ़ गये तो निश्चित रूप से नई ढाणियां बनेंगी; परिवार बढ़ा हो गया, बाहर अपना मकान बनाएगा। सरकार ने उस गैर-आबादी में बसे मकानों का, जो आबादीकरण करता है, उसमें भी 20 साल से कोई आबादीकरण नया किया नहीं। तो एक तरफ तो सरकार गैर-आबादी भूमि के जो प्रस्ताव हैं, उनको रद्दी की टोकरी में डाल देती है और दूसरी तरफ आप उनको विद्युत कनेक्शन से वंचित रख देते हो, यह दोहरा अन्याय उस व्यक्ति के साथ हो रहा है।

साथ में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों में भी आज से एक साल पहले तक कृषि भूमि पर यदि कोई मकान

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बन गया तो आपका विभाग पैसे लेकर उसको विद्युत कनेक्शन देता था। आज तक दिये हैं आपने, हजारों की तादाद में पहले कनेक्शन हो रखे हैं कृषि भूमि में बने मकानों में। आपने एक साल पहले यह रोक लगा दी। अब किसी ने दो या तीन साल पहले भू-खण्ड लिया, और कृषि भूमि का जो भू-खण्ड लेता है, वह निश्चित रूप से गरीब होगा, तभी वह लेगा; पैसे वाला व्यक्ति कभी भी नहीं लेगा; बहुत गरीब होगा, जिसके पास भू-खण्ड खरीदने के पैसे नहीं होंगे, वही कृषि भूमि का भू-खण्ड लेगा। आज वह मकान बनाने की तैयारी कर रहा है, उसने मकान का निर्माण शुरू कर दिया और कनेक्शन के लिये उसने आपके आफिस में फाइल लगाई, तो यह कहकर उसकी फाइल लौटा दी कि आप तो कृषि भूमि पर हो, सरकार की रोक है, आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा।

माननीय मंत्री महोदय, इसमें एक बात और है, पाली में ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं जिनमें एक साल पहले 3,600 रुपये जो आवेदन की राशि होती है, वह आपने जमा कर दी है। जब आपने एक साल पहले आवेदन का जो शुल्क है, 3,600 रुपये, वह आपने जमा कर दिया और अब उसको कनेक्शन आप नहीं देते हो। तो यह भी उसके साथ दोहरा अन्याय है। माननीय विद्युत मंत्रीजी, मेरा आपसे आग्रह है कि जिससे आपने पहले 3,600 रुपये वसूल कर लिये, उनके जो शेष डिमाण्ड नोट हैं 2000 के, वे तत्काल जारी करवाएं और उनके घर में भी रोशनी दें। यह भी मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत विभाग घाटे में है, यह सबको पता है; आपके पास पैसे की कमी है, यह भी पता है; अगर घाटे में है तो आपका सिस्टम ठीक करो, सरकार से पैसा मांगों पर आपने क्या नया अभियान चलाया, हजारों बिलों में पुरानी बकाया के नाम से हजारों रुपये राशि आपने निकाल दी। रोज के 25-50 उपभोक्ता, जिनका मासिक बिल 700-800 रुपये है, आपने पुराने बकाया के नाम पर 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार उसके बिल में जोड़ दिये। वह पूछने जाता है तो कहते हैं कि यह राशि तो आडिट ने निकाली। आडिट और भी विभाग में है, वहां भी आडिट आक्षेप बहुत आते हैं, कितनी वसूली होती है, आप सबको पता है। कोई वसूली नहीं होती, वह पैरा आखिर खतम होता है। पर आपने कनेक्शन काटने की धमकी देकर, जबरन वसूली का जो अभियान चलाया है, यह जन हित में बिलकुल ठीक नहीं है। अगर वाकई में उसकी पुरानी बकाया है तो आप उसको बताओ कि आपके इस काल की, इस-इस कारण से यह-यह बकाया राशि है। उसको संतुष्ट करके आप

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पैसे वसूल करो। आप उसका गला घोंटकर, कनेक्शन काटने की धमकी देकर उससे यह जो वसूल कर रहे हो, यह बिलकुल नाजायज है।

माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, बहुत संवेदनशील हैं, मेरा आग्रह रहेगा कि आप, जो मैंने ये मुद्दे बताये हैं, उनमें आप कुछ निराकरण करें ताकि जनता का कुछ भला हो सके, उनका कल्याण हो सके; उनके घर में भी विद्युत सम्बन्ध आ सके, यह मेरा आग्रह है।

माननीय मंत्री महोदय, कुछ बता दें।

श्री सभापति: श्री हेमसिंह भडाना।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मेरा आग्रह है; वे तैयार हैं।

श्री सभापति: ऐसा है, आपकी बात उन्होंने सुन ली...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, वे तैयार भी हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, उन्होंने आपकी बात सुन ली।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वे तैयार बैठे हैं, वे जवाब देने को तैयार हैं। वे मना कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वे जवाब देने को मना कर दें, मुझे दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति: वे तैयार बैठेंगे तो आसन ...(व्यवधान) मना नहीं करें ...(व्यवधान) अगर वे 'हां' या 'ना' नहीं कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा निवेदन सुन लें आप, हाथ जोड़कर, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, यदि कह दें...

श्री सभापति: आपको कैसे पता, वे कहना चाहते हैं?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वे खड़े होने के लिये तैयार हो रहे थे और आपने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने तो नहीं देखा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैंने देखा है।

श्री सभापति: मैंने नहीं देखा, मैं बैठा हूं, मेरी नजर सब पर है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपकी नजरें मेरी ओर थीं और मेरी नजर मंत्री महोदय की ओर थी।

श्री सभापति: मेरी नजर सब पर है, मैंने देख लिया।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपकी नजरें नहीं, माननीय मंत्री महोदय मना कर रहे हैं क्या कि मैं जवाब नहीं दूंगा? तो फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मंत्री महोदय मना कर दें कि कोई जवाब नहीं देंगे।

श्री सभापति: आप विराजिए। माननीय मत्रीजी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आपने जो बात कही कि यह पुराने बिल में उन्होंने पुराने ड्यूज निकाल दिए हैं, उनको है रेस किया जा रहा है, आपने यही कहा कि बिलों में जो पुराने उनके ड्यूज रह गए थे, बकाया रह गये थे, वे निकाले जा रहे हैं और उनको अननेसेसरी तंग किया जा रहा है। मैं पाली से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा और अन्य माननीय सभी साथियों से भी कहना चाहूंगा कि इस तरह से कहीं भी कोई उन्होंने कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की या कोई इल्लीगली प्रेशराइज करने की कोशिश की, वैसे तो मैं स्वयं डायरेक्शन दे रहा हूं मेरे सभी अधिकारियों को कि अननेसेसरी किसानों को परेशान नहीं किया जाए और जो सिस्टम है, उसी के अनुसार कार्य किया जाए; उसमें मैं जांच करवा रहा हूं, इल्लीगली किसी के बिलों में बकाया जोड़ दिया गया है तो मैं जांच करवाऊंगा और निश्चित रूप से आप व्यक्तिशः भी लिखकर दे दें, पार्टिकुलर मैं उसके बारे में जांच करवाऊंगा और कहीं भी इन्जस्टिस नहीं होने देंगे, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री हेमसिंह भडाना।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): कनेक्शन पर जो रोक है, उसको हटाइए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उसके लिए प्रोसेस बना हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

थानागाजी की क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, वैसे तो मेरे पूरे जिले की जो समस्या है जिससे मैं आपको अवगत करा रहा हूं लेकिन थानागाजी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो सड़कों की जर्जर हालत है और जिस तरह से सड़कें किसी भी योजना में बनीं, उसके बाद आज तक उन सड़कों का डामरीकरण, पेवरीकरण और यहां तक कि पेचवर्क भी नहीं हुआ है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सन् 1995 में ग्राम पंचायत मुख्यालय से

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

जोड़ने वाली एक सड़क जो कि टहला से गड़लाजोहड़, जहां पर नीलकंठ महादेवजी का बहुत प्राचीन, कई हजारों साल पुराना मंदिर भी है, वह सड़क निर्मित हुई थी। लेकिन आज तक, 17 साल में उस सड़क की हालत टूट-फूटकर और वह उसी पुराने स्वरूप में आ गई, जहां पर कि पहले वहां पर रास्ता था। अगर वहां पर सही देखा जाए तो कोई अगर दो फीट भी खोद ले तो वहां पर डामर का किसी तरह का कोई भी अवशेष नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में निश्चित रूप से राज्य सरकार को इस पर चिंता होनी चाहिए और सड़क की मरम्मत की जो योजना है, उसका पेवरीकरण का काम करवाना चाहिए।

दूसरी सड़क हमारे टहला से गढ़ी सवाईराम आ रही है, उसका मैंने पिछले विधान सभा के सत्र में एक प्रश्न लगाया था और पूछा था कि सड़क का नवीनीकरण कब हुआ? पिछले पांच वर्षों की सड़कों के नवीनीकरण के अन्दर उसका नाम था और ताज्जुब की बात है कि अगले ही क्वेश्चन में यह लिखा है कि किन-किन सड़कों का, इस समयावधि में कौन-कौन सी सड़कें टूट गईं, तो उस सड़क का नाम था। कहने का मतलब यह है कि नवीनीकरण में भी उसी सड़क का नाम और टूटने वाली सड़क में भी उसी का नाम था। इससे ज्यादा खराब क्या व्यवस्था हो सकती है? सरकार ने यह जवाब दिया कि हमने संवेदक को, ठेकेदारों को नोटिस दे दिया है और ठेकेदारों को पाबंद कर दिया है और ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैंने पूछा पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री को प्रश्न के माध्यम से कि क्या ठेकेदारों के अलावा विभाग के जो कर्मचारी जिन्होंने एम.बी. भरी थी, सम्बन्धित ए.ईएन., जे.ईएन., एक्स.ईएन और एस.ई. तक भी, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपने कारण बताओ नोटिस और चार्ज शीट जारी की? तो उनका जवाब था कि हमने सम्बन्धित ठेकेदार, ठेकेदार सड़क जरूर बनाता है लेकिन उसमें विभाग की भी जवाबदेही उतनी ही होती है जितनी कि संविदा में ठेकेदार की होती है।

तीसरी सड़क, मेरे यहां से कोठी नारायणपुर, गोट से लेकर जोनेटा और समरा से लेकर थानागाजी तक और थानागाजी से लेकर के किशोरी, भीकमपुरा, अजबगढ़ होती हुई, उस सड़क का, पता नहीं, वह सड़क किस योजना में बनी परन्तु कोई व्यक्ति अगर वहां से जाना चाहे तो वह व्यक्ति पैदल भी आराम से नहीं गुजर सकता। ऐसी हालात सही मायने में इन सड़कों की है। नारायणपुर से जोनेटा रोड, बसवा तक, उसकी भी यही स्थिति है कि अगर सड़कों की जगह पुराना रास्ता रह जाए तो भी सही माना जाता है।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

तीसरी एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। मैंने कई दफे यहां पर, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी, विधान सभा में पूरी जनता की आवाज आपके सामने, जो मेरी भावनाएं थीं उनको रखने का प्रयास किया कि अलवर से जयपुर तक का जो सड़क मार्ग है उसका पेवरीकरण किया जाना चाहिए। हमने कितने ही धरने और प्रदर्शन किए, उसके बाद उसका पेवरीकरण करवाने का सरकार ने काम किया लेकिन सरकार ने काम तो उसका पेवरीकरण का किया पर उसमें चार-चार बेरिकेड लगा दिए। अब चार बेरिकेड लगाने से, अगर पेवरीकरण हो जाता है तो निश्चित रूप से सरिस्का से पांडुपोल जाने वाली सड़क है उस पर अभी आपकी सरकार के सभी विभागों के मंत्री जब सरिस्का जाने का उन्हें मौका मिलता है तो वहां से गुजरते हैं और पांडुपोलजी के दर्शन करके जाते हैं, तो बीच में फोरेस्ट वालों ने उस डामर की सड़क पर एक-एक फुट पर ग्रेवल सड़क बना दी है ताकि डामर की सड़क को कोई खोज ही नहीं सके। टहला से लेकर पांडुपोल जाना चाहे तो वहां पर भी यही स्थिति कर दी है। निश्चित रूप से सरकार इसको गम्भीरता से लें। एक तरफ तो हम धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक तरफ धार्मिक स्थलों में पांच किलोमीटर राजस्थान सरकार ने सड़कें दीं और दूसरी तरफ, हमारी आस्था के केन्द्र, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन पर हमने जाने के लिए इस तरह के बेरिकेडस लगा रखे हैं, जैसे किसी किले के अन्दर जाना हो, जैसे कि कोई ऐसा नियम या आतंकवादी जाए तब उसकी चेकिंग होती हो, इस तरह की व्यवस्था आपने फोरेस्ट के एरिये के अन्दर कर रखी है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सड़कों के अन्दर डामरीकरण हो और बेरिकेड्स को हटाओ। दूसरा, तब तक आप बेरिकेड नहीं लगा सकते जब तक कि किसी कस्बे का, थानागाजी कस्बे का वैकल्पिक मार्ग नहीं निकल सकता; तब तक किसी भी नियम और प्रावधान के अन्दर बेरिकेड नहीं लगा सकते। बेरिकेड तब ही लगाएंगे जब हमको वैकल्पिक मार्ग तैयार होकर मिल जाएगा। यह राजस्थान की सरकार ने, आपकी सरकार ने, माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने जो काम कर रखा है, यह बिलकुल गलत है। तब तक बेरिकेड नहीं लगाए जाएं तब तक कि वैकल्पिक मार्ग नहीं जारी हो। बिना वैकल्पिक मार्ग के आपने बेरिकेड्स लगाए। जितने भी धार्मिक स्थल की सड़कें थीं उन तक जाने से रोकने का काम आप लोग, राजस्थान सरकार कर रही है। बार-बार इस बात की आवाज उठ रही है। थानागाजी से लेकर के गोला का बास तक वाया भीकमपुरा होकर जो सड़क निकल रही है, उसके अन्दर भी यही स्थिति हो रही है।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

तो सरकार की यह मंशा होनी चाहिए, जो सड़कों को हम सुधारने की बात कर रहे हैं, हम इनके नवीनीकरण/मिसिंग लिंक रोड देने की बात कर रहे हैं लेकिन मिसिंग लिंक रोड और देवस्थान के साथ-साथ जिन रोड्स का पेवरीकरण करना है, जिन रोड्स का डामरीकरण करना है; आज व्यक्ति अगर पैदल जाना चाहे तो टहला से लेकर राजगढ़ तक पैदल व्यक्ति ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, बजाए कि कोई साधन के अन्दर बैठने वाला व्यक्ति। क्योंकि साधन वाला व्यक्ति, हो सकता है कि कोई डिलिवरी केस हो तो उसकी डिलिवरी रास्ते में ही हो जाए; दूसरी तरफ, गाड़ी के दोनों टायर एक साथ गड्ढे में नहीं जाएंगे; एक टायर गड्ढे में गया तो दूसरा टायर सड़क के किसी किनारे पर आएगा। यह हालात इस राजस्थान सरकार के अन्दर इन सड़कों की हो रही है और इतनी बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है कि वहां से जो व्यक्ति गुजरता है, जो भी अधिकारी जाए, जो भी राजनीतिक व्यक्ति जाए, जो भी लोग जाते हैं, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को कोसते हुए जाते हैं कि ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार के समय में, यह सड़कों का पेवरीकरण नहीं कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से इस सरकार से यही आग्रह करना चाहूंगा कि जितनी भी मैंने सड़कें गिनाई हैं, चाहे वह टहला से अलवर और टहला से लेकर राजगढ़ और थानागाजी से लेकर अलवर और सरिस्का से लेकर पांडुपोल और पांडुपोल से लेकर टहला और थानागाजी से लेकर अजबगढ़ होते हुए गोला का बास हो, इन सारी सड़कों को डामरीकरण से जोड़ा जाए और इनका नवीनीकरण किया जाए।

आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अमरारामजी।

बछड़े की बिक्री पर से रोक हटाया जाना

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का और सरकार का एक विशेष समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। राजस्थान में किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन का काम करता है और खेती के अलावा, अगर उसका कोई दूसरा सहारा है तो पशुपालन है। उसमें भी विशेष तौर से गाय जो किसान पालता है, वह देसी गाय दो मकसद के लिए पालता था, दूध और बछड़े के लिए। जब भी गाय बछड़ा देती

(श्री अमराराम)

थी तो उस किसान, पशु-पालक के घर में खुशी का माहौल होता था कि गाय बछड़ा लेकर आयी है। निश्चित रूप से राजस्थान में और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़े-बड़े मेले, जिनसे किसानों को हर मेले में करोड़ों रुपया उन बछड़ों की बिक्री से मिलता था। उस बछड़े की बिक्री से राजस्थान के न केवल किसानों को पैसा मिलता था बल्कि अलग-अलग जो भी मेलों की आमदनी थी, उसके अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और यहां तक जिला परिषदों को भी उनसे आय होती थी। किसान उस गाय को पालता था।

1995 में बछड़ों की बिक्री पर रोक लगाने का कानून राजस्थान की सरकार ने इस विधान सभा में पास किया। उसके बाद में जिस तरह से गाय, बछड़ा और किसान, तीनों को मारने का काम इस कानून के माध्यम से हुआ है, राजस्थान के वे बड़े-बड़े मेले, चाहे वह परबतसर है, चाहे वह नागौर है, चाहे वह मेड़ता है, डीडवाना है, बालोतरा है, सांडवा है, सीकर के मेले हैं, तमाम राजस्थान में जो पशु मेले भरते थे, आज वे मृतप्राय: हो गये हैं और न केवल किसान मारा गया है, गाय मारी गयी है, उस गाय के बछड़े की बिक्री नहीं होने के कारण आज राजस्थान में गाय किसान के लिये बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। किसान अपने उस बछड़े की इनकम नहीं आने के कारण उस गाय को आवारा छोड़ता है। उस किसान की तमाम फसलों को बचाने के लिये किसान को आज मजबूर होकर आज आधी से भी ज्यादा ग्राम पंचायतें होंगी जहां गौशालाएं खोलनी पड़ रही हैं।

इसलिये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, कानून किन्हीं कारणों से बनाया गया हो, लेकिन सरकार उन बछड़ों पर लगी हुई पाबन्दी जब तक नहीं हटायेगी, तो न उस गाय का समाधान होगा और गाय जब तक किसान नहीं पालेगा, मैं समझता हूं कि न कोई गौशाला पाल सकती है, न कोई सरकार पाल सकती है। इसलिये जो पाबन्दी लगाने के कारण आज किसान की रीढ़ तोड़ी गयी है, राजस्थान के किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया है, निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने मंत्रियों की एक कमेटी बनाई कि इसका किस तरह से समाधान निकले, जिससे किसान को भी लाभ हो, गाय भी बचे, किसान भी बचे और बछड़ा भी बचे और राजस्थान के विकास में भी योगदान हो, लेकिन, मैं समझता हूं कि सवा चार साल के बाद में मंत्रिमण्डल ने क्या सिफारिशें की हैं, राजस्थान के उस पशुपालक और किसान की

(श्री अमराराम)

समस्या, जो हजारों-करोड़ों उसकी जेब में हर मेले में आता था, आज वे मेले समाप्त हो रहे हैं, गाय आवारा हो रही हैं, किसान के लिये समस्या हो रही है।

तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पाबन्दी को निश्चित रूप से, सरकार की जो मंत्रिमण्डल कमेटी बनाई गई है, उसकी क्या सिफारिश है; सरकार इस पर रोक हटाना चाहती है या नहीं हटाना चाहती है? आज राजस्थान का किसान, जो पशुपालक है, निश्चित रूप से वह जिस परेशानी से गुजर रहा है, आम किसान के लिये चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, गाय को बचाने के लिये आज मजबूरी में उसको गौशालाओं में रखना पड़ रहा है और गौशालाओं में जिस तरह हालात आज बन रहे हैं, मैं समझता हूं, न सरकार उसमें कोई मदद करती है, वह किसान रात भर अपनी फसल को बचाने के लिये खड़ा रहे।

इसलिये मेरा आपके माध्यम से सदन से एक ही निवेदन है कि जो बछड़ों की बिक्री पर पाबन्दी है, वह निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार हटाये जिससे बछड़ा भी बचेगा, किसान भी बचेगा, गाय भी बचेगी और राजस्थान के आर्थिक विकास में भी योगदान होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस मंत्रियों की कमेटी बनाकर उसको लटकाये रखने से, मैं समझता हूं, 1995 से लगाकर आज तक राजस्थान के किसानों को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा दिया। जिस गाय को किसान अपनी मां के रूप में रखता था, किसान आज उस गाय को आवारा छोड़ रहा है। तो इसका सबसे बेहतर समाधान एक ही होगा कि बछड़ों पर लगी हुई पाबन्दी को अगर हम हटा पायेंगे तो राजस्थान की गाय, किसान और बछड़े को बचाने में हम सफल होंगे। सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, उसने आज तक क्या कार्यवाही की है; आगे सरकार की क्या मंशा है; सरकार पाबन्दी हटाना चाहती है या लागू रखना चाहती है; एक शब्द में हट सकता है, एक लाइन से हट सकता है; जो बछड़ों पर पाबन्दी लगी हुई है, निश्चित रूप से उसको हटाया जाये। क्योंकि कोई भी बछड़े को, जो 10 हजार रुपये में बछड़ा लेकर जाता है, कोई वध करने के लिये नहीं ले जाता बल्कि खेती के लिये, विशेष तौर से राइस, चावल बीजने का काम करते हैं, वह निश्चित रूप से बैल से करते थे; वे खरीदकर ले जाते थे, बैल बनाते थे।

(समय-माप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अमराराम)

इसलिये मेरा तो आपसे यही निवेदन है, सरकार सुने या न सुने, हमारा फर्ज है उस किसान की, पशुपालक की समस्या जो पूरे राजस्थान में आज आ रही है, आपके सामने रखी है; मैं समझता हूं, सरकार गौर करेगी; नहीं करेगी तो वह भुगतेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूचना

जोधपुर के बरकततुल्ला खां स्टेडियम में फ्लड लाइट लगाने में बरती गयीं अनियमितताएं

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बरकतुल्ला खां स्टेडियम में फ्लड लाइट लगाने के बारे में जो अनियमितता बरती गयी है, उसकी मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूं। निविदा में दो कम्पनियां आई थीं, जी इंडिया इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., बम्बई और फिलिप्स इंडिया लि., गुड़गांव ने हिस्सा लिया। माननीय सभापति महोदय, चार्ट में जी इंडिया इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. को सेल्स टैक्स प्रमाण पत्र और फिलिप्स इंडिया लि. को कार्य अवधि 60 दिवस के स्थान पर 90 दिन भरने के कारण, दोनों ही कम्पनियों को नाकामयाब माना गया कि दोनों ही कम्पनियां ठीक नहीं हैं। उनको दिया था 60 दिन का और उनको दिया था 90 दिन का। निविदा शर्तों में यह स्पष्ट लिखा है कि यदि निविदा प्रस्तुत करते समय सेल्स टैक्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निविदा रिजेक्ट कर दी जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, फिर आरम्भ हुआ सांठ-गांठ और अनियमितता का खेल। सबसे पहले दोनों ही कम्पनियों से एक-एक अंडरटेकिंग ली गयी, जी इंडिया कम्पनी थोड़े ही दिनों में सेल्स टैक्स का आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी और फिलिप्स कम्पनी 90 दिन के स्थान पर 60 दिवस में काम पूरा करेगी। पहली आपत्ति है कि जब दोनों ही कम्पनियां अयोग्य थीं तो फिर उसी दिन टेण्डर निरस्त कर और रिटेण्डर क्यों नहीं किये गये? इसी दिन, कल के दिन, दो दिन के अन्दर भी, माननीय सभापति महोदय, शर्तों के अनुबन्ध, पात्रता की एवज में जी ई कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत था। उनका प्रमाण पत्र गलत था। अधिशासी अभियन्ता, रमेश माथुर ने दिल्ली जाकर पाया कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र से केवल उपकरण सप्लाई का काम ही जी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

ई कम्पनी ने किया और शेष कार्य अन्य किसी कम्पनी ने किया है। अत: जी ई कम्पनी को कार्य अनुभव था ही नहीं, जबकि फिलिप्स कम्पनी को मानक शर्तों के अनुसार दो राष्ट्रीय मैच कराने का कार्य अनुभव था जिसमें एक सी सी ओ और एक प्रोविजनल सी सी प्रस्तुत की गयी है। अत: इस आधार पर भी टेण्डर निरस्त करके रिटेण्डर क्यों नहीं किये गये?

माननीय सभापति महोदय, मेरे को टोकना नहीं, यह एक बहुत भारी मुद्दा और भारी घोटाला है। आज घंटी नहीं बजाओगे।

श्री सभापति: आप 295 में ही लिखकर दे देते न।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, आप घंटी नहीं बजाओगे, मेरे को बोलने देओ आप।

श्री सभापति: बोलो आप, जल्दी बोलो। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, इस पर 1409 लक्ष्य ही भरे थे। अब इसके बावजूद, निविदा कीमतों को खोला तो निविदा में 10 जी यू का नाम गया, जबकि यह नहीं देखा गया कि उसमें 1,500 के स्थान पर 1,409 लक्ष्य ही भरे थे, जिसके कारण कीमत कम आई। सीधा मतलब है कि कम मात्रा भरकर कीमत घटाई गई है। इसके बाद प्रति वर्ष अपनी आपत्तियां लिखित रूप में प्रस्तुत की गयी हैं और अन्य स्तर से आपत्तियां मीडिया में उठने लगी हैं। सबसे हैरत और अजब की बात है, जो यहां कहना चाहूंगी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इनको आर्डर दिलाने के लिये छह घंटे तक धरने पर बैठे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बैठे!

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वास्तव में बैठे?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, वास्तव में बैठे; वास्तव के अन्दर बैठे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, देखो, यह क्या हो रहा है?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : माननीय सभापति महोदय, मैं कभी-कभी तो बोलती हूं, मैं तो बहुत कम ही बोलती हूं।

श्री सभापति : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। मंत्रीजी सदन में हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राठौड़ साहब तो खुद जोधपुर के नेता रहे हुए हैं, ये बोलें तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, हम भी चाहते हैं कि कोई खेल, वगैरह हो; मगर इसका मतलब यह नहीं; आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हर काम प्रक्रिया से होना चाहिये, तो यह काम भी प्रक्रिया से होता तो कहां तकलीफ थी, इसको रिटेण्डर करते। इसको वर्क आर्डर दिलाने के लिये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, +++ ने धरना दिया। छह घंटे तक जे डी ए के बाहर बैठे रहे और बाहर बैठकर उनको वर्क आर्डर दिलवाया। क्या यह अनियमितता नहीं है? इससे ज्यादा अनियमितता और क्या होगी? वर्क आर्डर दिये जाते हैं कानून से, वर्क आर्डर दिये जाते हैं आर्डर से, ऐसे ही देते हैं क्या? कांग्रेस के अध्यक्षजी, +++ ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुनिये। अगर वे सड़कों के बारे में बैठते तो अच्छा लगता; यूजर चार्ज के लिये बैठते; कोई भी जोधपुर की ऐसी जन-समस्या के लिये बैठते; कल ही तीन प्याऊ तोड़ी गयी हैं, वे उसके लिये बैठते तो अच्छा लगता, ये वर्क आर्डर दिलाने के लिये धरने पर बैठ गये।

श्री सभापति: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं चाहूंगी, यहां मंत्रीजी नहीं हैं, जो-जो मंत्रीजी बैठे हैं, ...(व्यवधान) हां, धारीवालजी, जरा सुनिए आप। इस आर्डर को कैंसिल करो और रिटेण्डर करवाकर कानून से करो। कांग्रेस के अध्यक्ष के बैठने से आप वर्क आर्डर दे देते हो।

सभापति महोदय, मंत्रीजी से जवाब दिलवाओ, वरना यह मेरा लिखा हुआ टेबल कर लो आप। मैं एक-एक पाइन्ट लिख कर लायी हूं। ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री सभापति: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, वर्क आर्डर दिलाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को धरने पर बैठना पड़े, इससे ज्यादा शर्म की बात; इसका मतलब है कि इसमें अनियमितताएं जबरदस्त हैं। इन अनियमितताओं को देखते हुए, मैंने मेरी सारी बात कही है। सभापति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय ने इस विषय में सरकार के खिलाफ ऐसी ही टिप्पणियां की थीं, हर बात में अनियमितता; जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अन्दर भर्ती में अनियमितता, हर बात में अनियमितता; राजस्थान के मुख्य मंत्री का गृह जिला और वहां पर ऐसी अनियमितता हो जाए...

श्री सभापति: अब तो हो गया न सब।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि मंत्रीजी से जवाब दिलवाओ और इस टेण्डर को कैंसिल करके रिटेण्डर करवायें। कांग्रेस के अध्यक्ष के बैठने से वर्क आर्डर दिये जाते हैं क्या?

मैं विपक्ष के नेता से, घनश्यामजी से, राजेन्द्रजी से चाहूंगी, मेरे को इसमें मदद करें और मैं सरकार से भी चाहूंगी कि इसमें मेरी मदद करे।

श्री सभापति: पूरा सदन आपकी मदद के लिए तैयार है। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, ध्यानाकर्षण क्या होता है? यूं क्या कर रहे हो? मैंने सही बात कही है। (व्यवधान) सारा ऐसे ही कर दिया। ऐसे कैसे होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह संगठनात्मक भ्रष्टाचार आने लग गया। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, सभापति महोदय, आप तो खुद जिला अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष धरने पर बैठ जाए और एक कम्पनी को आर्डर दिलवाये, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? कांग्रेस में संगठनात्मक भ्रष्टाचार प्रारम्भ हो गया है। यदि जिला अध्यक्ष वहां पर यूजर चार्ज हटाने के लिए बैठते तो समझ में आता, लेकिन इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इन्होंने तथ्यों के साथ बात रखी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): घनश्यामजी, आप भी बोलिए, मेरे को मदद करिए। (व्यवधान) मैं बैठूंगी नहीं, जब तक इसका कोई निपटारा नहीं होता। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विषयान्तर मत होना। खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य, इस पर चर्चा हो चुकी है फिर भी मैं आपको समय दे रहा हूं। आप समय सीमा में बोलें, कृपया विषयान्तर नहीं होवें। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आप इतना ही करें, अगर वास्तव में उनके धरने के दबाव में वर्क आर्डर दिया है और नियमों की अवहेलना हुई है तो आप उसको देखकर निर्णय कर दें। बस बात इतनी सी ही है। अगर इसमें आपको लगता है कि उनके प्रेशर के कारण उनको देना पड़ा हो, तो सारी की सारी फाइल को देखकर कर दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं पूरी बात भी नहीं सुन पाया, इसका तो मुझे खेद है क्योंकि हम आपस में दूसरी कोई बात कर रहे थे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं आपको यह सारा दे दूं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप जो आज यहां बोली हैं, मैं उसकी प्रोसीडिंग्स निकलवाकर देख लूंगा और आप मुझे चिट्ठी भी लिख दें, जो नियमानुसार होगा वह कर देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नियमानुसार क्या? फाइल मंगवाओ न। यह कार्य नियमानुसार कहां हुआ है? कांग्रेस अध्यक्ष धरने पर बैठकर वर्क आर्डर दिलवा दे, यह नियमानुसार है क्या? आप यह मानते हो क्या? आज कोई सड़क बनाने के लिए कहते हैं तो महीना भर लगेगा। (व्यवधान) आपको मेरी मदद करनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): फाइल देखकर ही करेंगे। यहां कैसे कर देंगे?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। 22 तारीख को यूजर चार्जेज के मामले में जब यहां चर्चा हो रही थी तो मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि मैं 26 तारीख को सदन में वक्तव्य दूंगा कि यूजर चार्ज के बारे में सरकार क्या कर रही है। मंत्रीजी यहां बैठे हैं, बतायें कि वे क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। श्री हनुमान बेनीवाल।

जोधपुर में दुर्घटना में मारे गये शिवलाल विश्नोई व उसके परिजन की मौत का मुआवजा

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रदेश के जोधपुर में 14.12.2012 को शिवलाल विश्नोई, उनकी भाभी, उनकी माताजी, वगैरह गाड़ी से जा रहे थे। शिवलाल विश्नोई, जैसा कि पुलिस बता रही है कि वह हिस्ट्रीशीटर था लेकिन पिछले तीन सालों से उसके खिलाफ कोई किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वह अपने बच्चों, परिवार के साथ किसी शादी में शामिल होकर जब जा रहा था तो जोधपुर ग्रामीण थाने का उसके खिलाफ कोई वारन्ट था और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने, थाना अधिकारियों ने उसकी गाड़ी का पीछा किया। पीछा करते-करते पुलिस की गाड़ी की टक्कर से उसकी गाड़ी पुलिया से नीचे गिर गई जिससे शिवलाल

(श्री हनुमान बेनीवाल)

की माताजी की मृत्यु हो गई। दो दिन तक वे शव को लेकर मथुरादास माथुर अस्पताल में डटे रहे। विश्नोई समाज के हजारों लोग उस प्रदर्शन के अन्दर शामिल हुए। सरकार की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और किसी एक आदमी को वहां भेजकर उसकी मां की लाश को वहां से उठवाया गया। तीन दिन पहले शिवलाल विश्नोई ने अस्पताल के अन्दर दम तोड़ दिया। हजारों लोग आज कलक्टरेट से शांति मार्च निकाल रहे हैं।

राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि वहां के कमिश्नर यह कह रहे हैं कि चाहे जो कर लो, एक भी मांग नहीं मानेंगे? मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले के अन्दर, विधान सभा का सत्र चल रहा है, उसके बावजूद भी; पुलिस के अधिकारियों को यह अधिकार थोड़े ही दे दिया कि हिस्टरीशीटर है तो उसको मार दो या उसका एन्काउंटर कर दो। यह अधिकार राजस्थान के अन्दर किसी को नहीं है। हिस्टरीशीटर को भी जीने का अधिकार है। लोग तो डाकुओं को चम्बल से वापस लाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्दर 30 परसेंट डाकू एम एल ए और एम पी बन गए। यहां भी अब संख्या धीरे-धीरे बढ़ने वाली है। जिस तरह राजनीति में डाकुओं का वर्चस्व कायम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चम्बल तो खाली हो गया, सारे जयपुर और दिल्ली की तरफ चले गये और ज्यादातर उच्च पदों पर आसीन हो गये और ज्यादातर ने पार्टियों पर कब्जा भी कर लिया।

सभापति महोदय, मैं सदन से इस मामले में, माननीय गृह मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, इतना महत्वपूर्ण मामला है, इसको हलका नहीं आंकें, विश्नोई अकेले नहीं हैं, विश्नोइयों के साथ राजस्थान का जाट समाज भी खड़ा हुआ है। आज सरकार इस मामले में कोई निर्णय नहीं करेगी तो सरकार को गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही हो। आपने एक व्यवस्था कर रखी है, पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर भी था कि जो मारा जाये, गोली से मार दो और मृतक के परिजन को नौकरी दे दो और 25 लाख रुपये कैश दे दो। तो कम से कम, जो पूर्व से चलता आ रहा है और आप भी दे रहे हो, तो इसने ऐसा कौनसा गुनाह कर दिया? आज इसकी बेटी और भाभी अस्पताल के अन्दर जिन्दगी और मौत से जूझ रही हैं। उनका कोई गुनाह नहीं।

इस पूरे मामले की जांच विधान सभा के विधायकों की कमेटी बना कर; आप कहते हो न, संवेदनशीलता है, पांचवां साल है और आखिरी सत्र है;

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले के अन्दर का मामला है; उनकी पूरी जानकारी में है, मेरे खयाल से उनकी कांस्टिट्यूएंसी का ही मामला है; अगर इस मामले में भी सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखाये तो मुझे नहीं लगता कि इस सरकार का जनता के प्रति कितना उत्तरदायित्व होगा। आप इस ओर ध्यान दिलायें। हजारों लोग सड़कों पर हैं, आपकी तरफ पूरा राजस्थान देख रहा है।

सभापति महोदय, यह हर आदमी की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पूरा का पूरा परिवार, दो चले गये, दो-तीन जिन्दगी और मौत के बीच झूल रहे हैं; गृह मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, गृह मंत्रीजी, दो मिनट इस गम्भीर मामले को देखते हुए आप दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दें और मृतक के परिवार को नौकरी के साथ-साथ पुलिस कमिश्नर, जोधपुर को वहां से हटाया जाए क्योंकि यह सारा मामला पुलिस कमिश्नर की देखरेख में हुआ है।

श्री सभापति: अब, माननीय सदस्य, कल भी इस विषय पर आ चुका है। सरकार के ध्यान में आ गया, आप विराजो। आ गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा इश्यू है कि हजारों लोग... हां, आ तो गया सारा, पर आने से हुआ क्या?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, इनसे वक्तव्य दिलाया जाए। कल भी हमने मांग की थी और आज भी मांग कर रहे हैं कि उस पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये और उसके परिजन को नौकरी दिलाई जावे। घोषणा करावें आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): संवेदनशीलता दिखायें आप।

श्री सभापति: विराजो अब आप, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो विराज रहा हूं लेकिन आप जवाब दिलवा दो।

(14.00 बजे)

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (2012-13) के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 182 से 208)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2012-13 के निम्नांकित 27 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. वर्ष 2006-07 के लिए सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट मुद्रांक कर एवं पंजीयन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति 2012-13 का 182वां प्रतिवेदन;
2. जन लेखा समिति, 2010-11 के 63वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 183वां प्रतिवेदन;
3. दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 को दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार "किसानों के हक की राशि होटल में उड़ाई" की कटिंग के सम्बन्ध में मा. अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 229(4) के तहत जांच हेतु जन लेखा समिति को निर्दिष्ट किये जाने पर प्रक्रिया के नियम 201 के अन्तर्गत जन लेखा समिति, 2012-13 का विशेष 184वां प्रतिवेदन;
4. जन लेखा समिति, 2011-12 के 117वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 185वां प्रतिवेदन;
5. जन लेखा समिति, 2011-12 के 130वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 186वां प्रतिवेदन;
6. जन लेखा समिति, 2010-11 के 54वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 187वां प्रतिवेदन;
7. जन लेखा समिति, 2011-12 के 151वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 188वां प्रतिवेदन;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

8. जन लेखा समिति, 2011-12 के 113वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 189वां प्रतिवेदन;

9. जन लेखा समिति, 2011-12 के 137वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 190वां प्रतिवेदन;

10. जन लेखा समिति, 2011-12 के 71वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 191वां प्रतिवेदन;

11. जन लेखा समिति, 2011-12 के 123वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 192वां प्रतिवेदन;

12. जन लेखा समिति, 2011-12 के 78वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 193वां प्रतिवेदन;

13. जन लेखा समिति, 2011-12 के 92वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 194वां प्रतिवेदन;

14. जन लेखा समिति, 2011-12 के 91वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 195वां प्रतिवेदन;

15. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.2.1, 3.4.1 एवं 3.4.7 में समाविष्ट आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 196वां प्रतिवेदन;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

16. विनियोग लेखे वर्ष 2009-10 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 197वां प्रतिवेदन।

17. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.1.5, 3.2.7 एवं 3.2.8 में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 198वां प्रतिवेदन;

18. जन लेखा समिति, 2011-12 के 97वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 199वां प्रतिवेदन;

19. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.3.1, 3.4.7 में समाविष्ट वित्त विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 200वां प्रतिवेदन;

20. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.3.4, वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.2.3 एवं 3.4.7 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.3.3 चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 201वां प्रतिवेदन;

21. जन लेखा समिति, 2011-12 के 99वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 202वां प्रतिवेदन;

22. जन लेखा समिति, 2011-12 के 148वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 203वां प्रतिवेदन;

23. जन लेखा समिति, 2010-11 के 49वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 204वां प्रतिवेदन;

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

24. जन लेखा समिति, 2011-12 के 138वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 205वां प्रतिवेदन;

25. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा.प्रा.) वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 6.8 में समाविष्ट गृह (पुलिस) विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 206वां प्रतिवेदन;

26. जन लेखा समिति वर्ष 2010-11 के 69वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 207वां प्रतिवेदन; एवं

27. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.5.3 सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.4.4 तथा वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.4.4 सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 208वां प्रतिवेदन ।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी।

याचिका समिति (2012-13) का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 10)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित समिति को प्राप्त याचिकाओं के सम्बन्ध में याचिका समिति, 2012-13 के 10वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री आदराम मेघवाल।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति (2012-13) का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 5)

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व (उपनिवेशन) विभाग से सम्बन्धित अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2012-2013 के 5वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

याचिका

आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के तहत होम्योपैथिक महाविद्यालय खोला जाना

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के तहत ही होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 । डा. दयाराम परमार।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री जी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 । डा. दयाराम परमार।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 । डा. दयाराम परमार।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 । डा. दयाराम परमार।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्याक-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 । डा. दयाराम परमार।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-13) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 । डा. दयाराम परमार।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63 (1) के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्याक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में चर्चा चल रही है और सदन के बाहर भी चर्चा चल रही है। माननीय सभापति महोदय, 1980 में जब हम राजस्थान की विधान सभा में आये थे, उस समय जब अभिभाषण पर बहस होती थी, सारा सदन खचाखच भरा रहता था और बहस में माननीय सदस्यों को रुचि होती थी और जब सदन के बाहर समाचार पत्र पढ़ते थे तो समाचार पत्रों में जितना अधिक विश्लेषण, जितना अधिक स्थान उन भाषणों को मिलता था, उससे हमें इसकी मर्यादा का, इसके महत्व का पता लगता था। आज, सभापति महोदय, मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

खेद के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सुस्ती से, हमारे रुचि न लेने से और हमारे नेताओं के सदन में न बैठने से इससे प्रति रुचि समाप्त हो गयी और एक रूटिन का काम हो गया कि चार दिन अभिभाषण पर बहस चलेगी, चार दिन तक कुछ न कुछ बोलेंगे और समाचार पत्रों ने भी हैडलाइन बना लिया– 'विपक्ष ने कोसा, सत्ता पक्ष ने सराहा'।

हम यह क्यों नहीं सोचते कि हम जिस पेड़ पर बैठे हैं, उस पेड़ को काट रहे हैं? हम यह क्यों नहीं सोचते कि जो जनता लोकतंत्र में आस्था रखकर हमको जिता कर लाती है, हम उस जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते? हम क्यों नहीं सोचते कि लोगों ने हमको इस विधान सभा में भेजा है, इस विधान सभा ने हमको बहुत कुछ दिया है, प्रतिष्ठा दी, मान दिया, सम्मान दिया, आज हम जिस पेड़ पर बैठे हैं उस पेड़ को काट रहे हैं? हम यहां ही नहीं काट रहे, सभापति महोदय, हमने समितियों का हालचाल भी देखा है। समितियों में भी जिस प्रकार की रुचि समाप्त हो रही है वह रुचि भी अपने आप में अच्छी नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह जो रुचि नहीं बन रही है इस अभिभाषण के प्रति, उसके लिए हम सबको पुनर्विचार करना चाहिए, अपने मन में सोचना चाहिए कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अगर अनास्था पैदा होती है तो उस अनास्था में लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप समाप्त होगा। इसलिए हमको इसके लिए सबको गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। हमको यह पूछना चाहिए। क्यों नहीं हम पूछ पाते हैं? इतने कमजोर हम क्यों हो गये हैं? मैंने देखा, मुख्य मंत्री माननीय हरिदेव जी जोशी को देखा, शिवचरणजी माथुर को देखा, श्रीमान् स्व. भैरोंसिंहजी शेखावत साहब को देखा, वे जब भाषण शुरू होता था तब से बैठे रहते थे, सुनते थे, बात करते थे और उनसे बात करते थे। आज तो एक बार क्वेश्चन आवर समाप्त हुआ और मुख्य मंत्री जी चले जाते हैं। उनके पीछे-पीछे, काम कराना होता है, माननीय विधायक भी चले जाते हैं और सदन में ऐसा लगता है कि जैसे हम औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। मैं समझता हूं, इस प्रकार की औपचारिकता ठीक नहीं है और यह प्रजातंत्र के प्रति अनास्था पैदा करती है। इस बात को हमको गम्भीरता से देखना है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, आप तो हमेशा सदन में रहते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आपकी भी

(डा. रघु शर्मा)

अरुचि बढ़ती जा रही है सदन में और तभी मुझे कल कहना पड़ा कि दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे और आज मैं यह कह रहा हूं कि बदले-बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बरबादी के आसार नजर आते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपकी आंखें इतनी कमजोर हैं कि आपको एक के बजाए चार ही नजर आते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह संसदीय प्रजातंत्र है, इसका यह आनंद भी है; इस टोका-टाकी को आनंदित करना चाहिए। वैसे मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, हंस जो शब्द है वह हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा शब्द है। हंस अपने अन्दर जो आत्मा है ना, उसको भी हम कहते हैं कि-

हंस निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर।

यह भी आता है हंस के लिए-

मानसरोवर सरवर जल, हंसा केलि करायमुक्ता

हल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनहद में जाए।

लेकिन इसकी दूसरी बड़ी विशेषता है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। सारस और हंस दो पक्षी ऐसे हैं कि जिनकी प्रकृति और प्रवृत्ति मनुष्य से भी श्रेष्ठ है। हंस जो है वह पति और पत्नी का जोड़ा होता है, एक मर गया दूसरा उसी समय मर जाता है, जिन्दा नहीं रहता है। कभी भी हंस दूसरी शादी नहीं करता है, न हंसिनी दूसरी शादी करती है। इसलिए हंसों का जोड़ा कहा जाता है। (व्यवधान) मैं समझा रहा हूं। तो जो हंसों का जोड़ा कहा जाता है, वह इसलिए कहा जाता है कि हंसों का जोड़ा कभी भी समलैंगिक नहीं होता है। (व्यवधान) इसलिए बिछड़ने का कहां सवाल है?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उसका इन्तजाम तो हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, शब्दों का प्रयोग करते समय सोच समझकर ....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैंने बहुत सोच-समझकर कहा और मैं आपकी भावनाओं को भी समझता हूं। यह इन्तजाम तो हो गया, जोड़े का इन्तजाम तो हो गया, लेकिन एक निकल-निकल कर बाहर क्यों जा रहा है? और दूसरा आता नहीं है जोड़े में से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देखो, आने-जाने की जो बात है ना,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इस पर ज्यादा जोर मत दो, यह काम चलता रहता है लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो हंसों वाली बात बताई और हंस का स्वरूप भी ठीक है, हमको उसका पालन करना चाहिए।

अब रहा इस अभिभाषण का सवाल, जिस पर अपन चर्चा करते हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अभिभाषण को देखने से मुझे ऐसा लगता है, पहले तो मैंने इस पर जो आब्जेक्शन किया था, उसको मैं बहुत गम्भीरता से कहना चाहता हूं, मैंने हल्केपन में नहीं किया था, हमारी स्वाधीनता के मूल्यों में स्वदेशी का बड़ा हाथ है। जो महात्मा गांधी का चित्र लगा हुआ है, चरखा कातना या लंगोटी पहनना या कम वस्त्र पहनना, यह एक आन्दोलन का स्वरूप है और आजादी के समय हमने इस स्वरूप को प्राप्त किया। आजादी के बाद धीरे-धीरे हमने उन बातों को समाप्त करना शुरू किया।

अटल बिहारी वाजपेयीजी ने अगर हिन्दी में भाषण दिया तो हिन्दुस्तान की जनता उनकी आलोचना नहीं कर रही है; हिन्दुस्तान की जनता के हृदय में वह भाषण अंकित हो गया। लेकिन आज अगर हम किसी कारण से हमारी मातृ भाषा का राजस्थान जैसे प्रान्त में, मैं दो प्रश्न, सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्रीजी विराजमान हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी जवाब देंगे, मंत्रिमण्डल ने किस भाषा में प्रस्ताव भेजा और माननीया महामहिम राज्यपाल ने किसमें उसको स्वीकार किया? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। वरना तो पूछेंगे, हम बहस कर किस पर रहे हैं। फिर महामहिम राज्यपाल महोदया यहां पर आयीं और दो भाषण उनके हाथ में हैं। हमारे यहां कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दो प्रकार के भाषण, अंग्रेजी, हिन्दी, दोनों में छपाए गये; कभी नहीं छपाये गये। दो भाषण आए, बंटने वाला हिन्दी का भाषण था, लिखा हुआ अंग्रेजी में भी था और हिन्दी में भी था और उनके दस्तखत अंग्रेजी के भाषण पर हुए।

राज्यपाल महोदय इस सदन में वही बात बोलते हैं जो मंत्रिमण्डल अनुमोदित करता है और उस अनुमोदन पर उनके हस्ताक्षर होते हैं। मैं प्रश्न पहला पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अनुमोदन पर किस भाषा में दस्तखत किये? वह सदन के पटल पर रखा जाए। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किस भाषा में यहां भाषण दिया, हिन्दी में दिया, हमने सबने सोचा। उसके साथ जो अंग्रेजी का आया, उस पर भी उन्होंने दस्तखत किए और उस पर भी उन्होंने दस्तखत किये। यह क्या है? राज्यपाल महोदया का हम सम्मान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करते हैं, हम जानते हैं कि हिन्दी भी बोलती हैं, अंग्रेजी भी बोलती हैं, कन्नड़ भी बोलती हैं, वे पी वी नरसिंह रावजी के कैबिनेट में मंत्री भी रही हैं और उनका बड़ा स्टेटस है, उस पर हम नहीं बोलते लेकिन राजस्थान के 95 परसेंट लोग आनलाइन इस भाषण को सुनना चाहते हैं, सरकार की उपलब्धियों को देखना चाहते हैं, सदन की कार्यवाही को देखना चाहते हैं। उनका अपमान करके आप अंग्रेजी में बोलें, पांच परसेंट जो लोग अंग्रेजी जानते भी हैं, मैं जानता हूं, मेरे पहली क्लास से अंग्रेजी लागू थी लेकिन अंग्रेजियत लागू नहीं थी। अंग्रेजी पढ़कर यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, बे निज भाषा ज्ञान के, रहत हीन के हीन। अगर हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, अपनी भाषा को प्राप्त नहीं करेंगे तो हीनता के शिकार होंगे। इसलिए मैं खुद असमंजस में हूं कि मैं कौन से भाषण पर विचार व्यक्त करूं? यह बड़ा प्रश्न है। यह आज नहीं तो पीढ़ियों के सामने यह प्रश्न आएगा। इसलिए मैं चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें तब बताएं कि मंत्रिमण्डल ने किसमें पारित किया? मुख्य मंत्रीजी ने किस पर दस्तखत किये? जो यहां रखा गया वह कौनसा था? वह अनुमोदन की फाइल यहां सदन में मंगाई जाए और देखा जाए कि यह मजाक राजस्थान की जनता के साथ क्यों किया जा रहा है।

खैर, जो भी भाषण हमको प्राप्त हुआ, उस भाषण पर मैं बोल रहा हूं। अब मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं, बहुत वर्षों से मैंने भाषण सुने, कौन माननीय मंत्री उस कमेटी में थे, मुझे पता नहीं लेकिन इतना उदासी से भरा हुआ, इतनी नेग्लिजेंसी से भरा हुआ, इतना बिना मन के लिखा हुआ, ऐसे ही जोड़-जाड़कर के जो बना दिया गया, वैसा भाषण है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो सत्ता पक्ष के हैं, वे भी जानेंगे कि चार वर्ष में भी चार भाषण जो अलग-अलग आए हैं, वे भाषण भी इस प्रकार की भाषा में, इस प्रकार से जोड़कर बनाया गया जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। किसी विभाग से पांच लाइन आ गयीं, किसी विभाग से दस लाइन आ गयीं, उनको जोड़कर कर दिया। इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना रखा है, यह हिन्दी में भी नहीं है, यह अंग्रेजी में भी नहीं है, यह हिंगलिश में है। एक हजार शब्द इस प्रकार के प्रयोग किये गये हैं जिनके हिन्दी रूपान्तरण प्राप्त हैं। क्यों इस भाषा को बिगाड़ा जा रहा है? स्वीकार कर लो अंग्रेजी आप लोग। राज्यपाल जिस प्रकार आएं, उस प्रकार की भाषा! सारी इसकी भाषा को बिगाड़ कर रख दिया। मजाक बना दिया। इस प्रकार का भाषण है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भाषण के अन्दर क्या है? भाषण के अन्दर एक चीज की मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहता हूं, वह राज्य सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वामी विवेकानन्दजी की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय युवा खेल महोत्सव 12 जनवरी, 2013 को सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में मनाया गया जिसमें लगभग चालीस हजार युवाओं ने भाग लिया। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देता हूं कि इस प्रकार का आयोजन किया उस सन्त के लिए, उस महापुरुष के लिए जिन्होंने गुलामी के समय इस देश का नाम, इस देश की संस्कृति का नाम दुनिया भर में गुंजाया और उनका जो आपने सम्मान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

स्वामी विवेकानन्दजी का बहुत बड़ा सम्बन्ध राजस्थान से रहा है। खेतड़ी के महाराज राजे सिंहजी, स्वामीजी का नाम नरेन्द्र था, विवेकानन्द नाम वहीं रखा गया; स्वामीजी को जो साफा और पगड़ी और जो वेश पहनाया गया, वह भी खेतड़ी में ही पहनाया गया; स्वामी जी का मुहूर्त भी वहीं से निकाला गया और स्वामीजी को वहां से जाने के लिए आर्थिक सहायता भी महाराज राजे सिंहजी ने दी। अगर खेतड़ी से इतनी सहायता और इतना काम नहीं होता तो आज विवेकानन्दजी का सारे विश्व में, पूरे हिन्दुस्तान में उत्सव नहीं मनता। इसलिये राजस्थान की जनता, राजस्थान अब इस पर गर्व कर सकता है कि स्वामी विवेकानन्दजी के काम में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार को इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मित्रों...(व्यवधान) मान लिया जी।

अब, सभापति महोदय, चर्चा जब करते हैं, 4 साल सरकार को हो गये, पांचवां साल इस सरकार का है, इसके बाद अभिभाषण आयेगा नहीं; मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इन 4 सालों की रूपरेखा देखनी चाहिये। हम यहां पर एक अगर राजनीतिक के रूप में बैठे हैं तो हम सफलता और असफलता की कहानी गढ़ सकते हैं। जब श्री चर्चिल से पूछा गया कि एक राजनीतिज्ञ में और एक स्टेट्समैन में क्या फर्क है, उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञ अगले चुनाव की सोचते हैं और स्टेट्समैन राष्ट्र और देश की भावी पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। हम इन सारे कार्यकलापों को इस कसौटी पर कसने का प्रयत्न करें। सरकार एक पाइन्ट, एक मुद्दा बताए कि इन 4 सालों में भावी पीढ़ी के निर्माण के लिये और भवितव्य के लिये हमने क्या

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किया? आपने चलायी योजना, दवाई दी, 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने दवाई ले ली और अभी कौन बोल रहे थे, हमारे वे कि इनकी दवाई जिनने ली उनकी दुआओं से हम दुबारा आ जायेंगे। बोलिये। लेकिन भवितव्य के लिये क्या किया? तीन बातें बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने अभिभाषण पर आ जाऊंगा1

पहला यह कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है शिक्षा, आज शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गयी है। मैं आलोचना के लिये आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूं कि आपने 34 हजार अध्यापक लगाये, स्वागत की बात है लेकिन 4 साल में 64 हजार रिटायर हुए हैं। 64 हजार 6 सौ से ज्यादा। तो ये इतने लगे, रिटायर इतने हो गये। आज सब्जेक्ट टीचर कहीं भी नहीं हैं। आज हैड मास्टर और प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं है; आज जितने नये स्कूल खोले उनमें टीचर्स नहीं हैं और टीचर्स नहीं होने के कारण, आपके पास बजट था, आपके पास काम था, आपने नहीं किया और नहीं करने का कारण कोई मंत्री ही दोषी नहीं है, सारी सरकार दोषी है और मुख्य मंत्री दोषी हैं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग से भर्ती का एक कार्यक्रम चालू हो गया था, 1 लाख 18 हजार आदमियों की भिन्न-भिन्न माध्यमों से नियुक्ति हो गयी। पहले तो उसको बदलने में 2 साल लगा दिये, वे दो साल लगाकर फिर कोर्ट्स में अटका दिया और अब ये 34 हजार लोग लगे हैं ना, वे भी इस शर्त पर लगे हैं कि जब न्यायालय का फैसला होगा तो इनकी नियुक्ति पूरी मानी जायेगी। 60 हजार की घोषणा की, 40 हजार की घोषणा की, 50 हजार की घोषणा की और घोषणा के बाद में यह काम आया।

तो यह शिक्षा की जो स्थिति हो गयी है, आपका यह एन्रोलमेंट कम हो गया है। आपने बहुत वे काम कर लिये, जो 4 साल में शिक्षा में अगर उपलब्धि को लेकर जनता के पास जायेंगे तो कहना पड़ेगा, माइनस; माइनस; माइनस; जीरो अंक मिलेगा इस सरकार को। यह शिक्षा का काम किया।

पुलिस की मैं और ज्यादा बात तो नहीं करूंगा क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष के नेता गृह मंत्री रहे हैं और काफी इसमें एक्सपर्ट हैं, वे इस पर बोलेंगे लेकिन मैं कहूंगा, जितनी ज्यादा पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है, जितनी बार पुलिस पिटी, जितनी बार कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हुई, वह सरकार की निन्दा ही नहीं है, हम सबके लिये बड़े दुःख की बात है। आज जब आम आदमी में यह बात पैदा हो जाए कि मैं सुरक्षित नहीं हूं; सीकर का बालिका काण्ड हुआ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है, मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, बड़ी दुखदायक बात है। हम धीरे-धीरे किस अराजकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हमको सोचने की बात है।

एक जवाब में दिया कि पुलिस कमिश्नर जोधपुर और जयपुर में बने हैं तब से ये अपराध बढ़ गये हैं। यह जवाब आया है। मैं तो पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के शुरू से ही खिलाफ रहा हूं; हमारी सरकार के टाइम पर भी खिलाफ था, इस बार बिल आया तब भी खिलाफ था। लेकिन आपने अगर बना दिया तो बनाकर उसको संसाधन तो देते। उनको संसाधन नहीं दिये हमने। और दो केन्द्र बन गये पावर के पुलिस में, एक पुलिस कमिश्नर, एक पुलिस हैडक्वार्टर का डी जी। बनती ही नहीं है। वे मांगते हैं, वे नहीं देते हैं; वे कहते हैं, वे नहीं देते। तो सारी जो व्यवस्था को बिगाड़ने का कारण हुआ है, वह और सरकार की हालत यह है, महाराज, कि हमारे गृह राज्य मंत्री तो बहुत मधुर भाषी आदमी हैं, यह जिस भाषा में बोलते हैं उसे पुलिस वाले ही नहीं समझते और पुलिस वाले जिस भाषा में बोलते हैं वह उनके संस्कार में ही नहीं है। तो रहा सवाल अब मुख्य मंत्री, पूर्ण गृह मंत्री तो वे हैं, तो पूर्ण गृह मंत्रीजी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया कि डी जी पुलिस का और पुलिस कमिश्नर का यह झंझट तो सुलट जाता, यहां भी हस्तक्षेप नहीं किया। तो पुलिस की हालत हमारी बद से बदतर हो गयी, शिक्षा के बाद और शिक्षा के बाद हम उस पर गये।

तीसरा बड़ा काम है, हमारे नवाब साहब नहीं हैं आज, वे कहीं गये होंगे, चिकित्सा का, अभी आज माननीय सदस्यों ने कहा कि स्वाइन फ्लू से इस प्रकार की मौतें हो रही हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डाक्टर नहीं हैं और आप इस यथार्थ को स्वीकार करिये कि डाक्टर आपके आना नहीं चाहते। 2 हजार की वैकेंसी में 6 सौ लोगों ने फार्म भरे हैं। कहां से डाक्टर लाओगे आप? सौ आये हैं। जो इस समय काम कर रहे हैं, उन्होंने वी आर एस की लाइन लगा रखी है। तो आपके पास डाक्टर नहीं हैं जिनको आप लगा सको। इसलिये आपको

(14.26 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

आवश्यकता है कि इसमें गुजरात का माडल अपनाओ आप। जब तक डाक्टर्स की भर्ती में गुजरात का माडल नहीं अपनायेंगे, डाक्टर आपके पास नहीं आयेंगे। प्राइवेट मेडिकल कालेज तो इतने खोल दिये कि लोग उनमें जाने लगे; 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपये देकर वे डाक्टर बनने लगे और वे डाक्टर बनकर आए और उसके बाद में आपकी तनख्वाह क्या? 8 हजार! कौन आयेगा आपके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पास डाक्टर? 16 हजार, 8 हजार, 12 हजार, 20 हजार; कितनी भी हो? तो डाक्टर आ नहीं रहे हैं, इस यथार्थ को हमको समझना पड़ेगा और यह जिम्मेदारी हमारी है, इस जिम्मेदारी को हमको पूरा करना पड़ेगा। हमने तो बहुत 108 चला दीं, 104 चला दीं, लेकिन चलाने के बाद में लेडी डाक्टर हैं कहां आपके पास गाइनिक में? हैं नहीं। यथार्थ को स्वीकार करिये। स्वाइन फ्लू हो, प्रसूताओं की मौत हो, अन्य कारणों से मौत हो, हमारा ढांचा इस प्रकार का नहीं है कि हम कर सकें।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह युद्ध के केन्द्र बन गये हैं हास्पिटल। यह क्या स्थिति हो गयी? पुलिस सब जगह चाहिये हमको। डाक्टर और पेशेण्ट के बीच में भी पुलिस की आवश्यकता हो गयी। रोज कोई मरता है, उसका गला पकड़ते हैं, लड़ाई होती है। पुलिस क्यों चाहिये? वहां पर फिर यह स्थिति हो गयी। तो यह चिकित्सा की हमारी स्थिति हो गयी है। शहरों में, मैं तो जयपुर से एम एल ए हूं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम राजधानी पर तो थोड़ी कृपा कर दो। आप...(व्यवधान) 60 हजार, यह माडल, सबको जानकारी है गुजरात की। गुजरात के नाम से तो ये बहुत प्रेम से पढ़ते हैं सब चीजें। हां, गुजरात का तो इनको पूरा अहसास है; अहसास। सुखद अहसास है गुजरात का; वह इनको है।

सभापति महोदय, आप तो विद्वान हैं, आप सब यह जानते हैं कि कोई भी टैक्स जो लगाया जाता है और उस टैक्स की वसूली के लिये जबरन काम किया जाता है, वह बहुत गलत बात है। उदाहरण के लिये, आपको बिजली का बिल चुकाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका कनेक्शन कट जायेगा। आप उस बिल के साथ किसी दूसरे टैक्स को जोड़ते हो, वह जजिया कर है। वह जयपुर में रहने का जजिया कर है। आपने कम्पनी बनायी, आपने कम्पनी से कांट्रेक्ट किया, कम्पनी ने काम चालू नहीं किया है और आपने करोड़ों रुपये यूजर चार्ज के खरीद लिये। इससे बड़ा अन्याय, जजिया कर नहीं हो सकता। मैं मांग करता हूं, सरकार तुरन्त जिन लोगों से लिये हैं, वापस लौटाए।

यह नगर निगम क्यों बना रखी है, भाई? सफाई करना इनकी प्रमुख जिम्मेदारी है, सफाई करें और यह सफाई नहीं कर पाये! नगर निगम की तो हालत ऐसी है, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि नगर निगम हमारा है, मैं तो धन्यवाद दूंगा यहां के मंत्रियों को और विधायकों को कि वह बरदाश्त कर रहे हैं, बाकी तो नगर निगम में हम कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद असहाय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

महसूस करता हूं। मैं कभी फोन ही नहीं करता नगर निगम। किसको फोन करें? (व्यवधान) वह भी टूट गया काम अब। अब वह किसी को कहकर काम करा लेते हैं, वह काम भी खतम हो गया अब। तो उसमें भी काम नहीं चल रहा अब। अब तो कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा, जिसकी मेरे को आदत नहीं है। तो इसके बारे में भी मैं आपसे कहना चाहूंगा।

मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, सरकार कैसे चल रही है, हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट को कोई समझाने वाला नहीं। उन्होंने कहा, रामगढ़ बांध के रास्ते में जो भी आता है वह साफ कर दो; उन्होंने कहा, अमानीशाह के नाले का यह कर दो; उसने कहा, यह कर दो; और हम लट्ठ लेकर रवाना हो गये! अरे, भाई, जाकर समझाओ कि अमानीशाह नाला था, इसमें जो जमीन थी वह काश्तकारों की थी, पेटा काश्त की, उनके खातेदारी के राइट थे; उन्होंने 90-बी करायी, काट दी। आपने उनको इजाजत दी, परमिशन दी, बिजली लगायी, पानी लगाया। अब उनका बहाव क्षेत्र तो निर्धारित करो। जो काम आपने किया, उसका दण्ड उनको क्यों दे रहे हो? यह तो इसका समाधान करके करो ना। यह बात कहने वाला कोई नहीं है। रामगढ के बहाव क्षेत्र में सरकार ने ही कालोनियां बसा दीं, उनको ही उजाड़ रहे हैं! सरकार ने काम किये और उनके खिलाफ कोर्ट ने कहा।

तो इस सारे मामले से ऐसा लगता है कि हम न्यायपालिका के सामने जाकर के खड़े होने की स्थिति में भी नहीं हैं। हम यह कह ही नहीं पाते हैं कि यह काम ऐसा है और इसको ऐसा करना है, ऐसा करना है। अगर कोर्टों के आदेशों से सरकार चलती है तो मेरी एक प्रार्थना है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जो नया बजट ला रहे हैं, उसमें एक व्यवस्था करें कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर के जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, उनका एक-एक कमरा हाई कोर्ट में बना दें और वे 12 बजे तक हाई कोर्ट में रहें, लंच करें और लंच के बाद सचिवालय में आकर मुख्य मंत्रीजी को रिपोर्ट कर दें कि कोर्ट ने यह कहा था और हमने यह काम कर दिया है। इसके बाद, मैं समझता हूं कि हमारी व्यवस्था दुरुस्त हो जायेगी।

सरकार पर यह बहुत बड़ा दाग है। जब सरकार संवेदनशील नहीं होती, जब सरकार सक्षम नहीं होती, जब प्रशासन अक्षम होता है, तब न्यायपालिका को हस्तक्षेप करके काम कराना पड़ता है। यह जो अक्षमता है, यह पूरी उजागर हो गयी है, यह मुझे कहना है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभापति महोदय, यह जाती हुई सरकार है, वरना इस प्रकार का चलत का भाषण कोई नहीं लिखता। उदासी से भरा हुआ, मुर्दानगी छाया हुआ भाषण है; कुछ है ही नहीं। है क्या इस भाषण में? एक बहुत बढ़िया पैरे पर मैंने लगाया, जो सरकार ने अपनी उपलब्धि बतायी है, वह मैंने इसलिए कि मेरा काम उससे थोड़ा जुड़ा हुआ है, मंदिरों से और पूजा-पाठ में जाने-आने में। मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि लगी। माननीय मुख्य सचेतक महोदय सुनना आप! मुख्य सचेतकजी, मैं आपको सुना रहा हूं, मंत्री तो सुन नहीं रहे हैं; अच्छा, बृजकिशोरजी बैठे हैं, सुनिये; पैरा 52 है, राज्य के 48,359 मंदिरों को वार्षिकी के रूप में देय क्षतिपूर्ति 1,200 रुपये प्रति वर्ष सहायता दी जायेगी और 10 हजार से छोटे मंदिरों को 20 लाख रुपये दिये जायेंगे; 1 मंदिर को 100 रुपये महीना, यह हमने किया है। इसमें लिखा और है। छुपा ही लेते, लिखते तो नहीं; नाक तो नहीं कटती। क्या अपमान करने की बात है? मुझे पता है कि जो मंदिर में काम करने वाले पुजारी हैं उनकी आज हालत क्या है। लेकिन वे बंधे हुए हैं पीढ़ियों से। उनको वहां घंटी बजानी पड़ती है, उनको वहां चरणामृत देना पड़ता है, उनको वहां भोग लगाना पड़ता है, यह उनकी मजबूरी है। पहले उनके पास जमीनें थीं, राजा-महाराजाओं की दी हुई; उसका उन्हें मुआवजा मिलता था। अब उन जमीनों का विवाद हो गया; किसी पर कब्जा हो गया, किसी पर कुछ हो गया और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो गये। ना उस जमीन का किसान लाभ उठा पा रहा है और ना उस जमीन का पुजारी लाभ उठा पा रहा है। फिर सरकार यह मजाक करे! हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अन्य मतावलम्बियों को करोड़ों रुपयों की सब्सिडी देते हैं, तो ये 60 हजार मंदिर जो राजस्थान के हैं, उन 60 हजार मंदिरों की सरकार ने जो मजाक उड़ायी है, उस मजाक की मैं निन्दा करता हूं। यह अपमानजनक है। मैं समझता हूं कि 100 रुपये रोज के तो फूल के, फल के ही लग जाते हैं। जयपुर के बड़े मंदिरों में तो बड़े-बड़े लोग चले जाते हैं लेकिन गांव के जो छोटे-छोटे मंदिर हैं उनकी हालत बहुत खराब है। मैं समझता हूं कि सरकार का यह काम है वह इस प्रकार का है।

सभापति महोदय, सरकार ने भ्रष्टाचार की बहुत बात की, भ्रष्टाचार पर वह कर देंगे, भ्रष्टाचार पर वह कर देंगे; बड़बोलापन ठीक नहीं है। मुख्य मंत्रीजी का नागौर का भाषण आया था, बिलकुल गलत था, मैं वह कर दूंगा हरियाणा की तरह से। यह क्या मतलब है? आपने आयोग बनाया, आपका

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आयोग खतम हो गया; आपने लोक सभा चुनाव में जितने एक-एक पेज के आरोप लगाये, वे सारे आरोप ध्वस्त हो गये; इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? आप डर रहे हो। आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया। आप डेढ़ साल से लोकायुक्त क्यों नहीं बना रहे? आपके मंत्रियों की शिकायत करने हम कहां जायेंगे? सूचना के अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं आप? थर-थर कांप रहे हैं खुद और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। इस प्रकार के आरोप ठीक नहीं हैं। अगर आपमें दम है तो लोकायुक्त की नियुक्ति करके देखो। बहुत सी हमारी शिकायतें पड़ी हैं आपके मंत्रियों की। हम किसको जाकर शिकायत करेंगे? बहुत अफसरों की शिकायतें हैं, किसको जाकर शिकायत करेंगे? सूचना के अधिकारी को क्यों नहीं लगाते? दाबकर बैठे हुए हैं। फिर आरोप लगाते हैं कि वह काम करेंगे, वह काम करेंगे? इस भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा बोलना बंद कर दें; अपने गिरीबान में सरकार झांककर देखे, यही उचित होगा।

सभापति महोदय, सरकार ने 4 साल में कौनसी ऐसी नीति बनायी? लड़ाने का काम किया; वह लड़ाया भी इतना भयंकर रूप से कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि 96 प्रतिशत लोग राज्य में सेल्फ-एम्प्लाइड सेक्टर में काम करते हैं; खेती करते हैं, छोटी दुकानदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं। 4 प्रतिशत लोग सरकारी सेवाओं में हैं। 4 प्रतिशत में से 1 प्रतिशत की प्रमोशन की लड़ाई है जो कि न्यायपालिकाओं में है, उस पर मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन आप लड़ाई किसके लिए कर रहे हो? 28, 72, किसके लिये पैदा कर रहे हो? मिशन 72, मिशन 28, यह किसके लिये पैदा कर रहे हो? शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उन गरीबों के लिये अगर लड़ते जिनको आज तक कुछ भी नहीं मिला है तो हम जानते कि यह काम हो रहा है। वह ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ या बचे हुए मुसलमान, जिनको आज तक आरक्षण नहीं मिला; उनके जो वंचित वर्ग के गरीब लोग हैं, उनके लिये लड़ाई करते तो बात समझ में आ जाती। यह जो एक बार सरकार की नौकरियों में आ चुके, उनके लिये सारे समाज को बांटने की क्या सरकार ने ठेकेदारी ले ली? क्यों नहीं सोचा आपने? आज शिड्यूल्ड कास्ट्स के बहुत से लोग हैं जिनको एक छदाम भी 65 वर्ष में नहीं मिला है, उनके लिये लड़ लेते। वह तो एफ.डी. है इनकी, वह फिकस्ड डिपाजिट है इनकी, इन लोगों की। उसका डर दिखाकर सरकार को दबाते हैं। क्यों दबा रहे हैं सरकार को?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभापति महोदय, नये वर्ग बन गये हैं। सबसे बड़ा वर्ग तो बना है, जिसकी डेफिनेशन मैंने अपने हिसाब से की है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं; सबसे बड़ा वर्ग बना है, कुलीन वर्ग, एलिंट क्लास। यह क्लास आपकी आजादी के बाद पैदा हो गयी। यह जो क्लास है इसका पूरी व्यवस्था पर आधिपत्य है। इसमें सभी जातियों के लोग हैं। ऊपर तक चले गये नेता, चाहे वह अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ओ बी सी हो, सवर्ण हो। वह एलीट क्लास में अफसरों के हैं जो ठेठ तक वहां पर बैठ गये हैं। सारी राजसत्ता पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, वह एलीट वर्ग पैदा हो गया इस देश में। उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है, उसको कोई कहने वाला नहीं है; वह सारा काला धन बाहर ले जा सकता है। वह जब चाहे राज बदल सकता है; वह हेलिकाप्टर का घोटाला कर सकता है; वह कर सकता है, उसके बेटे, बेटी कर सकते हैं। त्यागी कर सकता है, त्यागी के सहयोगी कर सकते हैं। कहां से कहां कर सकते हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है। उस एलीट वर्ग ने सारी सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया। दूसरा, इसकी कोई जाति नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है, इसका कोई समुदाय नहीं है। यह तो केवल सत्ता पर कब्जा, राज पर कब्जा और राज को चलाने की कोशिश कर रहा है। इसके खिलाफ कोई बात 4 वर्ष में करने की कि क्या आपने?

दूसरा वर्ग पैदा हुआ, सम्पन्न वर्ग। इसकी भी कोई जाति, धर्म नहीं है। ये जाति, धर्म का यूज करते हैं अपने स्वार्थ के लिये, लेकिन कोई जाति, धर्म नहीं है। यह जो सम्पन्न वर्ग है, इसका इस कुलीन वर्ग से सीधा सम्बन्ध है। यह जो सम्पन्न वर्ग आज पैदा हुआ है, यह वर्ग अपने स्वार्थों के लिए इस एलीट वर्ग के साथ आकर अपना सारा भरण-पोषण करता रहता है। यह दूसरा वर्ग है।

तीसरा वर्ग हुआ है, मध्यम वर्ग, कर्मकार वर्ग। इसमें सरकारी छोटे कर्मचारी आ गये, छोटे व्यापारी भी आ गये, खेती करने वाले लोग भी आ गये, हाथ से काम करने वाले लोग आ गये। यह जो वर्ग है, इस पर सारी प्रकार की आफत आती है। यही वर्ग भ्रष्टाचार का शिकार होता है; इसी वर्ग को सामाजिक मान्यताओं में दबकर रहना पड़ता है; इसी वर्ग को सारे समाजों की सेवा करने के लिए तैयार करना पड़ता है। यह दबा हुआ वर्ग है।

चौथा वर्ग है, राज्य शोषित वर्ग, यह नया वर्ग पैदा हो गया। ये जितने वंचित लोग हैं, उनको किसी राज्य की योजना का लाभ नहीं हो और राज्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इनका शोषण करे, यह वह वर्ग राज्य शोषित वर्ग है, आज तक जिन्होंने राज्य का कोई लाभ ही नहीं लिया। सारी सम्पत्तियां, सारी जायदाद नहीं, वे बैठे हुए अपनी झोपड़ियों में काम कर रहे हैं। उनके लिए हम तरह-तरह की बातें करते हैं। अगर यह राज्य शोषित वर्ग नहीं होता तो उठाकर देखो कि किशनगंज और शाहबाद के जो सहरिया लोग हैं, उन पर कितना खर्चा हुआ आज तक? उनके खर्चे की अगर गिनती करो तो एक-एक व्यक्ति के खाते में 3-3, 4-4 करोड़ रुपये जमा हो जायेंगे। लेकिन आज वह छोटा सा किशनगंज-शाहबाद का एरिया वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। क्या है यह? यह है राज शोषित वर्ग के नजारे। वह नजारे जानता हूं, मैं देखता हूं; जब मेरे पास लोग आकर रोते हैं तो मुझे पता लगता है। अगड़ा वर्ग, सवर्ण वर्ग, जब लोग आते हैं रोते-रोते, खाने को दाने नहीं है, भीख मांगने जाते हैं, भीख मांगना बंद हो गया है, उस वर्ग का कोई शोषक नहीं है।

श्रीमती निर्मला (किशनगंज): मैं किशनगंज-शाहबाद से आती हूं, मैं खुद सहरिया हूं। आप सहरियाओं की बात कर रहे हैं...

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य महोदया, मैं इस पर डिबेट अलाउ नहीं करूंगा। मैं आपको आपस में डिबेट अलाउ नहीं करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप विराजिये। आप सम्पन्न हो गये, आपको बहुत बधाई, आप सम्पन्न हो गये। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, इससे भी सम्पन्न हो जायें और कुछ नहीं।

एक नया वर्ग पैदा हुआ है, माननीय सभापति महोदय, वह है युवा वर्ग का नेटवर्क। इसको हमने अन्ना हजारे के आंदोलन में देखा है, इस वर्ग को हमने कई आंदोलनों में देखा है, यह बड़ा वर्ग हमारे लिए तैयार हो गया है। क्रांति के दूत बन रहे हैं सोशल नेटवर्किंग करके। वह चाहे फेसबुक हो, चाहे अन्य बुक हो, उसके माध्यम से यह बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया है। इसकी न जाति है, न दूसरा है और इसमें शक्ति है, इसमें साहस है और संचार क्रांति का एक वर्ग है। (व्यवधान) इसको नाम दिया है, युवा नेटवर्क। यह बड़ा वर्ग है, यह वर्ग क्रांति कर रहा है। इस देश में अगर इसको सम्भाला नहीं गया, इसको नहीं देखा गया तो सरकारों को पता नहीं रहता, इण्डिया गेट पर कभी 15 हजार, कभी 20 हजार आदमी, दामिनी के मामले में इस वर्ग ने सारे देश

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को जगा दिया लेकिन सरकार के किसी व्यक्ति का इन पर ध्यान नहीं। हम जिस प्रकार की लड़ाई कर रहे हैं, वह लड़ाई एक उसके जाने की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र क्या है और सुनवाई का अधिकार क्या है? एक तो सुनवाई का अधिकार दे दिया। मैं चार उदाहरण आपको दूंगा, अगर लोकतांत्रिक सरकार हो तो उन चार बातों पर ध्यान नहीं देगी? किस की सुनवाई कर रहे हो? मैं उदाहरण देता हूं आपको, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, आप देखिये, भवानी निकेतन में ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ, डेढ़ से दो लाख आदमी थे, आए, शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बात की, बात कहकर चले गये। सरकार में किसी ने ध्यान दिया क्या? सरकार ने बुलाकर पूछा क्या कि दो लाख आदमी जयपुर आए, इकट्ठे हुए, चले गये, आपका दर्द क्या है? कौनसा लोकतंत्र है? कौनसा सुनवाई का अधिकार है?

अमरूदों के बाग़ में राजपूत करणी सभा का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, हजारों राजपूत आए, इकट्ठे हुए, शांतिपूर्ण तरीके से आए, अपनी बात कहकर चले गये। किसी ने बुलाकर नहीं पूछा कि आप क्यों आए और क्यों जा रहे हो?

समता आंदोलन के लाखों कर्मचारी इकट्ठे हुए, अमरूदों के बाग़ में इकट्ठे हुए, एक राज्य के मुख्य मंत्री आएं, इतने लोग आए, इकट्ठे हुए, चले गये। उनको किसी ने पूछा नहीं कि आप क्यों इकट्ठे हो रहे हो?

वंचित वर्ग का 14 प्रतिशत का प्रावधान किया था; जो आरक्षण प्राप्त जातियां हैं, अगर उनमें कुछ जातियों ने महामहिम राज्यपाल को जाकर ज्ञापन दिया है कि हमको आरक्षण तो मिला हुआ है लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, तो हमारे में से क्रीमी लेयर को निकालें। मैं नहीं मांग कर रहा, उन्होंने जाकर गवर्नर से की; सही है या गलत है उसमें मैं नहीं जाता लेकिन उनसे किसी ने पूछा क्या?

तो आप लोकतंत्र में अगर पूछ नहीं रहे हो तो काहे का लोकतंत्र है? क्या आप सुनेंगे नहीं? वे 2 लाख आदमी शांतिपूर्वक नहीं, यहां आकर आगजनी करें, घेराव करें, तोड़-फोड़ करें, तब सरकार सुनेगी? क्यों नहीं सुनते आप उन लोगों को? चार-चार जातियों के लोग दो-दो लाख की संख्या में आकर चले गये, अगर आप में सुनने का माद्दा होता तो उनको सुनते; वह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सुनवाई का अधिकार था। क्या सुनवाई का अधिकार दिया है? एस डी एम सुनेगा, ए डी एम सुनेगा, कलक्टर सुनेगा और प्रतिबंध लगा दिया कि सेक्रेटेरिएट में बैठने वाला कोई भी सरकारी अधिकारी, सचिव सुनवाई के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। यह शर्म की बात है। काहे की सुनवाई करा रहे हो? एस डी एम, ए डी एम, कलक्टर को सुनवाई का अधिकार लेकिन चीफ सेक्रेटरी को नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नहीं, वह नहीं सुनेगा। अरे वाह! क्या सुनवाई का अधिकार दे दिया! लाखों लोग आकर इकट्ठे हुए, उनको भी नहीं सुनते हो और सचिवालय में भी नहीं सुनते हो तो फिर काहे का सुनवाई का अधिकार दे दिया?

मैं यह कह रहा हूं कि चार वर्ष में ये जो बातें की हैं, यह जनता को, तब हमको पता लगेगा कि इस पर क्या करना चाहते हैं। इन आंदोलनों को अगर नहीं देखा, इनकी बात नहीं सुनी तो, माननीय सभापति महोदय, धृतराष्ट्र कहलायेंगे और धृतराष्ट्र की तरह से पट्टी बांधने का काम नहीं होगा। हमको सुनना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। समाज में आग नहीं लगानी, समाज को शांति से काम करना पड़ेगा।

हम मानते हैं कि छुआछूत के कारण, अस्पृश्यता के कारण, हजारों वर्षों तक जिनको छूने नहीं दिया, जिनको मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया, उन व्यक्तियों को जो आरक्षण मिला वह उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनके जो वंचित लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जो आरक्षण है, शिड्यूल्ड कास्ट्स का जो आरक्षण है, बहुत सी जातियां हैं, उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनके वंचितों को भी मिलना चाहिए। लोगों की पीढ़ियां बदल गईं, अब सामंत नहीं हैं राजपूत, अब सामान्य आदमी में आ गए हैं। जागीरदारी खतम हो गई है, ठकुराई खतम हो गई है, नौकरी नहीं मिल रही है, गरीबी की रेखा में आ गए हैं। अगर गांव की गरीबी की रेखा को देखें तो ब्राह्मण और राजपूत सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा में आ गए हैं। केवल एक मंदिर है, एक मंदिर है, पक्का या पुराना; आपका कोई गढ़ बना हुआ है जो टूट-फूट गया है, जिसकी अब मरम्मत भी नहीं करा सकते; उनको अगर आपने मान लिया कि ये तो सवर्ण हैं तो उनको क्यों वैसा बना रहे हो? उनको भी करो। वे कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, वे कह रहे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स का आरक्षण रखें, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण रखें, ओ बी सी का आरक्षण भी रखें लेकिन हम जो गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत, गरीब बनिया, गरीब कायस्थ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और बचे हुए जो मुसलमान हैं, ओ बी सी में नहीं आते हैं, उन लोगों को 14 प्रतिशत अगर आरक्षण मिल जाता है और बाकी 35 प्रतिशत खुला रहता है तो तीनों प्रकार के न्याय हो जायेंगे, सारे आंदोलन खतम हो जायेंगे। गुर्जरों के इतने बड़े-बड़े आंदोलन हो गये, वही धोखा, 5 प्रतिशत दे दिया। अब उनका 5 प्रतिशत आपके 50 प्रतिशत से ऊपर जा रहा है तो हम सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, फिर भी हम उनको दे रहे हैं और जब उनको दे रहे हैं तो बाकी 14 प्रतिशत को क्यों रोक रहे हैं? यह काम खेलने का नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि भावी के लिए सोचकर कम से कम इन बातों में राजनीति नहीं करें।

इसलिए सदन के माध्यम से मेरा आग्रह है कि आप दोनों काम करें, भ्रष्टाचार को रोकना है, सूचना के अधिकार को कायम करना है, लोकायुक्त की नियुक्ति करनी है, और ये जो जातियां आकर गई हैं, उनका आंदोलन उग्र होने से बचायें और इनकी प्रजातंत्र में आस्था बनाये रखें, उसके आधार पर काम करने का प्रयत्न करें।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थानी भाषा के बारे में, 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सब प्रकार से, चारों तरफ से दबाव है पर कोई सार नहीं निकला। सूर्यमल्ल मिश्र ने लिखा है, यह जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा का एक हजार, पन्द्रह सौ वर्ष पहले बड़ा व्यापक फैलाव था, काठियावाड़ गुजरात से लेकर ठेठ तक; इसके बाद इसका बड़ा अपभ्रंश होता गया, प्राकृत से होता गया, एक भाषा बन गई। हिन्दी के बारे में कह दें; राजस्थानी में तो बोलियां ही बहुत हैं, मारवाड़ी की अलग है, शेखावाटी की अलग है, ढूंढाड़ी की अलग है, हाड़ौती की अलग है; लेकिन ऐसा हिन्दी में भी है, खड़ी बोली है, अवधि है, बृजभाषा है, मैथिली है, राजस्थानी है; सब हिन्दी में ही शामिल हैं। हमारे 12 गांव और 12 कोस के बाद में भाषा-बोली बदल जाती है। इसलिए हमारा प्रस्ताव पास किया हुआ है राजस्थानी का और हम चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी सरकार कुछ काम करे।

आपके चार वर्षों का लेखा-जोखा जब आयेगा तो लोग पूछेंगे आपको, आपसे पहला प्रश्न करेंगे कि भूमि से सम्बन्धित कानून जिन्हें आपने यहां रह-रहकर हमारे ऊपर आरोप लगाये थे, बोर्डर बेच दिया, बोर्डर बेच दिया; आपके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

फलौदी का सारा का सारा, किसानों को पता लगे, सब कुछ बिक गया है। क्या किया? आपने भी नहीं, हमने भी नहीं किया लेकिन क्या भूमि सम्बन्धी कोई कानून हमने बना दिया? क्या कोई किसान जमीन नहीं खरीद सकता? राजस्थान को ऐसा करा दिया कि पूरे हरियाणा के लोग अपनी कीमती जमीन बेच-बेचकर यहां आकर राजस्थान के किसानों की जमीनें खरीद रहे हैं। कौनसा भूमि सम्बन्धी कानून बनाया हमने? भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया नहीं हमने चार साल में।

इन्टर-स्टेट मैटर्स के बारे में जवाब दो, क्या किया चार साल में? गंगानगर-हनुमानगढ़ के लोगों को गंदा पानी पीने के लिए बाध्य कर दिया। सतलुज-रावी-व्यास के पानी का निल बटा हिस्सा हम नहीं ले सके। माही का हमने क्या किया? सतलुज-रावी-व्यास का, सारा इंटर-स्टेट मैटर, एक वाक्य एक काम, एक आदेश सरकार नहीं कर सकी, मैं यह कहना चाहता हूं। चार साल का जब लेखा-जोखा आएगा तो यहां तक लोग जाएंगे, दुहाई बांटने तक काम नहीं चलेगा। यमुना के पानी की बात नहीं की, अलवर-भरतपुर की; ओखला-ताजेवाला हैडवर्क्स से हमको पानी मिलने वाला था, क्या हुआ उसका? शीशरामजी के लड़के यहां नहीं हैं, मैं बचपन से उनका भाषण पढ़ रहा हूं कि झुंझुनूं में नहर आ रही है हरियाणा की तरफ से, इधर आएगी, यह अस्पताल तो बह जाएगा, यह मकान भी बह जाएगा, ठेठ तक नाप दी; ताजेवाला से आ रही है। मैं भी बूढा होने के कगार पर आ रहा हूं, उनकी तो उम्र बढ़ती ही जा रही है, उस नहर का दर्शन ही नहीं है। अब दर्शन नहीं है तो पहले तो वह पिताजी काला चश्मा लगाते थे, अब बेटा भी काला चश्मा लगाने लग गया अब तो कोई आंख ही नहीं मिलाएगा। यह हालत हो गई है। वहां कहां गया, गंगा का फ्लड वाटर? सेंट्रल वाटर कमीशन ने रिपोर्ट देकर कह दिया था कि गंगा का फ्लड वाटर चक्रवर्ती और जवाहर कैनाल के माध्यम से लाकर शेखावाटी के जिलों में उसको स्टोर किया जा सकता है और बाद में उसको काम में लिया जा सकता है। उसका कोई काम नहीं हुआ।

जल स्तर को, गिरते हुए को बढ़ाने के लिए, पांच साल से अभी तो वह आपने बनाने का, उसमें भेज रखा है बिल कोय बिल ला रहे हैं, जल का वह करने के लिए। जल है तो कल है और जल नहीं है तो कल भी नहीं है और दमकल भी नहीं है। दमकल भी जल से ही चलती है। तो वह नहीं है। तो उस जल के संरक्षण के लिए कौन सा ढांचा खड़ा कर दिया हमने? जल के संरक्षण की कोई नीति नहीं; वह किये बिना काम नहीं चलेगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करेंगे; भाई, आधारभूत का कौन सा आधार है? एक भी आधारभूत सुविधा का विस्तार नहीं किया। लोगों को जानकारी नहीं दी हमने। बार-बार रिफाइनरी, अब की बार है बजट में, अब की बार तो बहुत दे रखा है; भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे वे जैन साहब बोल रहे थे, आ ही रही है, आ जाए तो स्वागत है ...(व्यवधान) और हां, आएगा क्या? अब तो जाएगी। वह, महाराज, ये तो पांच हजार करोड़ रुपये रेवेन्यू के बाड़मेर से और तेल से मिलने लगे हैं वरना तो अर्थव्यवस्था का क्या, सारी दवाइयों का और बांटने का सारा काम फेल हो जाता। इसलिए वह तो आपको धन्यवाद है। हां, इनको धन्यवाद है, कि वह आ गया वरना तो यह कुशल वित्तीय प्रबंधन है न, इसकी पोल खुल खुला जाती। तो यह सब बात उन्होंने की, अब सरकार ने जो अंत में काम किया है, मैं समाप्त करने की ओर जा रहा हूं, सरकार ने कुछ बड़े आश्वासन दिये वित्तीय प्रबंधन के, अब बजट पर आप ज्यादा जानते हैं इसलिए वित्तीय प्रबंधन पर ये बोलेंगे।

ये सामाजिक दुष्कर्म जो बढ़ रहे हैं उसको बढ़ावा देने का प्रयत्न किया गया। एक आदत हो गई है, मीडिया की भी और सब लोगों की। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करें, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को अगर डिविजनल प्लेसेज पर ही कायम किया गया, माननीय बेनीवाल साहब, तो बाड़मेर के पोकरण का आदमी जोधपुर में आकर एविडेंस दिलाने लाएगा; गोगुन्दा से और वहां आगे से, बांसवाड़ा से उदयपुर लेकर आएगा, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फास्ट ट्रैक नहीं होंगी। इनसे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए आप तो त्वरित न्याय की व्यवस्था करें और कानून में संशोधन कराएं और वह काम हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सम्भाग स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर कम से कम खोलो आप, वरना रेगुलर कोर्ट में उनको प्रायोरिटी देकर काम करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

वकील और पत्रकार, दोनों इस समय बहुत बड़े उसमें हैं। वकीलों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, वह वकीलों का वर्ग बहुत काम का है। आजादी के आंदोलन में भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पहले वकील थे, जिन्होंने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है; मोतीलालजी नेहरू वकील थे; पंडित जवाहर लालजी नेहरू वकील थे; सर तेज बहादुर सप्रू भी वकील थे; बहुत से लोग थे वकील जिन्होंने आजादी का आंदोलन किया, सब काम किया; आज इस बार हमने वकीलों को खुला छोड़ दिया है। जो नये वकील आते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब रहती है। परसों बार काउंसिल की मीटिंग हुई थी, राजस्थान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की, कोई न कोई प्रस्ताव पास किये हैं, कुछ राज्यों में लागू हैं। मैं सरकार से बात आज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नये वकीलों को तीन साल तक या चार साल तक या पांच साल तक तीन हजार रुपये, दो हजार रुपये स्टाईपेंड के रूप में सरकार देती है और मध्य प्रदेश सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कहा है कि जो नये वकील आएंगे उनको साढ़े बारह हजार की पुस्तकें, वगैरह देंगे, तो मैं समझता हूं कि सरकार वकीलों की इस मामले में सुने।

दूसरा बड़ा वर्ग, चार बड़े वर्ग हैं न अपने; न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में केवल जज ही नहीं हैं; जज के साथ, बेंच के साथ जब तक बार नहीं जुड़ती है; हेमारामजी, जब तब बेंच के साथ बार नहीं जुड़ती है, कौन सी बा, वह बार नहीं; तो बार नहीं जुड़ती है, वह आप वाली नहीं जी, हमारे वाली, तो वह बार ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आपकी और हमारी एक ही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप और मैं तो एक ही हैं। तो वह बार जब तक बेंच के साथ नहीं जुड़ेगी तो न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए वकीलों की इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

दूसरा, पत्रकारों की बात पर, पत्रकार आज सबसे बड़ा मालिक; ठीक है, बड़ा पत्रकार भी ठीक है, दो ग्रुप हो गये हैं पत्रकारों के; एक सामान्य रूप से काम करने वाले जो पत्रकार हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। बहुत सी राज्य सरकारों ने उनको तीन हजार रुपये, चार हजार रुपये महीने का देने का तय कर रखा है कि पांच साल तक वे काम करेंगे और जब तक वे उस सीमा में नहीं आ जाएं तब तक उनको रुपये दिये जाएंगे। उनको देना चाहिए क्योंकि दो प्रकार का यह मीडिया है, एक राडिया का मीडिया है और एक वास्तविक मीडिया है। राडिया वाला मीडिया है, उसकी तो कोई बात नहीं है, वह तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सारे उनके टेप रुक गये हैं, बड़े आदमी हैं। सभापति महोदय, मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि भारत का न्याय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का न्याय केवल एक प्रतिशत लोगों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई 15-20 लाख के बिना खड़ा नहीं हो सकता। एक प्रतिशत लोगों को न्याय मिलता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, बाकी सारा न्याय छोटी कोर्टों में है; छोटी कोर्टों पर ध्यान दीजिए। रिजर्व बैंक भारत का है न, वह भी केवल बड़े लोगों के लिए काम करता है; 85 परसेंट, जितनी मुद्रा भारत में छपती है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उसकी 85 प्रतिशत मुद्रा पांच सौ और एक हजार के नोट में छपती है। तो पांच सौ और एक हजार के नोट 80 प्रतिशत लोग बहुत कम काम में लेते हैं। तो भारत का रिवर्ज बैंक भी, भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी एक परसेंट, दो परसेंट लोगों के लिए काम करते हैं। इसलिए जो जिंदा रखे हुए हैं मशाल को, स्वतंत्रता को, ये जो पत्रकार और वकील हैं, इनके बारे में सरकार को विचार करके यह काम करना चाहिए।

मैं, सभापति महोदय, अपनी बात समाप्त करूं, उसके पहले मुख्य मंत्रीजी को याद दिलाना चाहूंगा कि विधान परिषद के लिए यहां बहुत जोर से बोले, बहुत बोले थे विधान परिषद के लिए, हमको बोले आप दस्तखत कर दो, हमने दस्तखत कर दिये; हमने देखा, मुख्य मंत्रीजी की तो बहुत चलती है, मैनेजमेंट इनका बहुत बढ़िया है, और काम बढ़िया हो कि नहीं हो, दिल्ली का मैनेजमेंट तो इनके जैसा कोई कर नहीं सकता; मैं तो दिल्ली के मैनेजमेंट में पूरा फेल हुआ हूं लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी का दिल्ली का मैनेजमेंट पक्का है। (व्यवधान) पूरी कांग्रेस ही नहीं, हम ही मान रहे हैं इनका लोहा, इस बात के लिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कटारियाजी पास हुए और आप फेल हुए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा नहीं है। कटारियाजी और मेरा सम्बन्ध है न, भैया, वह शरबत वाला सम्बन्ध है। तो इसमें भी थोड़ी ज्यादा चीनी आई है; उन्होंने चीनी खाना बंद कर दिया और मैंने चीनी खाना चालू रखा हुआ है; ज्यों ही मैं थोड़ी बंद करूंगा, बात बराबर हो जाएगी।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान परिषद का क्या हुआ? तो जैसा मैनेजमेंट दस, जनपथ पर कर रखा है न, वैसे मैनेजमेंट अगर मुख्य मंत्रीजी मनमोहन सिंहजी के यहां कर लेते, माननीय प्रधानमंत्रीजी के यहां, तो विधान परिषद का काम हो जाता, लेकिन वहां चली नहीं है। इसलिए हमसे करा कर हमको भी बेकार में वह कर दिया, बेनकाब सब के सामने और सरकार तो बेनकाब हो ही गई। तो विधान परिषद् का नाम नहीं; और भी सारी बात कराई थी।

मैं चाहता हूं कि तीन चीजों पर सरकार व्हाइट पेपर जारी करे, जलमहल पर व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए। किसकी गलती है, क्यों दिया गया, कौन खा गया; जलमहल पर व्हाइट पेपर चाहिए। और सफाई व्यवस्था

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जोधपुर में भी, सूर्यकांताजी कह रही थीं, सफाई व्यवस्था जोधपुर में अब हाई कोर्ट के आदेश से हो रही है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए टेंडर, वगैरह का भी कोई हाई कोर्ट में जाकर ही काम सलटेगा इनका।

बिजली कम्पनियां, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, घाटे पर हैं, समाप्त होने पर हैं; नरेगा है; बाकी सब हैं; सरकार का चार साल का कार्यकाल ...(व्यवधान) जीरो तो है ही है। लेकिन एक नई योजना चालू की है, फ्लैगशिप; यह फ्लैगशिप शब्द कहां से आया? अंग्रेजी मैं ज्यादा जानता नहीं, आप जानते हैं, जहाज और झण्डा दो ही चीज हैं। तो फ्लैग तो कौन सा है, शिप कौन सा है और पानी कौन सा है जिसमें चल रही है? यह आया इसलिए था कि जहाजों की पहचान नहीं होती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई, किसी जहाज पर झण्डा लग जाए तो वह फ्लैगशिप हो गया, तो यह कहां से पकड़ लिया?

एक डिजिटल विद्यार्थी, राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी, आदमी डिजिटल

(15.00 बजे)

कैसे हो गया? कम्प्यूटर है, वह जीरो और एक को पहचानता है और उसमें करने से उसको डिजिटल काम कहते हैं, तो कोई मशीनरी, कोई काम तो डिजिटल हो जाएगा पर आदमी कैसे डिजिटल हो गया? यह जो लिंग परिवर्तन मुख्य मंत्री जी ने किया है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिजिटल राजीव गांधी और यह फ्लैगशिप, यह न तो मेरे समझ में आई और न सारी दुनिया को समझ में आयेगी।

लेकिन मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि चार साल समाप्त हो गये, पांचवी साल की ओर अग्रसर हैं, आगे चुनाव होगा। हम प्रजातंत्र के वाहक, यह सदन प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला और राजस्थान के लोगों की बात सुनने वाला है, सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कुलीन, अभिजात्य वर्ग की जो चर्चा की है, वह इसलिए नहीं की कि मैं कुछ देना चाहता हूं पर यह भावना नीचे तक जा रही है, समाज परिवर्तन की भावना जा रही है, नया वर्ग तैयार हो रहा है और इस समाज परिवर्तन के नये वर्ग की भावनाओं को नहीं समझा तो हम स्टेंडस्टिल हो जाएंगे, स्टेटस-क्वोइस्ट, यथास्थितिवादी हो जाएंगे इसलिए नई जो बाहर से आवाजें आ रही हैं, उन आवाजों को सुनें, समाज में समरसता कायम करें और सारा काम करके हम राजस्थान को आगे ले जाएं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इन्हीं शब्दों के साथ इस उदास, मुर्दानगी भरा हुआ, बिना किसी काम का, बिना मन से लिखा हुआ जो अभिभाषण है, उसका मैं विरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन आजाद।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल द्वारा पेश अभिभाषण जिसमें राज्य सरकार की चार साल की उपलब्धियों को बताया गया है, उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

इस अभिभाषण पर माननीय विपक्ष के सदस्यों ने विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया और निराशावादी विचार प्रकट किये हैं; कहा है कि सरकार वेंटिलेटर पर आ गई है, चार सालों से सरकार से जनता ऊब गई है, अभी जो आवास बनाये हैं उनमें गृह प्रवेश नहीं हुआ है। राज्यपाल के अंग्रेजी अभिभाषण की बात के विषय को लेकर, विभिन्न प्रकार की शुरू से ही बातें प्रारम्भ की गई हैं।

माननीय सभापतिजी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, माननीय राज्यपालजी के अभिभाषण पर एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि सरकार के काम से राज्यपाल को शर्मसार होना पड़ा है, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि किनके कारण से राज्यपाल को शर्मसार होना पड़ा? राज्यपाल का पद एक बड़ा सम्मानित पद होता है, राज्यपाल जब अपने यहां आते हैं तो सम्मान प्रदर्शित किया जाता है पर यहां क्या किया जाता है? यह अब तक, पिछले चार सालों में हम यह देखते आ रहे हैं कि ये बड़ी-बड़ी, ऊंची-ऊंची आदर्श की बातें कहने वाले व्यक्ति हर बार अपमान करने की बात यहां पर करते हैं।

बात क्या पकड़ी कि अभिभाषण आप हिन्दी में लिखकर लाये, या कौनसा मंजूर किया; इस तरह की बात को लेकर बात की। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उस लैंग्वेज की बात को कहते हुए कहा और उसको सही बताने के बजाय उसमें तोड़-फोड़ की। उन्होंने कहा, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चन्द्र की बात को कहते हुए उदाहरण दिया कि जिसको न निज गौरव तथा निज जाति का अभिमान है, दूसरी लाइन फिर पढ़ता हूं इस दोहे की, ''जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

मृतक समान है।'' यहां पर भाषा की बात कभी नहीं आई, यहां पर देश की बात आई, यहां पर गौरव की बात आई मगर उन्होंने हिन्दी से इस बात को जोड़कर शुरू से ही ऐसा बवण्डर पैदा कर दिया और सरकार पर यह निशाना लगाने लग गये कि उनको शर्मसार किया है। किसने किया शर्मसार? अगर आपको भाषा का ही उदाहरण देना था, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का, तो आप यह उदाहरण दे सकते थे – ''निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।'' यहां पर किसी को पशु बनाने की आवश्यकता नहीं थी मगर इस बात को आपने अभी, आज भी अपने भाषण में यह बात करके यह सिद्ध कर दिया।

यह पूरा हिन्दुस्तान है, यहां पर कई भाषा बोलने वाले लोग-बाग हैं, संविधान कई भाषाओं को आदर देता है और हम जिस बात पर भी बात करें तो इस पवित्र सदन में संविधान के अन्तर्गत होने वाली बात के अन्तर्गत होनी चाहिए। पूरे दक्षिण भारत में, कई राज्यों में कई भाषाओं में भाषण पढ़ा जाता है मगर कभी यह बात नहीं आती। वे इस तरह की बात कर शर्मसार खुद होने के बजाय सरकार को शर्मसार करने की बात करें। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न धर्म हैं, सम्प्रदाय हैं, विभिन्न प्रकार की परम्पराएं हैं मगर हम एक छोटी सी बात को देश विरोध की, देश को लांछित करने की बात करेंगे तो यह किसी तरह से राष्ट्रवादी बात कहने वाले लोगों के लिए राष्ट्रवाद की बात नहीं होगी।

मैं आपको याद दिला दूं कि पूर्व में, दक्षिण में, सब जगह विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और भाषण में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आप यह कह सकते हैं कि राजस्थान में परम्परा नहीं है, अब तक ऐसा नहीं हुआ, पर इतनी छोटी सी बात को पहाड़ बनाकर के इस तरह का माहौल पैदा कर दिया। माहौल पैदा करने में हम माहिर हैं। मुख्य मंत्री बोलें तो उसमें हम माहिर हैं; छोटी-मोटी बात हो जाए तो आप उस बात में बात करने में माहिर हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, सन् 1964 के बाद में यह तय किया गया था कि भारत में राष्ट्रीय भाषा हिन्दी होगी और उसी में कार्य किया जाएगा; अंग्रेजी के महत्व को कम करने की बात थी। पूरा दक्षिणी भारत जल उठा, कई लोगों ने आत्मदाह किया और आखिर में पुरानी व्यवस्था की कि अंग्रेजी भी चलती रहेगी और हिन्दी भी चलती रहेगी, इस बात को तैयार किया। क्या हम इस सदन में इस पवित्र देश की विभिन्न धर्म, सांस्कृतिक

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

संस्कृति, जो कि एक मिलीजुली संस्कृति है, उस पर चोट करना चाहते हैं, यहां आकर इस सम्बन्ध में?

इस बारे में मैं आपको यहां पर यह कहना चाहता हूं, चूंकि मैं बोल रहा हूं तो उसी बात पर मैं आपको याद दिला दूं कि आज से 47 साल पहले इसी तरह के देश में हालात थे; मिजो, नागावासी, सिख पंजाब में, द्रविड़, सब जगह विद्रोह और इस तरह के हालात हो रहे थे इसी भाषा के आधार पर, उस वक्त एक 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' और 'धर्मयुग', दो पत्रिकाएं निकलती थीं, और सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, उस 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में 19.6.1964 को, 47 साल पहले, मेरी एक कविता प्रकाशित हुई थी। उसमें मैंने हिन्दी का पक्ष लिखते हुए यह बात कही थी कि –

रानी का अधिकार मिले दासी को कैसे,
हम आजाद जलाएं अंग्रेजी की होली।
65 के पश्चात् चलेगी विधान में हिन्दी ही,
जो 17 कोटि जनों की बोली।
बोल रहे राजाजी मैकाले के स्वर में,
द्रविड़ वाले भारत का संविधान जलाते,
चीन-पाक के संकट का उत्तर देने में,
काश उदाहरण प्राण-त्याग का ये दे पाते।
संत, शेख, नागा, मिजो और द्रविड़वासी,
द्रोह भंग में मस्त मनाते श्रोणित होली,
क्यों दुहराएं इतिहास पुराना हिंसा के बल,
भस्म किया बापू ने जिसको खाकर गोली।
आओ भर लें पिचकारी संगीन लगाकर,
हिमगिरि के हिम को भी अब रंगीन बनायें,
विघटन को तज एक राष्ट्रभाषा के रंग पर,
बहुभाषी मिलकर होली हम आज मनाएं ।

वह स्थिति थी और वह स्थिति इसलिए थी कि भारत को एक रखना था, एक की बात थी। इस छोटी सी बात को बहुत बड़ी बनाकर और यह कह कर कि सरकार शर्मसार हो रही है, शर्मसार उन लोगों को होना चाहिए था जिन लोगों ने यह बात प्रारम्भ की।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

माननीय सभापतिजी, अभी जो विचार प्रकट किए, उनमें राज्यपाल का जो अभिभाषण था, वे जो योजनाएं थीं, जो बेहतर से बेहतर गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को, महिलाओं को और उन लोगों को जिनको कोई नहीं पूछता था, उनके बारे में जो योजनाएं बनाई थीं उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया।

सुनवाई के अधिकार के बारे में बात की गई। देखिये, सुनवाई का अधिकार किन लोगों के लिए रखा हुआ है? दो लाख आदमी इकट्ठे हो गये, दो लाख दूसरे समाज के इकट्ठे हो गये, यहां पांच और दस लाख आदमी मुसलमानों के भी, जो तबलीगी जमात् के लोग भी इकट्ठे होते हैं मगर आप उनका नाम लेना भूल गये, वे भी इकट्ठे होते हैं, इन लोगों के लिए सुनवाई का अधिकार....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह मैंने आपके लिए छोड़ा है। वह मैंने आपके लिए भी कुछ बोलने के लिए छोड़ा है, तो आप बोल लो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मैं आपको बता रहा हूं, यह सुनवाई का अधिकार, यह क्यों दिया गया? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को कि कई योजनाओं के बारे में उस समय में आपको विस्तार से बताया, कि आप नहीं जानते हो तो मुझसे सीख लें। सुनवाई का अधिकार उन लोगों को, जो पूरी लालफीताशाही है, अफसरशाही है, वर्षों से हम यह कहते रहे कि हमने कानून बहुत बढ़िया बना दिये मगर इन बेचारों की कोई सुनने वाला नहीं है, इस तरह के अधिकारी हैं। इस तरह की व्यवस्था हमारे यहां हो रही है, नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हमने सुनवाई का अधिकार कानून बनाकर दिया कि जो भी वहां पर जायेगा, छोटे-छोटे दफ्तरों में जायेगा; दो-दो, पांच-पांच लाख आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो जाये, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे, उनके लिए यह सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया था; यह उन लोगों के लिए दिया गया था जो गरीब हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जायें, नोट करायें और इतने दिन में आपका काम होगा, नहीं हो तो आप वहां अपील करेंगे; वहां नहीं तो दूसरी जगह अपील करेंगे और इस तरह से उन गरीबों को रिलीफ देने के लिए सुनवाई का अधिकार लागू किया था। इसकी प्रशंसा देश भर में हुई है, मैं आपको यह कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी यहां पर भ्रष्टाचार की बात भी की गई। हमारी सरकार है, यह संवेदनशील है, पारदर्शी है, जवाबदेह सरकार है। मुख्य मंत्रीजी ने इन तीन बिन्दुओं को लेकर शुरु से ही इस सरकार को चलाने

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

की बात की थी। आप जो भी भाषण दे रहे हैं, उसकी आखिरी लाइन यह आ रही है कि यह संवेदनशील है, यह जवाबदेह है, यह पारदर्शी है; हर उदाहरण में आप यह बात कह रहे हैं मगर आप याद रखिये, पूरे इस अभिभाषण को पढ़ जाइये, आदरणीय तिवाड़ी साहब, आप जो कह रहे हैं कि वह क्रम में नहीं है अभिभाषण, यह तो सही हो सकता है मगर उसमें जो बातें लिखी हुई हैं, उसमें जो योजनाएं दी गई हैं, उनमें जो उपलब्धियां बताई गई हैं, ऐसे प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश में विभिन्नता लिये हुए राज्य है, यहां पर पहाड़ियां, जंगल, रेगिस्तान, कहीं पानी की कमी, कहीं किस तरह की बात, इस तरह की स्थिति है; उन लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों को आराम देने के लिए, रियायत पहुंचाने के लिए इनमें वे योजनाएं लाई गई हैं।

एक बात कही आपने, सहरियों पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और वहां से प्रतिनिधित्व करने वाली एक माननीय सदस्या बोलने लगीं, वह सही नहीं था; सही है, जो आपने कहा, वह सही था मगर मैं आपको कह रहा हूं, मैं बोलता हूं, चूंकि मुझे बोलने का अधिकार है इसलिए मैं बोल रहा हूं, सहरियाओं में सबसे पहले 1960 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, मैं चुनाव कराने भी वहां पर गया था, याद रखिये, इतनी खराब हालत है, जिन लोगों के पास खाने और घर के लिए कोई सामान नहीं है, उन दिनों में, मैं इतने वर्षों पहले की, 1960 की बात कर रहा हूं, मछली के छोटे-छोटे झींगरों को इकट्‌ठा करके, बिना नमक के वे लोग-बाग़ खाते थे। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। सरकार ने उन पर ध्यान दिया और करोड़ों रुपये खर्च किये। अशोकजी गहलोत एक बार वहां पर गये और उन्होंने देखकर, उनकी संवेदनशीलता इस बात से लगाई जा सकती है कि पूरे लोगों को बी पी एल परिवार में मानकर उनको पैकेज दिया गया। जैसे और गरीबों को जो मिलता है, दो रुपये किलो गेहूं और 25 किलो गेहूं, वह तो मिलता ही है, मगर उसके अलावा, उनको फ्री दो किलो खाने का तेल, दो किलो दाल, एक किलो शुद्ध घी, यह हर व्यक्ति को मुफ्त देने की योजना उन लोगों के लिए की गई थी। जो बीमारी की हालत होती है...। इसलिए कोई क्षेत्र ऐसा उठाकर आप नहीं कह सकते। यह बात अलग है कि अगर वह कार्यरूप में परिणत नहीं हो, मैं कोई इस तरह का आदर्शवादी और इस तरह का आदमी नहीं हूं, अगर वह कार्यरूप में परिणत नहीं हो, काम करने में तुम्हारे और हमारे भाइयों ने कोई कमी रख दी हो तो बात अलग है, मगर योजना बनाने में कोई कमी नहीं रखी गई है।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

आज यहां पर 200 माननीय सदस्य विधान सभा में मौजूद हैं, ये सब माननीय विधायक हैं, पांच सौ फैसले पिछले चार साल में इस संवेदनशील सरकार ने किये हैं; अगर एक-एक एम एल ए को दो-दो फैसले भी दे दिये जायें तो भी 100 फैसले जनता के हितार्थ संवेदनशील सरकार ने किये हैं। यह बात यह बताती है कि हमने हर सूरत में यह कोशिश की है कि जो भी आलोचनाएं होती हैं, उनको दूर करने के लिए भ्रष्टाचार की बात आई तो देखिये, भ्रष्टाचार की बात में हमारा दल भी और हमारी सरकार भी बहुत पहले से बहुत संवेदनशील रही है। हमने यहां पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रति एक बड़ी अनूठी पहल देश में सबसे पहले चालू की है कि राजस्थान विशेष न्यायालय बिल, 12 अप्रैल, 2012 को पारित किया गया और 3 दिसम्बर, 2012 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई। क्या है इस बिल में? इसमें आप बार-बार, किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। एक चपरासी से लेकर मुख्य मंत्री तक के खिलाफ इसमें कार्यवाही की जा सकती है; केस दर्ज होने के बाद में आदमी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और सम्पत्ति जब्त हो सकती है; सम्पत्ति सार्वजनिक स्थानों के लिए काम में ली जा सकती है। जो स्टे अधिकारियों को मिल जाता है, इसमें हमने यह व्यवस्था कर दी है कि तीन महीने से ज्यादा इसमें स्टे नहीं दिया जायेगा। इस तरह से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने पूरी कोशिश की है।

भ्रष्टाचार के आरोप तो आप भी यहां पर सदन में बहुत लगा रहे हैं और बड़ी छूट मिली हुई है मगर याद रखो, अशोकजी गहलोत जैसे व्यक्ति पर, जिसका जीवन बिलकुल खुली किताब है, जिसके परिवार के व्यक्ति सार्वजनिक समारोह में जाने से कतराते हैं, एक भी बात उनके खिलाफ इस तरह से नहीं जाती। आप यहां सदन में खड़े होकर एक श्वेत-पत्र जैसा यहां पर पढ़ जाते हो और उल्टे-सीधे आरोप लगा जाते हो और उसके बाद में कोई आदमी यह नहीं बोले कि आप यह कैसे कह रहे हैं, यह बहुत दुःखद बात है। आरोप लगाने वाले सदस्य भी मौजूद नहीं हैं; चूंकि तिवाड़ीजी तो यहां थे, वे अभी नहीं हैं, मैंने उनके लिए कहा, वे नहीं हैं, वह मैं आगे कोई बात नहीं कहना चाहता मगर यह बात है कि भ्रष्टाचार के मामले में यहां अभी यह कहा गया कि इतने आरोप लगाये गये थे, और भी माननीय सदस्यों ने कहा, कोई साबित नहीं किया; अदालत ने यह कह दिया, उनने यह कह दिया। देखो, ऐसा है, इस बात से कोई इन्कार नहीं किया जा सकता कि आपके अपने लोगों ने ही

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। 22,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप किसने लगाया? 5,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया, किसने कहा? इस तरह की बात करने वाले लोग आज यह कह चुके हैं कि हमने तो ये आरोप लगाये ही नहीं। हमको उससे भी दु:ख नहीं है, अगर आप यह कह रहे हैं तो, मगर आपकी चाल, चलन और चेहरे को हम ही नहीं पहचान गये, पूरी जनता पहचान गई है।

आपका हर आदमी कहता है कि अगली विधान सभा तो वह होगी, देश के करोड़ों गरीब लोगों हेतु हमने खाने के लिए इंतजाम किया है, देश के करोड़ों लोगों के इलाज के लिए हमने इंतजाम किया है, राजस्थान के पूरे लोगों को हमने बिजली और सड़क की उतनी सुविधाएं दी हैं जितनी पहले कभी नहीं मिली हुई थीं। आप यह बात कहकर इन्कार नहीं कर सकते कि बिजली आपने पैदा कर दी। कहां गई बिजली? छह घंटे तक बिजली लगातार दी जाती रही है, कहीं ज्यादा और कहीं कम। आप कहीं भी जायें तो आपको हर जगह, दूसरे हमारे दुश्मनों से, विरोधियों ने यह पूछा है लोगों से, तो इस तरह की दी गई हैं।

हमने गरीबों के लिए पहली बार यह तय कर दिया कि बेचारों को, इनको भी पक्के घरों में रहने दो; इसी में आपके मरोड़ी चल गई, इसी में 50 तरह की बातें आप करने लग गये। उसमें कमियां होंगी; नहीं, हो सकती होंगी, मगर आपने किया हो या नहीं किया हो गृह प्रवेश, मुख्य मंत्रीजी के साथ में मेरे इलाके में लगभग 17 ऐसे मकानों को मैंने वास्तव में जाकर दिखाया है, उनके चेहरे पर मुस्कान देखी। जिन लोगों के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आई, जो हर तरह से दु:ख पाते रहे, अगर उनको आज यह मुस्कान आई है तो इस मुस्कान का असर अगली बार होगा। आप कहेंगे कि कैसी विधान सभा होगी, विधान सभा अगली बार वही होगी, जो वे लोग तय करेंगे; आप तय नहीं करेंगे, आपके भाषण तय नहीं करेंगे, आपके कर्म तय नहीं करेंगे।

माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह राजस्थान प्रदेश है, जहां से सेना में बहुत लोग हैं। हमने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सरकार ने इन लोगों की भी सुध ली है और इस तरह से सुध ली है कि इनको भी एक विशेष पैकेज दिया गया है। जिस कारगिल युद्ध का लोग नाम लेते हैं, जिस बोफोर्स तोप को लेकर लोगों ने सरकार बदल दी, जो लोग यह कहते थे कि प्रूफ हमारी जेब में रखे हुए हैं, हम उनको बतायेंगे; कई लोग

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

तो यह संसार छोड़कर चले गये और जो मौजूद हैं, वे भी चले जायेंगे मगर हमको आज तक वे प्रूफ दिखाई नहीं दिये; जब कारगिल की सीमा पर जब बड़े-बड़े ऊंचे पहाड़ों पर तोपें गरजीं और पाकिस्तान को मुंह की खिलाई, वहां पर सैनिक बहुत खराब हालत में थे, उन्होंने जीत के बाद में 'राजीव गांधी की जय' के नारे लगाये और कहा, भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने इस तरह का जवाब दिया, आने वाला इतिहास हमेशा याद रखेगा। इसलिए उन सैनिकों के लिए, वहां पर 67 सैनिक शहीद हुए थे, उनको शहीद का दर्जा दिया गया। हमारे यहां पर 2,17,719 पूर्व सैनिक पंजीकृत हैं। इनके परिवारों के आश्रित लोग 6,53,157 हैं और इन सबको, जिनमें हमारे यहां पर 507 जाबांज विभिन्न आपरेशनों में शहीद हुए हैं और पांच-चार वर्षों के भीतर 53 सैनिक भी यहां पर शहीद हुए हैं, इन सबको एक विशेष पैकेज दिया गया है। इसके अन्तर्गत राजस्थान सरकार एक लाख रुपये देती है, पच्चीस बीघा जमीन देती है, उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री को स्केल एक से लगाकर स्केल ग्यारह तक की नौकरी देती है और इसके बाद में डेढ़ लाख रुपये सावधि में जमा किये जाते हैं ताकि उनका ब्याज उनके माता और पिताओं को मिले। उसके अलावा, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अठारह सौ रुपये और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छत्तीस सौ रुपये दिये जाते हैं। विधवा पेंशन को संवेदनशील मुख्य मंत्री ने बारह सौ रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये कर दिया है।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में हमने पूरा प्रयत्न किया है कि हर वर्ग को लेकर के उनके बारे में किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में भी कल सदन में बातचीत हुई, वे हमारे साथी चले गये, मैं कोई ज्यादा नहीं कहना चाहता मगर अल्पसंख्यकों के बारे में अशोक गहलोत ने देश में सबसे पहले, राजस्थान में सबसे पहली बार मदरसा बोर्ड का गठन किया और उस समय गठन किया जबकि साम्प्रदायिकतावादी व्यक्ति यहां राजस्थान में आकर के जहर उगल रहे थे और कह रहे थे कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं। बिना डरे हुए उन्होंने उसका गठन किया, पहले गठन करने वाले व्यक्ति हुए और उसका फाउंडर-चेयरमैन मुझे बनाया गया। हज कमेटी का चेयरमैन, पहली बार राजस्थान में अशोक गहलोत को बनाने का श्रेय है; राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिलाना, सबसे पहले अशोक गहलोत ने दिया; कब्रिस्तानों की वीडियोग्राफी, डेढ़ करोड़ रुपये लगाकर के, दोनों बार के शासनकाल में, यह

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

अशोक गहलोत ने करवाई; मदरसा जो बने उनमें जितने भी आदमी, जितने भी पैराटीचर्स हुए, यह इस सरकार ने किया, एक हजार, और एक हजार और उसके बाद में एक हजार दोबारा, अभी जो साढ़े तीन हजार बनाकर के, वे लगाये गये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह गोपालगढ़ कांड भी इन्होंने ही किया था, वह भी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत दुखद और सूरवाल कांड भी आपके जिले में ही...

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अब मैं सुना रहा हूं, सुनते जाओ; सुनने के बाद में आप चुप रहोगे, वाकई में। गोपालगढ़ और सूरवाल कांड मुसलमानों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है; पूरे हिन्दुस्तान के मुसलमान इससे सहमे हुए हैं और एक हत्याकांड का जिसका सम्बन्ध मेरे विधान सभा क्षेत्र से है, आपके उधर से गोपालगढ़ है, मगर याद रखिये, सरकार ने जितना करना था, जितना पैकेज देना था, आजादी के बाद में ऐसे मामलों में किसी ने पैकेज नहीं दिया। आप तो 72 और 100 आदमियों को मार करने के बाद में भी उनको इतना पैकेज नहीं दे पाये जितना हमने इनको दिया है। मगर याद रखिये, राजस्थान का मुसलमान आज भी इस बात से चिंतित है कि गोपालगढ़ और सूरवाल के जो दोषी हैं, जब तक उनको सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक उनके मन में कसक रहेगी क्योंकि वे पुलिस की गोलियों से नहीं, बल्कि किनकी गोलियों से मरे हैं और किनके इशारों से मरे हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी काम करने की बात बहुत जरूरी है। यह भी, पैकेज इन लोगों को भी देने-करने का, नौकरी लगाने का, पैसे देना का तो वह हम ही ने किया है और अशोक गहलोत ने ही किया है।

मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि दस करोड़ रुपये मदरसों के माडर्नाइजेशन के लिए दिये; वक्फ बोर्ड को पैसा दिया, पचास लाख रुपये एक बार, पचास लाख रुपये एक बार; यह मदरसा बोर्ड की बिल्डिंग तीन करोड़ रुपये देकर के बन रही है, दो करोड़ रुपये से हज कमेटी की बिल्डिंग बनकर के तैयार है, जिसका उद्‌घाटन होने वाला है। मेरे साथी नहीं हैं, मैं उनको यह भी बता देना चाहता था कि आपने भी हज हाउस बनाने की कोशिश की थी। विरोध करने वाले भी यहां तो अभी हैं नहीं, मगर उस हज हाउस का उद्‌घाटन करने के लिए माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जब वह वहां गई तो एक हजार सिपाही लगाने पड़े, उनको मार्ग बदलना पड़ा। यह हमने नहीं किया, किसी

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

मुसलमान ने नहीं, कांग्रेसियों ने नहीं किया, यह आप ही लोगों ने किया। एक बात और बता दूं, आप ही के लोगों ने, माननीय सदस्य, एक सदस्य ने यह कहा, हज कमेटी का दफ्तर, हज हाउस यहां नहीं, अगर बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जाकर बनाओ। आज आप उम्मीद करते हो कि ये लोग आपको वोट दे देंगे! मैं यह भी नहीं कहता कि कोई धर्म के नाम पर वोट दिये जाते हैं। आप चिल्लाते होंगे कि यह तुष्टिकरण किया जा रहा है। वोट एक जाति, एक बिरादरी, एक धर्म वाले सब जगह वोट देते हैं, कहीं कम देते हैं, कहीं ज्यादा देते हैं; वोटों का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर आप यह कह रहे हैं कि इनके वोटों से अगली बार हम सरकार बना रहे हैं, टिपटिपाते रहो, अगली बार भी वही हालत होगी, अगली बार आप वहीं बैठे रहेंगे और हम में से चाहे थोड़ा-बहुत इधर-उधर बदल जायें, मगर हम भी यहां, सत्ता पक्ष इधर ही रहेगा। इस तरह से माइनोरिटी के बारे में जो ऐतिहासिक काम किये हैं, वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं और अशोक गहलोत को इस बात का श्रेय जाता है कि यहां जितने भी चेयरमैन बनायें, जितने भी ये चालू कीं, जितनी भी एकेडमी चलीं, उनको पहली बार करने वाला, अधिकार देने वाला अशोक गहलोत था।

मैं आगे सवाई माधोपुर के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में भी, कुछ अगर आप इजाजत दें सभापति महोदय, तो थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में आप, दो मिनट में आप समाप्त करें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सवाई माधोपुर में गेम सैंक्चुरी है, इस गेम सैंक्चुरी की वजह से पूरा इलाका, बिलकुल वहां पर नहीं लग सकते उद्योग; तेलशोधक कारखाना बनने लग गया, बंद होकर के मथुरा चला गया; खाद कारखाना बनने लगा, गढ़ेपान चला गया; बिजली आधारित गैस कारखाना बनने लगा, वह भी चला गया; कारखाने वहां बन नहीं सकते क्योंकि वहां पर्यावरण की वजह से, जानवरों के उनको रहने-करने की बात है। यह सब कुछ होने के बाद में, माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी वन अधिकारियों की गलती की वजह से जो कोर एरिया था और जो बफर एरिया था, उनका एक ही बनाकर के वहां पर किसी टाइम पर, 2007 में भेज दिया गया। अब केन्द्र सरकार तो इस पूरे को जोन एरिया ही मानती है, वह टाइगरों के लिए सुरक्षित क्षेत्र ही मानती है और यहां से ही सारा तय करती है। इसमें सारा सवाई माधोपुर शहर आ गया है, 142 गांव इसमें आ गये हैं। अगर ये

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

गांव इसी तरह से रहें तो यहां पर हर तरह की, तेइस प्रकार की गतिविधियां बंद हो जायेंगी। सब लोगों को इकट्ठा करके हमने, सारे राजनीतिज्ञों ने ये निर्णय किया है, सरकार को यह निवेदन किया, और किया भी है, और केन्द्र सरकार से कहा है कि वह करे, ताकि जीरो पाइंट सवाई माधोपुर को माना जाय, आसपास सारी गतिविधियां चालू रहें, मगर शहर और 142 गांवों का वह नहीं हो।

मैं, अंत में, कई माननीय सदस्यों ने अगली बार ललचाई दृष्टि से सरकार के समाप्त होने की बात और अगली बार खुद जीतकर आने की बात कही है, मैं उनको विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि अगर हमने जो योजनाएं दी हैं गरीबों के भले की, इनका दो परसेंट भी अगर ठीक तरह से लागू हो गया, इनमें से चालीस प्रतिशत आदमियों को भी लाभ मिल गया, आपको मुंगेरीलाल-के-सपने छोड़ देने चाहिए, वह जनता से हमें कुछ नहीं कहना पड़ेगा, आपको खुद जनता जवाब देगी और उसका नतीजा आप अगली बार देख लेंगे।

मुझे समय दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डाक्टर दिगम्बर सिंह।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज्यपाल के इस अभिभाषण पर वाद-विवाद में मुझे आपने समय दिया।

अभी मेरे से पहले सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य उस गेम सेंक्चुरी से बड़े परेशान से नजर आ रहे थे क्योंकि काफी उद्योग वहां से जा रहे हैं, परन्तु आपको इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि आपके यहां जो टाइग्रेस हैं, उनके नाम भी आपके मंत्री महोदय के नाम से रखे गये, बी-वन और बी-टू रखा गया। यह भी आपकी सरकार का ही कमाल है और बहुत बड़ा एचीवमेंट आपकी सरकार का है और सवाई माधोपुर के लिए बहुत गर्व की बात है।

सभापति महोदय, मैंने भी कई राज्यपालों के अब तक जो अभिभाषण इस सदन में हुए हैं, पढ़े हैं और अभी महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा गया, जो भी, टेबल किया एक सेन्टेंस पढ़कर, इसको मैंने पूरी

(डा. दिगम्बर सिंह)

अच्छी तरह से कई-कई बार पढ़ा, पर मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की हुई कि राज्यपाल महोदया खुद बहुत लर्नेड हैं, बहुत पढ़ी-लिखी महिला हैं, सेंटर की कैबिनेट में वे रही हैं, अगर इस अभिभाषण को पढ़ने का मौका उनको मिला होता तो शायद इस पर वे साइन नहीं करतीं। ऐसा नीरस भाषण, माननीय घनश्याम जी सही कह रहे थे कि इसमें कोई एक दूसरे डिपार्टमेंट का सामंजस्य नहीं है, चार लाइन किसी की जोड़ दी, छह लाइन किसी की जोड़ दी।

और तो और, सरकार ने जिस तरह की इसमें वाहवाही लेने की कोशिश की है, सभापति महोदय, इसका पहला पृष्ठ और इसका पहला ही बिन्दु, उसमें लिखा है, ''राजस्थान के निर्माण की दिशा में संकल्प के साथ बेहतरीन कार्य किया है जो चहुं ओर छाई हुई खुशहाली और सौहार्द में दिखाई दे रहा है।'' या तो राज्यपाल महोदया ने राजस्थान के दौरे कम किए होंगे या राजस्थान के चारों तरफ कितनी खुशहाली इस समय छा रही है पिछले चार साल से, इसका अंदाजा उनको नहीं होगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाज का कोई व्यक्ति, कोई तबक़ा आज खुशहाल नहीं है। जिधर आप देखो, किसानों से बात कर लो, किसान दुःखी; पढ़ने वाले छात्रों से बात कर लो, वे दुःखी; गवर्नमेंट सर्वेंट से बात कर लो, वह दुःखी; और तो और, सभापति महोदय, इस सरकार के कामकाज से कांग्रेस के विधायक भी दुःखी हैं। अन्दर की बात कहना नहीं चाहते हैं, यह उनकी मजबूरी है, कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि कोई भी काम इस सरकार ने चार साल में ऐसा नहीं किया है।

जो एक आम आदमी का नारा इन्होंने दिया था, इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र चुनाव से पहले तैयार किया और यही हमारा आधार होगा, घोषणा पत्र को आधार बनाकर के हमारी सरकार काम करेगी, आज घोषणा पत्र को निकाल करके देख लीजिए, माननीय सभापति महोदय, इनके किए हुए जो कार्यकलाप हैं चार साल के, उनकी तुलना करके देख लीजिए, आपको पता लगेगा कि घोषणा पत्र बहुत पीछे रह गया। केवल वाहवाही लूटने के लिए, केवल घोषणाएं करने के लिए आज सरकार में चारों तरफ इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की। कितना पैसा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किया होगा। आप टी.वी. चैनल खोलकर के बैठ जाइए, उसमें देखिए आप, कितना-कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया है। मैं यह मानता हूं कि अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए वह भी जरूरी है परन्तु सरकार के

(डा. दिगम्बर सिंह)

खजाने को इस कदर लुटाना भी आवश्यक नहीं है, जिस तरह से सरकार ने किया है।

अभी घनश्यामजी ने जिक्र किया था फ्लैगशिप योजनाओं का, सभापति महोदय, पन्द्रह फ्लैगशिप योजनाएं इन्होंने चालू की है; फ्लैगशिप, जिनको कहते हैं कि इनके सहारे से हम दुबारा चुनाव जीतेंगे या जनता हमारे पक्ष में आ जाएगी या यह जनता वापस कांग्रेस को वोट देगी। इन फ्लैगशिप योजनाओं की अगर डिटेल में आप जाओ, और राज्यपाल महोदया से कहलवाया गया कि इन योजनाओं में आम आदमी की रोटी, दवा, आवास और शिक्षा की कठिनाइयों को हल किया गया है। सभापति महोदय, आम आदमी की रोटी की व्यवस्था सरकार ने कर दी। आज इतनी महंगी फसल किसान को बोनी पड़ती है। डीज़ल के भाव कहां से कहां पहुंच गए, खाद के भाव कहां से कहां पहुंच गए, मजदूर आजकल मिलता नहीं और फसल जब पैदा होती है, उसके जब दाम मिलते हैं, गेहूं पर बढ़ा दिए 60 रुपए और खाद कहां से कहां पहुंच गया! सभापति महोदय, किसान इससे खुश हो सकता है? किसान क्या घर में बैठ करके चैन से रोटी खा सकता है? क्या वह किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है? क्या अपने बच्चों का इलाज करवा सकता है? या अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना सकता है ऐसी स्थिति में? इन्होंने तो कर दिया, घोषणा करा दी उनसे; शीतलहर से बरबाद हो गई फसल हमारी। कहीं ओले पड़े, कहीं पाला पड़ा और सरकार की वही रटी-रटाई भाषा है। आज किसानों की हालत यह है, सभापति महोदय, मेरे इलाके में सरसों की फली में एक दाना नहीं है; आलू की फसल देखने को नहीं है। इस किसान के आंसू पोंछने का काम यह सरकार नहीं कर रही है। इस तरह की फ्लैगशिप योजनाओं का ढकोसला खोलने से आदमी का पेट नहीं भरेगा।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं शिक्षा में कर रखी हैं, अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने, हमारे कामरेड्स ने भी आज शिक्षा की जो पोल खोली है, जब हैडमास्टर स्कूल का खुद बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार करें! आज न हमारी महिलाएं घर में सुरक्षित हैं, न हमारी बच्चियां स्कूल में सुरक्षित हैं, न हमारी बच्चियां सड़क पर सुरक्षित, तो आखिर इस समाज को हुआ क्या? कहां जाएंगे ये लोग? क्या मां-बाप के ऊपर बीत रही होगी, ऐसे बच्चों के ऊपर! और उसके ऊपर भी सरकार का जब टालम-टोल का रवैया रहता है, वह आप सबके सामने ही है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

सभापति महोदय, राजस्थान को 'बीमारू' प्रदेश कहा जाता था और उस 'बीमारू' प्रदेश कहलाने के पीछे हमारे कहीं जो हैल्थ इंडिकेटर्स थे, उनमें हम राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा पीछे थे। मेटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट फोर्टेलिटी; मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, खास दो ऐसे इंडिकेटर थे जिनमें राष्ट्रीय औसत से राजस्थान में मृत्यु बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसलिए केन्द्र सरकार ने दो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट राजस्थान को दिये नेशनल रूरल हैल्थ मिशन (NRHM) और राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट (RHSDP)। RHSDP जो प्रोजेक्ट था, वह जब फिजिकल फैसिलिटीज को बढ़ाने की जो आवश्यकता अस्पतालों में थी, कहीं वार्डस की व्यवस्था करनी है, कहीं थियेटर्स की व्यवस्था करनी है, कहीं वहां इन्स्ट्रूमेंट्स की व्यवस्था करनी है, अस्पताल के अन्दर फर्नीचर्स की व्यवस्था करनी है, गद्दों की व्यवस्था करनी है, इन सब में राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट में काफी पैसा केन्द्र सरकार का मिला है और उसके साथ-साथ हमारी मोर्टेलिटी रेट कैसे कम हो, इसमें बहुत अच्छी तरह से प्रयास विगत सरकार ने किए हैं।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा, सिवाय एक योजना के, नि:शुल्क दवा योजना, इस सरकार ने इतना ढिंढोरा इस योजना का पीटा है, मैं मानता हूं और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, एक बहुत अच्छी योजना थी; एक आम आदमी को मुफ्त इलाज मिल जाए, मुफ्त दवाइयां मिल जाएं, मुफ्त उसकी जांच हो जाएं, इससे बढ़िया सोच कुछ नहीं हो

(15:38 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सकती थी, परन्तु, सभापति महोदय, जिस अंदाज में इसको शुरू किया गया, जिस आनन-फानन में इस कार्यक्रम को लागू किया गया, आज हालात ये हैं कि न लोगों को दवाओं पर विश्वास है...। एक दिन राजेन्द्रजी, माननीय सदस्य बोल रहे थे, कितने करोड़ की केवल पैरासीटामोल लोगों को खिला दीं, कितने करोड़ की लोगों को सेट्रिजिन खिला दीं। पोपुलेशन से कहीं बहुत ज्यादा रुपए की थीं, ये दो दवाइयां खरीदीं और ऐसी-ऐसी दवाइयां, मंत्री महोदय, जब डिस्ट्रिब्यूशन हो गया, अस्पतालों में चली गई और जब उन सैंपल्स की जांच कराई गई तो अमानक पाए गए, वे सब-स्टैंडर्ड मेडिसिन पाई गईं, उनमें जो मात्रा होनी चाहिए थी वह पूरी मात्रा नहीं पाई गई। सैंपल्स फेल हो गए, उसके

(डा. दिगम्बर सिंह)

लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं आज फिर आपके बीच में कहना चाहता हूं कि आप सरकारी अस्पतालों में गांवों में चले जाइए, शहर में फिर भी डाक्टर्स और पैरा-मेडिकल स्टाफ मिल जाएगा परन्तु ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में जहां डाक्टर्स ही उपलब्ध नहीं हैं, जहां पैरा-मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं है, जहां नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं है, आप बोरियों में भर-भर के दवाई भी भेज दोगे तो क्या करोगे? वहां का चपरासी तो दवाई बांटेगा नहीं?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा चिकित्सा मंत्री महोदय से कि जब तक रूरल एरिया में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ, चाहे वह डाक्टर्स हैं, चाहे पैरा मेडिकल स्टाफ हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ हैं, उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं देंगे तब तक गांव में कोई जाने को तैयार नहीं होगा। शहर में बहुत फायदा है नौकरी करने का, डाक्टर्स अपने शहर में नौकरी कर रहे हैं;

ज्यादा पैसे मिलें, बढ़िया फर्स्ट क्लास मकान मिलता है, बिजली की समस्या नहीं, बच्चों के स्कूल की समस्या नहीं, रोड की समस्या नहीं। गांव में अगर आप डाक्टर्स को भेजेंगे तो उसको कम से कम इतने पैसे तो एक्स्ट्रा दीजिये, उसको अपना दो जगह परिवार चलाना पड़ेगा; अपने बच्चों को गांव में तो नहीं पढ़ा सकता वह, बच्चे तो उसको शहर में ही पढ़ाने पड़ेंगे, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने पड़ेंगे। तो कम से कम इतना एडवांटेज उसको मिल जाना चाहिए और जिस दिन, मंत्री महोदय, आपने रूरल अलाउंस बढ़ा दिया, गांव में काम करने वाले कर्मियों का इंट्रेस्ट इसमें निश्चित रूप से बढ़ा दिया तो आपके ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्साकर्मियों की कमी नहीं रहेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आप कितनी भी वैकेंसीज निकाल लीजिये। आप कितने भी इश्तिहार इसमें दे दीजिये, जितने बच्चों को सलेक्शन होता है, फ्रेश लड़के आते हैं, आर पी एस सी से फट से सलेक्शन हो जाता है अगर छह सौ बच्चों का सलेक्शन हुआ तो उनमें से मुश्किल से सौ जोइन करते हैं और वह भी, मैं आपको बता दूं कि ये जो भी डाक्टर्स आज नौकरी कर रहे हैं, वे भी केवल एक लोभ के अन्दर कि रूरल एरिया में दो साल का एक्सपीरियंस होने के बाद पी.जी. में उसको एडमिशन मिल जाता है। दो साल तक नौकरी करते हैं, जब तक उनको एक्सपीरियंस हुआ दो साल का, उसके बाद पी.जी. में एडमिशन और उसके बाद गांव की तरफ कोई लौट कर नहीं जाता। यह दुर्भाग्य है। जो देश, जो राजस्थान जहां 75-80 प्रतिशत लोग

(डा. दिगम्बर सिंह)

ग्रामीण आबादी में रहते हैं और वहां पर हम कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कर पाएं तो केवल ये ढकोसलेबाजी का, मैं समझता हूं, कोई फायदा नहीं।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि काफी चर्चा हो चुकी है स्वाइन फ्लू के ऊपर, यहां सदन में भी चर्चा हुई, सदन के बाहर भी चर्चा हुई, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, इसकी जांच की सुविधा बढ़ायें; इसका मास सर्वे करवाइये, मास सर्वे से केस डिटेक्शन अपने आप हो जाएगा। उनके इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ा दी जाएंगी तो जांच की रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। स्वाइन फ्लू का कहर राजस्थान में बढ़ रहा है। आपको यह मैं एक तरह से चिकित्सक होने के नाते वार्निंग दे रहा हूं कि आगे जाकर इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए इसमें आगे बढ़ कर कोई न कोई स्टेप आपको लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं, जो मैंने कहा था कि अगर आप इसमें सबको साथ लेकर चलें और एक सर्वदलीय बैठक बुला लें तो हो सकता है, किसी का अच्छा विचार हमको सुनने को मिल जाए, एक्ट करने को मिल जाए। तो मैं समझता हूं कियह बहुत ही स्वागत योग्य कदम होगा और जनता को बहुत अच्छी रिलीफ देने में हम सक्षम हो जाएंगे। सभापति महोदय, 160 मौतें तो दो दिन पहले हुई थीं, उससे ज्यादा आज 166 हो गईं। ये मात्र दो महीने का रिकार्ड है। अगर इसी तरह से लोग मरते रहे तो ये आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के लिए, आम आदमी की सरकार, पर आम आदमी की तो जिन्दगी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, तो कैसी आम आदमी की सरकार है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने इसमें यह भी लिखवाया है कि जननी सुरक्षा योजना सरकार ने लागू की, उससे हमारे हास्पिटल्स में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ी है। यह बात सही है परन्तु इसका धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय वसुन्धराजी को जिन्होंने दो बहुत महती योजनाएं, एक तो जननी सुरक्षा योजना और धन्वंतरि योजना 108 एम्बूलेंस की, जिस 108 एम्बूलेंस का इस सरकार ने सत्यानाश कर दिया, जिसमें इतना एम्बेजलमेंट हुआ है, ऐसे बड़े लोगों की कम्पनी को आज 108 पकड़ा दी है कि मुझे लगता नहीं कि उसका भविष्य कोई उज्ज्वल रहेगा और एक बहुत महती योजना खटाई में पड़ सकती है, ऐसी मुझे आशंका है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, सरकार ने इतनी महती योजनाएं, इतना स्वास्थ्य का प्रबंधन किया लेकिन जोधपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उसमें प्रसूताओं की रिकार्ड मौतें हुई हैं। जोधपुर में बेहोश मरीज के चेहरे को चूहे कुतर जाएं और जोधपुर के अन्दर केवल आक्सीजन की कमी से; सिलेण्डर खाली थे, स्टाफ को पता नहीं था और सिलेण्डर में आक्सीजन की कमी से पांच सीरियस पेशेंट्स की मौत हो जाएं और मुख्य मंत्री महोदय आराम से चैन की सांस ले रहे हैं, चैन से बैठे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कैसी संवेदनशील सरकार है ये? कैसी आम आदमी की सरकार है यह? अगर जोधपुर में खास तौर से ध्यान नहीं दिया गया तो स्वाइन फ्लू का सबसे तगड़ा कहर जो बरपेगा, वह जोधपुर में बरपेगा, ये भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

अभी हमारे सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सेवाओं के प्रदान की गारंटी का अधिनियम हमने बनाया, बिलकुल बनाया; जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम हमने बनाया, बिलकुल बनाया; अधिनियम तो बहुत बना दिये, नीतियां भी बहुत बना दीं पर इन अधिनियमों का फायदा नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको कोई देखने वाला भी है क्या? इसको कोई रिव्यू करने वाला भी है क्या? सुनवाई तो हो रही है, पर सुनवाई उनकी हो रही है जो नीचे पैसे देकर अपनी फाइल को ऊपर खिसका देते हैं, सुनवाई तो होती है।

ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार। जैसे पहिये में जंग लग जाता है तो जब तक ग्रीस नहीं डालो तो पहिया घूमता नहीं है, अगर पहिये को घुमाना है, एक टेबल से दूसरी टेबल तक फाइल पहुंचानी है तो आपको जेब में कुप्पी रखनी पड़ेगी, ग्रीस डालनी पड़ेगी थोड़ी सी तब वह पहिया घूमेगा। ये स्थिति सरकार की है।

कानून कुछ भी बना दें, गारंटी दे दें, कुछ भी दे दें पर गारंटी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आज तक कितने अधिकारियों को, अगर उन्होंने टाइम से काम नहीं किया तो उनको जिम्मेदार ठहराया? किन अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया? मैं तो समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी खुद जब जन सुनवाई करते हैं तो वे कागज कहां जाते हैं, भगवान जानें। मेरे जिले में तो एक बार गये हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि हमने ज्ञापन दिया है, हमने

(डा. दिगम्बर सिंह)

वह ज्ञापन दिया है, आज तक तो किसी का रेस्पोंस आया नहीं। वे कागज कहां गये, कैसे गये, पर बना दिया जन सुनवाई का अधिकार, जिसको सरकार समझ रही है कि हमने एक बहुत बड़ा कानून बना दिया।

अभी लैपटाप घोटाले की बात सदन में आ चुकी है। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम दसवीं और ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को मेरिट के हिसाब से दस हजार लैपटाप पुरस्कार में देंगे, आठवीं कक्षा में जो फर्स्ट आएंगे उनको लैपटाप देंगे; सभापति महोदय, ये पुरस्कार बच्चों को दे रहे हैं या इसमें इतना जबरदस्त घोटाला करके किसको पुरस्कार देना चाहते हैं? क्यों ऐसी शर्तें बनायीं कि केवल एक कम्पनी ही उसमें पात्रता रखती हो? क्यों ऐसी शर्तें बनाईं कि उसमें एक्सेसरीज भी केवल उसी कम्पनी की हों? केवल एक कम्पनी को फायदा देने के लिए इस महती योजना का सत्यानाश इस सरकार ने किया है। लैपटाप का घोटाला है, मेरा आरोप है, इसकी खुली जांच करानी चाहिए। इसमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से बेईमानी की बू आती है, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इस सरकार ने बहुत नीतियां बनाईं, इतनी नीतियां बना दीं कि बिलकुल अनीति कर डाली; कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, पशुधन विकास नीति, पर्यावरण नीति, इको-टूरिज्म नीति, वन नीति, जल नीति, उद्योग एवं संवर्धन नीति, टाउनशिप पालिसी, खनिज नीति, सौर ऊर्जा नीति, कच्ची बस्ती विकास नीति, बालिका नीति, युवा नीति, आदि-आदि, आदि-आदि। अभी तो और भी हैं। अब मैं, आपको सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा कि बालिका नीति बना दी लेकिन बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपकी क्या नीति बनी है? उस नीति का क्या फायदा आपने कर लिया? युवाओं को आपने इतना दिग्भ्रमित कर रखा है, युवाओं को रोजगार जब तक पैदा नहीं होगा तब तक युवा चौराहे पर खड़ा कहीं भी भटक सकता है।

औद्योगिक विकास हमारी धुरी होनी चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था जिसमें लगा था कि राजस्थान में बाहर से बहुत सारे उद्योगपति आएंगे, निवेश करेंगे। क्या नाम दिया था उसका? एन आर आई सम्मेलन, कुछ नाम और दिया था, उसमें मंत्रियों के व्यवहार से मुंह लटका-लटका कर भाग कर गये। कितना खर्चा हुआ? उसके बावजूद भी राजस्थान को क्या मिला? और हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि

(डा. दिगम्बर सिंह)

हमारे प्रवासी भारतीय अगर राजस्थान के दौरे पर आयेंगे तो उसका खर्चा सरकार उठायेगी, विदेश यहां से भेजेंगे। सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार की अगर यह सोच है तो मैं इसके बारे में आपको क्या कहूं?

जल नीति बना दी; चम्बल इनके जिले में बहती है, ये चम्बल का पानी नहीं पी सकते हैं, जल नीति बना दी। आज किसान के लिए खेत में बोरिंग करने पर पाबंदी आपने लगा दी, कहां भूखा मरेगा किसान अगर वह खेत नहीं जोतेगा, खेत नहीं बोयेगा? क्या आपकी जल नीति है!

श्री सभापति: डाक्टर साहब, अब आप समाप्त करो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है, अगर यह रह गया तो समझो, सब कुछ रह गया। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, एक इतना जबरदस्त घोटाला इस सरकार में हुआ है और सब कुछ हुआ है राजस्थान की सरकार की सहमति और शह से। जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन एवं राज्य की सौर ऊर्जा नीति बनी। यह जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जब बना, तब यह तय हो गया था कि राजस्थान और केरला में सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है। इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा उद्यमी आयेंगे, सोलर एनर्जी के प्लांट लगायेंगे, उनके प्रोजेक्ट आयेंगे। जैसे ही केन्द्र सरकार ने इस मिशन का डिक्लेरेशन किया, राजस्थान में अफरा-तफरी शुरू हो गई कि कहां-कहां ये प्लांट लग सकते हैं। मेरे पास केवल एक जिले के डैटा हैं। सभापति महोदय, राजस्थान ने जो अपनी सौर ऊर्जा नीति बनाई, यह तब तक रोके रखी जब तक जिस आदमी को जमीन खरीदनी थी या खरीदवानी थी, उसने अपनी पूरी जमीन का सौदा नहीं कर लिया। सभापति महोदय, केवल बीकानेर और जैसलमेर का जो हाइवे है, कोलायत और गजनेर के आस-पास, 20 हजार बीघा जमीन 10 हजार पर-बीघा के हिसाब से खरीदी और दो साल में वही जमीन 6 लाख 80 हजार रुपये के हिसाब से सेल कर दी। जमीन खरीदी थी प्रोजेक्ट लगाने के लिये; आनन-फानन में करीब एक दर्जन फेक कम्पनीज बनाई गईं, बेनामी कम्पनीज बनाई गईं; उनके डायरेक्टर्स के द्वारा यहां जमीनें खरीदी गईं और उस जमीन का बेचान भी फटाफट कर दिया। सभापति महोदय, उनको फायदा देने में केवल यहीं तक नहीं है; जहां पर उन्होंने जमीन खरीदी, उस जमीन के आस-पास के पूरे एरिये को सोलर पावर जोन डिक्लेयर कर दिया जिससे यहीं पर, यहीं पर प्रोजेक्ट लग सकते हैं। जहां-जहां जी एस एस और सब-ग्रिड स्टेशन बनने थे ...

श्री सभापति: डाक्टर साहब, अब समाप्त करो। 25 मिनट से ज्यादा हो गये हैं आपको।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उनके आसपास की सारी जमीनें इन्होंने खरीदीं।

श्री सभापति: डाक्टर साहब, 25 मिनट से ज्यादा हो गये हैं आपको, आप समाप्त करो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, एक मिनट में कर रहा हूं। 50 हजार बीघा जमीन सरकार ने भी ली, पर सरकार ने जहां जी एस एस लगने थे उसके नजदीक नहीं ली; सरकार ने इसलिए ली कि एंटरप्रिन्योर आयेंगे, उनको लीज-आउट करेंगे परन्तु एक भी एंटरप्रिन्योर को सरकारी जमीन लीज आउट नहीं हो पाई और केवल प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों ने यह जमीनों का धंधा किया, उनसे जमीनें खरीदीं। मैं आपको इतना निवेदन करूंगा, 722 प्राइवेट पार्टीज ने प्लांट लगाने के लिये इसमें एप्लाई किया और सबने प्राइवेट जमीनें खरीदीं क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां का जो सीलिंग एक्ट है, भू-माफिया को फायदा देने के लिये गवर्नमेंट ने 1973 का जो सीलिंग एक्ट था उसको 9 सितम्बर, 2010 को परिवर्तन कर दिया जिससे कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जिन्होंने ये जमीनें खरीदी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान ऊर्जा नीति का जो मिशन बनाया है वह अभी तक भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। जब तक उनकी सारी जमीनें नहीं बिक जायेंगी तब तक ये उसको डिक्लेयर भी नहीं करेंगे। सभापति महोदय, यह और कोई नहीं है, यह +++ है जो कि +++ है और इन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला हमारे पूरे राजस्थान में और कई प्रदेशों में किया है। मेरा आरोप है, इसकी जांच करानी चाहिये। इन्होंने बेनामी कम्पनियां बना-बना कर ...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में जो बोला गया है उसे कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसमें कम्पनी के डायरेक्टर कौन थे, यह बता दो आप तो। ...(व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): असत्य आरोप लगाना आपका धंधा है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इन सब में +++ डायरेक्टर है।

श्री सभापति: यह एक्सपंज कर देना। सदन का जो सदस्य नहीं है, उसके बारे में जो आरोप लगाया गया है, उसे एक्सपंज कर देना।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही पुलिंदा मार रहा हूं, ये सारी रजिस्ट्रियां वहां पर जो हुई हैं उनकी कापी मेरे पास हैं।

श्री सभापति: डाक्टर साहब, अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आप समाप्त करो। अगर इस तरह से चले तो मैं आपको निवेदन करूं कि 14 माननीय सदस्य विपक्ष से हैं जिनमें से केवल दूसरे माननीय सदस्य आप बोल रहे हैं; सत्ता पक्ष से लगभग 11 सदस्य हैं जिनमें से केवल एक सदस्य बोले हैं; तीन निर्दलीय, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, जनता दल (यूनाइटेड) के हैं। ऐसी स्थिति में कैसे चलेगा, बताओ आप? मैं फिर पांच-पांच मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। आप कहो तो मैं इनको दो घंटे दे दूं, फिर पांच-पांच मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। यह कोई बात हुई। फिर सभी माननीय सदस्य बोलेंगे ना, बोलने के लिये ही आये हैं सदन में।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, अलग-अलग नाम से 12 कम्पनीज हैं। यह कम्पनी का बोर्ड भी आप देखिए, गजनेर के पास खाली जमीन पर इन्होंने यह बोर्ड लगा रखा है। आप आदेश करें तो मैं इसे टेबल कर सकता हूं। मेरा आरोप है कि हमारे यहां के कांग्रेस के नेताओं ने शह देकर और +++ कैसे खुश हों, इसमें पूरा भ्रष्टाचार और जबरदस्त घोटाला किया है।

श्री सभापति: यह सब जो आप बोल रहे हो, +++ और यह सब, मैं एक्सपंज कर रहा हूं। माननीय सदस्य यह उचित नहीं है। आप मत बोलिए या आप विधिवत नोटिस देकर आओ, इस तरह से नहीं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। अगर सरकार का मानस साफ है तो इसकी जांच कराये, हमें आश्वासन दे, इसकी जांच करके विधान सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री सभापति: मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि इस सदन के जो सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में एक्सपंज करने के लिये मैं आलरैडी बोल चुका हूं। आप बोलोगे तो भी नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कम्पनी के डायरेक्टर हैं, राजस्थान को लूट कर ले जायें, उसकी बात भी हम नहीं करें?

श्री सभापति: अब आप विराजो, आप विराजो। डाक्टर साहब, अब आप समाप्त करो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): वे सदस्य नहीं होंगे पर यहां जितने सदस्य बैठे हैं, हमारे राजस्थान की जमीन को हम नहीं लुटने देंगे। सभापति महोदय, इसकी जांच होनी चाहिये। अगर सरकार को अपना दामन साफ लगता है तो इसकी जांच कराये और सदन के सामने उसका पूरा ब्योरा रखे।

श्री सभापति: अब आप विराजो। श्री रमेश खण्डेलवाल।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी अपने जवाब में इसको शामिल कर लें।

श्री सभापति: नहीं, अब नहीं, मैंने आपको आधा घंटा दिया है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो। आपका कोई अंकित नहीं होगा। श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं होगा। विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका आपने दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार के पूरे साल का लेखा-जोखा और उसकी सोच और विचार का सबूत होता है। (व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: कृपया आप विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, विराज जाओ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप विराजिए। श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: इनका अंकित नहीं होगा। बोलिए आप।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर जिस तरीके से विपक्ष बार-बार यह कह रहा था कि यह असत्य का पुलिंदा है और सरकार नाकाम रही, सरकार ला एंड आर्डर मेंटेन नहीं कर पाई, सरकार ने किसानों के हित की रक्षा नहीं की; अभी-अभी माननीय सदस्य, दिगम्बर सिंह जी बोल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि इससे ज्यादा नीरस शायद इन्होंने कभी भाषण ही नहीं दिया होगा, जैसा आज ये बोल रहे थे।

इससे पहले माननीय सदस्य, सांगानेर से आने वाले जो हमारे लिए पूजनीय हैं, हम हमेशा उनका आदर करते हैं, उनका विचार और उनका विजन जब हम सुन रहे थे, तब ऐसा लग रहा था, जैसे वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए महात्मा बुद्ध को अचानक कोई ज्ञान हो गया। यह ज्ञान ऐसा नहीं कि यह अभी हुआ हो, जब कभी हमने घनश्यामजी को बोलते हुए देखा है या घनश्यामजी की विचारधारा सुनी है तो यह एक हकीकत है, इनकी विचारधारा में हमने बहुत कुछ गहराई को पाया है लेकिन आज अभिभाषण के ऊपर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था; एक ऐसा गहन विचार लेकर आए जिसमें विजन किसी दार्शनिक का हो या विजन किसी ऐसी विचारधारा का हो, जैसे पूरे राज-काज को बदलने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक इतिहास रच लिया; राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, चाणक्यजी के क्या-क्या उपदेश थे, चाणक्य जी ने किस तरीके से राज-काज की व्यवस्था के बारे में हमें समझाया।

जब हम विधान सभा में आए, तब कटारियाजी, माननीय घनश्याम जी, अमरारामजी, भाटीजी जैसे, हमें वे वरिष्ठ नेता नजर आते थे; हमने सोचा था जब कभी विधान सभा में जाएंगे तब बहुत कुछ अच्छी सार्थक बहस देखने को मिलेगी; बहुत कानून ऐसे होंगे जो आम जनता, आम गरीब और आम दलित के हक में बनाए जाते हैं, हो सकता है उन कानूनों को बनाने में इस ब्यूरोक्रेसी ने कोई गलती की होगी, तो सदन जो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है, इस महापंचायत में बैठकर हमें भी मौका मिलेगा कि उस बहस में भाग लें और अच्छे-अच्छे कानूनों में बहुत कुछ संशोधन करा पाएं, लेकिन सदन में आने के बाद हमने देखा, जो जितना फाउल खेलता है या जो जितनी वाहियात बात करता है, सदन उन्हीं बातों के अनुसार ढलता चला जाता है।

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

यह बात हमने अपनी कांस्टिट्यूएंसी में जाकर कही है; उन्होंने पूछा, वहां क्या देखा; हमने कहा, वहां किसी कानून को सार्थक रूप देना या किसी कानून को सही रूप में गरीब के हित में ले जाना हमने तो, भई, बनते हुए देखा नहीं। क्यों? जब सदन के नेता को विपक्ष नहीं बोलने दें; मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा, आप सुनना क्या चाहते हो सरकार की बात? आप सरकार के विचार से कहां अवगत होना चाह रहे हो सदन के अन्दर? आप बहस को सार्थक रूप देना कहां चाहते हो? जब आप सदन के नेता को नहीं बोलने दें, तीन-चार बार बजट भाषण निकल चुके लेकिन तीनों में हमने देखा, जब भी सदन के नेता बोलने के लिए खड़े हुए, तब आप लोगों ने जिस तरीके से शोर-शराबा मचाया, ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत बार आपको भी टोक सकता था, मैंने एक बार भी नहीं टोका। आप मेरी बात सुनिये और फिर उसके बाद जवाब दीजिए। मैंने अभी आपकी बुराई भी नहीं की, अभी उस पर भी नहीं आया हूं मैं। आप सुनते जाइये, सहनशक्ति रखिये, थोड़ा धैर्य रखिये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से सदन के नेता को बोलने नहीं दिया, आज जिस तरीके से घनश्यामजी की, हमारे लिए आदरणीय हैं, उनकी विचारधारा सुनी; कुछ तो सोचिए कि इस बहस को, इस सदन की गरिमा को सही रूप देने के लिए आप और हम सबको एक होना चाहिए। मैं पूर्ण रूप से, आपके विचार का हम सम्मान करते हैं लेकिन मेरा आपसे थोड़ा निवेदन यह है कि आप अपनी पार्टी में इन बातों को रखिये; सिर्फ शोर-शराबा मचाकर, इलाके में, पूरे क्षेत्र में, पूरे स्टेट में यह बात पहुंचाएं कि विपक्ष बड़ा मजबूत था; अगर +++ तो ऐसा विपक्ष मजबूत नहीं, सत्ता को सही दिशा ही नहीं दे पाएगा। आपको, हकीकत में, जब भी सुनने को मिला, यह आरोप लगा रहे थे अभी-अभी...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): यह +++ शब्द कहां से आ गया? (व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): हमें लाइन पर आने दीजिए। आपको दर्द कहां है? आपको दर्द कहां हो रहा है? (व्यवधान) अभी हमने कुछ कहा ही नहीं। हमने बहस की बात की है, आपको दर्द कहां से हो रहा है? बैठो, भई। (व्यवधान) आपका नम्बर आए तब बोल देना। आपका जब नम्बर आए, तब बोलना। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): +++ शब्द कहां से ...(व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): सभापति महोदय, आप इनको रोकिये। अभी इससे पहले तो डिबेट नहीं होने देना चाहते थे, जब कोई एक बीच में बोल गया ...(व्यवधान)

बोलने दीजिए। दर्द कहां है? अभी किसी की बुराई तो की नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभिभाषण पर आ जाओ ना। (व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मेरे को टाइम मिला है, मुझे बोलने का हक है।

श्री सभापति: आप अभिभाषण पर आ जाओ।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मैं यही कह रहा हूं।

श्री सभापति: अब आ जाओ फटाफट।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): अब से पहले आधा-आधा घण्टा विचारधारा पर इन्होंने निकाल दिया, मैं उस विचारधारा को तो सुनूं, कैसी थी; आखिर वह भी तो हम बताएं।

मेरा आपसे निवेदन है, अभी-अभी माननीय दिगम्बर सिंहजी कह रहे थे, नि:शुल्क दवा वितरण व्यवस्था...

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, जो +++ शब्द है वह एक्सपंज किया जाए।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ...नि:शुल्क दवा वितरण व्यवस्था न तो सार्थक रूप से लागू हो पाई, न आम लोगों को लाभ मिला; मैं यह कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्री महोदय द्वारा एक ऐसी ऐतिहासिक योजना, यह तो उस गरीब से पूछिये जो गांव और ढाणियों में रहता है, या जो कस्बे में रहता है। जब कभी वह गरीब डाक्टर के पास जाता और यह कहता कि डाक्टर साहब, देखना, मेरे बीमारी हैं; तो उस गरीब के दिल पर क्या गुजरती थी जब डाक्टर पर्ची लिखता और वह बार-बार पर्ची की तरफ देखता कि पर्ची 800 की होगी, 900 की होगी, कितनी बड़ी होगी। वह वहां नहीं समझ पाता तो मेडिकल स्टोर पर जब दवाई लेता, तब उसका दिल धडकता कि जेब में तो 500 रुपये ही हैं, कहीं ऐसा न हो कि 700 की दवाई हो जाए; फिर कहते थे कि आधी ही बना दो, यानी 10 दिन की जगह 5 दिन की दवाई दे दो, और वह दवाई 5

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

दिन में कारगर नहीं होती थी। यह तो हम लोग जानते हैं, जब दूर-दराज के ढाणी-ढपाणी के लोग आते थे नीमकाथाना में, तब हम आपको बताएं कि उनके दिल पर क्या गुजरती थी। आज नि:शुल्क दवा वितरण की व्यवस्था जिस तरीके से मुख्य मंत्री महोदय ने की और सात करोड़ तिरेसठ लाख लोगों को फायदा मिला, पूछिये उन सात करोड़ तिरेसठ लाख लोगों से; यहां बैठे तो, दिगम्बर सिंहजी, आप कुछ भी कह दें, सदन आपका और हमारा है, चाहे जैसी पंचायत कर दें लेकिन 345 करोड़ रुपये का राज्य सरकार ने व्यय करके यह योजना कारगर बनाई। हमारे नीमकाथाना में एक छोटे अस्पताल की बात बताएं, ज्यादा से ज्यादा आउटडोर होता था 350-400 और आज आउटडोर होता है 1350-1400 । मरीज तो नहीं बढ़ गए एक दिन में, ये मरीज थोड़े बढ़े हैं; लोगों के पास दवाई के लिए पैसा नहीं होता था, लोग अपनी दवाइयां लेकर ...(व्यवधान) यह आप लोग बीच-बीच में बोलकर चाहे किसी को ही करें, हकीकत यह है कि उन सात करोड़ तिरेसठ लाख लोगों से पूछें कि यह नि:शुल्क दवा वितरण व्यवस्था कितनी कारगर हुई।

मैं आपसे कहना चाहूंगा, अन्न सुरक्षा के तहत ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जब ये माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप कृपया शांत रहो, नहीं तो सदन ऐसे चलेगा नहीं।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): सुनने की क्षमता नहीं है, साहब। यह मुख्य मंत्री महोदय का बजट था, वह आपको सहन करना पड़ा और अब बजट की बहस सुननी पड़ेगी आपको। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): हम एक को भी नहीं बोलने देंगे, एक को भी नहीं बोलने देंगे, सामने वाले को। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): हम बुराई नहीं कर रहे, हम अपनी बात बता रहे हैं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): एक को भी नहीं बोलने देंगे हम। (व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): उन 38 लाख 83 हजार लोगों से पूछिये जो बी पी एल हैं और स्टेट बी पी एल हैं, जिनको दो रुपये किलो में अनाज मिलता है; जाइये, उनके घर जाकर पूछिये। यहां बहस करने से, आपके और हमारे पास तो बहुत कुछ है, उन गरीबों से पूछिये जिनके हर महीने 38

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

लाख 83 हजार लोगों के यहां दो रुपये किलो अनाज मिलता है। ये कहने को कुछ भी कह दें, यह बजट, ये थोथी घोषणाएं हैं, ना कुछ काम करने वाली हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, आज 9 लाख 2 हजार 573 महिलाओं को लाभ मिला। एक टेलीफोन के साथ एम्बूलेंस का पहुंचना और उस एम्बुलेंस के साथ बच्चा-जच्चा दोनों सुरक्षित रहें, इसकी सिक्योरिटी सरकार ने महफूजी से की है और इसका जीता-जागता उदाहरण आज 9 लाख 2 हजार महिलाओं को मिला है। आप लोग कहने को कहें, थोथा बजट है, बजट में कुछ नहीं है, आप आगे चाहें कुछ भी बताएं, मुख्य मंत्री पशुधन नि:शुल्क दवाई, आप यह कहें कि यह तो वोट लेने के लिये चलाई होगी। वह बेजुबान पशु, वह तो किसी से नहीं बोलता है, लेकिन उसके लिये भी नि:शुल्क दवा के वितरण की व्यवस्था करना; 14 लाख पशुओं को जो लाभ मिला है, यह अपने आप में कीर्तिमान है।

मुख्य मंत्रीजी का बजट, सरकार की योजनाएं न केवल गरीब लोगों के लिये हैं, हो सकता है, जो ऊंचे, हाई-फाई रहते हैं और जिनको जमीन का, यथार्थ और धरातल का ज्ञान नहीं, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा यह बजट। मैं मुख्य मंत्री की शहरी बी.पी.एल. आवास की बात करना चाहूंगा, अफोर्डेबल स्कीम जो उन्होंने दी, यह शहर के बी.पी.एल. की योजना और उसके साथ-साथ मध्यम वर्ग के लिये एक अफोर्डेबल स्कीम की जो उन्होंने योजना दी, अब मध्यम वर्ग का भी इन्सान अपने आवास और निवास की बात सोच सकता है। तो आपसे यह निवेदन है कि यह पूर्ण की पूर्ण योजना, सरकारी योजना एकदम गरीब और आम लोगों के लिये थी जिसको समझने में शायद विपक्ष बार-बार आब्जेक्शन कर रहा है।

मैं कहना चाहूंगा, किसान की बात कर रहे थे, अमरारामजी हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप और हम किसानों के लिये बार-बार शोर मचाया करते थे और बार-बार खूब कहा करते थे कि बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है लेकिन परमपिता परमेश्वर भी खुश हो गये, बरसात प्रकटी और खूब ऊपर से पानी भी मिला। बिजली की आज यह पोजिशन है ...(व्यवधान) हम भी आपके साथ आन्दोलन करते थे लेकिन अब आन्दोलन का टाइम नहीं मिल रहा।

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

हकीकत तो यह है कि भा.ज.पा. के पास अगर घनश्यामजी जैसी सोच के लोग हों तब तो इनका विजन बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये तो परिवर्तन यात्रा के जरिये लेना चाहते हैं इस राज को। परिवर्तन यात्रा के जरिये राज एक बार मिल चुका, अब राज मिलना मुश्किल है; अब तो धरातल पर काम करने से ही राज मिलेगा। यह एक अपने आप में कटु सत्य है।

मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम की अभी बात कर रहे थे, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य; इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका एक जबरदस्त लाभ मिला, एक जवाबदेही तय हुई ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। कई बार देखने को मिलता है, चाहे वह राजनेता आप हैं, चाहे हम हैं, अगर सही मायने में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अंकुश नहीं रखा गया तो ब्यूरोक्रेसी काम करके निहाल करती नहीं है। इस अधिनियम के तहत, गारण्टी सेवा नियम के तहत, जिसमें लगभग 153 सेवाओं को शामिल किया गया, आज अपने आप में एक कीर्तिमान है कि हम जब भी कभी जाकर कागज देते हैं, तब उनके दिमाग में यह रहता है कि सेवा गारण्टी के तहत ये जवाब मांगेंगे और इसके तहत इनको अपील करने का अधिकार है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक विद्युत की बात बार-बार आप कह ही रहे थे, मैं तो आपके सामने विद्युत का एक छोटा सा उदाहरण पेश कर देता हूं। पिछली सरकार में विद्युत उत्पादन 1,556 मेगावाट हुआ, 2003 से लेकर 2008 के बीच में; मौजूदा चार वर्ष में 3,954 मेगावाट हुआ है, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। आप देखिये इसमें, इस यथार्थ को झुठलाया नहीं जाएगा।

इसी तरीके से, ग्रामीण घरेलू कनेक्शन की जो बात कर रहे थे, ग्रामीण घरेलू कनेक्शन 11,27,386 दिये गये पिछले पूरे 5 साल में, 2003-2008 तक, और इस राज में, सिर्फ 4 साल में ही 14,97,249 दिये गये। जहां पिछले राज में 337 करोड़ रुपये खर्च किये थे, इस राज में कनेक्शन देने में 940 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। यह प्रमाण है आपके सामने, आप देखिये।

ग्रामीण क्षेत्र और सौर ऊर्जा की जो बात कर रहे थे, अभी वे चले गये, सौर ऊर्जा से 27,460 घरों में कनेक्शन दिये पिछली सरकार ने, इस सरकार ने 50,986 घरों को कनेक्शन दिये। यह अपने आप में एक रिकार्ड है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कृषि कनेक्शन की बात अक्सर

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

कहते हैं, कृषि कनेक्शन पिछली सरकार के कार्यकाल में, 2003 से लेकर 2008 में 1,85,877 कुओं को कनेक्शन दिया गया; इस राज में चार साल में 2,34,675 कुओं को कनेक्शन दिया गया। यह तो, अमरारामजी, रिकार्ड है, इसको आप और हम झुठला भी नहीं पाएंगे।

इसी तरीके से, किसानों को जो बिजली की दरों में अनुदान दिया, ये कहते हैं कि किसान समर्थक सरकार है हमारी और गहलोत साहब की किसान विरोधी सरकार है, इन्होंने 1,265 करोड़ का अनुदान दिया, बिजली की खरीद में जो भी अनुदान दिया; इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, चार साल में 4,396 करोड़ का अनुदान दिया, जो किसानों के हित की होने का बड़ा जबरदस्त प्रमाण है आपके सामने।

तो मेरा आपसे यह निवेदन है, चार साल गुजर गये, एक दिन भी किसी भी, एग्रीकल्चर का एक भी पैसा बढ़ाया हो तो यह आपके और हमारे सामने जीता-जागता उदाहरण है; बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. के घरों के कनेक्शन का भी बिल बढ़ाया हो तो यह आप और हमारे सामने है।

मेरा निवेदन है पेयजल के मामले में, जिस तरीके से इस सरकार ने पेयजल की व्यवस्था को सुधारा है, 21 हजार के लगभग गांव और ढाणियों में, इन्होंने पहुंचाया 7,222 के लगभग वे एस.सी. और एस.टी. की बस्तियां जहां की बहू-बेटियां पानी लेने के लिये कई बार इन सरमायेदारों के यहां खड़ी हो जाती थीं तो इनको श्मशान से पानी लाना पड़ता था। लेकिन गहलोत साहब ने इसको गहराई से पहचाना और आज वह व्यवस्था करके दे दी, सभी एस.सी. और एस.टी के यहां सिंगल पाइण्ट के कनेक्शन करके और टंकी की व्यवस्था कर दी। यह जीता-जागता उदाहरण है दलित के हित में, गरीब के हित में, किसान के हित में।

तो मेरा यह निवेदन है, यह सरकार किसान के हित में काम कर रही है, ग्रासरूट्स पर रहने वाले गरीबों के हित में काम कर रही है, दलित के हित में काम कर रही है और यह अभिभाषण जो पढ़ा है हमारे महामहिम ने, पूरा का पूरा वह प्रतिबिम्ब है, उस सोच का प्रतिबिम्ब है जो मुख्य मंत्री महोदय की सोच गरीबों के हित में रही, आम लोगों के हित में रही, आम किसान के उत्थान में रही। अमरारामजी, आप भी 4-5 दिन पहले चैक बांटकर आये नीमकाथाना में। आप यह बताइये, श्रम मंत्रालय अगर चैक नहीं देता, यह

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

दरियादिली है सरकार की कि आप दांतारामगढ़ से घूमते हुए, वहां तक गरीबों को, जो असंगठित मजदूर हैं, उनकी बेटियों में कार्ड जो बांटे ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह आप दोनों, कांगेस और भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना को 14 साल तक रोककर रखा। इसके लिये शर्म करो दोनों मिलकर। (व्यवधान) 1996 में, देश की संसद् ने 1996 में, देवेगौड़ा की सरकार ने पास कर दिया था और आपने 2010 में जाकर लागू किया है। दोनों ने मिलकर 14 साल तक रोका, शर्म करो उसके लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): बिलकुल, आप सही कह रहे हैं लेकिन गहलोतजी की देन है, इसको लागू कर दिया स्टेट में और आपका सम्मान कर रहे हैं लोग। जब वह 51-51 हजार रुपये किसी की बेटी की शादी में दिया जाता है, एक असंगठित मजदूर अपने आप में जो सिक्योर्ड हो जाता है, उसकी इंश्योरेंस, वगैरह उसको कोई देने की जरूरत नहीं। यह गरीबों के हित की सरकार का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जब भी वहां गये, तो हमने यह देखा कि आज अमरारामजी को भी यह महसूस हो रहा है, जो श्रमिकों की आवाज उठाते थे, कि कांग्रेस हकीकत में श्रमिकों के हितों की पार्टी है, जो जीता-जागता प्रमाण दिया आपके सामने।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह पूरे का पूरा महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा दिया गया अभिभाषण एक अपने आप में यथार्थ और कांग्रेस की रीति-नीति और सोच का जीता-जागता प्रमाण था कि सरकार क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप लोग इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को, जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा था, विरोध करने के लिये कुछ नहीं, बातों को घुमाकर या संज्ञा या विशेषण देकर विरोध किया जाए तो वह कोई विरोध नहीं, हकीकत में कहने के लिये इनके पास कुछ नहीं है, मैं बार-बार धन्यवाद देना चाहूंगा इस अभिभाषण पर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रमेश चन्द मीणा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, हम भी यहां पर हैं।

श्री सभापति: हां, हैं।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर जो आपने समय दिया, उसके लिये आपको मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं।

(श्री रमेश चन्द मीणा)

अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की जो प्रति हमारे पास आई है, इसमें मैंने देखा कि पहले जब 2011 में इनका अभिभाषण आया तो इसमें एक श्लोक था 'सर्वे भवन्तु सुखिन:', इसी तरह का यह श्लोक था और जब 2012 में अभिभाषण आया तो इसमें एक दूसरा श्लोक था, 'समानी व आकूति: समाना हृदयानि व:। समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति'। इस बार जब अभिभाषण हमने देखा तो अन्त में इसमें कोई श्लोक नहीं है। श्लोक नहीं है तो इसका कारण क्या है? कारण, अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य घनश्यामजी तिवाड़ी बता रहे थे, इसके अन्दर इस तरह के तत्व हैं जिससे राजस्थान को वास्तव में रिप्रजेण्ट नहीं करता है यह अभिभाषण। पहले वाले भी जो अभिभाषण थे, उनमें कम से कम यहां की संस्कृति के अनुरूप उसकी भाषा थी लेकिन इस बार का अभिभाषण इस बात का प्रतीक है कि इसमें जो राजस्थान के तत्व हैं, वे नहीं हैं। इसका एक और उदाहरण है कि राजस्थान में, कहीं-कहीं पर लिखा रहता है रंगीला राजस्थान; तो यह दोनों अभिभाषणों की प्रति है, वह उनके ऊपर कवर है, एक के ऊपर नीला और एक के ऊपर पीला और इस बार का यह रंग निकालकर यह रंगहीन कर दिया गया है, सफेद कर दिया गया है और एक तरह से बोलें तो अंतिम समय में आदमी को जिस प्रकार का रंग ओढ़ाया जाता है, वह रंग इसके ऊपर कवर पर कर दिया गया है।

अब जो हमारा प्रदेश है, वह बहुत गौरवशाली प्रदेश है। इस प्रदेश में पहले जब हम छोटे थे, चौथी और पांचवीं कक्षा में, तो हम एक किताब में पढ़ा करते थे कि-

आ धरती गोरा-धोरा री, आ धरती शेरा-सूरा री।
आ मायड़ संता सूरा री, आ भीम-बाकुरा वीरा री।
आ कूख जन्मयो भामा शाह, राणा री पूरी मन आसा।
आ जोधा दुर्गादास, जब भिड़ ली दिल्ली सू टक्कर।
जुग-जुग में आदि बाण हुइया, हर गांव गली घमसान हुइया।
आ धरती गोरा-धोरा री, आ धरती शेरा-सूरा री।

अब इसमें चार साल में हमने देखा कि यह सरकार इस तत्व में बिलकुल ही निष्क्रिय रही है, इसको रिप्रजेंट करती नहीं है और इस बार के अभिभाषण में तो इन्होंने हर जगह पर इस बात को प्रतिबिंबित कर दिया है

(श्री रमेश चन्द मीणा)

और इसको स्पष्ट कर दिया है कि इस राजस्थान से बिलकुल इसके तत्व को निकालकर रंगहीन कर दिया गया है। इसलिए इस बिन्दु पर इस अभिभाषण की मैं आलोचना करता हूं और इसके विपक्ष के लिए अपना मत प्रकट करता हूं।

श्री सभापति: आगे बोलना है कि बस यहीं तक है?

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): अब इसमें ऐसा बोलते हैं कि यह राजस्थान का सदन, यह लोकतंत्र का प्रतिनिधि है और यह एक लोकतंत्र का रक्षक है। तो रक्षक है तो इसमें हमारे अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन मैं, जैसा हम पढ़ते आए हैं, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो इसमें हमको दो बार मत विभाजन की अनुमति नहीं दी गई। जब अनुमति ही नहीं दी गई तो हमारा सदन के नेता के प्रति विश्वास क्यों हो? इतना हमारे नए सदस्यों को, जो भी इस बारे में जानते होंगे तो उनको यह बड़ी ठेस पहुंची होगी और बड़ा दु:ख हुआ होगा। मुझे भी बहुत दुःख हुआ कि कम से कम जब एम.एल.ए. को आप मत विभाजन के आधार पर वोट देने का, पक्ष और विपक्ष में अपने अधिकार को प्रकट करने का अधिकार आप नहीं दे सकते तो यह सदन के नेता के प्रति हमारी अश्रद्धा होना और हमारा विश्वास नहीं होना, यह स्वाभाविक बात है। इसलिए जब उनको टोका गया है तो मैं यह मानता हूं कि उनको टोकना चाहिए था और उनको बार-बार इस बात का सामना अभी भी करना पड़ सकता है, आगे भी। क्योंकि जब आप श्रद्धा अर्जित नहीं कर सकते, मत विभाजन के लिए अनुमति नहीं दे सकते और जिसमें मुझे लगता है +++ कि मत विभाजन की अनुमति क्यों नहीं दी? जब प्रक्रिया संचालन के लिए अनुमति है...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को इस तरह से इंगित मत करो। नहीं, आसन को इंगित मत करो। इसको एक्सपंज करिए आप। इसको एक्सपंज करिए। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): मैं तो कर ही रहा हूं, हमने तो यह भी बोला है कि 'लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो,' यह भी बोला है। (व्यवधान) जो हमने सामना किया है...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपको अभिभाषण पर बोलना है कि नहीं बोलना है, माननीय सदस्य? पहले यह बताओ। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): जिस बात का हमने सामना किया है, वही बात मैं प्रकट कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप अभिभाषण के ऊपर आ जाओ।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): क्या? अभिभाषण पर ही कर रहा हूं मैं।

श्री सभापति: आसन को मत कहो। आसन के ऊपर मत कहो। मेरे ऊपर आप कर रहे हैं। इस तरह आप आसन के ऊपर, मेहरबानी करके, इस तरह की भाषा बिलकुल उचित नहीं है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): बिलकुल, इसीलिए तो हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, विपक्ष ने और वह अविश्वास प्रस्ताव भी शामिल नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने एक्सपंज करवा दिया है। आप अभिभाषण पर बोलना चाहो तो आगे बोलो और आगे नहीं है तो मैं अगले माननीय सदस्य का नाम पुकारूंगा।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): नहीं, वह तो आपकी इच्छा है, आप करो जो करो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जब हमने पूरे तीन साल, चार साल निकाल दिये तो क्या फर्क पड़ रहा है इन छह महीने निकालने में? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अभिभाषण पर बोलो, आप विषयान्तर नहीं हों। मैंने उन माननीय सदस्यों को भी कहा है और आपको भी कहा है। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): आप तो स्पीकर हैं। जब आप स्पीकर हैं तो आपका तो, हमारा तो अधिकार है बोलना; यह सुनना, नहीं सुनना, उसको किस तरह से रोकना, यह आपको करना है। इसलिए मैं इस बात की कठोर शब्दों में भर्त्सना करता हूं कि हमको मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया है और मैं इस बात की हमेशा आलोचना करता रहूंगा।

दूसरा, कानून-व्यवस्था के बारे में, कानून-व्यवस्था के बारे में और जगह का राजस्थान का तो है ही है परन्तु मैं करौली जिले का बताना चाहूंगा कि करौली जिले में केवल हत्या के मामले में, जो हत्याएं हुई हैं, उसमें बाल घाट थाने में दो हत्याकांड पिछले डेढ़ साल से अनसुलझे पड़े हुए हैं; दूसरा, नादौती थाने के दो हत्याकांड अनसुलझे पड़े हुए हैं और आठ चोरियां नामजद

(श्री रमेश चन्द मीणा)

होते हुए भी नादौती थाने की अनसुलझी हुई हैं जिसके लिए हमने वहां पर अनशन किया, धरना दिया और उसके बाद में हिण्डौन थाने के सदर थाने के 14 हत्याकांड ऐसे हैं, वे भी अनसुलझे पड़े हुए हैं। तो इस तरह की कानून-व्यवस्था के बारे में पिछले डेढ़ साल के ये उदाहरण बता रहा हूं मैं और जो पिछले डेढ़ साल में ही इतने तरह के हत्याकांड सुलझे नहीं हैं, तो इस प्रकार का अन्दाजा है और इस प्रकार का विश्वास है कि पूरे राजस्थान में भी इस तरह के बहुत से हत्याकांड अनसुलझे हुए हैं और चोरी की घटनाएं तो अनगिनत अनसुलझी हुई हैं। इसको बार-बार कहने के बावजूद भी, हमने पांच दिन तक अनशन किया और अनशन के साथ-साथ में आठ लोगों की तो गम्भीर हालत हो गई करौली जिला मुख्यालय के सामने, स्पेशल टीम गठित कर दी तो भी आज तक जो स्पेसिफिक केसेज हैं, माननीय गृह राज्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि यह हो जाएगा, आज तक, एक मामले के अलावा, ग्यारह मामलों में से एक मामले के अलावा किसी में भी समाधान नहीं हुआ है, किसी का पता नहीं चला है। तो यह सरकार जिस प्रकार की बेरुखी से और जिस प्रकार की संवेदनहीनता से काम कर रही है, तो मुझे यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जो अभिभाषण है महामहिम राज्यपाल महोदया का, यह कोई इसका, इसके विपक्ष में मैं बोल रहा हूं।

दूसरा, सिंचाई परियोजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पिछले साल ये बोलते हैं कि हमने जल नीति बनाई है तो जल नीति में क्या है, सबसे पहले तो पेयजल उपलब्ध करवाना, जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाना; दूसरा, पशुधन को पेयजल उपलब्ध करवाना; तीसरा, कृषि के लिए जल उपलब्ध करवाना, परन्तु जो जल नीति है उसमें करौली जिले में पाचना नाम का एक बांध है तो, माननीय सभापति महोदय, पिछले चार साल से एक साल भी वह खोला नहीं गया है और बांध भरा हुआ है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है राज्य सरकार के लिए कि 10 हजार हैक्टेयर जमीन जिसका उत्पादन मिलना चाहिए था राजस्थान को और वह उत्पादन नहीं मिल रहा है? वहां पर किसी न किसी कारण से उत्पादन जो नहीं मिल रहा है, उससे प्रदेश की प्रगति में किसी न किसी तरह से वह योगदान मिलता लेकिन उन किसानों को यह पानी नहीं मिल रहा है। जिस तरह से अरबों रुपये उस बांध को बनाने में खर्च हुए थे और करोड़ों रुपये उसकी नहर और वितरिकाओं के लिए खर्च

(श्री रमेश चन्द मीणा)

हुए थे, जो भूमि आज उपलब्ध है, नहरों के लिए, वह भी खराब पड़ी हुई है। तो आज तक इन चार सालों में जो विफलता इस सरकार की है, वह बड़ी शर्मनाक बात है। इसी प्रकार से, यही मानदंड किया गया तो बीसलपुर में और माही डैम में और दूसरी जगह पर जहां-जहां पर यह शहरों को पानी मिलता है, जयपुर को जहां से पानी मिलता है, अजमेर को जहां से पानी मिलता है, उदयपुर को पानी मिलता है, कोटा को पानी मिलता है, ये सारे जो बांध बने हुए हैं जो जल वहां से उपलब्ध होता है, वह सारा जनजाति क्षेत्र से जल उपलब्ध होता है; अगर इस आधार पर यह किया गया तो यह इन शहरों को जल मिलना बंद हो जाएगा।

इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं इस सदन के सामने कि इस देश में, इस हिन्दुस्तान में जिस तरह से यह नक्सलवाद बढ़ा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होने के साथ-साथ में दूसरी भी बहुत सारी बातें हैं। जो दूसरी बातें हैं, उसका कारण है कि जनजाति क्षेत्र में ... (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, सरकार सिर पकड़ कर बैठी है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): लगता है, मंत्रीजी के सिर दर्द हो रहा है।

श्री सभापति: चिंतन हो रहा है, चिंतन। विराजिए आप।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): उसका कारण यह है कि जनजाति क्षेत्र में जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है, जैसे जल, जैसे जमीन, जैसे जंगल, उनका दोहन हुआ है और उसके बाद में वहां रहने वाले आदिवासी, उनको नहीं मिल रहा है तो इस कारण से लगातार असंतोष बढ़ा और असंतोष बढ़ने के साथ-साथ में वहां के कुछ लोग इस प्रकार हो गये, जो नक्सलवाद में शामिल हो गये। तो राजस्थान में अगर इसी प्रकार चलता रहा तो राजस्थान भी बहुत बड़े असंतोष के कगार पर पहुंच जायेगा।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

पहली बार आपने घंटी बजा दी है, विरोध स्वरूप मैं अपना अभी जो वक्तव्य है, विपक्ष में और बोलना था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपने जो मुझे दो-तीन बार इस तरह से किया है, उसके विरोध स्वरूप मैं बैठ जाता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओ.पी. यादव।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा के 13वीं राजस्थान विधान सभा के दशम सत्र के अभिभाषण पर वाद-विवाद में मुझे दिये गये समय के लिये आपका हार्दिक आभार।

सभापति महोदय, I will try my level best to stick to the time which has been allotted to me as the most-disciplined man because I have to go after sometime the same Chair. मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि मैं उन इश्यूज को रिपीट न करूं जिनके बारे में सदन में पहले ही माननीय सदस्य कह चुके हैं। सभापति महोदय, साथ-साथ में मैं यह भी ट्राई करूंगा, I will certainly touch on those issues which are very specific and which are relevant to my sector also. But I will certainly like to touch about the youths because they are the important part of the society today.

सभापति महोदय, महामहिम ने सरकार द्वारा राजस्थान के निर्माण की दिशा में संकल्प के साथ किये गये बेहतरीन कार्यों को अभिभाषण में समाविष्ट किया है। राज्य सरकार की विभिन्न 15 फ्लैगशिप योजनाओं एवं उनके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से जनता को मिलने वाले लाभ से, मैं समझता हूं, कोई भी वंचित नहीं है और यह छिपा भी नहीं है। जब हम जनता के बीच जाते हैं, जैसे कि मेरे साथी रमेश खण्डेलवाल ने इशारा किया तो हमें उनसे बात करके संतोष की अनुभूति होती है। सच्चाई तो यह है कि हमारे दूसरे साथी, जो आज यह प्रशंसा नहीं कर पाते हमारी उन उपलब्धियों के बारे में, पर जब वे जाते हैं तो उनको भी उनकी जनता बताती है कि आपके टाइम पर तो इतना काम नहीं हुआ, जो आज अशोक गहलोतजी की सरकार कर रही है, जो सच्चाई है। यह सबको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित इन फ्लैगशिप योजनाओं में जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, विभिन्न योजनाएं चाहे मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना हो, मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना हो, मुख्य मंत्री जननी शिशु सुरक्षा योजना हो, मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना हो, मुख्य मंत्री शहरी बी पी एल योजना हो तो राज्य में ही नहीं, बल्कि, सुन लें आप गौर से, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। यह ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है और एब्सोल्यूट फैक्ट है। Nobody can deny this. English Press and all media have already talked about it that today what Ashok Gehlot Govt. has done, this is

(मेजर ओ.पी. यादव)

remarkable. अगर मैं यह कहूं कि हमारे सदन के नेता, हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी युगदृष्टा हैं, I hope, you understand Yugdrashta, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने विभिन्न लोक हितकारी योजनाओं, नीतियों और अधिकारों को लागू कर स्वागत योग्य कदम उठाये हैं। 'जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि' की कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है। राजस्थान एक नई पहचान की ओर अग्रसर हुआ है। जैसा कि सबको विदित है, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है जिससे विभिन्न स्तरों पर सरकार को सम्मानित किया गया है। ये उपलब्धियां वे हैं जो आपको सोचने के लिये मजबूर करेंगी कि जो बात हमारे माननीय सदस्यों ने यहां पर कही है, वे कितनी सच्चाई में हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एन आर एच एम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य को देश भर में प्रथम स्थान के लिये राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। You can well imagine now, all over the nation this Govt. has been recognized and awarded, and this all covers the medicines. आज पशुओं के लिये निःशुल्क दवाइयां हैं, उन सबको मैं रिपीट नहीं करूंगा।

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार कार्यालय, जो चंडीगढ़ में स्थित है, लेबर ब्यूरो के सैकण्ड एम्प्लायमेंट एण्ड अन-एम्प्लायमेंट सर्वे 2011-12 के मुताबिक देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। यह भी एक फुल अचीवमेंट है, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रति हजार व्यक्तियों में बेरोजगारी में राष्ट्रीय औसत 38 के स्थान पर राजस्थान में केवल 70 है, 70 प्रति हजार है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत बाड़मेर में पीने के पानी को एकत्रित करने के लिये 24 हजार टांके, mind it, I repeat, 24 हजार टांके निर्माण के लिये बाड़मेर जिले के लिये भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह में पंचायती राज संस्थाओं को जिला स्तर तक की नीतियां, गतिविधियां और स्टाफ को प्रभावी रूप से हस्तान्तरण करने के लिये राज्य को प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र तो दिया ही गया है, साथ ही साथ डेढ़ करोड़ की राशि भी प्रदान की गयी है। मैं यह कहूं कि माननीय अशोक गहलोतजी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने में यह अभूतपूर्व पहल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

(मेजर ओ.पी. यादव)

जैसा कि मेरे साथी माननीय सदस्यों द्वारा कृषि के क्षेत्र में की गयी सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा गया, इसी कड़ी में इसको सार्थकता के रूप में सिद्ध करते हुए मैं सदन को बताना चाहूंगा, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-2011 में राज्य में दलहनी फसलों के 32.32 लाख टन, I repeat, 32.32 लाख टन, अधिकतम उत्पादन के फलस्वरूप माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार द्वारा कृषिकर्मण पुरस्कार के अन्तर्गत राज्य को एक करोड़ का पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि हमारे युगदृष्टा मुख्य मंत्रीजी की योजनाओं एवं दूरगामी सोच का परिणाम है।

मेरे साथी माननीय सदस्यों द्वारा अक्सर सदन में पानी की समस्याओं के बारे में प्रश्न उठाये जाते हैं, जैसा कि अभी मेरे साथ, जो मुझसे पहले अभी बोल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि कितने बड़े काम राज्य सरकार ने पानी के क्षेत्र में किये हैं हो सकता है कि जिन साथियों ने प्रश्न उठाये हैं, उनके क्षेत्र में काम करने की अभी जरूरत हो, पर फिर भी यह सच है कि राजस्थान सरकार द्वारा पानी आपूर्ति के लिये किये गये प्रयासों का ही परिणाम है कि राजस्थान ने देश में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम 2011-12 में देश में 75.37 प्रतिशत अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं समझता हूं कि ये डैटा गलत नहीं हो सकते। काम कितना हुआ, इसका मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दे दूं। मैं एक बहुत ही पिछड़े क्षेत्र मुण्डावर से आता हूं जहां पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है; बाकी था, बहुत कुछ हो गया है; वहां पर भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां 10-12 किलोमीटर तक पानी का कोई इन्तजाम नहीं था। हमारी सरकार ने वहां पर योजनाएं बनाकर पानी की डेढ़-डेढ़, दो-दो करोड़ की योजनाएं बनाईं और 10-10, 12-12 ढाणियों को पानी दिया और सात करोड़ की ऐसी योजना बनाई कि 12 किलोमीटर से पानी उन गांवों को पहुंचाया। मैं समझता हूं, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।

जन प्रिय नेता श्री अशोक गहलोत की दूरदृष्टि, सोच और नीतियों का परिणाम है कि हमने नये राजस्थान का निर्माण किया है। आप कहते हैं कि आप नये राजस्थान का निर्माण करेंगे, मेरे ख्याल से यह एक सपना है, आपके दिमाग में इसको संजोये रखिये। वक्त आ रहा है, नवम्बर बहुत दूर नहीं है।

इस परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिला वर्ष 2011

(मेजर ओ.पी. यादव)

की जनगणना के अन्तर्गत राजस्थान के 33 जिलों में जयपुर एवं जोधपुर के बाद में तीसरे नम्बर पर आता है। This I am trying to tell the House and the Govt. about the point that youth is very important. And why I am trying to mention specifically about Alwar, अगर जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से देखें तो अलवर जिले का घनत्व 438 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, यानी पिछले दशक में पापुलेशन ग्रोथ 22.7 प्रतिशत रही है; सदन गौर फरमाये, लिटरेसी दर 71.68 प्रतिशत है जो कि अपने आप में बहुत संतोषप्रद है; यहां की जनसंख्या 36 लाख 71 हजार 989 है। इसीलिए मैं यह कहना चाहूंगा, आज अहम सवाल यह है कि क्या हम महिला, बहनों, बेटियों, यूथ और सीनियर सिटीजंस को समाज का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं? यह बात भी सही है कि हमारे समाज के अंग चाहे उसमें वकील साहिबान आते हों, चाहे उसमें मीडिया आती हो, वह चौथा स्तम्भ है, हमारा महत्वपूर्ण अंग है, पर आज जिनकी बात हम करें, उनके उत्थान की बात विशेष रूप से करें। वह यह है, उसे अभिभाषण में यह इंगित किया कि रीको के माध्यम से गत चार वर्षों में अब तक लगभग दस हजार एकड़ भूमि अवाप्त की जाकर आधारभूत सुविधा विकास पर अठारह सौ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं; रीको द्वारा चार एग्रो फूड पार्कों में से एक अलवर में भी स्थापित हुआ;' मुण्डावर के नीमराना को आटो क्लस्टर के रूप में व पथरेड़ी को आटो जोन बनाया गया; इसी प्रकार, खुशखेड़ा और टपूकड़ा में दो आटो जोन हेतु 750 एकड़ भूमि आरक्षित की गई।

अत: मैं यह बताना चाहूंगा कि अलवर जिले की भौगोलिक स्थिति, पापुलेशन ग्रोथ, लिटरेसी रेट एवं जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण यह आवश्यक है कि यहां रोजगार के साधन बहुत विशेष तौर से उपलब्ध करवाये जाएं। यह जिला एन सी आर में होने के कारण भी वहां पर रोजगार की विपुल सम्भावनाएं हैं, आवश्यकता उनको एक्सप्लोर करने की है। सभापति महोदय, यह मुझे आपके माध्यम से विशेष तौर से कहना है।

राजस्थान राज्य को अगर हम ट्यूरिज्म की दृष्टि से देखें तो नौ सर्किट्स में बांटा गया। अलवर जिला बृज-मेवात सर्किट में आता है, इस सर्किट में अलवर जिला मुख्य है। मेरी बहन जाहिदा साहिबा यहां बैठी हुई हैं, जाहिदाजी, इसमें भरतपुर भी आता है। फोरेन एक्सचेंज की दृष्टि से भी इस जिले का आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यहां से निर्मित माल का निर्यात कर, सेवाएं प्रदान कर, यहां पर किसानों द्वारा उत्पादित की जाने

(मेजर ओ.पी. यादव)

वाली सब्जियां, प्याज, सरसों एवं तेल विदेशों में निर्यात किये जाते हैं। But today the youth is demanding. युवाओं की बेरोजगारी के रोष को वे सकारात्मक जोश में तब्दील करना चाहते हैं, हमारी जरूरत है कि हम सब इसमें भागीदार हों, ऐसा यूथ मानता है। इन ऊपर के उद्योगों के बारे में मैंने बताया कि सिस्टम से रीको ने जिन्हें डवलप किया है और राज्य सरकार ने अपनी जो पालिसी बनायी है, उन संस्थानों में लोकल निवासियों को एक निश्चित प्रतिशत पर उनकी योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आज की महती आवश्यकता है।

We have been talking often on different platforms that we will see to it that the local Industries are established in most of the places. I do not talk about Kota. Kota is a place where things have improved much. जैसा कि मैंने कहा, हमारा अलवर जिला आज हिन्दुस्तान के मैप पर नीमराना को देखते हुए अलग स्थान रखता है, इसलिए रोजगार की बात मैं अलवर जिले के लिए विशेष तौर पर उठा रहा हूं। अब यह जरूरी हो गया है कि अलवर को तीसरा स्थान तो मिलना ही चाहिए, जो दो हमारे जिले हैं उनकी अपेक्षा में उस रेशो में हमें मिलना चाहिए और यही रोजगार को बल देगा। यही आज की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इसी कड़ी में मेरा सुझाव है कि अगर हम रोजगार के प्रति थोड़ा और गम्भीर हो जाएं तो दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर (डी एम आई सी) एक मेगा प्रोजेक्ट है। यह सही बात है कि इससे भिवाड़ी, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं, जरूर इफेक्ट होता है क्योंकि दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर बनने से नीमराना और उसके आसपास के क्षेत्र एक अलग से इंडिपेंडेंट बाडी हो जाते हैं और एक अलग किस्म की पालिसी बनती है। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि 39 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर राजस्थान से गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट में खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना को लाभ मिलेगा; यहां के युवाओं को रोजगार के साधन 20 परसेंट अधिक उपलब्ध होंगे क्योंकि यहां पर बड़े-बड़े उद्योग लगेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को महती गति प्रदान की जाए क्योंकि यह प्रोजेक्ट आलरैडी इन्आर्डिनेटली डिले हो रहा है।

सभापति महोदय, हमें नहीं भूलना चाहिए कि अलवर जिला एवं विशेष तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना के किसानों ने अपनी

(मेजर ओ.पी. यादव)

उपजाऊ भूमि उद्योगों की स्थापना के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने एवं रिहायशी कोरिडोर बनाने के लिए दी है। उन लोगों के पास जीविका का अभाव है। कृषि भूमि की होल्डिंग नहीं रही है। अत: उनको जीविका उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है ताकि वे समाज की मुख्य धारा से विलुप्त न हो जाएं। अत: मैं राज्य में प्रारम्भ किये गये अधिकार के युग की बात ही कर रहा हूं, जिसकी हम सभी प्रशंसा कर रहे हैं, तो यह सच भी मैं और कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र एवं जिले के किसानों को यह अधिकार तो मिलना ही चाहिए कि यहां स्थापित होने वाले उद्योगों में वे अपना श्रम बेचकर अपने परिवार का लालन-पालन कर सकें।

सभापति महोदय, this is also evident that because of the NCR region, what ever burden is there in Delhi that burden would have to be taken over by the Nimrana farmers and Alwar farmers, including Bhiwadi. So it is mandatory now for us to see to it that this protection is given to the farmers there. मैं ऐसा भी मानता हूं कि रोजगार के रूप में प्रतिफल दिया जाना इस क्षेत्र के निवासियों का अधिकार है।

अगर आप गौर से देखें तो समाज के अन्दर यह जरूरी है कि कोई भी सरकारी अफसर हो, कोई भी फौजी अफसर हो, कोई गैर-फौजी अफसर हो, पैरा-मिलिटरी फोर्सेज हों, जब भी वे सर्विस से आते हैं तो उनको पेंशन मिलती है और मिलनी भी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि अगर हमारा किसान जो इतना काम करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, अपने परिवार के साथ में और सबका भरण पोषण भी करता है, इसके साथ-साथ जूझता भी है, जैसे कि ओलावृष्टि हो गई, कोई भी ऐसा काम होता है तो उसका नुकसान अक्सर होता है, तो ऐसे समय पर यह जरूरी हो गया है कि किसान को भी अपनी रिटायर्ड लाइफ के प्रति, उसको पलायन नहीं करना पड़े कहीं, तो उसको भी स्वाभिमान से रहने के लिए, कुछ न कुछ इस किस्म के काम करें गांवों के अन्दर, विलेज प्लानिंग करें, विभिन्न किस्म के, वहां पर ओल्ड-ऐज होम्स बनायें। उसको अपने आप में स्वाभिमान महसूस होना चाहिए और वह इज्जत के साथ रह सके।

मुख्य मंत्री रोजगार योजना, मुख्य मंत्री शहरी बीपीएल रोजगार योजना बहुत ही महत्ती और दूरगामी योजनाएं हैं जिससे युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार के अवसर दोहराये जाएंगे, परन्तु आवश्यकता है कि अलवर जिले

(मेजर ओ.पी. यादव)

के औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखते हुए, अलवर जिले में औद्योगिक एरिये के आसपास के निवासियों को उन उद्योगों में कुछ प्रतिशत निश्चित किया जाना चाहिए, जो कि नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम सब लोग केवल बात करते हैं लेकिन हम इण्डस्ट्रिंयलिस्ट्स को यह फोर्स नहीं कर पाते कि वे हमारे लोकल लोगों को उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार का कुछ परसेंटेज दें। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों में रोजगार का प्रतिशत निश्चित करने के साथ-साथ, माइनिंग एवं ट्यूरिज्म के क्षेत्र में स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं में भी इस क्षेत्र के युवाओं, विशेष तौर से बेरोजगारों को अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसे काफी प्लान्स हैं जिनके अन्दर भी युवाओं को दिया जा सकता है; फोर्स के लोगों की माइनिंग एन्ट्री, जिसके अन्दर युवाओं को लिया जा सकता है, इनको प्रिफरेंस दी जा सकती है। यह कहना आउट-आफ-प्लेस नहीं होगा कि अलवर जिले ने दिल्ली की जनसंख्या के बोझ को कम करने में योगदान दिया है, जैसा कि मैंने कहा है, यहां की पापुलेशन डेंसिटी बढ़ने का भी यही कारण है। अत: यहां पर जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है जिससे युवा शक्ति गुमराह हुई है, उसको प्रोटेक्टिव कामों में लगाया जाना आवश्यक है। यह नीति में लेने का टाइम है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना क्षेत्र में रोजगार कार्यालय जो नहीं है, खुलना चाहिए; प्लेसमेंट ब्यूरो की शाखाएं, जो जरूरी हैं, खोली जाएं। जिससे यहां के बेरोजगार युवाओं को लोकल स्तर पर भी रोजगार उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी की बात करना एवं इसके लाभ को जानना भी जरूरी है, जिसकी युवाओं को जरूरत है, मैं समझता हूं, जो वक्त की महती आवश्यकता है। राज्य में 11-12 फरवरी, 2013 को आयोजित 11वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कांफरेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट तो रही, जिससे राज्य की जनता को बहुत लाभ मिला एवं हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की सोच को, कम्प्यूटर युग लाने की सोच की तरफ एक बहुआयामी कदम है, पर साथ-साथ हमको यह याद रखना होगा कि विभागों के स्तर पर कमिटमेंट की जरूरत है; जो भी विभागीय पोर्टल तैयार किये गये हैं उनको समय-समय पर अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। इक्विपमेंट एक समय के बाद या तो खराब हो जाते हैं या उनको समय पर

(मेजर ओ.पी. यादव)

रिप्लेस नहीं किया जाता है; मेन्टीनेंस करके इस कदम को सारगर्भित बनाया जाना जरूरी है। जैसे कि पुलिस विभाग को सरकार द्वारा कम्प्यूटर दिये गये लेकिन या तो उनका प्रोपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ या वे खराब हो गये। आवश्यकता है, इनको रिप्लेस करने की और इनको ठीक कराने की, मेन्टीनेंस कराने की जिससे एफिशिएंसी बढ़ सके और हमारे युवाओं और जनप्रतिनिधियों को भी विभागीय साइट्स पर डाटा उपलब्ध हो सके, जो आज हमारा युवा शिक्षा में किसी से पीछे नहीं है, उसको साइट पर डाटा उपलब्ध हो सके, यह मेरा अभिप्राय है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिला एवं राज्य स्तर पर भी बहुत से विभागों की वेबसाइट एवं विभागीय पोर्टल अपडेट नहीं किये गये। इस पर विचार किया जाना चाहिए जिससे कि युवाओं को...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन की सहमति हो तो सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): विभागीय पोर्टल अपडेट नहीं किये जाते, इस पर विचार किया जाय जिससे युवाओं को रिक्त पदों एवं रोजगार की सूचना उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं, जैसे विधवा, हैंडिकेप्ड, सीनियर सिटिजन, जिनका मैंने जिक्र किया, जो कि आशा की दृष्टि से सरकार की ओर देख रहे हैं। जो आश्रित हैं जैसे विधवाएं, नि:शक्तजन एवं 65 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, अपने चहेते युग-दृष्टा मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी का ध्यान इस ओर विशेष

(मेजर ओ. पी. यादव)

रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि इस तरह के लोगों के लिए कोई शर्त नहीं हो, अनकंडिशनल पेन्शन दिये जाने पर विचार होना ही चाहिए।

आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना में इस तरह की स्थिति बन गयी है, आज के बच्चे बुजुर्गों के प्रति, मुझे माफ करेंगे युवा, जो मेरे विधायक यहां बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाते और यह निर्वहन नहीं कर पाने से बुजुर्गों की हालत कई जगह दयनीय है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको बताने में मुझे संकोच नहीं है, कम से कम अलवर जिले के बारे में मैं जानता हूं और बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे बहुत से बूढे लोग हैं, कपल हैं जो करोड़पति फैमिली से होने के बावजूद धर्मशालाओं में रह रहे हैं और उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति है। ऐसे अशक्त बुजुर्गों को सहारा देने की आवश्यकता है।

इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम पेन्शन की बात, विधवाओं की बात करें और इनको सशर्त, अगर उसका बेटा 25 साल का हो जायेगा तो उसको नहीं मिलेग; अब आप सच्चाई देखें, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट देखें, जब वह बेटा 25 साल का हो जायेगा, उसकी शादी हो जायेगी, उससे बच्चे हो जायेंगे और साथ-साथ वह अलग किस्म की जिंदगी जियेगा, काम्पीटिशन का जमाना है, कैरियर का जमाना है। तो वो जो बूढी मां है, जो विधवा है, वह तो गांव में गांव के सहारे रहेगी; उसको तो उस समय पेन्शन की ज्यादा जरूरत है। इसलिए विधवाओं के लिए अन्कंडिशनल पेन्शन होनी चाहिए। यह सभी लोगों की बात है। मैं समझता हूं, इस सहयोग के लिए सब लोग एग्री होंगे।

ऐसे ही हैंडिकैप्ड हैं, हैंडिकैप्ड को हम जो पेन्शन देते हैं उसमें कोई कंडिशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह हैंडिकैप्ड है। वह एक तरह से हमारे समाज का अंग बनकर आया है, हमारा फर्ज बनता है, उसका हक बनता है कि हम उसको पूरी सहानुभूतिपूर्वक देखें और उसके अन्दर एक स्वाभिमान भी रहे, हम पेन्शन दें।

भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में तर्कसंगत फार्म फ्रेंडली अधिनियम बनाया जाए। मैं समझता हं कि काफी कुछ ठोस काम इस पर हो चुका है, सिर्फ जरूरत है, इसे एक मूर्त रूप देने की। किसानों की भूमि के रूप में उद्योग

(मेजर ओ.पी. यादव)

में किये जाने वाले निवेश में उनका सहयोग हमेशा बना रहे और किसानों को असंतोष ना हो, इसलिए यह फ्रेंडली पालिसी जल्दी से जल्दी बनानी चाहिए।

मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र में, स्थापित उद्योगों में उस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को यथा सम्भव रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनका प्रतिशत निश्चित किया जाकर उद्योगों को रोजगार देने के लिए बाध्य किया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ, मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि हमारे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में आसपास एक भी सरकारी कालेज नहीं है। मेरी उम्मीद है और मुख्य मंत्री साहब से मेरी गुजारिश है कि एक वे हमको जरूर दें।

मेरे साथियों ने पशुधन की बात की, हमारा क्षेत्र पशुधन में ज्यादा रिच है, इसलिए वहां पर एक वेटेरिनरी कालेज, चाहे वह डिप्लोमा हो या डिग्री हो, इसकी भी स्थापना हो तो अच्छा रहेगा।

इसके साथ, सभापति महोदय, मैं अभिभाषण पर धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद चल रहा है और इसमें मैं भी अपने आप को शामिल करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। यह सरकार का, कैबिनेट का जो अभिभाषण है, यह इस सरकार का आखरी अभिभाषण है और यह सरकार जाती हुई सरकार है और संवेदनहीन सरकार भी है और ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। यह सरकार ना किसान की सुनने के लिए तैयार है, ना मजदूर की सुनने के लिए तैयार है, ना चुने हुए जन-प्रतिनिधियों की सुनने के लिए तैयार है। यह सरकार तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और राजस्थान की पहली सरकार होगी, 52 से लेकर आज तक 2008 के चुनाव के बाद, जिस सरकार का एक कैबिनेट मंत्री और एक विधायक सत्ता पक्ष का, आज जेल में हैं। निश्चित रूप से आज संवेदनहीनता है।

मैं समझता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी जब 2008 में चुनाव में गयी थी तब कहा था कि किसान की जो भी फसलें नष्ट होंगी, चाहे ओलावृष्टि

(श्री अमराराम)

हो, शीतलहर हो, उसे हम माकूल नीति बनाकर उनको सक्षम करने का काम करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी जो फसल शीतलहर और पाले से, ओलावृष्टि से नष्ट हुई है, जिनकी जिस तरह की हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है और उसमें जो पाबंदियां लगायी गयी हैं, 50 प्रतिशत से अधिक का जो राइडर लगाया गया है, निश्चित रूप से 6 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और दो हेक्टेयर तक का लगाया गया है, सभापति महोदय, ये नोर्म्स उस समय के हैं जब आठ रुपये डीजल था, आज वह डीजल छह-सात गुना है; खाद 6 गुना महंगा है, 200 रुपये में खाद का कट्टा था, आज वह 1,260 रुपये में है। आज की तारीख में 6 हजार रुपये में एक हेक्टेयर की बुवाई की कीमत नहीं मिलती, उसकी खाद, बीज और उसकी मेहनत तो अलग है। सरकार जिस तरह से एक नया पैसा भी किसान को देने के लिए तैयार नहीं है, निश्चित रूप से इतनी संवेदनहीनता शायद ही किसी की होगी।

देश की आजादी के 65 साल बाद राजस्थान और देश का तमाम मजदूर, चाहे वह भिन्न-भिन्न संगठनों के नाम से संगठित हो लेकिन पहली बार 20 और 21 को, जब हमारे विधान सभा का सत्र चल रहा था, इस देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ाने के लिए जमाखोरों को बढ़ावा दिया गया है, जिस तरह से आम आदमी की जेब काटने हेतु सरकार ने योजनाबद्ध ढंग से उन बड़ी-बड़ी कम्पनियों और जमाखोरों को आम जनता को लूटने का अवसर दिया है, उच्च स्तर पर बड़े-बड़े राजनीतिक नेतृत्व ने देश में भ्रष्टाचार में और घोटालों में रिकार्ड बनाने का काम किया है। इस देश में तमाम मजदूर वर्ग ने, चाहे महंगाई के खिलाफ हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, जिस तरह से प्रदेश और देश में जो श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा कर मालिक-परस्त नीतियां सरकार अपना रही है, उसमें पूरे देश का आम मजदूर, छोटे से लेकर कर्मचारी तक, पूरे देश में पहली बार, इस देश की आजादी के बाद 65 साल के इतिहास में पहला मौका होगा जब कि एक तरह के झंडे और डंडे छोड़कर इस देश और प्रदेश को बचाने के लिए सड़कों पर आया और एक दिन नहीं, 48 घंटे की हड़ताल की। लेकिन सरकार एक शब्द भी उन हड़ताल करने वाले कर्मचारियों से, मजदूरों से बात करने के लिए तैयार नहीं है।

(17.00 बजे)

मैं समझता हूं कि आज इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं होगी कि न वह किसान की समस्या सुनने के लिए तैयार है, न वह मजदूर की

(श्री अमराराम)

समस्या सुनने के लिए तैयार है, न वह जन प्रतिनिधियों की समस्या सुनने के लिए तैयार है।

सभापति महोदय, राजस्थान की नौ हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों के सरपंच सब भेदभाव भुलाकर, चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखते हों, पिछले सत्र में राजस्थान की विधान सभा के सामने राजस्थान के गांवों के विकास की मांगों को लेकर आएं। राजस्थान सरकार ने संवेदनहीनता दिखाते हुए उनसे उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के बजाए उनसे लाठियों से बात की; लाठियों से ही बात नहीं की, रात को सोए हुए, दो बजे जाकर जिस तरह से लाठीचार्ज करके इस राजस्थान के ग्रामीण इलाके के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान जिस तरह से लाठियों से कुचला गया और थाने में ले जाकर जिस तरह से बंद किया गया, मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा कि राजस्थान की सत्तर प्रतिशत आबादी जिसने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर राजस्थान के गांवों के विकास के लिए जिम्मेदारी दी, वे प्रतिनिधि उन समस्याओं को लेकर राजस्थान की सरकार के सामने आएं, वह समस्याओं को सुनने के बजाए लाठियों से बात करे, रात को सोए हुए लोगों के साथ उनकी पगड़ी उछाली जाए, पुलिस थानों में ले जाकर उनकी बेइज्जती की जाए, उनको बंद किया जाए, उनकी मदद करने वालों को ले जाकर बंद किया, मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

सभापति महोदय, गांव के विकास के लिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र का बहुत बखान किया जा रहा है। सब जगह राजीव गांधी, नेहरू, इन्दिरा गांधी, ये नाम आप कितने भी लिख दें, 9,188 ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र बनाये गये, बहुत प्रचार किया गया कि वहां जमाबंदी मिलेगी, वहां रेल की टिकट मिलेगी, वहां हवाई जहाज की भी टिकट मिलेगी, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है राजस्थान का नौजवान, उसको फार्म भरने के लिए मिलेगा, सभापति महोदय, इसी अभिभाषण में, उनमें से केवल मात्र 755 में वे सुविधाएं हैं। इंटरनेट की सुविधा है, नौ हजार में केवल मात्र 755 में आज तक लागू हुई है। तब कहां चले गये थे? सरकार को अगर भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाने थे तो सरकार को अपना बजट देना चाहिए था। नरेगा का 60-40 का रेशो तब कहां चला गया था?

उस गांव के विकास को रोकने के लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो मनरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, जिस तरह से

(श्री अमराराम)

उसकी खिल्ली उड़ाई गई अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, आज उसकी हालत है, जो सबसे ज्यादा राजस्थान के गांव के गरीब का एक सहारा हो सकती थी, उसके लिए काम की सौ दिन की गारंटी है लेकिन राजस्थान की सरकार उन बड़े-बड़े कारखानों के मालिक, राजस्थान के बड़े भू-माफिया, भूमि-धारक, बड़े-बड़े अफसर, क्योंकि उनकी फैक्टरी में उनके बड़े-बड़े फार्म हाउसेज पर इस नरेगा के कारण मजदूरी बढ़ गयी, इसलिए जान-बूझकर सरकार ने उस राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब का और विशेष तौर से 90 परसेंट जो महिलाएं जाती हैं, उनका हक छीनने का काम किया है। सत्ताइस लाख को एक साल में सौ दिन का रोजगार मिला और इस साल एक लाख को मिलेगा। जहां सात हजार, आठ हजार करोड़ रुपया खर्च होता था, वहां मात्र एक हजार करोड़ पर आ गये हैं, बीस परसेंट से भी नीचे आ गये हैं।

मैं समझता हूं, उस गरीब का अगर वाकई महिला सशक्तिकरण था तो राजस्थान में पहली बार गांव की वह गरीब महिला जिसने, अपनी मेहनत का पैसा अपने यहां आया, अपनी जेब से, खाते से निकालकर के पहली बार उसने कहीं सामान खरीदा होगा।

आपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका सत्यानाश किया है। नरेगा में जाने वाली महिलाओं के लिए यह कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि पूरी मजदूरी की गारंटी, क्या गारंटी मिल रही है? काम ही नहीं रहा और जहां काम मिल रहा है, वहां एक रुपया। कहा गया कि वह गारंटी उस गरीब के लिए गारंटी नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से हालत हो रही है, उस नरेगा में जिस तरह से गरीब को लूटा जा रहा है, उसका हक नहीं दिया जा रहा है कानून होने के बाद, सौ दिन की गारंटी होने के बाद; कानून में यह प्रोविजन होने के बाद कि काम पर जाने वाले हर मजदूर को जो भी औजार होगा, उसको कार्यकारी एजेन्सी खरीद कर देगी, अफसोस, 2008-09 से लागू है, आज हम 2013-14 के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं, सभापति महोदय, राजस्थान के 33 जिलों में से मात्र पांच जिलों में औजार दिये गये हैं। सरकार ने निर्णय किया कि जिनको औजार नहीं देंगे, उसकी मजदूरी में उस औजार के पेटे उसको पैसे देंगे। न औजार दिया जा रहा है, न पैसा दिया जा रहा है, न टाइम पर दिया जा रहा है। कानून में स्पष्ट प्रोविजन है कि अगर पन्द्रह दिन की मजदूरी करने के बाद पन्द्रह दिन में भुगतान नहीं करेंगे तो उसको मय ब्याज सहित भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी। सभापति

(श्री अमराराम)

महोदय, हम 1 तारीख को तनख्वाह ले लेते हैं, राजस्थान के सात लाख अधिकारी और कर्मचारी 1 तारीख को तनख्वाह ले लेते हैं लेकिन राजस्थान के गांव का गरीब और उसमें भी जो महिलाएं हैं, उनको तीन-तीन महीने तक नरेगा में पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, पैसे की कमी नहीं है लेकिन उस गरीब के लिए नहीं है।

इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से कहना है, अभी चर्चा चल रही थी, सबके लिए पेंशन होगी; मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, इस विधान सभा में बैठकर, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, विधायक और मंत्रियों के लिए पेंशन है; लेकिन जो हमको चुनकर भेजता है, राजस्थान का किसान और गांव का गरीब, वह साठ साल का हो जाए, उसके लिए कानून नहीं है। उसके लिए पेंशन का कानून पैंसठ साल में हमने नहीं बनाया। क्या खजाना हमारे लिए है? विधान सभा में जिनको चुनकर भेजा है, उनके लिए पेंशन है, उनके लिए शर्त नहीं है; किसान के लिए शर्त है, उसके बेटा होगा तो पेंशन नहीं मिलेगी, उसके जमीन होगी तो नहीं मिलेगी। क्या उन्होंने सेवा नहीं की है क्या? अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं ने ही की है राजस्थान की सेवा? राजस्थान का सत्तर प्रतिशत किसान, जिस धूप में, जिस गरमी में खड़ा होकर खेत में फसल पैदा करता है, राजस्थान की जनता के खाने के लिए अन्न और मक्खन पैदा करता है, वह साठ साल की उम्र के बाद अपने बेटों के सामने लालायित है। हम कानून बना रहे हैं कि उसका बेटा उसको अगर रोटी नहीं देगा तो एस डी एम उसकी सुनवाई करेगा। किस बात के लिए सुनवाई करेगा? राजस्थान के पैंतीस हजार करोड़ में क्या उस राजस्थान के किसान का, गांव के उस गरीब का, जिसने सड़क बनाई है, सब कुछ बनाने का काम किया है, क्या उसको साठ साल की उम्र के बाद पेंशन का अधिकार नहीं है? क्या राजस्थान के खजाने में उसका हक नहीं है जिसने हमको चुनकर के इस राजस्थान की विधान सभा में भेजा है? 60-65 साल में हम इस बात के लिए प्रयास करने के लिए तैयार नहीं हैं।

आज राजस्थान में जिस तरह की हालत हो रही है, मैं कहना नहीं चाहता, आपने चुनाव के वक्त लोगों से वादा किया था चुनाव घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने राजस्थान की सात करोड़ जनता के सामने, यह चुनाव घोषणा पत्र है; हम आठ घंटे किसान को बिजली देंगे; सरकार उत्तर देगी, एक दिन बता दें इस सवा चार साल में, राजस्थान के किसान को खेती के लिए एक दिन भी

(श्री अमराराम)

अगर आठ घंटे बिजली दी हो तो मैं ...(व्यवधान) परसादीलालजी ईमानदारी से कह रहे हैं। यह घोषणा पत्र है, इसमें लिखा है आठ घंटे बिजली, सभी गांव और ढाणियों को इलेक्ट्रिफाइड...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये जीते थे तब इससे पाबंद नहीं थे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जीतने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, गांधीवादी मुख्य मंत्री, बड़े-बड़े हमारे सत्ता पक्ष के भाइयों ने बहुत विश्लेषण लगाए उनके, हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने तो, अभी नहीं हैं, अपने भाषण में 75 दफा गहलोत साहब की स्तुति की, लेकिन उस किसान के लिए क्या किया? उस किसान के लिए, बाजरा एक साल पहले खरीदने की बात आयी, राजस्थान के किसान का बाजरा 700-800 में बेचना पड़ा, 1085 की रेट थी। कितना बाजरा खरीदा, 18 टन। देश में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में पैदा होता है और जब खरीदने की बात आती है, बाजार में समर्थन मूल्य से कम होता है तो सरकार मापदण्ड का बहाना करती है। अब तो देश में अटल बिहारीजी की सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, सोनियाजी के निर्देश से सरकार चलती है, सोनियाजी के कहने से मनमोहन सिंहजी उठ-बैठ निकालते हैं, क्या मापदण्ड, कभी देखा है आपने सफेद बाजरा? मैंने तो नहीं देखा। 18 टन रिकार्ड पैदा कर दिया। क्या हालत है किसान की।

सभापति महोदय, जब किसान लहसुन बोने के लिए लहसुन लेने जाता है, सौ रुपये किलो और बेचने के लिए सीकर में जाता है, पचास पैसे में कोई लेने वाला नहीं है। आपने कहा, यह सरकार प्रोत्साहन करेगी एक्सपोर्ट में, किसान की पैदावार को एक्सपोर्ट करने में प्रोत्साहन देगी, राजस्थान में बाजरा हो गया, ग्वार एक साल पहले किसान ने, राजस्थान देश में सबसे ज्यादा ग्वार पैदा करता है लेकिन किसान ने ग्वार चार हजार और पांच हजार क्विंटल में बेचा और देश की कम्पनियों ने वही ग्वार, जिस किसान ने छह महीने पैदा किया उसको मिला तीन हजार और चार हजार रुपया और जिस कम्पनी ने दो महीने बंद कर दिया, उसको मिला, 32 हजार रुपया क्विंटल में बेचकर, 27 हजार रुपये क्विंटल का। लेकिन जब किसान के खेत में आया तो सरकार ने कह दिया अब ग्वार गम बाहर नहीं जायेगा, अब ग्वार एन सी डी एक्स के बाहर होगा। क्योंकि सरकार इंतजार कर रही है, यह किसान का ग्वार उन

(श्री अमराराम)

कम्पनीज के हवाले हो जायेगा, उस दिन एन सी डी एक्स में शामिल किया जायेगा, उस दिन ग्वार गम को बाहर जाने की इजाजत दी जायेगी। जहां सरकार को न खरीदना है, न बेचना है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि वह ग्वार का भाव किसान की जेब में जाए, वह चाहती है कि कम्पनीज को भाव मिले। वह नहीं चाहती। आज हम नहीं कहते, हम कहते हैं; राजस्थान की और देश की जनता, जो आम खाद्यान्न हैं गेहूं और चावल, उनको एन सी डी एक्स से बाहर करो; उनको बाहर नहीं करेगी क्योंकि वह आम आदमी का है; उसके लिये एक्सपोर्ट खोल देगी। राजस्थान के किसान का गेहूं सरकार ने खरीदा नहीं। किसान को 11 सौ रुपये में बेचना पड़ा और जब किसान ने बेच दिया, फिर देश की सरकार ने एक्सपोर्ट खोल दिया और आज 17 सौ और 2 हजार में बिक रहा है।

आज जिस तरह से फ्लैगशिप योजनाओं की बात की जा रही है, सभापति महोदय, हालत यह है, 38 लाख बी पी एल परिवार; गनीमत होती जो 35 किलो 2 रुपये में देते, हम भी धन्यवाद देते। राजस्थान के 38 लाख परिवारों को अगर मुख्य मंत्रीजी अन्न सुरक्षा योजना में 35 किलो अनाज 2 रुपये किलो में देते, निश्चित रूप से हम यहां से धन्यवाद देते लेकिन केवल प्रचार के लिये, 5 आदमियों का परिवार मानकर 7 किलो एक व्यक्ति का मानकर 35 किलो आज तक मिलता था; एक परिवार के लिये, एक महीने के लिये 35 किलो अनाज आवश्यक है, मिलता था, उसको काटकर 25 किलो किया। 25 किलो तो निश्चित रूप से आप 2 रुपये में दे देंगे लेकिन अपने महीने की पूर्ति करने के लिये 10 किलो बाजार से लेने के लिये जायेगा तो 18 से 20 रुपये किलो, 2 सौ रुपये उसको खर्च करने पड़ेंगे।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): 10 किलो गेहूं उसको 5 रुपये किलो का दिया जा रहा है। स्टेट जो एडहाक के बी पी एल का गेहूं आ रहा है, उसमें से प्रति राशन कार्ड 25 किलो 2 रुपये किलो और 10 किलो गेहूं उसको 4 रुपये 90 पैसे में दिया जा रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 4 क्यों? आप 2 रुपये किलो ही देओ न।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): 35 किलो...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जब तमिलनाडु 25 किलो, 35 किलो फ्री दे रहा है, आप गरीब के इतने ही हमदर्द हैं तो 35 किलो दीजिये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनिये। आपकी बात को मुख्य मंत्रीजी को आप कहना, बाकी ...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं तो मुख्य मंत्रीजी को ही कह रहा हूं, मैं तो इस सरकार को कह रहा हूं...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनो। आपको धन्यवाद तो देना चाहिये कि शुरू तो किया। 50-60 साल के बाद किसी ने गरीब को देखा भी था क्या ?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वही तो बता रहा हूं; शुरू किया, वही तो...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): इसलिये मुख्य मंत्रीजी को 2 रुपये किलो गेहूं...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बन्द कर दिया...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): कोई सुनता था क्या, राजस्थान में 2 रुपये किलो? सोचता था क्या, 2 रुपये किलो? फ्लैगशिप की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से बात करो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी, वही बता रहा हूं, जो किया।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनो। मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दो, जीरो परसेंट पर 1 लाख तक का आपको यह क्रोप लोन मिल रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह भी बता दूंगा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप धन्यवाद दो। क्या बताओगे? इसको घुमा-फिराकर नहीं, ईमानदारी से सही बात को आपको स्वीकार करना चाहिये कि राजस्थान में किसानों का, गरीबों का जो भला किया है, उसके लिये मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दो राज्यपाल के अभिभाषण में। आप घुमा-फिराकर उल्टी बातें मत करो। आपको तो हम बहुत ही, आपको हमने काफी लम्बे समय से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपको टिकट नहीं दिया; आप भी धन्यवाद दो कि आपको टिकट नहीं दिया। इनको टिकट ही नहीं दिया...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपने तो 1 किलो ही नहीं दिया किसी को। आप तो पूरे को ही खा गये थे। आपकी सरकार में मिलता ही नहीं था। आप तो कूण्डा कर गये इस पी डी एस का। यह कभी राजस्थान की जनता भूलेगी नहीं।

श्री नगराज (धरियावद): पूरा खा गये गेहूं, तब भी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। सारा गेहूं खा गये इस प्रदेश में। यह क्यों नहीं दे पाये 2 रुपये किलो गेहूं ?

श्री सभापति: मंत्रीजी, माननीय सदस्य, विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, मंत्री महोदय, बीच में बोल रहे हैं, धन्यवाद दूंगा उनको मैं...

श्री सभापति: आपको करेक्ट किया है उन्होंने।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान में गांव और शहर में जो भी राशन खरीदता था, खरीदकर खाता था, सबके लिये राशन था। यह किसने कम किया कि केवल बी पी एल को लक्षित पी डी एस? आज से 20 साल पहले...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): 25 किलो की घोषणा की है, 25 किलो 2 रुपये किलो दे रहे हैं और 10 किलो उसको 4 रुपये 90 पैसे में दे रहे हैं। आप उसको 18-20 रुपये मत कहो। यह कह रहा हूं मैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्री महोदय, मैं यह कह रहा हूं, आज से 20 साल पहले मैं ग्राम पंचायत का सरपंच था; ग्राम पंचायत में जितने राशन कार्ड थे, सबको राशन मिलता था। यह अपराध किसने किया कि केवल बी पी एल को मिलेगा, बाकी गरीब को नहीं मिलेगा? यह अपराध भी तो आप दोनों ने मिलकर किया है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): यह बी पी एल को जो बिलकुल बी पी एल है, बी पी एल, बिलो पावर्टी लाइन पर लोग हैं, अन्त्योदय में जो लोग हैं, जो अन्नपूर्णा के लोग हैं, जो आस्था कार्डधारक हैं, विकलांग हैं, उनके लिये शुरुआत माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। इसमें कोई कमी-खामी होगी तो आपकी बात को ध्यान में रखेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मुख्य मंत्रीजी ने जब कहा है, 35 किलो दें, 35 किलो दें आप; 35 किलो 2 रुपये किलो में देओ। मैं तो कह रहा हूं, आपको धन्यवाद दूंगा। आपके मुख्य मंत्री को धन्यवाद दूंगा...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): पहले मिलता था क्या? पहले मिलता था क्या कभी राजस्थान में 35 किलो गेहूं? कभी मिला है क्या अशोक जी गहलोत के पहले? कभी मिला है क्या? क्या बात कर रहे हो! कभी मिला है क्या? बात कर रहे हो ऐसे ही। जो बात सही है, उसको सही कहो। पहले मिल रहा था क्या आज से पहले?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं तो कह रहा हूं, पहले सबको ही मिलता था। पहले सबको लगातार गेहूं ही नहीं मिल रहा था, चीनी, कपड़ा, केरोसीन, सब मिल रहा था।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): यह अब की सरकार का फैसला है 2 रुपये किलो गेहूं, 8 रुपये 60 पैसे पिसा हुआ आटा। यह आपकी नहीं, हमारी सरकार है। पहले कहां देते थे? देखते थे आप? 10 किलो गेहूं देते थे आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आटा तो उदयपुरवाटी वाले मंत्री, आपके मंत्री राजेन्द्रजी को पूछो। अभी वे प्रशासन-गांवों-के-संग गये, आटे के नाम पर कंकर पीसकर आटे में दिये। मैं नहीं कह रहा, इस सरकार के मंत्री, राजेन्द्रजी गुढा अपने विधान सभा क्षेत्र में...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): एक भी जगह, सुनो, एक भी बैग में आटे में कंकर ले आओ, उस मिल को शाम को सस्पेंड कर देंगे आज ही। आप ले आओ, उस मिल को शाम को ही सस्पेंड कर देंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो मंत्रीजी से पूछ लेना।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं, नहीं, शाम को ले आओ। उसको सस्पेंड कर देंगे मिल को।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपके मंत्रीजी से पूछ लेना...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं, नहीं, कोई किसी से, मैं कह रहा हूं ना। अगर आटे में एक भी इल्ली आ जाए, एक कंकर भी आ जाए, उस मिल को शाम पहले-पहले सस्पेंड कर देंगे आज ही।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आटा आता ही नहीं; आता है, वह ऐसा आता है, यह मैं नहीं कह रहा ...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): वह बहुत गरीब लोग खाते हैं। उन्हीं गरीब लोगों ने पैसे...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उन्होंने, सरकार के राजेन्द्र गुढा, राजेन्द्र जी, उदयपुरवाटी के विधायक और मंत्री हैं...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आटे की लाइनें लग गयीं लोग लेते हैं आटा। फोर्टिफाइड आटा पूरे देश में प्रसिद्ध है, लोग लाइन में लगकर लेते हैं आटे को।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं तो उनके यहां कह रहा हूं, बाकी हालत यह है। सभापति महोदय, आपसे कहना चाहेंगे, सबके लिये नहीं होगा।

(श्री अमराराम)

अब तो आप कैश सब्सिडी की बात कर रहे हैं कि पी डी एस में सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब क्या है? मतलब उन कम्पनीज को, जिस एफ डी आई के लिये हमारे मुख्य मंत्री ने सबसे पहले कहा कि एफ डी आई हम यहां लागू करेंगे; कैश सब्सिडी अगर पी डी एस में दी जायेगी इसका मतलब है, न किसान से खरीदने का काम करेंगे, न गरीब को बांटने का काम करेंगे; यह सब कुछ कम्पनीज के हवाले करेंगे। वे किसान को भी लूटेंगे और गरीब को भी लूटेंगे और इसकी छूट हम देने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, आज क्या-क्या आपने लोगों से वायदा किया था, 8 घण्टे बिजली; शहर के बराबर गांव को 24 घण्टे बिजली; सब गांव को, सब ढाणी को आपने 5 साल में; इसमें लिखा है, मैंने नहीं लिखा है यह, यह कांग्रेस पार्टी ने लिखा है। परसादी लालजी, आप तो कांग्रेस के हैं ही नहीं...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये तो निर्दलीय हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो जोड़-तोड़ की सरकार में हैं। यह कांग्रेस पार्टी ने लिखा है, कांग्रेस पार्टी ने यह राजस्थान की जनता के सामने कहा, किसान को 8 घण्टे बिजली। परसादी लालजी कह रहे हैं 6 घण्टे, क्यों? तो 8 घण्टे कब देओगे? जाने के बाद? नहीं दी। कोई मेहरबानी की है? कोई मेहरबानी की है? इस राजस्थान में आज से 30 साल पहले जब बिजली लगी, 24 घण्टे बिजली थी। 24 घण्टे में से 18 घण्टे खा गये। उनको तो चोर नहीं कहते हो और किसान जो अन्न पैदा करता है, उसको आप चोर कहते हैं! एक एच पी का 2 हजार से अभी 9 हजार किया है, मंत्रीजी बैठे हैं, ढोल बजायेंगे। बड़ी-बड़ी कम्पनीज पर हजारों-लाखों करोड़ हैं, वह बताते हुए आपको शर्म आती है और किसान में 10 हजार रुपये बाकी है, मंत्रीजी ने आदेश दिया है उस किसान के घर के सामने ढोल बजायेंगे। देश की बड़ी-बड़ी कम्पनीज पर लाखों -करोड़ों रुपये बकाया हैं, उनके प्रोत्साहन में तो हमारे प्रधान मंत्री 5 लाख 28 हजार करोड़ मंदी से मुकाबले के लिये देंगे और गरीब के ढोल बजाने का काम करेंगे। बिजली, सबको बिजली; शहर के बराबर गांव में बिजली आ रही है कहीं? (व्यवधान) त्रिवेदीजी, मैं यहां यह नहीं कह रहा, मैं पक्ष और विपक्ष...

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आप उधर भी बजाते हो और इधर भी बजाते हो। आपका पता ही नहीं चलता है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): त्रिवेदीजी, मैं वह कह रहा हूं जो असलियत है। हम राजस्थान को कहां ले जा रहे हैं? सवाल, इसमें डिबेट नहीं है कि आपने नहीं किया, हमने नहीं किया। अभी भाई साहब बोल रहे थे, हमारे सांगानेर से आने वाले, विप्र सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन। कह रहे हैं सुन नहीं रहे हैं। कौन नहीं सुन रहे हैं? मंत्री साथ थे, इधर पूर्व मंत्री घनश्यामजी थे, बृजकिशोरजी थे, हमारे पारीकजी थे; मंत्री सरकार के, पूर्व मंत्री विप्र और क्षत्रिय सम्मेलन में साथ थे। यह मंडल कमीशन में आर्थिक पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण की बहुत पहले घोषणा हो गयी। आप सरकार में रहे हैं, आप देश में सरकार में रहे हैं, कांग्रेस रही, भारतीय जनता पार्टी रही, लेकिन जब वोट आता है तब विप्र याद आता है, उससे पहले 4 साल विप्र याद नहीं आता, उससे पहले क्षत्रिय याद नहीं आता। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, मेरे भाई लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जातियों को लड़ाने का काम किया, अब कांग्रेस और बी जे पी, दोनों मिलकर के क्या कर रही हैं? क्या राजपूत का सम्मेलन, जाट का सम्मेलन, विप्र का सम्मेलन करने से उनका भला हो जायेगा? किसान का भला नहीं करेंगे, मजदूर का भला नहीं करेंगे, विप्र का भला करेंगे; भला नहीं करेंगे, वोट का सौदा करेंगे। बहुत बढ़िया कह रहे थे, बहुत लच्छेदार बोल रहे थे माननीय सदस्य, सांगानेर से आने वाले, इन 65 सालों में किसका राज रहा है? हमारा राज तो नहीं रहा प्रदेश और देश में। अटल बिहारीजी की सरकार थी, यहां वसुन्धराजी की सरकार थी, भैरोंसिंहजी की सरकार में भी मंत्री थे आखिर में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अपना एक ही कुए का पानी पिया हुआ है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कुए का तो एक का ही पिया हुआ है। लेकिन केवल वोट के लिए हम सम्मेलन में जायें, किसान की बात नहीं करें, गरीब की बात नहीं करें! गरीब को मजदूरी नहीं मिलेगी, किसान को भाव नहीं मिलेगा, उनको तो निचोड़ देंगे। जब मंडी में जायेगा, 2 रुपये किलो में लहसुन बिकेगा तो वह नहीं पूछेगा कि राजपूत का है या ब्राहमण का है, जाट का है या हरिजन का है, जो हालत आपने बनायी।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी माइनोरिटी पर, अल्पसंख्यकों पर हमला करे तो बात समझ में आती है। आपको तो पंच से लेकर के प्रधान

(श्री अमराराम)

मंत्री तक बनाया। गोपालगढ़, सूरवाल, गुनाह क्या है उनका? पुलिस के बड़े अफसरों के सामने फूल मोहम्मद को जिंदा जला दिया जाये, क्या फूल मोहम्मद का यही गुनाह था कि वह अल्पसंख्यक है? 100 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे, उदयपुर जिले में सांप्रदायिक दंगा होता है, 3 महीने तक अल्पसंख्यक उदयपुर में रहते हैं और हमारे पूर्व गृह मंत्रीजी से पूछते हैं तो कहते हैं कि ऐसे तो रोज होते हैं, आपकी सरकार में जब सराड़ा में सांप्रदायिक दंगा हुआ। इनकी सरकार के यूपीए-फर्स्ट में सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग ने पूरे देश में सर्वे करके बताया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हालत आजादी के वक्त जो थी, उससे भी खराब है। देश में दलितों से भी खराब है। जब मैंने पूछा कि राजस्थान में रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहते हैं आरक्षण सहित? तो सरकार का जवाब है, जी नहीं। पिछली बार तो, हमारे अमीन खांजी हैं, मैंने पूछा कि लागू करोगे, तो बोले कि अभी तो अध्ययन कर रहे हैं। यह उत्तर आपका ही है, मंत्री महोदय।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): सच्चर कमेटी की तो मैं कह रहा हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं पढ़कर सुना दूं?

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): भले ही सुना दो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पिछली बार तो आप बजट में कह रहे थे कि अध्ययन कर रहे हैं और 6 साल से तो आप अध्ययन कर रहे थे, 7वीं साल में आपने अध्ययन करके कहा, मैंने पूछा कि क्या राज्य सरकार राज्य में सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने का इरादा रखती है; आपने कहा, जी नहीं।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): मैं कह रहा हूं ना कि मिश्र आयोग की बात नहीं मानी है, सच्चर कमेटी की 85 प्रतिशत रिपोर्ट मान ली है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कांग्रेस नहीं मानती ना मिश्र आयोग की रिपोर्ट को?

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): नहीं, उसमें चल रही है बात, कोर्ट में चल रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 2006 में रिपोर्ट आयी, 2007 में, देश में

(श्री अमराराम)

सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, अभी आप अध्ययन कर रहे हो! या तो आप खड़े होकर के कहो कि रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है, राजस्थान सरकार नहीं मानती है।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): भारत सरकार के सामने यह बात चल रही है, कोर्ट में यह मामला चल रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): किस कोर्ट में?

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): सच्चर कमेटी की 85 प्रतिशत बात मान ली है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लागू करने के लिए राजस्थान सरकार पर किसी कोर्ट ने रोक लगाई है?

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): सच्चर कमेटी की बात तो 85 प्रतिशत मान ली है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समय भी बहुत हो गया है, अब सम-अप करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां, जल्दी ही सम-अप कर रहा हूं।

आपने बड़े लोगों के सामने वाहवाही लूटने के लिये वे नारे दिये। आपने कहा कि राजस्थान के हिस्से का जो भी पानी है, चाहे .6 रावी-व्यास का, हम लायेंगे; हम यमुना का पानी लायेंगे, ले आये? अब तो सरकार किसी और की नहीं है हरियाणा में। देश में सरकार आपकी है, राजस्थान में आपकी है। राजस्थान में 22 हजार गांव आज भी, राजस्थान की आजादी के 65 साल बाद, आपका भी राज रहा, आपका भी राज रहा लेकिन वे गांव शुद्व पानी के लिये तरस रहे हैं। हमारे हिस्से का पानी पंजाब काम में ले रहा है, हरियाणा काम में ले रहा है यमुना का पानी। आपने कहा कि नर्मदा के पानी से सिरोही और बाड़मेर की धरती को हम सरसब्ज कर देंगे, कर दिया?

(17.24 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): आ गया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सिंचाई हो रही है? सब जगह हो गयी?

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): गुढामालानी तहसील में पानी आ गया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बहुत बढ़िया हो गया तो। हमने तो राजस्थान नहर का सैकण्ड फेज, फलौदी सिंचाई की परियोजना में आपने जो 6 लिफ्ट बनायीं, उनकी क्या हालत है? पूरी लाइनें चोरी हो गयीं! एक खेत को पानी नहीं मिल रहा। 6 लिफ्ट हैं लेकिन सिर्फ 1 कोलायत की लिफ्ट को छोड़कर के, राजस्थान की जनता का पैसा हजारों करोड़ आपने खर्च किया और वहां पूरी लाइनें चोरी हो गयीं। कोई है देखने वाला? एक-आध गांव को भी पानी मिल रहा है फलौदी लिफ्ट से? आज कुम्भाराम लिफ्ट, जिस सिद्धमुख के नाम से है, उस सिद्धमुख में ही पानी नहीं है। 65 साल से आपने जो किया है।

सभापति महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से कहना है कि नौजवानों के साथ आपने विश्वासघात किया है। आपने बेरोजगारी भत्ता बैचलर को देने का वादा किया; 4 साल चले गये, यह पांचवां अभिभाषण है, 2 जिलों में आपको 408 बेरोजगार बैचलर मिले हैं। 31 जिलों में आपको बेरोजगार बैचलर नहीं मिले। अगर 4 साल में नहीं मिले तो अब 6 महीने में भी नहीं मिलने वाले हैं। कम से कम उस बेरोजगार के साथ, उसकी जेब काटने का तो सरकार काम नहीं करे। 1 सिपाही की भर्ती होती है तो 1 हजार नौजवान उसका फार्म भरते हैं। परीक्षा के नाम से तो 1 हजार मत लूटो। सिपाही की भर्ती हुई तो ना बस में जगह थी, ना रेल में जगह थी, ना शहर में जगह थी। 1 सिपाही भर्ती करेंगे, आपके सरकारी अधिकारी और कर्मचारी परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा के नाम से आप 1 हजार रुपया ले रहे हैं। उनको नौकरी ना दे सको तो उनको लूटने का काम तो कम से कम मत करो।

सभापति महोदय, आपकी सरकार जिस तरह से मालिकों के सामने धज्जियां उड़ा रही है, नीमराणा की एक कम्पनी टोयडा गुसाई, जो जापानी जोन आपने बनाया, संविधान में हक है कि कोई भी यूनियन बना सकता है, यूनियन का रजिस्ट्रेशन करने के बाद सरकार मालिकों के सामने नतमस्तक होकर रजिस्ट्रेशन को समाप्त करती है। मैं गया उस कारखाने के गेट पर तो उस जापानी कम्पनी के मैनेजर ने कहा कि यहां भारत देश का कानून नहीं चलेगा, जापान का कानून चलेगा। इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिये नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय, आज जिस तरह से जलमहल को लूटा है दोनों ने मिलकर के...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करिये अब आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): समाप्त ही कर रहा हूं।

लूटने में आप इन पर आरोप लगा दें, आपके मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार और मुख्य मंत्री ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, कौन रोक रहा है? आपके पास सरकार है। आप राजनीतिक द्वेषता के लिये अपने मंत्री को, अपने विधायक को तो जेल में भेज सकते हो, लेकिन वसुन्धरा जी की जांच करने में तकलीफ आ रही है। आपको जिंदल की सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं है। एक मस्जिद को शहीद कर दिया। उस जिंदल पर आज एफ आई आर है, सरकार में दम है तो जिंदल को गिरफ्तार करके दिखाये। यू.पी. में मस्जिद ये शहीद कर दें। दिल्ली से लेकर के जयपुर तक आपकी सरकार है और भीलवाड़ा में मस्जिद को शहीद जिंदल कर दे, जिंदल गिरफ्तार नहीं हो!

सभापति महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि उस गरीब की सोचिये। केवल वोटों के सौदागर हम हो जायेंगे! जाति के नाम से, राजनीति में इतनी गिरावट!

सभापति महोदय, राज्य सभा के चुनावों में हम चुने हुए लोगों की बिक्री पर तो हद हो गयी। देश की संसद को कानून बनाना पड़ा कि राज्य सभा के चुनाव में विधायक कोई भी वोट देगा तो पार्टी के एजेंट को दिखाकर देगा। इस राजस्थान की विधान सभा में हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे हैं, दोनों पार्टियों के विधायकों ने जो वोट दिया और अपने हाई कमान को लिखकर के भेजा तो हुआ कुछ? जो चोरी में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार में नीचे से लेकर के ऊपर तक डूबे हुए हैं।

सभापति महोदय, मेरा तो इतना ही कहना है कि आज ना तो उस गरीब की सुनी जा रही है। आज देश और प्रदेश जिस बेरोजगारी के बारूद पर बैठा है, वह जिस गरीब, दलित, आदिवासी, माइनोरिटी के साथ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, हालत यह है कि जो 2 लाख से ज्यादा महिलाएं मिड-डे मील बना रही हैं...

श्री सभापति: मैं दूसरा नाम बोलने जा रहा हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 7 घंटे काम करने के बाद ...

श्री सभापति: मैं दुबारा बोल रहा हूं, मैं दूसरा नाम बोलने जा रहा हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, एक मिनट। आज मैं ही नहीं कहता, राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महोदया सरकार को चिट्ठी लिखती हैं कि राजस्थान का सबसे गरीब आदिवासी का बजट जो इस विधान सभा ने पास किया, उसका 33 प्रतिशत भी लागू नहीं हुआ है। एक-एक साल में चार-चार सौ करोड़ रुपये अगर अनस्पेण्ट रह जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार ये राजस्थान की विधान सभा में बैठे हुए लोग हैं।

श्री सभापति: मैं बोल रहा हूं। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह अभिभाषण निश्चित रूप से राजस्थान की न दिशा बताता है और न दशा बताता है, यह राजस्थान सरकार की पांच साल की थोथी घोषणाओं का, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार का अभिभाषण है जिसका मैं और मेरी पार्टी निश्चित रूप से विरोध करते हैं। अभी भी समय है, सरकार ने जो भी वायदे राजस्थान की 7 करोड़ जनता से किए हैं, अभी भी समय है, 6-7 महीनों का, आप उनको पूरा करें। मैं समझता हूं कि जो आप पर विश्वास किया, पूरा विश्वास तो नहीं किया लेकिन उस विश्वास के साथ, जनता के विश्वास के साथ आपने जो विश्वासघात किया है, अभी भी छह महीने का समय है, अगर नहीं सुधरोगे...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब अंकित नहीं होगा। आसन ने दूसरा नाम पुकार लिया है, अब आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के 13वीं विधान सभा के दशम् सत्र में दिये गये अभिभाषण पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। (व्यवधान) इस अभिभाषण के अन्दर किताब पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि सब कुछ किसानों को दे दिया। (व्यवधान) आप तो हमारे साथ आ जाओ, श्रवणजी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बोलने दीजिये। जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने आपको पूरा मौका दिया। अब आप इनको बोलने दीजिये, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: कृपया विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अभिभाषण को पूरा पढ़ने से ऐसा लगता है कि सारा कुछ दे दिया राजस्थान को, अब कुछ बचा ही नहीं है पीछे देने के लिए। पृष्ठ 4 पर किसानों के हित में निर्णय लेकर मुख्य मंत्री ब्याज-मुक्त फसली ऋण योजना लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये तक के फसली ऋण को समय पर चुकाने पर ब्याज-मुक्त रखा गया है। जब फसल ही नष्ट हो गई तो फसली ऋण कहां से चुकायेंगे? इसके बजाय तो आप यह करते कि एक लाख रुपये तक का जो ऋण दिया है, उस पूरे ऋण को माफ करके यह संदेश देते कि वास्तव में किसानों की सोच की सरकार राजस्थान के अन्दर है।

राज्य में कृषि को जो बजट दिया जा रहा है, देश में कृषि विकास दर 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए कृषि मंत्रालय ने आगामी केन्द्रीय बजट में ज्यादा आबंटन की मांग की है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में कृषि को ज्यादा आबंटन किया जाना चाहिए। कृषि मंत्रालय मान रहा है क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजनाएं संचालित करने के लिए उत्पादन बढ़ाना बेहद जरूरी है।

राज्य सरकार शिक्षा के प्रसार एवं स्तर को बेहतर बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। अभी जो एक लाख अध्यापक लगाने की घोषणा पिछले चार साल से कर रहे हैं, वह अब तो पूरी हो ही नहीं सकती क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 30-40 हजार अध्यापक जरूर आपने लगाये हैं लेकिन अभी भी प्रदेश में हजारों अध्यापकों के पद रिक्त हैं और हजारों ऐसे स्कूल हैं, जहां पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। बोर्ड के सेंटर्स ऐसी जगहों पर दे दिए जहां पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, एम एल ए और एम पी का इन्तजार कर रहे हैं कि फर्नीचर की व्यवस्था एम एल ए और एम पी करायेंगे, एम एल ए लेड और एम पी लैड से। तो विभाग जो बच्चों से फीस लेता है, विभाग का जो बजट होता है, उससे विभाग क्या काम करवाता है?

अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 6 पर, राज्य सरकार प्रत्येक सत्र में विकास के नए अध्याय सृजित कर रही है, पशु धन विकास नीति, बायोमास; ये कहां लग रहे हैं? हमारे इलाके में तो नहीं लग रहे हैं कहीं भी। पशु धन विकास नीति के मामले में अभी मुफ्त दवा योजना की शुरूआत की लेकिन अभी भी पशुओं की मुफ्त दवाई पशुपालकों को नहीं मिल रही है। अभी भी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

डाक्टर और कम्पाउण्डर जो पशुओं के इलाज के लिए किसी किसान के या पशुपालक के घर पर जाते हैं तो अपनी तीन सौ और पांच सौ रुपये की जो फीस है, अभी भी लेते हैं। वह बंद नहीं हुई है राजस्थान के अन्दर आज की तारीख तक।

वन नीति के अन्दर आप वन क्षेत्र से आदिवासियों को खदेड़ रहे हो। (व्यवधान) पट्टे देने की बात कर रहे हो, पट्टे दे कहां रहे हो? उनकी कोई समुचित व्यवस्था आप कर नहीं रहे हो। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनें, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे कैसे भाषण की उम्मीद करते हैं, वह बताओ। यह क्या बात हुई? मैं बोलूं तो सही सारा। देखो, हम तीसरे मोर्चे के लोग हैं, तीसरे मोर्चे की बात करेंगे; आपके पक्ष में भी नहीं करेंगे और इनके पक्ष में भी नहीं करेंगे।

जल नीति; जल नीति आप क्या बनाने जा रहे हैं? डार्क जोन, आज मेरे विधान सभा क्षेत्र और मेरे जिले को आप ले लो, राजस्थान के हर जिले की समस्या हो गई है, जहां 1500 फीट गहरा पानी चला गया, वह भी डार्क जोन के अन्दर और 300 फीट पर जहां वाटर लेवल है वह भी डार्क जोन। कितनी दोहरी नीति किसानों के साथ है? उसके सामने रोजगार का कोई साधन नहीं है। डार्क जोन की आड़ में राजस्थान के किसान को मारा जा रहा है। उनके सामने अपने परिवार का पेट पालने का कोई साधन नहीं बचा है। इसलिए आप जल नीति के अन्दर परिवर्तन कीजिये और वापस रि-सर्वे करवाये; एक वाटर लेवल तय हो कि यहां पानी 1500-2000 फीट पर चला गया है तो यहां का पानी तो सिर्फ पीने के लिए ही काम आएगा, वहां तो पीने के पानी के हिसाब से डार्क जोन घोषित करें और जहां तीन सौ-चार सौ फीट पर आप किसानों के सामने कौन से नदी-नाले ला रहे हो? वे अपनी खेती कैसे करेंगे? कैसे अपने परिवार का पेट पालेंगे? इसलिए इस जल नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अभी आपके पास यह सत्र पडा है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि छोटा सत्र और भी होगा बाद में, एक दो दिन का, तो जल नीति के अन्दर आप सुधार करें।

सौर ऊर्जा नीति; आज राजस्थान सौर ऊर्जा की दृष्टि से सबसे अच्छा प्रदेश है लेकिन इसमें भी कहीं पर सरकार की कोई ठोस नीति नजर नहीं आ रही है। (व्यवधान) बोल तो रहा हूं। श्रवणजी, आप तीन-चार बार बनकर आ

(श्री हनुमान बेनीवाल)

गये; दूसरी बार फिर आऊंगा तो मैं भी ऐसे ही बोलूंगा, चिंता मत करो आप। (व्यवधान) मैं खुलकर बोला था तो आपने मुझे निलम्बित करवा दिया, बाहर भेजा था मुझे। तब आप आए थे न बचाने के लिए।

राज्य सरकार विद्युत उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। अभी अमरारामजी बता रहे थे, गत 4 वर्षों की क्षमता बता रहे थे, 4,075 मेगावाट क्षमता की वृद्धि कर दी, विद्युत क्षमता 10,615 मेगावाट हो गई। 8 घण्टे किसानों को बिजली देने की बात थी घोषणा पत्र के अन्दर। 6 घण्टे बिजली आप कैसे देते हो, इसके लिए बड़े प्रदर्शन करने पड़ते हैं हमको तथा हजारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं और तब जाकर 6 घण्टे बिजली की आप घोषणा करते हैं और वह भी तब जब सीजन, आदि चला जाता है, उसके बाद आप किसानों को 6 घण्टे बिजली देते हो। तो बिजली के मामले में भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान सरकार ने हासिल नहीं की है।

विद्युत प्रसारण और वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाया है; गांवों को और ढाणियों को जोड़ा गया है; बी पी एल वालों को जोड़ दिया; बी पी एल का काम करके लोग चले गये, जो बी पी एल थे वे तो जुड़े नहीं और बिना बी पी एल वाले सारे जुड़ गये। लूट मचाई है राजस्थान के अन्दर। आप किसी भी एक जिले की जांच करवा लेते और एक जिले की जांच करवाकर अगर आप कार्यवाही करते, उन ठेकेदारों पर और उन कम्पनियों के खिलाफ तो एक संदेश पूरे राजस्थान के अन्दर जाता। बी पी एल वाले आएं, कुछ भी करके चले गये और आपके विभाग के अधिकारियों ने उस बात को सही मान लिया, उस गांव के समस्त बी पी एल को ढाणियों से जुड़ा हुआ मान लिया और एन ओ सी दे दी और उन्होंने पूरा पैसा भी उठा लिया। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस बी पी एल, जो बिजली की योजना के अन्दर हुआ है।

2012-13 में 26 शहरी जलप्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन हेतु 2,074 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये लेकिन गांव के लिए जो एन आर डी डब्ल्यू पी का 13 सौ करोड़ रुपये आपको मिला था, राजस्थान सरकार को, उसमें से मात्र 30 प्रतिशत पैसा ही खर्च हुआ, 70 प्रतिशत पैसा लैप्स हो गया।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के बारे में ज्यादा ही बखान करते हैं, गांधीवादी हैं, 2013 में भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति को सम्मानित किया गया; इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसके बजाय तो नरेगा के अन्दर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जितने भी राजस्थान के अन्दर रेलवे क्रासिंग हैं, ऐसा कुछ आप; कड़ी से कड़ी आपकी जुड़ी हुई है, राजस्थान में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है तो आमजन को फायदा मिले, आप पुलिया बनाते। नरेगा में कई जगह तो 5 रुपये का भुगतान होता है, कई जगह 7 रुपये, कई जगह 13 रुपये और इसका ढिंढोरा इतना ज्यादा पीटते हैं। पिछली बार की सरकार ने तो, खैर, नरेगा के नाम पर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन गई थी लेकिन ऐसा एक बार ही होता है, फिर दुबारा नहीं होगा यह मामला। एक बार कोई भी चीज चल जाती है।

कृषि विपणन व्यवस्था को नियमित बनाने हेतु किसानों को उनके निकटतम स्थान पर विपणन सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 5 नवीन मंडियों तथा 10 नवीन यार्डों की स्थापना की गई, लेकिन सौ रुपये जो बोनस के नाम पर आपने दिये, वे सौ रुपये किसानों तक नहीं पहुंचे; बिचौलिये उसको बीच में खा गये। आपको बोनस बढ़ाकर दो सौ रुपये प्रति क्विंटल कर करना चाहिए, सरकार को।

महिलाओं को विभिन्न अत्याचार और शोषण से बचाने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं लेकिन प्रदेश में महिला अत्याचार की घटनाएं पिछले 4 सालों में पूर्ववर्ती सरकार के 5 सालों से भी ज्यादा बढ़ गयी हैं, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस थानों में बलात्कार हो रहे हैं, बड़े-बड़े नाम, कहीं तो विश्वविद्यालय का चांसलर बलात्कार का आरोपी है।

जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। थोड़ा जनजातियों का भी बोल दूं, तीसरे मोर्चे में जनजातियों के लोग भी काफी हैं, आप सोचो। (व्यवधान) उसके अन्तर्गत अब तक कुल 32,616 दावों को स्वीकार कर अधिकार-पत्र वितरित किये जा चुके हैं ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं, अब बोलूंगा, थोड़ा रुको तो सही। दो बार हूं मैं; श्रवणजी, सुनो, दो बार हूं। अभी एक बार इसका मुझे, मैं अध्ययन करके बोलता हूं, यों ही खड़े होकर थोड़े ही बोलता हूं। मैं पूरी पढ़ाई करके ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका ध्यान आसन की तरफ ज्यादा होना चाहिए। आप श्रवणजी से बात कर रहे हो, सदन को तो बोलो बात।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): श्रवणजी हमारे सम्पर्क में हैं, साहब, इसलिए ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है।

श्री सभापति: अच्छा बोलिए, कृपया बोलिए। टाइम हो जाएगा आपका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरकार वन विभाग से बेदखली कर रही है, वनवासियों को पट्टे जारी नहीं कर रही है। एनिकट, सड़क, बिजली और जितने भी एन जी ओ बनाये हुए हैं राजस्थान के अन्दर, ऐसा लगता है कि एन जी ओ सरकार को चला रहे हैं और किसी भी एन जी ओ की कोई जांच आज तक नहीं हुई। हुई तो आप बता दें। पांच साल पहले और चार साल, कुल 9 साल से तो हम लगातार देख रहे हैं। एन जी ओ वाले लोग मुख्य मंत्री कार्यालय और मंत्रियों के कार्यालयों में ऐसे घुसते हैं, जैसे इन्होंने ही इनको मंत्री बनाया और मुख्य मंत्री बनाया। उनका इतना दबदबा है राज के अन्दर, लगता ही नहीं कि सरकार किसानों की है या यह एन जी ओ चलाने वालों की।

राज्य में वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन पेंशन योजना के अन्तर्गत इसको बढ़ाकर, लगभग 5 सौ रुपये प्रति पेंशन को बढ़ाना चाहिए। बेरोजगारी भत्ते पर अभी अमरारामजी ने बताया था, बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में 1,500 रुपये प्रति बेरोजगार को, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमाधारी हैं, आज इस महंगाई के युग के अन्दर पांच सौ रुपये में कुछ नहीं मिलने वाला।

राजस्थान में विकास एवं नव निर्माण का नया दौर चल पड़ा है; कहां चला? नया दौर बताओ आप। हमें तो नजर नहीं आ रहा। वही आ रहा है, पुराना दौर, पुराने वाला भ्रष्टाचार अब नजर आ रहा है।

प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के टाइम घड़साना, सोहेला गोली कांड हुआ, गुर्जरों को मारा गया और आपने गोपालगढ़ के अन्दर मार कर पूर्ववर्ती सरकार की बराबरी कर ली। एक चीज में आप आगे हो, पूर्ववर्ती सरकार के हमारे गृह मंत्री संवेदनशील थे, हर मामले को दिल से ले लेते थे लेकिन आप तो जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। आज जोधपुर के अन्दर 10 हजार लोग सड़कों पर बैठे हैं, पांच दिन से दो परिवारों के अन्दर मौतें हो गईं, तीन परिवारजन उनके जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं लेकिन फिर भी यहां कांग्रेस और बी जे पी, मतलब मानवता, ये ऐसी जो मानवीय संवेदनाएं सदन में होनी चाहिए, वे नजर नहीं आ रही हैं।

जो पिछला चुनाव हुआ था विधान सभा का, उसके अन्दर बड़े जोर-शोर से दावे किये गये कि भ्रष्टाचार, सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। भारतीय

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जनता पार्टी ने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा, लोगों ने आपको 5-7 सीटें ज्यादा दीं और आपने जोड़-तोड़ करके सरकार बना ली। घोषणा पत्र के अन्दर, यह बात जनता पूछेगी आपसे जब आप चुनाव के अन्दर जाओगे, क्योंकि पिछली बार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मांग लिये, अब आपने सवा चार साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या जांच करा ली? राजस्थान के अन्दर माथुर आयोग बनाया, उसमें इन्क्वायरी एक्ट का प्रावधान नहीं रखा, इससे यह लग रहा है कि ये मिले हुए हैं आपस में। करोड़ों का कालीन चोरी हो गया, कहां गया कालीन? राजस्थान की जनता पूछती है हमसे कि कालीन कहां है? या तो बता दें कि कालीन आ गया वापस, सरकारी खजाने में जमा हो गया और नहीं हुआ तो फिर कालीन चोर कौन है? क्या कार्यवाही सरकार कर रही है उन पर? दलित की जमीन पर कब्जा कर लिया +++ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं। क्या है, साहब, यह? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, यह इस प्रकार से कैसे आरोप लगा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चरागाह की भूमि को अपने नाम करा लिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है,। पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बेनीवाल साहब, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, मैं वही बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या हम आरोप नहीं लगा सकते? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अखबारों के अन्दर जो बात आई है, वही बात मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आरोपों को रिकार्ड से निकलवाया जाए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जांच करवाने का ही तो कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों के नियम 272 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 272 है, ''बोलते समय पालनीय नियम – ...(1) किसी ऐसे तथ्य विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो; (2) किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा;...।'' सभापति महोदय, जो मामला न्यायिक विनिश्चय के लिए अभी लम्बित हो, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे प्रकरण, हमारे नियमों में है कि नहीं उठा सकते तथा न ही व्यक्तिगत कोई दोषारोपण कर सकते हैं। अगर माननीय सदस्य को कोई दोषारोपण करना था तो प्रक्रिया के नियम 273 में इसका प्रावधान है, वे नोटिस देते, वह नोटिस, हमें 24 घंटे मिलते और हम उसका जवाब भी देते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पाइंट आफ आर्डर आपने बता दिया। माननीय सदस्य, आप ध्यान रखें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, एक्सपंज करवाओ इसको आप।

श्री सभापति: हां, एक्सपंज कर दें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): किस तरह मिला-जुली का खेल राजस्थान में चल रहा है, यह करोड़ों लोग देख रहे हैं। जब राजस्थान....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसको एक्सपंज करवा दिया?

श्री सभापति: बोल दिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जब राजस्थान तकलीफ में था, बिजली का संकट राजस्थान के अन्दर था, अकाल से लोग मर रहे थे, नौजवान आत्महत्याएं कर रहे थे, तब आप लोग कहां थे? अब मुख्य मंत्री बनने के लिए लन्दन से सीधे आ गये। लोग पूछेंगे इस बात का हिसाब-किताब, सारा हिसाब-किताब लोग लेंगे। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, यह सदन है, सदन की मर्यादा रखें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप व्यवधान न करें, माननीय सदस्य को आप कृपया बोलने दें। (व्यवधान) बैठिये आप। आप बैठिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, ऐसे कैसे बोलने की इजाजत दे रहे हो आप? इस प्रकार की इजाजत कैसे दे रहे हो आप? ऐसे शब्दों को प्रोसीडिंग्स से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अपनी-अपनी स्वतंत्रता है, इनमें से बोलें तब उनका विरोध कर देना। (व्यवधान) आप बोलने नहीं देंगे, यह क्या बात है?

एक माननीय सदस्य : अगर आपकी सरकार में हिम्मत है तो आप जांच कराते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आप व्यवस्था तो दें; मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था तो दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। आसन पैरों पर है, कृपया विराजिये। माननीय सदस्य महोदय, पहले आप मेरी बात सुनें; आप मेरी बात सुनें। आप इस बात का ध्यान रखें, माननीय सदस्य राठौड़जी ने कहा है उसके बारे में आप ध्यान रखें, कोई इस किस्म की बात नहीं करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने किसी का नाम तो व्यक्तिगत लिया ही नहीं। कहां लिया? क्या गलत कह दिया? मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया।

श्री सभापति: मेरी बात सुनिये आप। आप क्यों ऐसी बात बोलें जिससे व्यवधान हो? (व्यवधान) अब बोलिये आप।

श्री नगराज (धरियावद): ऐसा क्या गलत कह दिया? कहने दो इनको अपनी बात।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री नगराज (धरियावद): माननीय सदस्य को बोलने दीजिये आप। बोलने दीजिये। किसी का व्यक्तिगत नाम थोड़े ही लिया है। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): कल तो खुद नाम ले रहे थे। नियम

(श्री मदन प्रजापत)

सब के ऊपर लागू होता है। (व्यवधान) बोलिये, हनुमानजी, बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: चलिये, बोलिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जल महल खा लिया, अब किसका नाम लें, सभापति महोदय? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, यह पूरा राजस्थान जानता है कि किस तरह मिलाजुली का खेल चल रहा है। मेरे नागौर के अन्दर शिक्षा के पावन स्थल पर पूर्व मुख्य मंत्री वहां आईं और उनको 2,000 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मुहैया कराई और शांतिपूर्वक जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया जिसमें 20 लोग घायल हुए। इसलिए लोग सब समझते हैं कि मुख्य मंत्रीजी और पूर्व मुख्य मंत्रीजी मिले हुए हैं। आप नहीं कहोगे तो चुनाव में जाओगे जब लोग बता देंगे। शांतिपूर्वक विरोध करने वाले लोगों को आप इस तरह पीटकर रोकना चाहोगे तो आप राजस्थान के अन्दर चलना, निकल पड़ना, हम तैयार खड़े हैं, फिर तैयार हैं पूरी ताकत के साथ। (व्यवधान) यात्रा तो निकाल ही रहे हैं। सुनो....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं कि आपका ध्यान ज्यादातर इधर होना चाहिए और आप उधर दूसरे साथियों से कर रहे हैं। अब आपका टाइम भी समाप्त होने जा रहा है, दो मिनट बचे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं अब ज्यादा पूर्ववर्ती सरकार और इस सरकार के भ्रष्टाचार के मामले में नहीं बोलना चाहता, पर बस इतना ही है कि अगर ये भ्रष्टाचार की जांच करा लें तो भैरोंसिंहजी की आत्मा को शांति मिल जाए क्योंकि +++ नहीं तो उन भैरोंसिंह जी की आत्मा ऊपर भटक रही है। कैलाशजी मेघवाल तो एक टिकट के अन्दर सेट हो गये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ....ये इस प्रकार की बातें करके यहां सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान) गुमराह कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान सरकार अगर राजस्थान को सही दिशा देना चाहती है और चाहती है कि आम आदमी और गरीब की सरकार यह कहलाये, तो खाली अभिभाषण में लिखने से कुछ नहीं होगा, पैट्रोल

(श्री हनुमान बेनीवाल)

और डीजल पर जो वैट लगा रखा है उस वैट को कम किया जाए जैसे गोवा की सरकार ने कर रखा है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड की तर्ज पर यहां मजबूत लोकायुक्त करें। कब करेंगे आप? अब तो 6 महीने ही बचे हैं। फटाफट करें, महीने-दो महीने में, जो भी हैं।

या तो आप असत्य बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं और हुआ तो फिर जांच करके बताओ। हमें तो वह कालीन चाहिए। हम चाहते हैं कि इतना महंगा, बेशकीमती कालीन गया कहां आखिर? राजस्थान की जनता हमसे पूछ रही है कि कालीन कहां गया, कालीन कहां गया? अगर कालीन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि परदे के पीछे से मुख्य मंत्रीजी इस मामले में पूरी मदद कर रहे हैं। इन्होंने लाठियों से पीटकर बता दिया कि हम दोनों एक हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में तीसरी ताकत आयेगी। अभी आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन आप में से ही कई लोग इस तीसरी पार्टी का टिकट मांगने के लिए हमारे द्वार पर खड़े मिलेंगे, कई लोग। ठीक है, मन बना लिया। कालीचरणजी जैसे कह रहे हैं, तो बिना टिकट कालीचरणजी लड़ लें, पांच हजार वोट भी नहीं आयें इनके।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इस गलतफहमी में मत रहना, मालवीय नगर में आ जाओ, पता लग जाएगा। (व्यवधान) यहां बेकार की बातें करते हो। पांच बार जीता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यहां किसलिए आऊंगा मैं? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पांच बार जीता हूं, पांच बार। एक बार जीतकर आये हो, नौसिखिया हो अभी, पता नहीं है आपको कि चुनाव कैसे होता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कालीचरणजी, आप रहने दो। मैं तो निर्दलीय लड़ा, तब 38 हजार लिये पिछली बार। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पांच दफा जीते हो और एक दफा वहां भी बैठे थे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब की बार नागौर में खाता खोलकर दिखा देना, आ जाना सारे नेता वहां पर। मैं पूरे नागौर जिले की बात कर रहा हूं। आप छोड़ो। आप तो मालवीय नगर, मालवीय नगर, आप तो मालवीय नगर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

तक के नेता हैं, सीमित नेता हैं आप। हम पूरे राजस्थान में मोर्चा बनाकर ला रहे हैं, हम। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): राजस्थान के नेता हम हैं या आप हैं, यह तो दुनिया जानती है इस बात को। जमानत जब्त होगी इस बार। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कोई नहीं। आपको भी सब जानते हैं, आप शिक्षा मंत्री थे और आपने क्या-क्या किया था, यह दुनिया जानती है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): जो ये कह रहे हैं कि दोनों मिले हुए हैं और मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया, ये +++ होकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये +++ तो कांग्रेसी हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप किसलिए गये वहां अलवर के अन्दर? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): +++ कांग्रेसियों, आप सपोर्ट कर रहे हो! वह आप पर आरोप लगा रहा है कि दोनों मिले हुए हैं, वह आरोप लगा रहा है कि लाठीचार्ज किया, वह आरोप लगा रहा है कि मुख्य मंत्री मिले हुए हैं, आरोप लगा रहा है कि मुख्य मंत्री जांच नहीं कर रहे हैं, वह आरोप लगा रहा है और आप तालियां बजा रहे हो! सपोर्ट कर रहे हो! (व्यवधान) इतनी बड़ी +++... (व्यवधान) इतनी बड़ी +++ है कांग्रेसियों की। (व्यवधान) +++ तालियां बजा रहे हो! (व्यवधान) ताली पर ताली बजा रहे हैं। (व्यवधान) तालियां बजा रहे हो। (व्यवधान) आप इतने +++ हो गये हो, ताली बजाकर इतने +++ दिखा रहे हो। +++ की हद हो गई, डूबने की हद हो गई। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह कोई नौटंकी की जगह नहीं है, विधान सभा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): +++ मैं बेनीवालजी को कुछ नहीं कह रहा, मैं आपके लिए लानत दे रहा हूं, मैं आपके लिए लानत दे रहा हूं, +++ यह आप पर आरोप लगा रहा है और आप तालियां बजा रहे हो। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप भी तो सेट हो गये, आपने भी तो सेटिंग कर ली। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, सचेतक महोदय कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ... आप खुश हो रहे हों कि राजेन्द्र राठौड़ और कालीचरण के खिलाफ बोल रहा है, आप खुश हो रहे हों कि वसुंधरा जी के खिलाफ बोल रहा है। +++ (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापतिजी, मेरा निवेदन है कि जब समय भी बढ़ा दिया और बात बराबर चल रही है तो एक तो +++ कहना, +++ कांग्रेस कहना....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हनुमानजी, कृपया विराजिये। आप सुनें, उप मुख्य सचेतकजी बोल रहे हैं।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): इसकी आप व्यवस्था करें कि इनको एक्सपंज किया जाए, वे शब्द एक्सपंज हो जाएं। मेरी बात तो सुनें। आप +++ कहो, +++ कांग्रेसी कहो और फिर आप कह रहे हो कि माहौल अच्छा नहीं हो, बात बराबर कर नहीं रहे हैं। अब वे सत्ता पक्ष के बारे में क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सदन आराम से चले। जब हम उस बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उनको सजेशन क्यों दे रहे हो? आप हमको क्यों सजेशन दे रहे हो?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह कोई नौटंकी का स्टेज है क्या? यह नौटंकी स्टेज है क्या? यह विधान सभा है। (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आप डिफेंड करो। आप हमारी मदद क्यों चाह रहे हो? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप आरोप लगा रहे थे तब चौपड़ नहीं थी क्या? जब ये आरोप लगायें तब तो सही है।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आप व्यवस्था दो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, डीग से आने वाले माननीय सदस्य जमीन के घोटाले का आरोप लगायें, तब तो सही है और जब इन पर खुद पर आये तो गड़बड़ है! (व्यवधान) यह कैसे हो सकता है कि जब खुद बोलें तब तो आरोप लगायें कि जमीन में यह खा गया, सरकार का दामाद खा गया और अब पेट दुख रहा है? अब पेट क्यों दुख रहा है? (व्यवधान) आप क्यों खड़े होकर लगाते हो? अब दोनों पर लग रहा है तो क्यों पेट दुख रहा है?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): वह क्या बोल रहा है, उसमें आपको क्या एतराज है? +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कामरेड, आपको तो ममता बनर्जी ने समझा दिया; कामरेडों, आपको तो ममता बनर्जी बेदखल ने कर दिया; बेदखल होकर अब क्या बोल रहे हो? आपको तो ममता बनर्जी ने सबक सिखा दिया, ममता बनर्जी ने आपको सही ढंग से पहुंचा दिया, आपको ठिकाने पहुंचा दिया श्मशान के पास में। (व्यवधान) आप, कामरेडों, क्या बोल रहे हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 32 हजार करोड़ का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपका तो वहां पर खाता ही नहीं खुला। (व्यवधान) आपका तो वहां पर खाता ही नहीं खुला हुआ। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मजदूरों की बात करने वालों, डुबाओगे मजदूरों को। वहां पर डुबो दिया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 32 हजार करोड़ का क्या हुआ? उसका हिसाब तो बताओ। राजस्थान की जनता पूछ रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय अमरारामजी, माननीय सदस्य, विराजिये। आहूजाजी, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। आहूजा साहब, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इसीलिए वहां सत्ता से हट गये। आप इसीलिए सत्ता से हट गये। (व्यवधान)

(18.00 बजे)

ममताजी ने डुबो दिया। मैं मजदूर नेता था, मजदूरों की बात करते हो, मजदूरों को डुबो दिया, कामरेडों, इसीलिए बंगाल से हट गये। (व्यवधान) बंगाल को डुबो दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आहूजा साहब, माननीय सदस्य आहूजा साहब, कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ): बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया... (व्यवधान) बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया आपको । (व्यवधान) ममताजी ने फेंक दिया। मजदूरों की बात करते हो, मैं रहा हूं मजदूर नेता असली में, बिना आरोप के रहा हूं। (व्यवधान) मैं लीडर रहा हूं, 30 साल से लीडर रहा। क्या बेशरमायी की बात करते हो आप! (व्यवधान) आपको ममता दीदी ने बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सदन को कंट्रोल करिये। (व्यवधान) माननीय

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

सभापति महोदय, व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने के लिए कृपया इनको बाहर भेजें। (व्यवधान) सदन को कंट्रोल में करिये। (व्यवधान) सदन को शांति से चलाने के लिए कृपया इनको बाहर भेजें। (व्यवधान) सदन को कंट्रोल में करिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपका वहां पर एक भी नेता नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया, ... (व्यवधान) बे आफ बंगाल में फेंक दिया। (व्यवधान) मैं रहा हूं मजदूर नेता, मुझे पता है, कैसे शोषण किया आपने मजदूरों का; (व्यवधान) कैसे मजदूरों का शोषण किया आपने, कामरेडों। क्या बात करते हो! (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वहां पर कभी खाता नहीं खोल पाये। (व्यवधान) पहले खाता खोलकर बताओ आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): खाता क्या खोलते हो, +++ बता दिया आपको बंगाल में। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हम तो तुम्हारी छाती पर हैं। (व्यवधान) एक नहीं, तीन-तीन हैं। आप खाता खोलकर बताओ पहले। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सदन को आर्डर में लाने के लिए कृपया कार्यवाही करें ताकि सदन चले। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं सचेतक महोदय, राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा, अब आप देखिये कि आपकी तरफ से किन शब्दों का प्रयोग किया गया? मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी तरफ से भी थोड़ा अनुशासन को ठीक रखिये जिससे बाद में यह सदन चल सके। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब मैं क्या बोलूंगा, जब आप चुप नहीं रहेंगे तो? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप पहले अपनी अन्तरात्मा में झांकें। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): सभापति महोदय, 32,000 करोड़ रुपये का कह रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। (व्यवधान) तकलीफ हो रही है इनको।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सभापति महोदय, अगर राष्ट्रीय पार्टी के ... (व्यवधान) सहनशीलता का परिचय देना चाहिए।

श्री नगराज (धरियावद): माननीय सदस्य कुछ भी बोलें, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? (व्यवधान) ये बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप भी कौन होते हो बीच में बोलने वाले? (व्यवधान) आप कौन होते हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, बोलने दीजिये इनको। कृपया विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य हनुमान बेनीवालजी, आपके सिर्फ दो मिनट बाकी हैं, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट कितनी देर होती है? (व्यवधान) तो मैं फिर कब बोल पाऊंगा? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी एक सदस्य अपने... (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले एक सदस्य +++ ये सदस्य, इस तरह की भाषा बोलने वाले, खुद पर ही झांककर देख लें। सभ्यता और संस्कृति दोनों पर लागू होती है। जो आप बोल रहे थे, ये असंसदीय शब्द हैं और आप जिस तरह लड़ रहे थे, यह एम एल ए का काम नहीं होता है। (व्यवधान) ये क्या बोल रहे थे? वह बात तो दूसरी है क्या? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ऐसा है, सभापति महोदय, हम बार-बार कह रहे हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप सदन को आर्डर में लाइये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शरम आनी चाहिए आप लोगों को। (व्यवधान) आप क्या समझते हो अपने आपको? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान) आसन पैरों पर है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। (व्यवधान) आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दुबारा जीतकर आओगे तब बताऊंगा, क्या होता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हम आदर करते हैं तो इसका मतलब आप समझाते ही जा रहे हो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दुबारा आओ तब बोलना। (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.03 बजे, 18.33 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(18.33 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सबसे पहले मेरा निवेदन सुनें। व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं, व्यवस्थाओं के प्रति उल्लेख भी होते हैं, अच्छी बात है आपके ज्ञान की, आपके तजुर्बे की, अनुभव की लेकिन आज मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जो व्यवस्था आसन दे, उससे बड़ी व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी की है, आपकी अपनी है। हाउस को आप चलने दें, जो बोलना चाहते हैं उनको आप बोलने दें। उनका बोलने का हक है, आपका सुनने का हक है। कोई बात हो तो आप कह सकते हैं बीच में, लेकिन यह बीच में एक-दूसरे को कटाक्ष करना, आलोचना करना और बोलने नहीं देना, इससे हाउस की गरिमा, मैं समझता हूं, नहीं रह पाती। तो मेरा आपसे निवेदन है, किसी भी सदस्य को आप बोलने दें और सदस्य से भी यह मेरा निवेदन है कि वे कोई ऐसी बात नहीं कहें जिसके अन्दर व्यवस्था का प्रश्न आये।

श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आज प्रदेश का किसान, फसलें पूरी तबाह हो चुकी हैं किसानों की और ओलावृष्टि और पाला पड़ने से एवं अत्यधिक बारिश से किसान बरबादी के कगार पर है और राजस्थान सरकार ने जो पैकेज दिया है, यह किसानों के साथ मजाक है। न तो कोई साढ़े बारह बीघा से कोई लाभ मिलने वाला। इसमें कम से कम एक साल बिजली का बिल माफ हो; जहां किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, तहसील की बजाय ग्राम पंचायत को इकाई मानकर अगर गिरदावरी कराई जाय, उसमें सरपंच की, प्रधान और विधायकों की राय ली जाय, तो किसान को सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान किसानों की बरबादी की ओर दिलाना चाहूंगा।

रिफाइनरी और राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग पिछले पांच साल से लगातार चुनाव से पहले भी और बाद में भी उठती रही। चिंतन शिविर भी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हो गया, उसमें चिंता भी हो गई, देश की चिंता भी हो गई, प्रदेश की चिंता भी हो गई, लेकिन अब चुनावी साल है और लोग अब काम को देखेंगे और काम में विश्वास करेंगे। लोग आपसे भी जवाब मांगेंगे कि किरीट सोमैयाजी रोज आरोप लगा रहे हैं आप पर, लैपटाप, तो आप जवाब दो इसका।

एक चीज मेरे, मतलब मुझे यह देखने को मिला, मैं तो खुले आम बगावत कर रहा हूं और तीसरा मोर्चा हमने तो घोषित ही कर दिया, इसलिए बी जे पी के लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं है कि हम बी जे पी के अन्दर आयेंगे। हम तो हमारी लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई तो सरकार बनाने की लड़ाई है, कोई वापस जीत कर आने तक की लड़ाई थोड़े ही है। राजस्थान में सरकार हम लोग बनायें। अभी यह चिंता आप लोग करें। आप में से आधे से ज्यादा लोगों को मैं जानता हूं जो वसुंधराजी की बुराई पीछे से कैसे करते थे और अब ढोल बजाकर नाच रहे हैं, वसुंधराजी के सामने। उन लोगों के नाम लूं तो अच्छा नहीं लगेगा न, क्योंकि मेरे साथी कई रहे हैं। मैंने देखा है और हर आदमी लड़ नहीं सकता। हर आदमी लड़ नहीं सकता, लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, जमीन चाहिए, कांस्टिट्यूएंसी चाहिए। बिना विधान सभा क्षेत्र के क्या लड़ें? अब बताओ आप। अभी कोई शहर के एम एल ए को कह दें, मोहनलालजी को कह दें कि भाई, खींवसर से चुनाव लड़ो तो कैसे? बी जे पी के टिकट के बिना थोड़े ही जीत कर आ सकते हैं, यह तो बी जे पी का चिन्ह होगा तभी जीत कर आयेंगे।

तो लड़ना और आरोप लगाना, और गलत आरोप हमने कोई लगाया नहीं। हमसे पहले पता नहीं, क्या-क्या आरोप कितने-कितने लगे थे यहां, तब तो उत्तेजना नहीं फैली सदन के अन्दर। अब कोई मैं सच्ची बात कह दूं और तीसरे मोर्चे की बात कर लूं तो लोगों को तकलीफ हो। पिछली बार तो एक अकेले डाक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ही भारतीय जनता पार्टी के सपने धूमिल कर दिये; इस बार तो पता नहीं, कितने किरोड़ी और कितने हनुमान राजस्थान के अन्दर बी जे पी को धूल चटा देंगे, चुनाव के अन्दर। सरकार बनने का सपना छोड़ दें।

आपने तो राज, सी एम कांग्रेस का बना और पांच दिन बाद ही छाया मंत्रिमण्डल घोषित किया और उसमें एक एम एल ए कह रहा था कि मेरे को छाया मंत्रिमण्डल में मंत्री नहीं बनाया। मैंने कहा, यह कौन सा मंत्रिमण्डल हो गया; बोले, मेरे को वह नहीं दिया, वह दे दिया। तो मैंने कहा, देखो इनका,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मतलब जो भी तौर-तरीका और घमंड और अहंकार, अभी भी यह नहीं मान रहे कि कांग्रेस की सरकार है, यह कह रहे हैं कि हमारी ही सरकार है। अभी भी इतनी ज्यादा, कभी सर्किट हाउस में रुकीं नहीं मुख्य मंत्री, गढ़-किलों में रुकती थीं। एक दिन ही सर्किट हाउस में कहीं रूकी हों तो बता दो आप। बाकी सरकारी चीफ मिनिस्टर को तो सर्किट हाउस के अन्दर जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें रुकना चाहिए।

किसान की बात करते हैं, इस बार जवाब देंगे हम सब मिलकर कि किसानों के वोटों को किस तरह आंख पर पट्टी बांध कर, राजस्थान का नौजवान और राजस्थान का किसान इस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट नहीं डालेगा। आज देश के अन्दर जो माहौल बना है, आज देश का नौजवान भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है; आज हर आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है, वह चाहता है कि भ्रष्टाचार-मुक्त शासन मिले, ऐसे नेता चुनकर विधान सभा और लोक सभा के अन्दर जाएं जो ईमानदार हों। अभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि तीसरी ताकत राजस्थान में नहीं आएगी लेकिन दो-तीन महीने बाद आप देखना ज्यादातर लोग तीसरी पार्टी के टिकट मांगते नजर आएंगे और हमारे घरों के पास खड़े मिलेंगे कई लोग। जो अभी हमारा सामना कर रहे हैं, वे हमसे टाइम मांगते नजर आएंगे। हमने देखा है कि बड़े-बड़े नेताओं की औकात कितनी है और मैं तो उनको बहुत ही ज्यादा गलत मानता हूं। आहूजाजी जीतकर के आ गये तो फिर सरकार नहीं बनेगी।

श्री सभापति: मैं फिर निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाए रखें और बोलने दें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, इस सरकार ने भी कई कल्याणकारी योजनाएं और कई काम पिछले चार साल में किए लेकिन घोषणा पत्र के ऊपर पूरा अमल यह सरकार नहीं कर पाई। सबसे बड़ा काम जो बाकी रह गया, हमें तो तरस आता है, भैंरोसिंहजी की आत्मा को कैसे शांति मिले? अब या तो आप असत्य बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है और या फिर जांच कराकर साबित करें। यह जवाब राजस्थान की जनता आपसे मांगेगी। क्योंकि भैंरोसिंहजी तो आरोप लगाकर चले गए, अब मैं ही अकेला लेकर घूम रहा हूं, उन आरोपों को लेकर के। कैलाशजी मेघवाल भी चले गए, एक टिकट

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के अन्दर सलट गए वे भी लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं; टूट सकते हैं, झुकेंगे नहीं और परिवर्तन राजस्थान के अन्दर निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, एक बात समझ में नहीं आती है मुझे कि सदन के नेता पर आरोप लग रहा है, मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लग रहा है और सत्ता पक्ष के लोग टेबल बजा रहे हैं। फिर दूसरी बात यह हुई कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे, तब भी ये टेबलें बजा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सत्ता पक्ष के सारे सदस्य कहीं तीसरे मोर्चे में चले गए हैं क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिये, आपको बोलने की इजाजत नहीं है। माननीय सदस्य, कृपया बैठिये। आपको बोलने की इजाजत नहीं दी गई है। आप कृपया बैठिये, आपको बोलने की इजाजत नहीं दी गई है। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, कृपया बैठिये। माननीय सदस्य, कृपया बैठिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बैठिये। आसन को मजबूर नहीं करें आगे की कार्यवाही के लिए, कृपया बैठिये आप। मैं आखिरी बार कह रहा हूं आपको, कृपया बैठिये। बैठिये आप।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं समझ रहा था, आप तो बहुत अनुशासन प्रिय हैं, फौज से आते हैं, कृपया विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यहां तो जो कोई बोलता है, वह अपने आपको बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है।

श्री सभापति: हनुमान जी, अब कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्रदेश के अन्दर स्वाइन फ्लू से कितनी मौतें हो रही हैं? अब मैं बीच की बात कर रहा हूं और आपको अगर तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी वालों को तो आप पार्टी छोड़कर के आ जाएं, आपको भी समय मिलेगा बोलने का। आप में दम तो है नहीं, बैठे हो अन्दर और हमने छोड़ी है तो बोलने का समय तो मिलेगा यहां पर।

श्री सभापति: आप, माननीय सदस्य, अभिभाषण की तरफ चलें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): स्वाइन फ्लू से प्रदेश में मौतें हो रही हैं। इसके रोकथाम के कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं चिकित्सा मंत्रीजी को खुद को तो स्वाइन फ्लू नहीं हो गया है, क्योंकि वे बिलकुल सुस्त नजर आते हैं, मंत्रीजी।

जोधपुर जिले में प्रसूताओं की मौत और जेठानियां गांव के अन्दर, जोधपुर जिले में एक जाट परिवार के गोकुल राम को एक एक्सीडेंट के मामले में, हत्या के मामले में उसको गिरफ्तार करवाया। हमारे लोहावट के विधायक ने रास्ता रोककर के प्रदर्शन किया। फिर बाद में उसके पिताजी की डैथ हुई तो उसको गांव में अंतिम संस्कार भी उसका नहीं करने दिया। यह आज हो रहा है, आज के टाइम में हो रहा है, यह मैं बता रहा हूं आपको।

कैरूं के सरपंच सुरेश चौधरी की हत्या कर दी गई, भू-माफियाओं से और पर्यटन माफियाओं से लड़ते हुए कैरूं के सरपंच ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लेकिन उसको शहीद का दर्जा यह सरकार नहीं दे सकी। छोटूलाल का एन्काउंटर हुआ, शिवलाल विश्नोई की हत्या हुई, ये सारी जोधपुर ज़िले के अन्दर हुई हैं। तो यह सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। आज भी हजारों विश्नोई समाज के लोग वहां सड़क पर खड़े हैं, पांच दिन से शव नहीं उठा रहे हैं। आपके गृह मंत्री बोल ही नहीं रहे हैं। कम से कम पुरानी सरकार के गृह मंत्रीजी संवेदनशीलता दिखाते हुए रोने लग जाते थे, आप कम से कम रो दो तो ही मान लें कि आपने बराबरी की है। आप तो रो भी नहीं सकते। तो आपसे क्या उम्मीद लोग करेंगे?

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और आगे भी मुझे इस विधान सभा का जो सत्र चलेगा, आप अवसर देते रहें ताकि मैं किसानों की, नौजवानों की और प्रदेश के विकास की बात पुरज़ोर ढंग से विधान सभा में उठा सकूं। तीसरे मोर्चे की तो अब ज्यादा देरी नहीं है। आने वाला जो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

चुनाव है, उसमें सब पता लग जाएगा, कौन कितना पानी में है। अभी यहां बात करने से क्या मतलब है? वह तो जनता फैसला करेगी। जो लोग कांग्रेस-बी जे पी के खिलाफ लड़कर जीत कर आये हैं, अगर वे ही पार्टियों के पक्ष की बात करने लग गए तो फिर लोग क्या करेंगे?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं जीत कर आया हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अब। माननीय सदस्य, आपको इजाजत नहीं है, आप बैठिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): हत्या के आरोप में दो भाई तो जेल में मरे हैं इनके और +++

श्री सभापति: कृपया बैठिये आप। कृपया बैठिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप तो जेल तोड़ कर भाग गए थे।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): जेल के अन्दर दो भाई मरे हैं इनके और +++ और जाटों की वकालत कर रहे हैं अब।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बैठिये आप। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कृपया बैठिये आप। आपको इजाजत नहीं है बोलने की।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ये कंटिन्यू जीते हैं दस बार; दस बार, पन्द्रह बार जीत गया है यह एम एल ए, एक बार बी जे पी की मेहरबानी हुई तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, कृपया बैठिये। कृपया बैठिये। माननीय सदस्य, समाप्त करें अब आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप लड़ लेना मेरे सामने चुनाव इस बार।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, आप मेरी बात सुनिये।

श्री सभापति: आप दोनों बैठिये, दोनों को इजाजत नहीं है। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री पदमाराम।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सभापति: आप दोनों को कोई इजाजत नहीं है। अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: देखिए, माननीय सदस्य, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सदन की गरिमा बनाये रखें। आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, आप बैठिये, आपको इजाजत नहीं है। आपका कोई अंकित नहीं हो रहा है। श्री पदमाराम।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सभापति: रणवीर जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कृपया विराजिए आप। आपको अच्छी सलाह दे रहा हूं; अच्छी सलाह दे रहा हूं, कृपया विराजिए आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आप कई बार यह बात कह चुके, कृपया विराजिये। कृपया विराजिये। कृपया विराजिये आप। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सभापति: मैं सदन की गरिमा रखूंगा, आप तो माननीय सदस्य नहीं रख रहे हैं।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2013 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.51 बजे बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2013 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय महाविद्यालय रहित तहसील/उप खण्ड मुख्यालय

59. श्री पदमाराम (चौहटन) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के ऐसे तहसील/उपखण्ड मुख्यालय जिनमें राजकीय महाविद्यालय नहीं है, क्या सरकार वहां पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त तहसील/उपखण्ड मुख्यालयों पर निजी जन सहभागिता योजना के तहत महाविद्यालय खोले जाने के लिये कोई विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हां, तो कब एवं किन स्थानों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई व उस विज्ञप्ति पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण राज्य के प्रत्येक महाविद्यालय विहीन तहसील/उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

वर्तमान में महाविद्यालय विहीन तहसीलों हेतु जन सहभागिता से महाविद्यालय खोलने की योजना है, जिसके लिये विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी की जा रही है।

(2) पीपीपी योजना के तहत वर्ष 2010-11 में दिनांक 19.02.2011 को विज्ञप्ति जारी की गई। विज्ञप्ति व तहसीलों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इसमें से 13 संस्थाओं का चयन कर स्वीकृति जारी की गई (संलग्न परिशिष्ट-2)।

(3) जी नहीं। खण्ड-1 के अनुसार।

परिशिष्ट-1

कार्यालय निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 20 (101)260/आयो/आकाशि/2010/1769 दिनांक : 19.12.2011

विज्ञप्ति

माननीय मुख्यमंत्री के बजट घोषणा वर्ष 2010-11 के अनुसार जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय संचालन हेतु ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं जो महाविद्यालय के संचालन के समस्त आवर्ती व्यय वहन करने के लिए तैयार हो। पूर्व में 27 तहसीलों में कोई भी राजकीय/निजी महाविद्यालय संचालित नहीं है। इस हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभाग द्वारा गठित समिति ने विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं किये जाने के कारण किसी संस्था को योग्य नहीं पाया। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पुन: इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायें। इसकी अनुपालना में 09 महाविद्यालय विहिन तहसीलों में निजी क्षेत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ होने के कारण अब शेष 18 महाविद्यालय विहिन तहसीलों में निजी सहभागिता से महाविद्यालय खोलने के लिए पुन: प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। बनेड़ा व कोटडी (भीलवाड़ा), रेवदर (सिरोही), मलारना डूंगर (सवाई माधोपुर), छत्तरगढ़ व पूंगल (बीकानेर), बायतू, रामसर व शिव (बाड़मेर), फतेहगढ़ (जैसलमेर), शेरगढ़ (जोधपुर), बगोडा व सायला (जालौर), रायपुर (पाली), किशनगंज (बारां), मनोहरथाना (झालावाड़), अरनोद व गंगरार (चित्तौड़गढ़)।

इच्छुक संस्थाऐं 31 जनवरी, 2012 तक निदेशक, कालेज शिक्षा ब्लाक नं. 4 डा. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदनों को बिना आवेदक को सूचित किए रद्द करने का अधिकार निदेशक, कालेज शिक्षा को होगा। आवेदन पत्र निदेशालय कालेज शिक्षा, ब्लाक नं. 4 डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर से दिनांक 2 जनवरी, 2012 से किसी भी कार्य दिवस पर प्रात: 9.30 से सायं 6.00 बजे के बीच 100/- रुपये नकद जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट http://www. collegeeducation.rajasthan.gov.in से भी डाउन लोड की जा सकती है।

सुबीर कुमार
निदेशक

परिशिष्ट-2

पीपीपी मोड योजनान्तर्गत स्वीकृत महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	प्रारम्भ वर्ष	तहसील का नाम	जिला	आवेदक संस्था	संस्था का जिला
1	2	3	4	5	6
1.	2012	बनेडा	भीलवाड़ा	विश्वभारती संस्थान राजस्थान, मोहन निवास, दधिमती मार्ग, बजाज रोड	सीकर
2.	2012	कोटड़ी	भीलवाड़ा	राजा हम्मीर एजूकेशन एण्ड मेडिकल हैल्थ वेलफेयर सोसायटी, चर्च के सामने बाल मन्दिर कालोनी, बजरिया	सवाई माधोपुर
3.	2012	मलारना डूंगर	सवाईमाधोपुर	श्री प्रहलाद गुप्ता स्मृति वेलफेयर सोसायटी, 87 बालमन्दिर कालोनी	सवाई माधोपुर
4.	2012	छतरगढ़	बीकानेर	जगदम्बा विकास एवं शैक्षणिक संस्थान, खाजूवाला	बीकानेर
5.	2012	बायतू	बाड़मेर	राज जन विकास संस्था, शाकम्भरी रोड़, उदयपुर वाटी	झुंझूंनु
6.	2012	रामसर	बाड़मेर	श्री गुरूनानक खालसा शिक्षा समिति सेक्टर 12	हनुमानगढ़ जं.
7.	2012	शेरगढ़	जोधपुर	ग्रामीण विकास एवं शोध संस्थान, पेराडाईज कालोनी, नीमदा गेट	भरतपुर
8.	2012	रायपुर	पाली	राजस्थान बाल कल्याण समिति, झाडोल	उदयपुर
9.	2012	किशनगंज	बारां	श्री महर्षि दधिची शिक्षा समिति, 785 ज्योति मंदिर के पास, दादाबाड़ी	कोटा

1	2	3	4	5	6
10.	2012	मनोहरथाना	झालावाड़	जवाहरलाल नेहरू शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान, 81 कमला नेहरू नगर, हसनपुरा सी	जयपुर
11.	2012	गंगरार	चित्तौड़गढ़	दी प्रोफेशनल एजूकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट ओ 16 मालवीय मार्ग, सी स्कीम	जयपुर
12.	2012	अरनोद	प्रतापगढ़	दीक्षा क्रियेशन सोसायटी, 46 जयश्री कालोनी, धूल कोट के पास	उदयपुर
13.	2012	रेवदर	सिरोही	विजन सोसायटी 30 द्वितीय तल, बापू बाजार	उदयपुर

बारां जिले में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा

60. श्री पानाचन्द (बारां अटरू) व **श्री प्रमोद जैन ''भाया''** (अन्ता) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में कितने 108 एम्बुलेंस वाहन किस-किस दिनांक को किस-किस स्थान के लिये आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बारां जिले में किस-किस तहसील मुख्यालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 108 एम्बुलेंस वाहन किन-किन कारणों से आबंटित नहीं हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 108 एम्बुलेंस सुविधा किस-किस स्तर के चिकित्सा केन्द्र पर देने के नियम हैं एवं इसके लिये क्या-क्या नियम, शर्तें, पात्रता निर्धारित की गई हैं? इस हेतु जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) 108 एम्बुलेंस वाहन में किस-किस संवर्ग के कौन-कौन कर्मचारी पदस्थापित रहते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) 108 एम्बुलेंस में क्या-क्या सुविधा उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में आवंटित दस 108 एम्बुलेंस वाहनों का विवरण मय दिनांक एवं स्थान के परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बारां जिले में मात्र सीसवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को छोड़कर सभी तहसील मुख्यालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 108 एम्बुलेंस आवंटित है।

राज्य के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को वर्तमान में 108-एम्बुलेंस आवंटन करना सम्भव नहीं है। अत: सीसवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 108-एम्बुलेंस आबंटित नहीं है।

(3) 108-एम्बुलेंस सुविधा प्रत्येक ब्लाक क्षेत्र में चिकित्सा केन्द्रों, पुलिस स्टेशन एवं अन्य उपयुक्त स्थलों पर आबंटित की गई है। राज्य में 108-एम्बुलेंस वाहनों का स्थलानुसार आबंटन परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। एम्बुलेंस वाहन आबंटन सम्बन्धित नियम, शर्तें एवं पात्रता सम्बन्धी आदेश प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) 108 एम्बुलेंस पर दो कर्मचारी पदस्थापित रहते हैं, जिनमें एक ईएमटी (इमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन) एवं एक ड्राइवर (पायलट) पदस्थापित रहता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(5) 108 एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इन एम्बुलेंस वाहनों मे उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विद्युत कार्यों पर व्यय राशि

61. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर में आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विद्युत कार्य भी करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्ष में विद्युत कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सवाई मानसिंह टाउन हाल में बनने वाले म्यूजियम में विद्युत फिटिंग पर गत तीन वर्ष में कितनी राशि व्यय की गई एवं यह कार्य किस फर्म द्वारा किया जा रहा है एवं इस फर्म को यह कार्य कब पूर्ण करना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि म्यूजियम में बिजली फिटिंग से पूर्व ही एसी-डीजी सैट क्रय कर लिये गये हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राधिकरण द्वारा पिछले 3 वर्षों में कराये गये विद्युत कार्यों पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई है:-

(राशि रुपये लाखों में)

1. वित्तीय वर्ष 2010-11 में 102.83
2. वित्तीय वर्ष 2011-12 में 54.26
3. वित्तीय वर्ष 2012-13 में 453.21

कुल योग - 610.30

(2) सवाई मानसिंह टाउन हाल में बनने वाले म्यूजियम में विद्युत फिटिंग पर गत तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13) में रुपये 13.01 लाख का व्यय किया गया है। जिसमें मै. मनीष इलेक्ट्रीकल्स द्वारा 1.13 लाख रुपये का कार्य तथा मै. राजपुताना कन्सट्रक्शन प्रा.लि. द्वारा 11.88 लाख रुपये का कार्य

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

किया गया है। वर्तमान में यह कार्य मै. राजपुताना कन्सट्रक्शन प्रा.लि., जयपुर द्वारा किया जा रहा है। अनुबंध अनुसार उक्त कार्य 30.09.2013 तक पूर्ण किया जाना है।

(3) जी नहीं।

कोटा जिले में पंजीकृत कृषि भूमि विक्रय पत्रों की तस्दीक

62. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कृषि भूमि को खरीदने के पश्चात कितनी अवधि में नामान्तरण खोलकर भूमि को क्रेता के नाम दर्ज कर दिया जाता है? नामांतरण प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक कोटा जिले में कितने कृषि विक्रय पत्र पंजीकृत किये गये? तहसीलवार, माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स, 1957 के नियम, 141 के तहत प्रत्येक तहसीलदार को पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय से विक्रय पत्र (कृषि भूमि सम्बन्धित) प्राप्त कर एवं रजिस्टर में दर्ज करके अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजकर नामांतरकरण तस्दीक किये जाते हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक कोटा जिले में कितने नामांतरण तस्दीक किये गये? तहसीलवार, माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि कोटा जिले सहित राजस्थान में तहसीलदारों द्वारा उक्त नियमानुसार रजिस्टर नहीं रखा जा रहा है और ना ही इन्द्राज का विवरण रखा जाता है? यदि हां, तो क्यों? कोटा जिले की लाडपुरा तहसील में नियम, 141 के अन्तर्गत जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक रखे गये रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कृषि भूमि खरीदने के पश्चात दस्तावेज प्राप्त होने पर सामान्यत: पटवारी द्वारा 7 दिन में नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है तथा भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा 10 दिन में जांच कर निर्णय हेतु ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण 30 दिन की अवधि

(राजस्व मंत्री)

में तस्दीक किया जाता है। 30 दिवस तक ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक न करने पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर भूमि क्रेता के नाम दर्ज की जाती है।

(2) जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक कोटा जिले में कृषि भूमि के 7432 विक्रय पत्र पंजीकृत हुए हैं। पंजीकृत हुए विक्रय पत्रों का तहसीलवार, माहवार विवरण संलग्न-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स, 1957 के नियम 141 के तहत प्रत्येक तहसीलदार को पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय से विक्रय पत्र (कृषि भूमि सम्बन्धित) प्राप्त कर एवं रजिस्टर में दर्ज करके अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजकर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाते हैं। जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक कोटा जिले में 7227 कृषि भूमि विक्रय पत्रों के नामान्तरकरण तस्दीक किये गये हैं, जिनका तहसीलवार, माहवार विवरण संलग्न-2 पर संलग्न है।

(4) यह सही नहीं है कि कोटा जिले सहित राजस्थान में तहसीलदारों द्वारा उक्त नियमानुसार रजिस्टर रखा जाकर इन्द्राज का विवरण नहीं रखा जाता है। कोटा जिले की लाडपुरा तहसील में नियम 141 के अन्तर्गत जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक रखे गये रजिस्टर की प्रति संलग्न-3 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीगंगानगर नगर परिषद् में व्याप्त अनियमितताएं

63. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा सड़क का टेण्डर 28 जनवरी, 2013 को निकाला गया जबकि सड़क का निर्माण एक माह पूर्व हो गया था? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उपरोक्त सड़क के टेण्डर की विज्ञप्ति किस दिनांक को निकाली गयी, कितनी प्रतियां बेची गईं, किस-किस फर्म द्वारा किस-किस दर पर टेण्डर भरे एवं किस फर्म का टेण्डर स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर परिषद्, श्रीगंगानगर क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिये टेण्डर दिनांक 28 जनवरी, 2013 को नही निकाले गये। किसी भी सड़क का निर्माण टेण्डर खोलने की तिथि से पूर्व नहीं करवाया गया ।

(2) सड़क के टेण्डर की विज्ञप्ति दिनांक 11.1.13 को निकाली गयी। टेण्डर की कितनी-कितनी प्रतियां बेची गई, किस-किस फर्म द्वारा किस-किस दर पर टेण्डर भरे गये एवं किस-किस फर्म का टेण्डर स्वीकृत किया गया की सूची को परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित रोजगार शिविर

64. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 2013 को रोजगार कार्यालय जिला अलवर में कुल कितने बेरोजगारों का पंजीकरण है? उस पंजीकृत बेरोजगारों में से कितने छात्र हैं एवं कितने बेरोजगार शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अलवर रोजगार कार्यालय के द्वारा 01 जनवरी, 2012 से 15 जनवरी, 2013 तक कब-कब और कहां-कहां रोजगार शिविर आयोजित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अलवर रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित किये गये रोजगार शिविरों में कितने-कितने बेरोजगारों को किस-किस शिविर में रोजगार प्रदान किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला रोजगार कार्यालय अलवर के द्वारा बेरोजगारों को कौन-कौनसी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2013 को रोजगार कार्यालय, जिला अलवर में कुल 61874 बेरोजगारों का पंजीकरण है। रोजगार सेवा मैन्यूअल के अनुसार जिला रोजगार कार्यालय में बेरोजगार आशार्थी अपना पंजीयन स्वेच्छा से बेरोजगार के रूप में दर्ज करवाते हैं। अत: सभी आशार्थियों को बेरोजगारी की श्रेणी में माना जाता है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(2) 1 जनवरी, 2012 से 15 जनवरी, 2013 तक विभाग की कार्ययोजना के अन्तर्गत जिला रोजगार कार्यालय, अलवर द्वारा दिनांक 18-2-2012 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोडाफेर चौराहा, अलवर में दिनांक 10-10-2012 को नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर में वृहद रोजगार सहायता शिविर एवं दिनांक 26-5-2012 से 27-5-2012 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालाखेडा अलवर में अनुसूचित जाति हेतु विशेष रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया।

(3) रोजगार विभाग बेरोजगारों को सीधे रोजगार प्रदान नहीं करके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में सहायता करता है। जिला रोजगार कार्यालय अलवर द्वारा दिनांक 18-2-2012 को आयोजित रोजगार सहायता शिविर में 2600 आशार्थियों को एवं दिनांक 10-10-2012 को आयोजित रोजगार सहायता शिविर में 2223 आशार्थियों को एवं विशेष रोजगार सहायता शिविर दिनांक 26-5-2012 से 27-5-2012 में 204 आशार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया।

(4) जिला रोजगार कार्यालय, अलवर के द्वारा बेरोजगारों को अक्षत कौशल योजना, 2009 व राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, 2012 के अन्तर्गत प्रावधानानुसार पात्र बेरोजगार आशार्थियों के आवेदन करने पर लाभान्वित किया जा रहा है । अलवर जिलें में अक्षत कौशल योजना, 09 के अन्तर्गत योजना की आरम्भ तिथि 1-10-2009 से 31-1-2013 तक 2997 व बेरोजगारी भत्ता योजना, 12 के अन्तर्गत योजना की आरम्भ तिथि 1-7-2012 से 31-1-2013 तक 330 बेरोजगार आशार्थियों को लाभान्वित किया गया।

जन प्रतिनिधियों द्वारा लिखे जाने वाले पत्रों के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना

65. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये हैं कि जनप्रतिनिधियों के पत्र का उत्तर उन्हें दिया जावे? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को जिला बीकानेर के किन-किन अधिकारी को क्षेत्रीय विधायक कोलायत द्वारा कब-कब पत्र लिखा गया और उस पर कब, क्या कार्यवाही की गई तथा उत्तर पत्र कब

(श्री देवी सिंह भाटी)

भेजा गया? प्राप्त पत्र की प्रति, उत्तर की प्रति एवं उस पर कब क्या कार्यवाही की गई, की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पत्र का उत्तर नहीं देने के क्या कारण रहे और क्या सरकार द्वारा उत्तर नहीं देने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर आरोप पत्र दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) माननीय विधायक कोलायत के पत्रों की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "स" पर तथा की गई कार्यवाही बाबत माननीय विधायक महोदय को सूचनार्थ लिखे गये पत्रों की प्रति परिशिष्ट-"द" पर संलग्न है।

(3) प्राप्त पत्रों पर समुचित कार्यवाही कर सम्भागीय आयुक्त कार्यालय एवं जिला कलक्टर कार्यालय बीकानेर द्वारा माननीय विधायक महोदय को सूचित कर दिया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

भरतपुर में संचालित विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन प्रकरण

66. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत बजट सत्र में भरतपुर में बृज विश्वविद्यालय, अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय एवं सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10-10 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध करवाने के साथ-साथ 5-5 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो 31 जनवरी, 2013 तक इस दिशा में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी और कितना अनुदान स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर हेतु जमीन अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में इस वर्ष क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इसी वर्ष बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर, मत्स्य

(डा. दिगम्बर सिंह)

विश्वविद्यालय, अलवर और शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार बैलारा ग्राम के पास सात सौ बीघा पशुपालन विभाग के नाम से पड़ी हुई सरकारी जमीन को बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर हेतु आबंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय, भरतपुर का नाम परिवर्तन कर बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और किस आदेश से? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विश्वविद्यालयों के अधिनियम पारित किये जा चुके हैं। बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर हेतु भूमि आबंटन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को ग्राम डडीकर में तथा शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को ग्राम कटराथल में भूमि आबंटित की जा चुकी है। विश्वविद्यालयों के लिये आवश्यक पदों की स्वीकृति की जा चुकी है तथा विश्वविद्यालयों के पी.डी. खाते खोले जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

उक्त तीनों विश्वविद्यालयों हेतु 31.1.2013 तक स्वीकृत अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर हेतु भूमि का चयन किया जा चुका है एवं भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) तीनों विश्वविद्यालय बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम 2012, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम 2012 एवं शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम 2012 द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है।

(4) जी नहीं। इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) जी नहीं। महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय, भरतपुर नाम से किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में नहीं की गई थी। वार्षिक बजट 2012-13 में बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर की स्थापना की घोषणा की गई थी।

परिशिष्ट-अ

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	**विश्वविद्यालय का नाम**	**31.1.2013 तक जारी राशि**
1.	बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	14.55
2.	मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	14.55
3.	शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	14.55
	कुल योग	**43.65**

अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में कार्डियोथोरेसिक सेन्टर की स्थापना

67. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या चिकित्सा (शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में कार्डियोथोरेसिक सेन्टर का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ व कब पूर्ण हुआ तथा इसके निर्माण हेतु कितनी राशि किस-किस मद में प्राप्त व व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चिकित्सालय में उक्त सेन्टर हेतु आवश्यक उपकरण व संसाधनों की खरीद हेतु बजट उपलब्ध है? यदि हां, तो कितना व कहां से बजट प्राप्त हुआ है तथा उक्त बजट कब प्राप्त हो गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या चिकित्सालय प्रशासन द्वारा उक्त सेन्टर हेतु आवश्यक उपकरण व संसाधन खरीद कर स्थापित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अजमेर में हृदय रोगियों की चिकित्सा हेतु आवश्यक कार्डियोथोरेसिक सेन्टर को शीघ्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में कार्डियोथोरेसिक सेन्टर का निर्माण दि. 14.12.09 को प्रारम्भ हुआ तथा 25.07.2010 को पूर्ण

(चिकित्सा (शिक्षा) मंत्री)

हुआ। इसके निर्माण हेतु नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा रु. 100 लाख उपलब्ध कराये गये जिसमें से रु. 87.82 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2012-13 में आयोजना मद में लिफ्ट एवं स्टरलाइजेशन जोन के निर्माण हेतु कुल रु. 53.00 लाख का आबंटन किया गया। निर्माण कार्य जारी है।

(2) जी हां। कार्डियोथोरेसिक सेन्टर हेतु आवश्यक विभिन्न उपकरण क्रय हेतु वर्ष 2008-09 में राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय के आयोजना मद में रुपये 101.89 लाख स्वीकृत किये गये। नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा नवम्बर 2010 में उपकरण क्रय हेतु रु. 200 लाख उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2012-13 में भी उपकरण क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय के आयोजना मद में रुपये 31.00 लाख स्वीकृत किये गये।

(3) वर्ष 2008-09 के आयोजना मद में राशि रुपये 99.12 लाख से क्रय किये गये उपकरण स्थापित करा दिये गये हैं। नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा नवम्बर 2010 में उपलब्ध कराये गये रु. 200 लाख के विरुद्ध राशि रु. 48.40 लाख के उपकरण क्रय कर स्थापित करा दिये गये है। शेष राशि से उपकरण क्रय की कार्यवाही जारी है। वर्ष 2012-13 में महाविद्यालय के आयोजना मद में स्वीकृत राशि रुपये 31.00 लाख के उपकरण क्रय की कार्यवाही जारी है।

(4) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी गई है जिनके कार्यग्रहण पर सेन्टर प्रारम्भ किया जा सकेगा।

रणथम्भौर अभयारण्य में बाघों की सुरक्षा हेतु कार्य योजना

68. श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया के वैज्ञानिकों ने रणथम्भौर अभयारण्य के बाघों के लिए आई डी कोड व आई डी कालर देने सम्बन्धी हिदायत दी गई है?

(2) क्या रणथम्भौर अभयारण्य के सभी व्यस्क बाघों को उक्त आई-कोड व आई डी कालर लगाये गये हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाघों की मानिटरिंग व सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) बाघों की मानिटरिंग पगमार्क विधि से एवं कैमरा ट्रेप विधि से नियमित रूप से की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय अधिकारियों व स्टाफ द्वारा पैट्रोलिंग तथा रात्रि में चार कोबरा टीमों द्वारा पैट्रोलिंग की जाती है। इसके अलावा खुफिया तंत्र द्वारा भी जानकारी एकत्रित की जाती है। उड़नदस्ते का गठन भी किया गया है। सुरक्षा हेतु होमगार्डस भी तैनात किये गये हैं।

सोजत के झिलमिल बांध का सिंचित क्षेत्र

69. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में कितने बांधों से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील रायपुर में स्थित झिलमिल बांध की पूर्व में भराव क्षमता कितनी थी और वर्तमान में क्षमता कितनी है?

(3) क्या उक्त बांध से बिराटीया कला की खातेदारी जमीन को वर्ष 1995-96 में सिंचाई हेतु पानी दिया गया था? यदि हां, तो कौन-कौन से खसरा नम्बर के कितने क्षेत्रफल को सिंचित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त रकबे को सिंचित क्षेत्र में ले लिया गया अथवा नहीं? यदि नहीं लिया गया तो क्यों?

(4) क्या उक्त बांध से 2012 में बिराटीया कला के उक्त रकबे में सिंचाई के लिये पानी दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन द्वारा उक्त रकबे को सिंचाई हेतु बांध से पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन देने के उपरान्त भी सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी हैं? क्या सरकार जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में 16 बांधों से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है, जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) तहसील रायपुर में स्थित झिलमिल बांध की पूर्व में भराव क्षमता 15.61 एम.सी.एफ.टी. थी। वर्तमान में इसकी भराव क्षमता 30.43 एम.सी.एफ.टी. है।

(3) जी नहीं। उक्त बांध से बिराटीया कला की खातेदारी जमीन को वर्ष 1995-96 में सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया गया। बिराटीया कला का क्षेत्र जल उपलब्धतानुसार झिलमिल बांध के सिंचित क्षेत्र में शामिल नहीं है।

(4) जी नहीं। वर्ष 2012 में बिराटीया कला में सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया गया क्योंकि उक्त गांव का रकबा बांध के कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।

(5) जिला प्रशासन द्वारा उक्त रकबे को सिंचाई हेतु बांध से पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन नहीं दिया गया। बिराटीया कला गांव का रकबा बांध के कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होने के कारण सिंचाई हेतु उक्त क्षेत्र में पानी नहीं दिया गया जिसके लिए कोई दोषी नही है।

परिशिष्ट- "अ"

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जोधपुर

क्र. सं.	बांध का नाम	तहसील	कुल भराव क्षमता (एम.सी.एफ.टी)	कृषि योग्य क्षेत्र (सी.सी.ए.) (है. में)
1	2	3	4	5
"अ" विभागीय बांध :-				
1.	राजसागर चौपड़ा बांध	सोजत	288.04	1670
2.	गजनाई बांध	सोजत	225.00	1349
3.	मालपूरिया कानावास	सोजत	195.40	877
4.	बोरीनाड़ा बांध	सोजत	60.70	336
"ब" पंचायतराज संस्थाओं को हस्तांतरित बांध :—				
1.	मण्डला बांध	सोजत	7.94	50
2.	हापत बांध	सोजत	13.80	15
3.	मामावास बांध	सोजत	9.65	50

1	2	3	4	5
4.	देवली हुल्ला	सोजत	25.00	59
5.	टुटिया बांध	सोजत	34.00	62
6.	गोविन्द सागर	सोजत	15.43	80
7.	रेपडावास	सोजत	12.62	93
8.	गोदेलाव	सोजत	23.70	88
9.	रामासनी बाला	सोजत	19.48	104
10.	खोखरा बांध	सोजत	21.12	109
11.	घाकड़ी बांध	सोजत	20.92	120
12.	रोडावास	सोजत	45.78	188

अधिशासी अभियन्ता एवं प्रा.सं.,
वास्ते अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन सम्भाग, जोधपुर

धौलपुर नगरपालिका क्षेत्र की नियमन योग्य आवासीय कालोनियां

70. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार धौलपुर नगरपालिका क्षेत्र में अवैध कालोनियों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक कितनी कालोनियों का नियमन किया जा चुका है तथा शेष कालोनियों का नियमन कब तक कर दिया जायेगा?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में अब तक की नियमन की गई कालोनियों में सरकार द्वारा सड़कें और नालियों का निर्माण करवा दिया गया है? यदि हां, तो उक्त कालोनी के नाम व कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगर परिषद्, धौलपुर क्षेत्र में "प्रशासन शहरों के संग

(स्वायत्त शासन मंत्री)

अभियान" 2012-2013 में दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कृषि भूमि पर बसी 73 अवैध आवासीय कालोनियों में नियमन कर इनमें भूखण्डो के पट्टे दिये जा रहे हैं। शेष 21 कालोनियों में भी नियमन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जो शीघ्र ही पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) उक्त क्षेत्र में अब तक नियमन कि गई कालोनियों में सडकों व नालियों के निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। उक्त कालोनियों के नाम व करवाये जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	नाम कार्य	वार्ड नं.	निविदा जारी करने की तिथि	निविदा प्राप्त होने की तिथि	वर्क आर्डर	राशि लागत	कार्य विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	नाली निर्माण गुर्जर कालोनी	6	24.09.12	1.11.12	1-3/27.11.12	108000/-	कार्य चल रहा है
2.	बीएमडब्ल्यू कार्य गिरीश बिहार कालोनी	1	24.09.12	1.11.12	56-58/27.11.12	524500/-	कार्य पूर्ण
3.	बीएमडब्ल्यू कार्य संजय से राजकुमार सरपंच के मकान तक आनन्द नगर	4	08.10.12	26.10.12	44-46/27.11.12	220290/-	कार्य पूर्ण
4.	सी.सी. कार्य दुर्गा कालोनी	17	08.10.12	26.10.12	74-76/27.11.12	348400/-	कार्य पूर्ण
5.	बीएमडब्ल्यू सड़क मदीना कालोनी मस्जिद के पीछे	28	24.09.12	01.11.12	341-44/26.12.11	726725/-	कार्य चल रहा है
6.	बीएमडब्ल्यू सड़क सुन्दर कालोनी गली नं. 40	40	19.12.11	05.01.12	499/26.12.11	89615/-	कार्य पूर्ण
7.	नाली निर्माण कार्य शास्त्री नगर	02	24.01.13	13.02.13	—	5,00,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	नाली निर्माण कार्य 1. चन्दन विहार कालोनी 2. पंचवटी कालोनी	04	24.01.13	13.02.13	—	3,50,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।
9.	नाला निर्माण कार्य शीतला विहार कालोनी	04	24.01.13	13.02.13	—	18,54,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।
10.	नाली निर्माण कार्य आनन्द नगर	04	24.01.13	13.02.13	—	12,70,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।
11.	नाली निर्माण कार्य गुर्जर कालोनी	07	24.01.13	13.02.13	—	5,60,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।
12.	नाली निर्माण कार्य एबीएम स्कूल के पीछे राजनगर कालोनी	10	24.01.13	13.02.13	—	9,95,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।
13.	नाली निर्माण कार्य गिर्राज कालोनी पार्ट-2	13	24.01.13	13.02.13	—	1,20,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।
14.	नाली निर्माण कार्य उम्मेदी नगर राजाखेड़ा बाइपास	37	24.01.13	13.02.13	—	1,64,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	नाली निर्माण कार्य बलराम विहार कालोनी	40	24.01.13	13.02.13	—	6,20,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।
16.	नाली निर्माण कार्य गिर्राज कालोनी पार्ट 1	40	24.01.13	13.02.13	—	1,10,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।
17.	नाली निर्माण कार्य सुन्दर कालोनी	40	24.01.13	13.02.13	—	5,00,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।
18.	नाली निर्माण कार्य मधुवन कालोनी पार्ट 1 व मित्तल कालोनी	06	24.01.13	13.02.13	—	5,00,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।
19.	नाली निर्माण कार्य कमला कालोनी बाड़ी रोड	03	24.01.13	13.02.13	—	5,00,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।
20.	नाली निर्माण कार्य अयोध्याकुंज सैपऊ रोड	05	24.01.13	13.02.13	—	5,00,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।
21.	नाली निर्माण कार्य गिरीश विहार कालोनी	01	24.01.13	13.02.13	—	5,00,000/-	निविदायें जारी कर दी गई हैं।

सीकर जिले में पायका योजना के अन्तर्गत स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

71. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में 5000 की आबादी के ग्रामों में पायका योजना के तहत खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु कितनी राशि जिला परिषद्, सीकर को कब आबंटित की गई तथा कितने ग्रामों में खेल स्टेडियम बनने थे और कितने बनकर तैयार हो गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में खेल स्टेडियमों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी राशि कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के तहत खेल स्टेडियम निर्माण नहीं किया जाता है अपितु खेल मैदानों का विकास कार्य किया जाता है।

सीकर जिले में 5000 की आबादी वाले ग्रामों में पायका योजनान्तर्गत खेल मैदान विकसित करने हेतु प्रथम चरण के निमित्त दिनांक 08.05.2009 को राशि रुपये 29.00 लाख तथा दिनांक 18.03.2011 को राशि रुपये 29.00 लाख इस प्रकार दो किश्तों में कुल 58.00 लाख रुपये की राशि जिला परिषद, सीकर को आवंटित की गई है। विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के तहत खेल मैदानों के विकास हेतु राशि की अपर्याप्तता अथवा इससे बढ़ाने के बारे में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले के अकालग्रस्त गांवों हेतु राहत शिविर

72. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की अधिकांश जनता कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है?

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(2) बाड़मेर जिले में कितने गांव अकालग्रस्त घोषित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार एवं पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर में पशुधन के संरक्षण के लिए पेयजल एवं चारे का संकट उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा पशुधन को बचाने हेतु क्या इन्तजामात किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पशुओं के चारे पानी के इन्तजाम हेतु विशेष बजट का प्रावधान कर पशु शिविर संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सम्वत 2069 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाड़मेर जिले में 1821 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) उपखण्ड बायतू क्षेत्र में 20 पेयजल समस्याग्रस्त स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन कार्य प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में जिले के अन्य स्थानों पर चारे एवं पेयजल का संकट नहीं है।

(4) पशु शिविर संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। आवश्यकता होने पर जिला कलक्टर द्वारा पशु शिविर संचालन के प्रस्ताव प्रेषित करने पर शिविर संचालन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

रेनवाल (जयपुर) के महाविद्यालयों की जांच

73. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जयपुर जिले के कस्बा रेनवाल में सिरडी सांईबाबा महाविद्यालय व गांधी महिला महाविद्यालय संचालित है? यदि हां, तो उक्त दोनों महाविद्यालयों में वर्ष 2001 से 31 जनवरी, 2013 तक क्या-क्या जांचें की गईं? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। उक्त महाविद्यालयों में वर्ष 2001 से 2013 तक निम्नानुसार जांच की गई:-

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

श्री सिरडी सांई बाबा महाविद्यालय, रेनवाल

(1) विद्यार्थियों के स्थानान्तरण बाबत प्राप्त शिकायत दिनांक 28.08.2008 गांधी कन्या महाविद्यालय से विद्यार्थियों को श्री सिरडी सांई बाबा कालेज, किशनगढ़ रेनवाल में स्थानान्तरण बाबत् प्राप्त शिकायत।

(2) भूमि व भवन की अनियमितताओं के सम्बन्ध में

दिनांक 31.12.2012 को जांच कार्यवाही की गई।

गांधी महिला महाविद्यालय,रेनवाल

(1) दिनांक 07.09.2002 को स्टाफ के वेतन, पी.एफ. भुगतान, स्टाफ की नियमित डयूटी, स्टाफ का स्टूडेन्ट के प्रति व्यवहार, पुस्तकालय, खेलकूद गतिविधियों एवं प्रबन्ध समिति के चुनाव के सम्बन्ध में जांच करवाई गई।

(2) दिनांक 09.09.2008 वेतन पूर्ण रूप से भुगतान नहीं करना, प्रवेश अनियमितता, अनुदान का दुरूपयोग, एक ही भवन में बहु संस्था का संचालन, प्राचार्य की नियुक्ति को यथासमय निदेशालय को अवगत न कराना, प्राध्यापकों को नौकरी से निकालने की धमकी देना, संस्था के निदेशक द्वारा अशोभनीय व्यवहार करना।

(3) दिनांक 10.07.2009 भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, वेतन भुगतान में स्टाफ के शोषण।

आदि की जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

झालावाड़ जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती नवजात शिशु

74. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के कितने चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव सुविधा उपलब्ध है? जनवरी, 2010 से अब तक हुए प्रसवों की संख्या का संस्थावार, जिलेवार, वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितनी प्रसूताएं भर्ती हुई तथा उनमें से कितनी प्रसूताओं की व कितने शिशुओं की मृत्यु हो गई? संस्थावार, जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अनिल जैन)

(3) प्रदेश के कितने चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में शिशु रोग चिकित्सा की सुविधा एवं कितनों में शिशु गहन चिकित्सा इकाई उपलब्ध है? गहन चिकित्सा इकाई की बेड क्षमता सहित जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में जनवरी, 2010 से जनवरी, 2013 तक नवजात से एक माह की आयु तक के कितने शिशु विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती हुए तथा उक्त में से कितनों की मृत्यु हो गई? चिकित्सालयवार, जिलेवार, वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) जिला चिकित्सालय, झालावाड़ में जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2013 तक कितने नवजात से एक माह तक आयु व कितने एक माह से एक वर्ष तक की आयु वाले शिशु भर्ती हुए तथा उनमें से कितनों की उपचार दौरान मृत्यु हो गयी? मृत्यु के क्या कारण रहे? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रदेश के 8254 चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव सुविधा उपलब्ध है। जनवरी 2010 से जनवरी 2013 तक हुए प्रसवों की संख्या का संस्थावार, जिलेवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जनवरी 2010 से अब तक की अवधि में इन संस्थानों पर 3078768 प्रसूताएं भर्ती हुईं तथा उनमें से 3496 प्रसूताओं की तथा 54149 शिशुओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हुयी। प्रसूता की मृत्यु का संस्थावार एवं जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब एवं स पर संलग्न है।

शिशुओं की मृत्यु का संस्थावार एवं जिलेवार संख्या विवरण सूचना परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) गहन चिकित्सा इकाई की बेड क्षमता सहित जिलेवार विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(4) चिकित्सालयवार, जिलेवार एवं वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(5) माहवार विवरण परिशिष्ट-ल पर संलग्न है।

(विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान स्थित प्राचीन मन्दिर के दर्शनार्थियों से शुल्क वसूली

75. **श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान में प्रवेश करने वाले से शुल्क वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो कितना व कब से एवं किस आदेश के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उद्यान में अतिप्राचीन मंदिर है? यदि हां, तो उसमें जाने वाले दर्शनार्थियों को शुल्क वसूलने के क्या मानदण्ड हैं?

(3) क्या सरकार उक्त मंदिर में जाने वाले दर्शनार्थियों को शुल्क से राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का ही भाग है, में प्रवेश करने वालों से राज्य सरकार की अधिसूचना सं. प.11(35)वन/1997 दिनांक 20.7.2010 में अंकित दरों से एवं उक्त अधिसूचना लागू होने की तिथि 01.10.2010 से शुल्क वसूल किया जा रहा है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) नाहरगढ़ जैविक उद्यान में कोई प्राचीन मंदिर नहीं है। फीस वसूली क्रम संख्या 1 में दिये उत्तर के अनुसार की जाती है।

(3) नाहरगढ़ जैविक उद्यान में कोई मंदिर स्थित नहीं है। अतः शुल्क से राहत देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सहाड़ा में श्मशान घाट/कब्रिस्तान हेतु भूमि आबंटन की कार्य योजना

76. **श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में किन-किन गांव/मजरा/ढाणियों के राजस्व रिकार्ड में श्मशान घाट/कब्रिस्तान दर्ज हैं व किन-किन में नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ऐसे गांव/मजरा/ढाणियों

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

में निजी खातेदारों की भूमि में स्थित श्मशान घाट/कब्रिस्तान के सम्बन्ध में निजी खातेदारों को किसी योजना के अन्तर्गत लाभ देते हुए उक्त भूमि खातेदारों के नाम हटाकर उन गांवों को सार्वजनिक श्मशान घाट/कब्रिस्तान हेतु उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में गांव/मजरा/ढाणियों के राजस्व रिकार्ड में श्मशान घाट/कब्रिस्तान की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

नाम तहसील	**कुल ग्राम**	**कितने ग्रामों में श्मशान**		**कितने ग्रामों में कब्रिस्तान**		**कितने ग्रामों में खातेदारी भूमि में श्मशान स्थित है**	**वि.वि.**
		दर्ज है	**दर्ज नहीं**	**दर्ज है**	**दर्ज नहीं**		
हमीरगढ़	34	17	17	02	32	02	1 ग्राम गैर आबाद
भीलवाड़ा	35	09	26	01	34	06	1 ग्राम गैर आबाद
सहाड़ा	109	59	50	10	99	06	6 ग्राम गैर आबाद
रायपुर	154	61	93	15	139	16	-
योग	**332**	**146**	**186**	**28**	**304**	**30**	**08**

श्मशान घाट/कब्रिस्तान का ग्रामवार/तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) निजी खातेदारी भूमि में स्थित भूमि पर श्मशान घाट/कब्रिस्तान वाले भाग को खातेदार की सहमति से राज्य सरकार को नि:शुल्क समर्पण किये जाने की स्थिति में उस भाग को बिलानाम दर्ज किया जा सकता है। तत्पश्चात भूमि को ग्राम पंचायत को श्मशान/कब्रिस्तान के प्रयोजनार्थ आरक्षित किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित फास्ट ट्रैक न्यायालय

77. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्ष 2009 से जनवरी, 2013 तक कितने त्वरित पथ (फास्ट ट्रैक) न्यायालय संचालित हैं? वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) त्वरित (फास्ट ट्रैक) न्यायालयों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं?

(3) उक्त सम्बन्ध में जनता को शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलवाने के लिये सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में क्या प्रयास किये गये तथा उक्त न्यायालयों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2009 से 31.03.2011 तक शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से 83 फास्ट ट्रैक न्यायालय संचालित थे। दिनांक 31.03.2011 के वाद केन्द्रीय सहायता राशि बंद किये जाने पर अधिसूचना क्रमांक प.10(4) न्याय/98 पार्ट दिनांक 31.03.2011 के द्वारा 40 फास्ट ट्रैक न्यायालयों को उत्सादित कर दिया गया। राज्य सरकार के बजट से दिनांक 01.4.2011 से 05.11.2012 तक राज्य में 43 फास्ट ट्रैक न्यायालय संचालित रहे। अधिसूचना क्रमांक प.10(4)न्याय/98 पार्ट दिनांक 05.11.2012 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार राज्य में संचालित 43 फास्ट ट्रैक न्यायालयों को उत्सादित कर इनके स्थान पर 43 नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना की गई। वर्षवार एवं जिलेवार विवरण हेतु जारी अधिसूचनाओं की छायाप्रतियां प्रदर्श 'क' संलग्न है।

(2) फास्ट ट्रैक न्यायालयों की संख्या में कमी का कारण केन्द्रीय सहायता राशि दिनांक 31.03.2011 के बाद बंद किया जाना है।

(3) जनता को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तर के 194 न्यायालय स्थापित किये गये तथा 43 फास्ट ट्रैक न्यायालयों के स्थान पर 43 नियमित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय स्थपित किये गये तथा स्टेट लिटिगेशन पालिसी, 2011 बनाई गई। इसके अतिरिक्त अधिसूचना क्रमांक प.2(4)न्याय/2012 दिनांक 14.02.2013 के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ट न्यायालय

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

महिला उत्पीडन प्रकरण, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर महानगर, उदयपुर की स्थापना की गई। इसके अलावा बलात्कार के मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना हेतु भारत सरकार से पत्र प्राप्त होने पर परामर्श/ स्वीकृति/टिप्पणी भिजवाने हेतु पत्र क्रमांक प.10(4)न्याय/98 पार्ट दि. 04.02.2013 द्वारा रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में कार्यरत बंधुआ श्रमिकों के सर्वे हेतु कार्य योजना

78. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने बंधुआ श्रमिक कार्यरत हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपना निर्णय दिया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही के निर्णय अनुसार क्या राज्य सरकार बंधुआ श्रमिकों का सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर कोई बंधुआ श्रमिक नहीं है। जैसे ही बंधुआ श्रमिक चिन्हित होता है, उसे मुक्त करा दिया जाता है।

(2) बंधुआ श्रमिक चिन्हित होते ही उसे मुक्त कराने की कार्यवाही की जाती है तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रत्येक मुक्त कराये गये बंधक श्रमिक को पुनर्वास सहायता राशि रुपये 20,000 प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त मुक्त कराये गये श्रमिक के परिवार को आवश्यकतानुसार नियमानुसार चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा, शिक्षा, ऋण, इत्यादि की सहायता प्रदान की जाती है। जिला कलक्टर्स को जारी निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(3) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में समस्त जिला कलक्टरों को नियमानुसार सर्वे हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

उच्च शिक्षा कार्मिकों हेतु सेवा नियम

79. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा कार्मिकों के लिए अलग सेवा नियम नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों तथा अलग से उच्च शिक्षा सेवा नियम कब तक बन जायेंगे?

(2) उच्च शिक्षा में कुलपति, प्राचार्य एवं शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या है व उच्च शिक्षा के आयुक्त एवं निदेशक की न्यूनतम योग्यता क्या रखी गयी है?

(3) सरकारी कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के कालेजों के प्रिन्सीपल कौन से वेतनमान के होते हैं तथा उसको नियंत्रित करने वाले निदेशक का वेतनमान क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब तक कार्यरत रहे उच्च शिक्षा आयुक्तों के कार्यकाल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उच्च शिक्षा विभाग में राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986, राजस्थान लाईब्रेरियन एण्ड फिजिकल ट्रेनिंग एण्ड इन्सट्रेक्टर्स सर्विस (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980 एवं राजस्थान एज्यूकेशन सबोर्डिनेट सर्विस (महाविद्यालय शाखा), नियम 1979 बने हुए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अन्य कार्मिकों हेतु राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियम एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम लागू हैं।

(2) राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अनुसार प्राचार्य व निदेशक के पद की योग्यता परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

शिक्षकों की योग्यता यूजीसी के द्वारा समय-समय पर जारी अर्हताओं के अनुसार है एवं कुलपति पद हेतु कोई अर्हताऐं निर्धारित नहीं हैं। वर्तमान में निदेशक/आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारी नियुक्त हैं।

(3) स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य एवं विश्वविद्यालयों के संघठक कालेज प्राचार्य का वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 10000 है। निदेशक, कालेज शिक्षा, जयपुर का वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 10000 व विशेष वेतन भी है।

(4) अब तक कार्यरत रहे आयुक्तों के कार्यकाल के विवरण की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-2)।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर की दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार में बन्दरों का आतंक

60. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाराह जी का चौक, दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार, जयपुर में पिछले एक वर्ष से बन्दरों का आतंक है, जिससे कालोनीवासियों का रहना दूभर हो रहा है तथा कई लोग घायल हो चुके हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में कालोनीवासियों द्वारा समय-समय पर नगर निगम, जयपुर को सूचना दी गई है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

(3) क्या सरकार अब उक्त कालोनी से बन्दरों को पकड़कर अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नगर निगम, जयपुर को इस सम्बन्ध में उक्त क्षेत्र से दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) शहर से बन्दरों को समय-समय पर पकड़ कर जंगलों में स्थानान्तरित किया जाता है।

सवाईमाधोपुर शहर की क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइन

61. श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में स्थित आवासन मण्डल योजना क्षेत्र की सीवरेज लाइन जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त हो गई है तथा जगह-जगह पर बंद भी है जिसके कारण जगह-जगह पर गंदगी फैली हुई है?

(2) क्या सरकार उक्त सीवरेज लाइन को ठीक कर जनता को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर में आवासन मण्डल योजना क्षेत्र की सीवरेज लाइन

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त है एवं कई जगह बन्द भी है जिससे गन्दगी फैलती है। नगर परिषद् द्वारा मशीन से समय-समय पर सीवर लाइन खाली करवाई जाती है।

(2) जी हां। राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) द्वारा वर्तमान में शहर की मानटाउन एवं बजरिया क्षेत्र में सीवर लाइन का कार्य करवाया जा रहा है।

बूंदी नगर परिषद क्षेत्र में आवास रहित बी.पी.एल. परिवार

62. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी नगर परिषद क्षेत्र में कुल कितने बीपीएल परिवार आवास रहित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बूंदी नगर परिषद क्षेत्र में अब तक कुल कितने बी.पी.एल. परिवारों को इन्द्रा आवास उपलब्ध कराया गया तथा सरकार द्वारा शेष बी.पी.एल. परिवारों को कब तक आवास उपलब्ध कराने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बूंदी नगर परिषद् क्षेत्र में कुल 102 बी.पी.एल. परिवार आवास रहित हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बूंदी नगर परिषद् क्षेत्र में इन्द्रा आवास योजना लागू नहीं है। इसलिए उक्त योजना में किसी परिवार को आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत सभी पात्र परिवारों को आवास अनुदान सहायता दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सूरसागर की कच्ची बस्तियों का सर्वे/नियमन

63. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में मसूरिया क्षेत्र की संतोषपुरा कच्ची बस्ती, चौपासनी स्कूल के सामने बसी शिक्षक कालोनी, भट्टी की बावड़ी कब से आबाद है?

(2) उक्त बस्तियों में कितने परिवार निवास कर रहे हैं? क्या सरकार

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

द्वारा उक्त बस्तियों का सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो कब-कब? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बस्तियों के कब-कब पट्टे जारी किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार उक्त बस्तियों का नियमन कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में मसूरिया क्षेत्र की संतोषपुरा कच्ची बस्ती एवं चौपासनी स्कूल के सामने बसी शिक्षक कालोनी व भट्टी की बावड़ी वर्ष 1981 के पूर्व से आबाद हैं।

(2) संतोषपुरा कच्ची बस्ती में 273 परिवार व शिक्षक कालोनी में 275 परिवार निवास करते हैं। इन बस्तियों का सर्वे 15 अगस्त, 2009 के कब्जे के आधार पर वर्ष 2010-11 में करवाया गया है, जिसकी सर्वे सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। भटटी की बावड़ी का सर्वे नही करवाया गया है ।

(3) उक्त बस्तियों में नगर निगम, जोधपुर द्वारा पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। शिक्षक कालोनी वन विभाग की भूमि पर स्थित होने के कारण पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। संतोषपुरा कच्ची बस्ती के निवासियों ने वर्ष 1991 के पूर्व के कब्जे के आधार पर राजकीय भूमि के नियमन की मांग की है। अत: संतोषपुरा कच्ची बस्ती को डिनोटिफाइड कर राजकीय भूमि नियमन के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण स्थानीय स्तर की एम्पावर्ड समिति में विचाराधीन है। भटटी की बावड़ी कच्ची बस्ती सर्वेशुदा नही है ।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मालपुरा क्षेत्र में घुमन्तु जाति के परिवारों को नि:शुल्क आवास सुविधा

64. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के मालपुरा कस्बे में कृषि मण्डी के बाहर तथा टोडारायसिंह कस्बे में पुराने बस स्टैण्ड, केकड़ी रोड पर गाड़िया लुहार अस्थायी रूप से बसे हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस तरह की घुमन्तु जाति के परिवारों को आबादी भूमि में नि:शुल्क भू-खण्ड आवंटन कर पुनर्वास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के मालपुरा कस्बे में कृषि मण्डी के बाहर 11 गाड़िया लुहार परिवार अस्थाई रूप से बसे हुए हैं। जिनको समीपस्थ ग्राम राजपुरा में नि:शुल्क भूमि आबंटन कर पट्टे जारी कर दिये गये हैं। टोडारायसिंह कस्बे में पुराने बस स्टैण्ड, केकड़ी रोड पर वर्तमान में कोई भी गाड़िया लुहार अस्थाई रूप से निवास नहीं कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इन परिवारों के आवास/पुनर्वास हेतु सहायता नियमानुसार शीघ्र दी जावेगी।

जयपुर के महारानी फार्म शिप्रा पथ मार्ग हेतु प्रस्तावित हाई लेवल ब्रिज

65. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महारानी फार्म से मानसरोवर (शिप्रा पथ) को जोड़ने हेतु हाई लेवल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त हाई लेवल ब्रिज बनाने हेतु डिजाइन तैयार कराई गई है? यदि हां, तो अब इस ब्रिज का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महारानी फार्म से मानसरोवर (शिप्रा पथ) को जोड़ने हेतु हाई लेवल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया था। जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 05.10.2010 को जारी की गई थी। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त हाई लेवल ब्रिज बनाने हेतु डिजाइन तैयार कराई गई है। परियोजना के लिए चिन्हित भूमि पर वर्तमान में राजस्व मण्डल से यथास्थिति के आदेश हैं। प्रकरण के विधिक निस्तारण पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी। राजस्व मण्डल से यथास्थिति के आदेश को खारिज (Vacate) कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

परिशिष्ट-अ

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

No.: JDA/A&F/TA to DE/10-11/D-175 Dated : 05/10/2010

Executive Engineer Project-
3 (Garden)
Jaipur Development Authority,
Jaipur.

Sub : Administrative & Financial Sanction of the Work.

I am directed to convey the Administrative & Financial Sanction of the work amounting to Rs. 184800000 (eighteen crore forty eight lakh only) for undertaking the following work.

Details of work :-

4 LANE HIGH LEVEL BRIDGE OF AMANI SHAH KA NALLAH FROM MAHARANI FARM TO MANSAROVAR, SHIPRA PATH, JAIPUR

The Expenditure shall be charged to the Budget head :-

02 EXPENDITURE ON DEVLOPMENT WORKS
07 SPECIAL PROJECTS
96 HIGH LEVEL BRIDGE ON AMANI SHAH NALLAH MANSAROVAR
99 OTHER MISCLLANEOUS WORK,

The work has been assigned Job No : 175/2010-2011 which should be mentioned in all references of the sanction and shall be shown in the monthly accounts of the division.

On completion of the work, a completion report in the following performa should be submitted :-

S. No.	Name of work	Job No.	Sanctioned Cost (Rs)	Actual Cost (Rs)	Reason of Variations
1.	4 LANE HIGH LEVEL BRIDGE ON AMANI SHAH KA NALLAH FROM MAHARANI FARM TO MANSAROVAR, SHIPRA PATH, JAIPUR	175/ 2010-11	18.48 crore		

The further details of the work are as follows :-

S. No.	Particulars	Amount (Rs.)	Officer In-charge
A	Civil Work	0.00	NA
B	Electric Work	0.00	NA
C	Horticulture Work	0.00	NA
D	Parks (Civil Work)	0.00	NA
E	Water Supply	0.00	NA
F	Sewerage Work	0.00	NA
G	Other Works	184800000.00	XEn-Project-3
	Total Amount	**184800000.00**	

This bears the concurrence of PWC vide agenda no. S-4 held on 23/09/2010.

The original file as received on 01/10/2010 is returned here with for needful action.

Sd/-
Associated Accounts Officer
For Director (Engineering)

भिवाड़ी (अलवर) नगर सुधार न्यास द्वारा स्वीकृत अपूर्ण कार्य

66. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर सुधार न्यास भिवाड़ी द्वारा गत पांच वर्ष में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के किस-किस ग्राम में किस-किस प्रकृति के कौन-कौन से विकास कार्य स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से अब तक कितने कार्य पूर्ण कर दिये गये व कितने अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त अवधि में स्वीकृत सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर दिये गये एवं निर्धारित मानदण्डानुसार हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

इस सम्बन्ध में कब-कब जांच की गई? अपूर्ण रहे कार्य अब कब तक पूर्ण कर दिये जाएंगे?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, भिवाडी द्वारा गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के लिए स्वीकृत किए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) संलग्न परिशिष्ट "अ" में वर्णित अनुसार 17 कार्य पूर्ण कर दिये गये व 1 कार्य प्रगति पर है। 11 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। 4 कार्य अपूर्ण हैं। विस्तृत टिप्पणी परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(3) बिन्दु संख्या-2 में वर्णित अनुसार 17 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जाकर कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पाये जाने पर ही भुगतान किया गया है। 1 कार्य प्रगति पर है। 11 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। 4 कार्य अपूर्ण हैं। जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" की क्रम संख्या-2 27, 29, 30 पर अंकित किया गया है। क्रम संख्या-2 पर अंकित अधूरा कार्य पुन: निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त एवं क्रम संख्या 27, 29 व 30 पर अंकित कार्य भूमि विवाद हल होने पर पूर्ण किये जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के सम्भागीय मुख्यालयों पर पृथक शादी समारोह जोन हेतु कार्य योजना

67. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में रोजाना होने वाले शादी समारोहों से यातायात व्यवस्था बिगड़ती है एवं ट्रैफिक जाम की स्थिति हो जाती है?

(2) क्या सरकार प्रदेश के सातों सम्भागीय मुख्यालयों पर पृथक से वेडिंग जोन बनाने का विचार रखती है, जहां पर दो सौ फीट से अधिक चौड़ी सड़कें हों एवं एक ही स्थान पर विवाह-स्थल सरकारी तथा निजी तौर पर स्थापित हो? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कई बार कुछ स्थानों पर शादी समारोहों से ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(2) वर्तमान में राज्य के सम्भागीय मुख्यालयों पर पृथक से वेडिंग जोन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान खेल परिषद की बकाया राशि प्रकरण

68. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन पर कुल कितनी राशि बकाया होने का दावा किया है तथा यह राशि कब से किस-किस मद में बाकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन को आई.पी.एल. 6 क्रिकेट मैच कराने की अनुमति दी है? यदि हां, तो कब व किन शर्तों पर?

(3) क्या यह सही है कि राज्य क्रिकेट संघ व खेल परिषद के बीच में हुआ एम.ओ.यू. वर्तमान में समाप्त हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार एम.ओ.यू. के नवीनीकरण या नया एम.ओ.यू. करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किन शर्तों पर?

(4) क्या सरकार को राज्य क्रिकेट संघ व खेल परिषद के बीच पूर्व में हुए एम.ओ.यू. के उल्लंघन करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायत कब प्राप्त हुई व प्राप्त शिकायत के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद तथा राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन के मध्य बकाया राशि तय करने के सम्बन्ध में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. पी.आई.एल. संख्या 1738/2013 में दिये गये निर्णय की पालना में राजस्थान सरकार व राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन के मध्य हुए एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

(3) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद व राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन के मध्य दो एम.ओ.यू. किये गये थे। प्रथम एम.ओ.यू. सवाई मानसिंह स्टेडियम के मुख्य मैदान एवं दूसरा एम.ओ.यू. क्रिकेट अकादमी के लिए किया गया था। जिनमें से मुख्य मैदान हेतु किया गया एम.ओ.यू. दिनांक 21.07.2012 को समाप्त हो गया जबकि क्रिकेट अकादमी का एम.ओ.यू. दिनांक 21.07.2023 तक का है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. पी.आई.एल. संख्या 1738/2013 में दिये गये निर्णय की पालना में राजस्थान सरकार व राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन के मध्य हुए एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(4) राजस्थान क्रिकेट संघ व राजस्थान खेल परिषद के मध्य हुए एम.ओ.यू. के उल्लंघन के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में अवमानना याचिका संख्या 1106/2009 विचाराधीन है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

हिण्डौन तहसील में पंजीकृत दस्तावेजों की तस्दीक

69. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2011 एवं 2012 में जिला करौली की हिण्डौन तहसील में किस-किस महीने में कितने-कितने दस्तावेज दाखिल किये गये एवं कितनी तस्दीक की गई?

(2) उक्त दाखिल की गई रजिस्ट्री के दस्तावेजों में से वर्ष 2012 के दौरान कितने दस्तावेजों की तस्दीक करने में 15 दिन से अधिक समय लगा?

(3) जून, 2012 में करौली जिले की हिण्डौन तहसील में किन-किन व्यक्तियों के दस्तावेज तस्दीक किये गये?

उत्तर

(1) वर्ष 2011-12 में जिला करौली की हिण्डौन तहसील में माहवार निम्नानुसार दस्तावेज दाखिल व तस्दीक किये गये :-

(राजस्व मंत्री)

वर्ष 2011		वर्ष 2012	
माह	**दस्तावेजों की संख्या**	**माह**	**दस्तावेजों की संख्या**
जनवरी	87	जनवरी	125
फरवरी	100	फरवरी	112
मार्च	63	मार्च	145
अप्रैल	119	अप्रैल	96
मई	140	मई	199
जून	183	जून	187
जुलाई	179	जुलाई	244
अगस्त	192	अगस्त	204
सितम्बर	104	सितम्बर	159
अक्टूबर	100	अक्टूबर	115
नवम्बर	151	नवम्बर	124
दिसम्बर	148	दिसम्बर	166

(2) वर्ष 2012 में प्रस्तुत दस्तावेजों को तस्दीक करने में एक भी दस्तावेज में 15 दिन से अधिक का समय नहीं लगा है।

(3) जून, 2012 में करौली जिले की हिण्डौन तहसील में 187 दस्तावेज तस्दीक किये गये हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

नाथद्वारा में कार्यरत राजस्व कार्मिक

70. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से पटवारी, सचिव एवं भू-अभिलेख निरीक्षक कब-कब से किस-किस पंचायत/क्षेत्र/सर्कल में नियुक्त हैं तथा उनके पास कौन-कौनसी पंचायतें/क्षेत्र/सर्कल का कार्यभार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

(2) क्या यह सही है कि नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में पटवारी, सचिव एवं भू-अभिलेख, निरीक्षकों को पदोन्नति/उच्च वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व सरकार द्वारा पटवारी, सचिव एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों को कब तक पदोन्नति/उच्च वेतनमान प्रदान कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में पटवारी, सचिव एवं भू-अभिलेख निरीक्षक जिन पंचायत/क्षेत्र/सर्कल में नियुक्त हैं एवं उनके कार्यभार की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों से भू-अभिलेख निरीक्षक पद की वर्ष 2012-13 तक की डीपीसी का आयोजन किया जा चुका है एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों से नायब तहसीलदार की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2010-2011 तक आयोजित की जा चुकी है। शेष वर्षों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ग्राम पंचायत सचिवों की पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा ग्राम सेवकों के उच्च वेतनमान बाबत कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भिवाड़ी में तहसीलदार एवं उपखण्ड कार्यालय का सृजन

71. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भिवाड़ी औद्योगिक नगर की जनसंख्या लाखों में है तथा प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है?

(2) क्या यह भी सही है कि भिवाड़ी में तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय भी नहीं हैं?

(3) भिवाड़ी में तहसीलदार व उपखण्ड कार्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? क्या सरकार भिवाड़ी में तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भिवाड़ी औद्योगिक नगर की जनसंख्या एक लाख से अधिक है तथा यह प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। भिवाड़ी में तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय नहीं हैं।

(3) जी नहीं। भिवाड़ी में तहसीलदार एवं उपखण्ड कार्यालय खोलने के प्रस्ताव राज्य स्तर पर विचाराधीन नहीं हैं। राजस्व मण्डल द्वारा नवीन तहसील के सृजन हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 पटवार मण्डलों का होना आवश्यक है तथा शेष तहसील में भी इतने ही पटवार मण्डलों का होना आवश्यक है। भिवाड़ी कस्बा तहसील तिजारा में स्थित है। तिजारा तहसील में कुल 48 पटवार मण्डल हैं। इस प्रकार निर्धारित नोर्म्स के मुताबिक भिवाडी नवीन तहसील बनाये जाने की पात्रता नहीं रखता है।

सरिस्का वन्य अभयारण्य में गैर-वानिकी गतिविधियां

72. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में स्थित सरिस्का बाघ अभयारण्य का सीमा क्षेत्र कहां से कहां तक कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? अभयारण्य के नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राष्ट्रीय सरिस्का बाघ अभयारण्य क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन से ग्राम सम्मिलित हैं? ग्रामों की सूची एवं उनका रकबा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरिस्का बाघ अभयारण्य क्षेत्र के अन्तर्गत जो भी क्षेत्र आता है उसमें गैर वानिकी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं? यदि हां, तो कब से व किस आदेश/कानून के तहत? आदेश/कानून की प्रति समस्त संशोधनों सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि अभयारण्य क्षेत्र में स्थित ग्राम में अतिक्रमणकारियों को गैर वानिकी गतिविधि किये जाने पर सजा का प्रावधान है? यदि हां, तो किस आदेश/कानून के तहत व कितने वर्ष की? आदेश/कानून की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में स्थित सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की सीमायें राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ39(2)फोरे/55 दिनांक 7.11.1955 एवं अधिसूचना संख्या एफ 33(2)रे.यू.-ए/54 दिनांक 5.8.1958 के

(वन मंत्री)

अनुसार वर्णित है। इसका कुल क्षेत्रफल 544.23 वर्गकिलोमीटर है, जिसमें 492.00 वर्गकिलोमीटर घोषित वन क्षेत्र एवं 53.23 वर्गकिलोमीटर राजस्व/अन्य क्षेत्र है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या प.1(24)वन/2008 दिनांक 20.6.2012 द्वारा सरिस्का 'अ' वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की गई है जो 3.01 वर्गकिलोमीटर में फैला हुआ है जिसकी प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य तथा सरिस्का 'अ' वन्यजीव अभयारण्य के नक्शे की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(2) सरिस्का बाघ परियोजना अन्तर्गत सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य तथा सरिस्का 'अ' वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में शामिल ग्रामों/रूंधो की सूची मय रकबे के संलग्न है।

(3) जी हां। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य एवं सरिस्का 'अ' वन्यजीव अभयारण्य के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में गैरवानिकी गतिविधियां वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन संख्या 202/95 टी.एन. गोदावर्मन बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय के तहत कानूनी प्रावधानानुसार नियंत्रित की जाती है। आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं।

(4) जी हां। अभयारण्य क्षेत्र में स्थित ग्रामों में अतिक्रमणकारियों द्वारा गैर कानूनी कार्यवाही किये जाने पर सजा का प्रावधान है। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 34(A) के अन्तर्गत अतिक्रमणकारियों के विरुद्व कार्यवाही का प्रावधान है। अतिक्रमियों को इस अधिनियम की धारा 51(1) के अन्तर्गत 3 वर्ष कारावास या राशि रुपये 25000/- जुर्माना या दोनों दण्डों का प्रावधान है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में वन क्षेत्र के विकास/विस्तार हेतु कार्य योजना

73. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वनों से आच्छादित क्षेत्रों की संख्या में लगातार कमी हो रही है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रदेश के किस-किस जिले के कितने भू-भाग पर वन भूमि की कमी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

(2) क्या सरकार वन क्षेत्रों को बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य में वन विकास के लिये मुख्यतया निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं :-

1. जैव विविधता एवं परिस्थितिकीय पर्यटन
2. परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण
3. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
4. पर्यावरण वानिकी
5. वन्यजीवों का परिरक्षण
6. फार्म वन विद्या
7. भांखड़ा नहर वृक्षारोपण
8. गंग नहर वृक्षारोपण
9. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-II
10. पहाडी एवं कन्दरा क्षेत्र में मृदा संरक्षण
11. नर्मदा नहर परियोजना
12. नाबार्ड पोषित जल संग्रहण परियोजना
13. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना
14. नदी घाटी परियोजना चम्बल, कडाना और माही
15. बनास नदी परियोजना क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य
16. राष्ट्रीय वनीकरण एवं परिस्थितिकीय विकास
17. तेरहवां वित्त आयोग
18. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
19. मरूप्रसार रोक कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
20. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पुनर्पोधारोपण

उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत वन विकास, वन सुरक्षा एवं वन्य जीव प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

बारां जिले को सी ए डी डब्ल्यू एम योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि

74. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) व **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (अन्ता) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सी ए डी डब्ल्यू एम योजना के अन्तर्गत बारां जिले में वर्ष 2008 -09 से 2012-13 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये स्वीकृत हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से बारां जिले के किस-किस गांव के कितने-कितने कृषकों की कितनी-कितनी भूमि को लाभ प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत राशि से किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य करवाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्य किस-किस दिनांक को प्रारम्भ हुए एवं किस-किस दिनांक को पूर्ण हुए? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौनसा कार्य किस-किस स्तर पर निर्माणाधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त योजना की क्या गाइड लाइन है एवं इसमें क्या-क्या कार्य स्वीकृत हो सकते हैं? जारी आदेश, परिपत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सी ए डी डब्ल्यू एम योजना के अन्तर्गत बारां जिले में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 तक सिंचाई वृत एवं भूमि विकास वृत के अन्तर्गत वर्षवार स्वीकृत राशि एवं कार्यो का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 1 'अ' पर उपलब्घ है। उक्त के अतिरिक्त कृषि विस्तार इकाई के अन्तर्गत प्रदर्शन मद में बारां जिले हेतु वर्ष 2012-13 में 70 प्रदर्शन आयोजित करने हेतु राशि रु. 1.70 लाख का आवंटन किया गया है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत सिंचाई वृत, भूमि विकास वृत एवं कृषि विस्तार इकाई के द्वारा सम्पादित कार्यों से बारां जिले के लाभान्वित गांवों एवं कृषकों का विवरण क्रमश: परिशिष्ठ 2, 2 'अ' एवं 2 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) उक्तानुसार स्वीकृत राशि से सिंचाई वृत एवं भूमि विकास वृत के द्वारा वर्षवार सम्पादित कार्यों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 3 एवं परिशिष्ट 3

(सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री)

'अ' पर उपलब्ध है। कृषि विस्तार इकाई द्वारा करवाये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	**व्यय राशि (रु. लाख में)**	**कार्य**
खरीफ, 2012	0.57	सोयाबीन प्रदर्शन
रबी, 2012	0.53	गेहूं प्रदर्शन

(4) सिंचाई वृत एवं भूमि विकास वृत द्वारा सम्पादित कार्यों के प्रारम्भ एवं पूर्ण होने का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 4 एवं 4 'अ' पर उपलब्ध है।

कृषि विस्तार इकाई के अन्तर्गत सोयाबीन प्रदर्शन खरीफ, 2012 गेहूं प्रदर्शन रबी, 2012-13 में आयोजित किए गये हैं।

(5) सिंचाई वृत एवं कृषि विस्तार इकाई के अधीन सी ए डी डब्ल्यू एम योजना के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। भूमि विकास वृत के अन्तर्गत खेत सुधार के स्वीकृत कार्यों की निर्माण की स्थिति का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "5" पर उपलब्ध है।

(6) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सी ए डी डब्ल्यू एम योजना की गाइड लाइन परिशिष्ट "6" पर संलग्न है। जिसके तहत खेत सुधार कार्य, इन्टरमिडियेट, फिल्ड एवं लिंक ड्रेन, करेक्शन आफ सिस्टम डेफिशियन्सी, जल मग्न क्षेत्रों का सुधार, प्रशिक्षण प्रदर्शन, ग्राहय परीक्षण इत्यादि कार्य स्वीकृत किए जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बायतू के चिकित्सालयों में रिक्त पद

75. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में आयुर्वेदिक, हौम्योपैथिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के कितने केन्द्र संचालित हैं? बाड़मेर जिले के केन्द्रों की सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी केन्द्रों में चिकित्सक एवं अधीनस्थ कार्मिक कार्यरत हैं? यदि हां, तो बायतू विधान सभा क्षेत्र में संचालित केन्द्रों में कार्यरत कार्मिकों की सूची केन्द्रवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सभी केन्द्रों को संचालित करने के लिए चिकित्सक एवं कार्मिक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के 3702, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के 189, यूनानी चिकित्सा पद्धति के 131 तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के 6 केन्द्र संचालित हैं। बाड़मेर जिले के केन्द्रों की सूची विधानसभावार परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बाड़मेर जिले के बायतू विधान सभा क्षेत्र में संचालित केन्द्रों में कार्यरत कार्मिकों की सूची केन्द्रवार परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभागान्तर्गत संचालित चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्साधिकारियों एवं नर्स/कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया विचाराधीन है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता

76. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में सरकार की ओर से राजकीय चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को भोजन सामग्री उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों में राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को भोजन सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सामग्री वितरण नहीं करने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व क्या-क्या कमियां पाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय में भर्ती मरीजों हेतु भोजन सामग्री की गुणवत्ता व वितरण व्यवस्था सही नहीं होने के कारण मरीजों को लाभ नहीं मिल रहा है?

(4) क्या सरकार प्रदेश में उक्त व्यवस्था को सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राज्य में जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत 12 सितम्बर 2011 से राजकीय चिकित्सालयों में संस्थागत प्रसव होने पर अस्पताल में भर्ती रहने के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

दौरान सभी गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क भोजन सामान्य प्रसव के लिए 3 दिन तक तथा सिजेरियन आपरेशन के लिए 7 दिन तक उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सुविधा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। इस सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) मानदण्ड के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु कलेवा योजना के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो जयपुर संभाग से सम्बन्धित थी। यह शिकायत भोजन की गुणवत्ता के सम्बन्ध में थी उक्त सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर सहित सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है। शिकायत एवं निर्देशित पत्र की छायाप्रति परिशिष्ट-स एवं द पर संलग्न है।

(3) समान्यत: कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु कलेवा योजना के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो जयपुर संभाग से सम्बन्धित थी। यह शिकायत भोजन की गुणवत्ता के सम्बन्ध में थी उक्त सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर सहित सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है। शिकायत एवं निर्देशित पत्र की छायाप्रति परिशिष्ट-स एवं द पर संलग्न है।

(4) चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को भोजन सामग्री निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राज्य में स्वाइन फ्लू की जांच हेतु स्थापित प्रयोगशालाएं

77. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में स्वाइन फ्लू की जांच हेतु जांच प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो उक्त कहां-कहां पर कितने-कितने समय में स्थापित किये गये? लैबवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त लैबों को 10 दिन में स्थापित कर जांच शुरू करने की छूट की गई थी? यदि हां, तो कौन-कौनसी लैब को 10 दिन में स्थापित कर जांच शुरु की गई? यदि नहीं, तो कितने समय पश्चात् जांच शुरु की गई ? लैबवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) क्या यह सही है कि उक्त लैब निर्धारित समय में चालू नहीं हुए हैं? यदि हां, तो इसके क्या-क्या कारण रहे तथा समय पर चालू नहीं करने पर सम्बन्धित कम्पनी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कालेजों में स्वाइन फ्लू जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया। लैबवार विवरण निम्नानुसार है-

कालेज का नाम	निर्माण कार्य प्रारम्भ	स्थापना एवं जांच शुरू
जयपुर	सितम्बर 2009	अक्टूबर 2009
अजमेर	नवम्बर 2009	फरवरी 2010
बीकानेर	नवम्बर 2009	फरवरी 2010
कोटा	नवम्बर 2009	मई 2010
जोधपुर	दिसम्बर 2009	जुलाई 2010
उदयपुर	नवम्बर 2009	मार्च 2010

(2) जी नहीं। लैब की स्थापना शीघ्र कराने हेतु निर्देश दिये गये थे इस हेतु कोई निश्चित अवधि तय नहीं की गयी थी। लैबवार विवरण भाग संख्या 1 के अनुसार।

(3) जी नहीं। लैब की स्थापना करने के लिये एवं जांच कार्य शुरू करने के लिये अलग से कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

प्रदेश में बाल मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने हेतु कार्य योजना

78. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बाल मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समय सीमा के उपरान्त वर्तमान में राज्य में बाल मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर की क्या स्थिति है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) विगत 5 वर्षों में राज्य में बाल मृत्यु दर व मातृ मृत्यु के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? जिलेवार ग्रामीण व शहरी प्रकरणों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) मिलेनियम डवलेपमेट गोल (एमडीजी) के अनुसार राजस्थान प्रदेश में वर्ष 2015 तक बाल मृत्यु दर का लक्ष्य 37.82 प्रति हजार जीवित जन्म तथा मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य 181.22 प्रति लाख जीवित जन्म रखा गया था।

(2) वर्तमान में राज्य में बाल मृत्यु दर (0-5 वर्ष) 69 प्रति हजार जीवित जन्म है। (एस.आर.एस. 2010) एस.आर.एस. में जिलेवार बाल मृत्यु दर का संकलन नही किया जाता है ।

एस.आर.एस. सर्वे 2007-2009 के अनुसार राज्य की मातृ मृत्यु दर 318 प्रति लाख जीवित जन्म है। मातृ मृत्यु दर के सम्बन्ध में वर्ष 2009 के बाद एस.आर.एस. सर्वे में मातृ मृत्यु दर की कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। वार्षिक हैल्थ सर्वे (ए.एच.एस. 2010-11) के अनुसार संभाग स्तरीय मातृ मृत्यु दर निम्नानुसार है-

संभाग	**मातृ मृत्यु दर**
जयपुर	319
बीकानेर	343
जोधपुर	322
उदयपुर	364
कोटा	343
अजमेर	338

जिलेवार मातृ मृत्यु दर का आंकलन नहीं किया जाता है।

(3) विगत 5 वर्षों में राज्य में बाल मृत्यु दर (0-5 वर्ष) की जिलेवार संख्या परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विगत 5 वर्षो में राज्य में मातृ मृत्यु के प्रकरणों की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

बाल मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर का संकलन ग्रामीण व शहरी अलग-अलग नहीं किया जाता है।

परिशिष्ट-अ

Statement Showing Reported Child Death (0-5 Years) as per financial year (As per Form No. 9)

S. No.	District	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	AJMER	594	519	402	943	1434
2.	NAGAUR	910	837	545	282	229
3.	TONK	511	392	381	835	717
4.	BHILWARA	626	182	516	601	586
5.	JAIPUR 1	927	153	263	716	890
6.	JAIPUR 2			166	193	334
7.	DAUSA	759	474	716	418	304
8.	SIKAR	125	132	83	182	126
9.	JHUNJHUNU	167	84	57	140	92
10.	ALWAR	642	821	1528	817	791
11.	CHURU	198	115	161	174	199
12.	BIKANER	67	184	15	205	222
13.	GANGANAGAR	207	259	287	331	412
14.	HANUMANGARH	263	165	418	321	628
15.	JALORE	498	341	291	343	296
16.	BARMER	212	134	182	195	290
17.	JAISALMER	56	75	40	86	89
18.	PALI	397	177	182	328	473
19.	SIROHI	659	515	334	512	479
20.	JODHPUR	321	271	133	265	267
21.	BUNDI	508	462	229	1445	384

1	2	3	4	5	6	7
22.	JHALAWAR	676	601	390	788	1058
23.	KOTA	691	735	322	444	258
24.	BARAN	544	481	411	422	704
25.	CHITTORGARH	212	403	281	313	231
26.	PRATAPGARH		458	329	268	252
27.	UDAIPUR	1759	2459	1293	1195	1875
28.	RAJSAMAND	411	553	405	415	491
29.	DUNGARPUR	200	905	193	621	862
30.	BANSWARA	1525	1072	1094	1472	1523
31.	BHARATPUR	453	542	291	540	679
32.	DHOLPUR	364	567	450	702	633
33.	S. MADHOPUR	396	571	73	63	90
34.	KARAULI	747	804	406	648	619
	Total	**16625**	**16443**	**12867**	**17223**	**18517**

परिशिष्ट-ब

Statement Showing Year wise Reported Maternal Death

S. No.	Name of District	F.Y. 2007-08	F.Y. 2008-09	F.Y. 2009-10	F.Y. 2010-11	F.Y. 2011-12
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Ajmer	10	24	24	45	45
2.	Alwar	50	82	33	59	33
3.	Banswara	47	51	55	56	68
4.	Baran	11	0	56	29	17
5.	Barmer	10	8	15	6	14
6.	Bharatpur	22	40	65	37	31

1	2	3	4	5	6	7
7.	Bhilwara	33	43	26	23	35
8.	Bikaner	12	0	3	18	5
9.	Bundi	23	22	18	37	28
10.	Chittorgarh	11	11	16	27	17
11.	Churu	4	2	11	2	8
12.	Dausa	25	11	34	30	13
13.	Dholpur	9	9	15	12	5
14.	Dungarpur	88	37	37	41	37
15.	Ganganagar	7	9	13	26	14
16.	Hanumangarh	4	7	11	13	21
17.	Jaipur I	126	46	19	85	84
18.	Jaipur II	0	0	58	18	11
19.	Jaisalmer	0	0	0	4	1
20.	Jalore	14	19	14	26	5
21.	Jhalawar	47	23	25	27	43
22.	Jhunjhunu	28	9	4	7	4
23.	Jodhpur	50	59	80	80	22
24.	Karauli	26	21	16	17	18
25.	Kota	371	37	38	44	27
26.	Nagaur	38	32	45	11	1
27.	Pali	8	0	33	22	31
28.	Pratapgarh	0	33	38	24	13
29.	Rajsamand	12	12	43	25	23
30.	S. Madhopur	22	8	0	19	17
31.	Sikar	8	12	3	10	17
32.	Sirohi	18	19	17	24	25
33.	Tonk	10	18	34	21	22
34.	Udaipur	125	177	37	57	25
	Total	**1269**	**881**	**936**	**982**	**780**

श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था

79. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 का सफाई कार्य का ठेका कितने में किस फर्म को दिया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सफाई ठेकेदार द्वारा जिला चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं की जा रही है तथा इस हेतु अपेक्षित सफाईकर्मी भी नहीं लगाये गये हैं?

(3) जिला प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था को लेकर कब-कब जिला चिकित्सालय की जांच की गई तथा जांच में क्या-क्या कमियां पाई गईं और क्या-क्या सुधार करने के निर्देश दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर के भवन, शौचालय एवं परिसर में सफाई कार्य का ठेका वर्ष 2011-2012 में मैसर्स- सांई सेवा स्वच्छता संस्थान, श्रीगंगानगर को राशि रुपये 49000/- प्रतिमाह में दिया गया था ।

वर्ष 2012-2013 में मैसर्स- सांई सेवा स्वच्छता संस्थान, श्रीगंगानगर को भवन की सफाई हेतु 81000/- रुपये प्रतिमाह की दर से एवं मैसर्स- केशव कम्प्यूटर संस्थान, गोविन्दपुरा, श्रीगंगानगर को शौचालय की सफाई हेतु 35711/- रुपये प्रतिमाह की दर से तथा मैसर्स- निरंजन शर्मा कान्ट्रेक्टर, श्रीगंगानगर को सम्पूर्ण परिसर की सफाई हेतु 15919/- रुपये प्रतिमाह की दर से ठेका दिया गया है ।

(2) सामान्यतया ठेकेदारों द्वारा ठेके की निर्धारित शर्तों के अनुसार सफाई कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है और कमी पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जाती है।

जिला चिकित्सालय में वर्ष 2012-2013 में निर्धारित शर्तों के अनुरूप भवन की सफाई हेतु 20 कर्मचारी, शौचालय की सफाई हेतु 6 कर्मचारी एवं सम्पूर्ण परिसर की सफाई हेतु 4 कर्मचारी कुल 30 सफाई कर्मचारी ठेकेदारों द्वारा लगा रखे हैं ।

(3) जनवरी 2012 में जिला प्रशासन के द्वारा चिकित्सालय में एक स्थाई नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। नोडल अधिकारी चिकित्सालय

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

में नियमित निरीक्षण करते थे और उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में सुधार किया जाता है इस वजह से चिकित्सालय व्यवस्थाओं में गुणात्मक सुधार देखा गया।

जिला कलक्टर ने जनवरी 2013 में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन/शहर) को पाक्षिक निरीक्षण हेतु आदेशित किया था । उक्त आदेशों की अनुपालना में जनवरी में 2 बार दिनांक 27.01.2013 व 31.01.2013 को औचिक निरीक्षण किया गया। लिखित में कोई निरीक्षण रिपोर्ट चिकित्सालय प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था पर दिनांक 27.01.2013 को अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ने असंतोष प्रकट किया तो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए सफाई ठेकेदार (भवन) को अगले माह की जाने वाली भुगतान राशि में 20 प्रतिशत कटौती के लिखित आदेश क्रमांक 1322-1328 दिनांक 02.02.2013 जारी किये । उप नियंत्रक की सिफारिश पर ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान में से 10 प्रतिशत कटौती की गई थी परन्तु इसका भी ठेकेदार पर असर नहीं पड़ा। इसके साथ ही सफाई ठेकेदार को मौखिक एवं लिखित चेतावनी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा समझाने के बावजूद भी सुधार नहीं किया गया तो ठेकेदार को 20 प्रतिशत कटौती के साथ ठेका निरस्त करने एवं ब्लैक लिस्टेड करने हेतु भी पत्र लिखा गया। जनवरी माह के दोनों आकस्मिक निरीक्षण में प्रशासनिक अधिकारी ने सामान्यतया उक्त प्रकरणों के अलावा अपनी संतुष्टि व्यक्त की थी ।

माह फरवरी 2013 में दिनांक 20.02.2013 तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

प्रदेश में कुपोषित/अतिकुपोषित बालकों का सर्वे

80. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कुल कितने कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चे चिन्हित हैं? विगत चार वर्षों का जिलेवार एवं वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस गम्भीर स्तर के कुपोषण के क्या कारण हैं?

(3) उक्त कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों के पोषण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(4) उक्त प्रयासों से कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की सूचना वर्षवार एवं जिलेवार परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) गम्भीर स्तर के कुपोषण के कारण परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(3) सरकार द्वारा राज्य में संचालित 304 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आयुवर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं में व्याप्त कुपोषण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को निर्धारित नोर्म्स के अनुसार वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

(4) जी हां। वर्ष 2009 में कुपोषित बच्चों की संख्या 1974632 एवं अतिकुपोषित बच्चों की संख्या 30942 थी जो वर्ष 2012 में कुपोषित बच्चों की 1390677 एवं अति कुपोषित बच्चों की संख्या 22871 है।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार

81. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं? विगत 3 वर्षों में उनमें से कितनों को रोजगार दिया गया? रोजगार कार्यालयवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में कितने अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों को रोजगार दिया गया? जिलावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 31 जनवरी, 2013 को कुल 732482 पंजीकृत बेरोजगार हैं। उन पंजीकृत बेरोजगारों में से विगत तीन वर्षों में 5703 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। रोजगार कार्यालयवार विवरण परिशिष्ट एक पर उपलब्ध है।

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

(2) विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति के 1005, अनुसूचित जनजाति के 429, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1448 व अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। जिलावार संख्या विवरण परिशिष्ट दो पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केशोरायपाटन की चाकल सिंचाई परियोजना

82. श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में चाकल सिंचाई परियोजना का निर्माण कब आरम्भ किया गया? कार्य के आरम्भ से अब तक इसमें कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा यह कार्य कब तक पूर्ण किया जाना है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांध के निर्माण से क्षेत्र की चमनगंज बाबई मार्ग पर स्थित पुलिया डूब क्षेत्र में आ चुकी है तथा बांध के निर्माण के समय सिंचाई विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को पुलिया के डूब क्षेत्र में आने की जानकारी दी गयी थी? यदि हां, तो कब व कौनसे पत्र क्रमांक द्वारा और नहीं, तो क्यों?

(3) वर्ष 2010 से दिसम्बर, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र केशोराय पाटन में जल संसाधन विभाग द्वारा कितने कार्य स्वीकृत हुए व कितने कार्य प्रगति पर हैं व इनकी लागत व पूर्ण होने की अवधि क्या है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में चाकन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध का निर्माण कार्य दिनांक 8.9.2008 को प्रारम्भ किया गया था। बांध का निर्माण कार्य दिनांक 25.10.2009 में पूर्ण हो चुका है तथा नहरों के कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना पर अब तक राशि रुपये 3105.40 लाख का व्यय हो चुका है तथा कार्य जून, 2013 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। जल संसाधन विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को पुलिया के, बांध डूब क्षेत्र में आने की पृथक से जानकारी नहीं दी गयी थी एवं न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग को पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था। बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि की धारा 4 की विज्ञप्ति दिनांक 09.08.2007 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र

(जल संसाधन मंत्री)

में दिनांक 29.08.2007 में हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित था कि किसी भी हितकारी को इस अवाप्ति के सम्बन्ध में आपत्ति हो, तो अपनी आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लाखेरी के समक्ष 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं करवायी गयी। बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि की धारा 6 की विज्ञप्ति दिनांक 01.01.2008 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 02.02.2008 में हुआ था।

(3) वर्ष 2010 से दिसम्बर, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों एवं उनकी प्रगति का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

वर्ष 2010 से दिसम्बर 2012 तक विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में स्वीकृत/प्रगतिरत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति	वित्तीय स्वीकृति राशि (लाखों में) व दिनांक	पूर्ण होने की अवधि	माह जनवरी 2013 तक कुल व्यय राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मेज नदी पर लाखेरी एनिकट की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य (पी.एच.ई.डी. डिपोजिट वर्क)	प्रगतिरत	371.35 व 20.2.2010	18 माह	201.68	जून 2013 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। इस कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 1.2.2007 को राशि रु. 144.52 लाख की जारी की गई थी। किन्तु कार्यादेश की राशि 277.41 लाख हो जाने से तथा इस राशि का कार्यादेश दिनांक 13.10.08 को जारी करने के उपरान्त प्रोरेटा आदि अन्य व्ययों को शामिल करते हुए संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 20.2.2010 को (पी.एच.ई.डी. द्वारा) राशि रु. 371.35 लाख की जारी की गई।

1	2	3	4	5	6	7
2.	रिहेबिलिटेशन आफ बांध व नहर इन्द्राणी (जे.आई.सी.ए. वर्क)	प्रगतिरत	141.94 व 21.1.2011	18 माह	71.65	जून 2013 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राजामिप परियोजना के अन्तर्गत अन्य बांधों के साथ दिनांक 20.7.2005 को (पत्रांक F-3/AS/I/Cell/96/553) को जारी की गई थी। इसके पश्चात् एप्राईजल राशि रु. 141.94 लाख की दिनांक 21.1.2011 को स्वीकृति जारी की गई। इसके पश्चात् राशि रु. 126.30 लाख का कार्य तकनीकी रूप से स्वीकृत किया जाकर कार्यादेश (पैकेज चतुर्थ के अन्य कार्यों के साथ) दिनांक 19.4.2011 को जारी किया गया।
3.	रिहेबिलिटेशन आफ बांध व नहर बटावदी (जे.आई.सी.ए. वर्क)	प्रगतिरत	113.20 व 21.1.2011	18 माह	75.88	मार्च 2013 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राजामिप परियोजना के अन्तर्गत अन्य बांधों के साथ दिनांक 20.7.2005 को (पत्रांक F-3/AS/I/Cell/96/553) को जारी की गई थी। इसके पश्चात् एप्राईजल राशि रु. 113.20 लाख की दिनांक 21.1.2011 को स्वीकृति

1	2	3	4	5	6	7
3.						जारी की गई। इसके पश्चात् राशि रु. 108.08 लाख का कार्य तकनीकी रूप से स्वीकृत किया जाकर कार्यादेश (पैकेज चतुर्थ के अन्य कार्यों के साथ) दिनांक 19.4.2011 को जारी किया गया।
4.	रिहेबिलिटेशन आफ बांध व नहर मोतीपुरा (जे.आई.सी.ए. वर्क)	प्रगतिरत	82.08 व 21.1.2011	18 माह	40.74	जून 2013 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राजामिप परियोजना के अन्तर्गत अन्य बांधों के साथ दिनांक 20.7.2005 को (पत्रांक F-3/AS/I/Cell/96/553) को जारी की गई थी। इसके पश्चात् एप्राइजल राशि रु. 82.08 लाख की दिनांक 21.1.2011 को स्वीकृति जारी की गई। इसके पश्चात राशि रु. 82.77 लाख का कार्य तकनीकी रूप से स्वीकृत किया जाकर कार्यादेश (पैकेज चतुर्थ के अन्य कार्यों के साथ) दिनांक 19.4.2011 को जारी किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
5.	रिहेबिलिटेशन आफ बांध व नहर तलवास (जे.आई.सी.ए. वर्क)	प्रगतिरत	59.42 व 21.12.2010	18 माह	20.88	मार्च 2013 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राजामिप परियोजना के अन्तर्गत अन्य बांधों के साथ दिनांक 20.7.2005 को (पत्रांक F-3/AS/I/Cell/96/553) को जारी की गई थी। इसके पश्चात् एप्राईजल राशि रु. 59.42 लाख की दिनांक 21.1.2011 को स्वीकृति जारी की गई। इसके पश्चात राशि रु. 56.67 लाख का कार्य तकनीकी रूप से स्वीकृत किया जाकर कार्यादेश (पैकेज तृतीय के अन्य कार्यों के साथ) दिनांक 17.2.2011 को जारी किया गया।
6.	इन्द्राणी नदी पर केमलिया से कोलासपुरा के रास्ते पर एनिकट निर्माण कार्य	प्रगतिरत	99.93 व 08.01.2010	48 माह	39.92	प्रगतिरत
7.	मेज नदी पर गोठडा गांव के पास एनिकट निर्माण कार्य	प्रगतिरत	217.29 व 08.01.2010	48 माह	68.22	प्रगतिरत

1	2	3	4	5	6	7
8.	मेज नदी पर झाली जी का बराना गांव के पास एनिकट निर्माण कार्य	प्रगतिरत	246.21 व 08.01.2010	48 माह	90.24	नदी/नाला में जल प्रवाह के कारण वर्तमान में कार्य बन्द है। जल प्रवाह बन्द होते ही कार्य पुन: प्रारम्भ कर दिया जावेगा।
9.	मेज नदी पर पापडी गांव के पास एनिकट निर्माण कार्य	प्रगतिरत	266.61 व 08.01.2010	48 माह	28.16	नदी/नाला में जल प्रवाह के कारण वर्तमान में कार्य बन्द है। जल प्रवाह बन्द होते ही कार्य पुन: प्रारम्भ कर दिया जावेगा।
10.	मेज नदी पर रेबारपुरा (पचीपला गांव के नदी के रास्ते के कल्वर्ट के ऊपर की तरफ) एनिकट निर्माण कार्य	प्रगतिरत	228.62 व 08.01.2010	48 माह	86.88	नदी/नाला में जल प्रवाह के कारण वर्तमान में कार्य बन्द है। जल प्रवाह बन्द होते ही कार्य पुन: प्रारम्भ कर दिया जावेगा।
11.	माछली नहर की चैन 0 से 100 तक जंगल सफाई एवं मरम्मत कार्य	पूर्ण	5.30 व 16.11.2011	48 माह	2.3.8	कार्य पूर्ण हो चुका है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा के मोघों का नवीनीकरण/मरम्मत

83. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के प्रथम चरण में सूरतगढ़ ब्रांच में बने मोघों के पुन: दुरुस्त/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त मोघों की मरम्मत/दुरुस्ती पूर्व में भी करवायी गई थी? क्या उक्त मोघों की पूर्व में कराई मरम्मत/दुरुस्ती ठीक नहीं थी? यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अब उक्त मोघों की दुरुस्ती/मरम्मत कब तक करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। सूरतगढ़ शाखा से निकलने वाले मोघों को पूर्व में दुरुस्तीकरण अभियान में दुरुस्त/मरम्मत किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। पूर्व में करवाये गये मोघों की दुरुस्ती/मरम्मत ठीक थी।

(3) वर्तमान में मोघों की दुरुस्ती/मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में पर्यटकों के साथ आपराधिक घटनाओं की रोक हेतु कार्य योजना

84. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के सरकार द्वारा क्या-क्या प्रबन्ध किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) पर्यटकों के साथ लूटपाट/मारपीट की कितनी घटनायें विगत पांच वर्षों में कहां-कहां घटित हुई? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पर्यटकों को आपराधिक तत्वों से बचाने हेतु सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के प्रबन्ध हेतु पुलिस

(पर्यटन मंत्री)

विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.09.2006 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्ष 2000-01 से पर्यटक सहायता बल योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया गया है जो आने वाले पर्यटकों को आवश्यक सूचनाएं एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों यथा: जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर (पुष्कर), चित्तौड़गढ़, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, बून्दी, भरतपुर एवं माउन्ट आबू में भूतपूर्व सैनिकों (पर्यटक सहायता बल के जवानों) को नियुक्त किया गया है। पर्यटक सहायता बल के जवान/पर्यटक पुलिस के जवानों द्वारा लपकों/अनाधिकृत गाइडों को पकड़कर सम्बन्धित थानों को सुपुर्द किया जाता है।

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु प्राथमिक चिकित्सा बाक्स, लिट्रेचर बैग उपलब्ध कराये गये हैं। पर्यटकों को अनाधिकृत गाइडों से सावधान रहने हेतु उन्हें हिदायत दी जाती है एवं महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर पेम्पलेट्स, साइन बोर्ड आदि के माध्यम से लपकों, हाकरों, अनाधिकृत गाइडों से सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है।

(2) राज्य में विगत 5 वर्षो में पर्यटकों के साथ लूटपाट/मारपीट की 24 घटनाएं घटित हुई हैं। घटित घटनाओं पर पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) पर्यटकों को आपराधिक तत्वों से बचाने के लिए प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटक पुलिस/पर्यटक सहायता बल के जवान तैनात किए गए हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा भी नियमित रूप से गश्त की जाती है एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है।

परिशिष्ट-अ

OFFICE OF THE ADDL. DIRECTOR GENERAL OF POLICE (CRIME), RAJASTHAN, JAIPUR

No.CID/CB/PRC/2006/D. 3199-3210 Dated : 22nd September, 2006

To

The Inspector General of Police Range
Udaipur/Jodhpur/Jaipur Range-I/Railways
The Supdts. of Police
Jaipur city North/South/East/Udaipur/Jodhpur City/
Jaisalmer/Sirohi and GRP Ajmer.

Sub : Police Assistance to Tourism Department during the tourist season starting from 1st October, 2006.

Tourism Department has introduced Tourist Assistance Force (TAF) in some distts. However, the incident of harassment of tourist specially foreign tourists by touts/authorized/unauthorized guides, lapkas, shopkeepers, transporters have been reported off and on and as such it creates fear and feeling of insecurity in the mind of tourist visiting the State. It is therefore necessary that a coordinated approach is adopted with Tourism Department and police assistance provided at certain tourist points to start with in order to check the menace of Lapkas, harassment of tourists in the form of unwanted canvassing, cheating and physical harassment. Following steps be taken immediately.

Inspector General of Police Range Udaipur, Jodhpur and jaipur Range I will draw a plan to provide police assistance at certain earmarked tourist places in order to ensure safety/security and to check harassment of the tourist. Commissioner, Toursim will be directiong his officers to get in touch with Range Inspector General of Police and concerned Supdts. Of Police in this connection. Police pickets consisting of 1 SI/ASI and 2-3 constables be deployed during the tourist season starting from 1st October at certain important tourist places in Udaipur Town, Jaisalmer, Mount Abu (Sirohi), Jodhpur city and Jaipur city. S.P. GRP, Ajmer will similarly post picket at Railwary Station Jaipur. TAF will also be associated with there police pickets. These pickets will ensure that :

There is no harassment of tourist by lapkas, touts and other guides whether authorized or unauthorized. They will intervene whenever these guides are surrounding tourist and trying to hackle them. They will ensure that as and when incident of cheating are brought to their notice they will get FIR registered at the police station, inform the SHO who should in turn take immediate action for arrest and recovery. They will act to check physical assault/ harassment to tourist and taken appropriate legal action. A watch should be kept on the movement of anti social elements at these points. Timely and effective action against such elements will go a long, way in promoting tourism in the State. Tourism-deptt. will organize training capsule for the personnel deployed for above duty. Supdts. of Police will ensue that wherever there is any report of any harassment of tourist it should be attended to promptly and immediate action should be taken against the accused persons. Such report should not remain unattended. The above measures should be taken w.e.f. 1st October during the tourist season upto February 2007. Action taken may be intimated to this office.

Addl. Director General of Police

Crime, Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट "ब"

विगत 5 वर्षों में पर्यटकों के साथ लूटपाट/मारपीट की घटनाओं का विवरण

क्रम संख्या	जिला	थाना	मुकदमा नम्बर व दिनांक	धारा	नतीजा
1	2	3	4	5	6
1.	अलवर	सदर	83/12 4.2.2012	392 भादसं.	चार्जशीट नं. 48/12 दिनांक 15.2.2012
2.	भरतपुर	सेवर	52/11 7.2.2011	323, 341, 354 भादसं.	एफ आर नं. 83/11 अदम पता मुल्जिम दिनांक 26.6.2011
3.	जयपुर (उत्तर)	ब्रह्मपुरी	83/10	323, 509 भादसं.	चार्जशीट नं. 74/10 दिनांक 27.4.2010
4.	जयपुर (पश्चिम)	सदर	153/10	341, 323 भादसं.	चार्जशीट नं. 94/10 दिनांक 8.5.2010
5.	जयपुर (दक्षिण)	अशोक नगर	106/12	382 भादसं.	चार्जशीट नं. 65/12 दिनांक 29.7.2012
6.	जयपुर (पूर्व)	बजाज नगर	76/08 25.2.2008	458, 380 भादसं.	चार्जशीट नं. 39/08 दिनांक 30.3.2008
7.	जयपुर (पूर्व)	मालवीय नगर	388/09	341, 323, 354, 34 भादसं.	चार्जशीट नं. 200/09 दिनांक 28.9.2009
8.	जयपुर (पूर्व)	लालकोठी	30/09 14.2.09	143, 323, 341, 354 भादसं.	चार्जशीट नं. 16/09 दिनांक 26.2.2009

1	2	3	4	5	6
9.	जयपुर (पूर्व)	सांगानेर	204/10 23.3.2010	354 भादसं.	एफ.आर. नं. 395/10 अदम पता मुल्जिम दिनांक 30.10.2010
10.	जयपुर (पूर्व)	सांगानेर	824/10 3.12.2010	354 भादसं.	चार्जशीट नं. 394/10 दिनांक 3.12.2010
11.	जयपुर (पूर्व)	मोती डूंगरी	33/10 8.2.2010	392 भादसं.	चार्जशीट नं. 28/10 दिनांक 16.4.2010
12.	चित्तौड़गढ	चित्तौड़गढ़ कोतवाली	472/09	341, 323 भादसं.	चार्जशीट नं. 320/09 दिनांक 31.8.2009
13.	चित्तौड़गढ	चित्तौड़गढ़ कोतवाली	144/10	307, 341 भादसं.	चार्जशीट नं. 278/10 दिनांक 3.8.2010
14.	अजमेर	पुष्कर	81/10 23.5.2010	354, 323 भादसं	चार्जशीट नं. 58/10 दिनांक 8.6.2010
15.	अजमेर	पुष्कर	179/10 5.12.2010	341, 323, 302, 34 भादसं	चार्जशीट नं. 123/10 दिनांक 15.12.2010
16.	सिरोही	आबू पर्वत	8/08 12.2.2008	302 भादसं	एफ.आर. नं. 15/08 अदम पता मुल्जिम दिनांक 18.12.2008
17.	सिरोही	आबू पर्वत	104/12 6.12.2012	417, 418, 354 भादसं	चार्जशीट नं. 75/12 दिनांक 11.12.2012
18.	जैसलमेर	जैसलमेर	53/08 7.3.2008	392 भादसं	एफ आर नं. 23/08 अदम पता मुल्जिम दिनांक 31.3.2008
19.	जैसलमेर	जैसलमेर	326/08 29.12.2008	392 भादसं	एफ.आर. नं. 12/09 अदम पता मुल्जिम दिनांक 27.2.2009

1	2	3	4	5	6
20.	जैसलमेर	सम	1/09 2.1.2009	143, 341, 323, 354, 511, 379, 427 भादसं	चार्जशीट नं. 2/09 दिनांक 13.1.2009
21.	जैसलमेर	जैसलमेर	279/09 2.10.2009	341, 323, 34 भादसं	चार्जशीट नं. 174/09 दिनांक 31.10.2009
22.	जोधपुर (पश्चिम)	शास्त्री नगर	293/12 24.10.2012	392 भादसं	एफ.आर. नं. 363/12 अदम पता मुल्जिम दिनांक 31.12.2012
23.	जोधपुर (पश्चिम)	झंवर	124/10 12.8.2010	384, 511 भादसं	चार्जशीट नं. 76/10 दिनांक 31.8.2010
24.	जोधपुर (पूर्व)	कोतवाली	158/11 20.9.2011	382 भादसं	एफ.आर. नं. 172/11 अदम पता मुल्जिम दिनांक 30.11.2011

प्रश्न संख्या-85

(स्थगित)

समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत कुपोषित बच्चों के विकास हेतु कार्य योजना

86. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समेकित बाल विकास द्वारा कोई सर्वे में 30 हजार बच्चे कुपोषण के शिकार पाये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों पर होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिये प्रदेश में सामान्य टीकाकरण एवं पोषण सलाह कार्यक्रम चलाया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम में विभाग के कार्मिकों द्वारा सर्वे में चिन्हित बच्चों को खुराक पिलाने में उदासीनता बरती गई है?

(4) क्या सरकार बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिये कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां। अगस्त, सितम्बर 2012 में सर्वे कराया गया था। दिसम्बर 2012 में 30453 बच्चे धौलपुर जिले में कुपोषित पाये गये।

(2) जी हां। प्रत्येक 6 माह के अन्तराल पर विटामिन ए की खुराक प्रदान करने हेतु विटामिन ए दवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्रों पर सप्लाई की जाती है। आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। एएनएम के पर्यवेक्षण में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक प्रदान की जाती है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। सरकार द्वारा राज्य में संचालित 304 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आयु वर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग

87. श्री पेमाराम (धोद) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उच्च शिक्षा विभाग में यूजीसी से ग्रान्ट लेने वाले कर्मचारियों/व्याख्याता/वरिष्ठ व्याख्याताओं में से कर्मचारी ग्रामीण शिक्षा नियम, 2010 के तहत कितनों ने पदभार ग्रहण नहीं किया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण शिक्षा नियम, 2010 में नहीं जाने वाले कर्मचारियों/व्याख्याताओं/वरिष्ठ व्याख्याताओं को यदि ग्रान्ट दी जाती, तो इससे सरकार पर कितनी राशि का भार पड़ता? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि यूजीसी ग्रान्ट भारत सरकार से प्राप्त हो रही है? यदि हां, तो कितनी राशि प्राप्त हो रही है? उसका क्या उपयोग किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा नियम, 2010 (आर.वी.आर.ई.एस.) के अन्तर्गत 25 व्याख्याताओं द्वारा उपस्थिति (पदभार ग्रहण) नहीं किया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है ।

(2) निदेशक, कालेज शिक्षा के आदेश क्रमांक 149-161 दिनांक 09.03.12 के अनुसार दिनांक 15.02.12 से संस्थाओं का अनुदान बन्द किया जा चुका है। अत: पूर्व में अनुदानित पदों के विरुद्ध लगे स्टाफ जिन्होंने आर.वी.आर.ई.एस. के तहत ज्वाइन नहीं किया, उनके पेटे अब ग्रान्ट देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। उक्त में यू.जी.सी. ग्रान्ट नहीं प्राप्त होती।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत पदभार ग्रहण नहीं करने वाले कार्मिकों की सूची

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पद/विषय	कालेज का नाम
1	2	3	4
1.	श्रीमती प्रतिभा/ श्री श्रीकान्त पाण्डेय	इतिहास	दयानन्द कालेज, अजमेर
2.	श्रीमती इन्दू लूनिया/ श्री महेन्द्र लूनिया	अर्थशास्त्र	सावित्री गर्ल्स कालेज, अजमेर
3.	डा. बीना शर्मा/ डा. हरप्रकाश शर्मा	हिन्दी	सावित्री गर्ल्स कालेज, अजमेर
4.	श्रीमती सन्ड्रा ली/ श्री पीटर ली	अंग्रेजी	सोफिया कालेज, अजमेर
5.	डा. अनन्त भटनागर/ श्री जी.पी. भटनागर	हिन्दी	विजय सिंह पथिक श्रमजीवी कालेज, अजमेर
6.	डा. के.एम. शर्मा/श्री जी.सी. शर्मा	ई.ए.एफ.एम.	अग्रवाल पी.जी. कालेज, जयपुर
7.	श्री आर.एस. खंगारोत/ श्री के.एस. खंगारोत	इतिहास	अग्रवाल पी.जी. कालेज, जयपुर
8.	श्रीमती सुचित्रा प्रकाश	रसायन शास्त्र	अग्रवाल पी.जी. कालेज, जयपुर
9.	श्रीमती कल्पना अग्रवाल	अर्थशास्त्र	अग्रवाल पी.जी. कालेज, जयपुर
10.	डा. रेखा गुप्ता/ श्री विष्णु कुमार गुप्ता	हिन्दी	कानोडिया महिला कालेज, जयपुर
11.	डा. वीनू भार्गव/ श्री अशोक भार्गव	गृह विज्ञान	कानोडिया महिला कालेज, जयपुर
12.	श्री रंजू मेहता/ श्री जयन्त मेहता	दर्शन शास्त्र	कानोडिया महिला कालेज, जयपुर

1	2	3	4
13.	डा. दीपा पाण्डेय/ श्री हेमन्त पाण्डेय	संस्कृत	कानोडिया महिला कालेज, जयपुर
14.	डा. तारा सिंघल/ श्री एल. एन. सिंघल	समाज शास्त्र	कानोडिया महिला कालेज, जयपुर
15.	श्री रामरतन सोनी/ श्री सीताराम सोनी	ए.बी.एस.टी.	एस.एस.जी. पारीक पी.जी. कालेज, जयपुर
16.	डा. कुशल राज कोठारी/ श्री दौलतराज कोठारी	ए.बी.एस.टी.	एस.एस.जैन सुबोध पी.जी. कालेज, जयपुर
17.	डा. प्रमिला जोशी/ डा. योगेश चन्द जोशी	रसायन शास्त्र	एस.एस. जैन सुबोध पारीक पी.जी. कालेज, जयपुर
18.	श्री केदार बाबू शर्मा/ श्री एस. एन. शर्मा	भौतिक शास्त्र	एस.एस.जैन सुबोध पारीक पी.जी. कालेज, जयपुर
19.	श्रीमती अमिता व्यास/ श्री बसन्त व्यास	समाज शास्त्र	खण्डेलवाल वैश्य महिला कालेज, जयपुर
20.	श्री वी.एल. शर्मा/ श्री सीताराम शर्मा	ई.ए.एफ.एम.	सेठ जी.बी. पोदार कालेज, नवलगढ़, झुंझुनूं
21.	श्रीमती उमा पिलैई/ श्री एम.पी.बी. पिलैई	वनस्पति शास्त्र	लाचू मेमोरियल कालेज, जोधपुर
22.	डा. पुनित सारस्वत/ श्री जगदीश बहादुर	प्राणी शास्त्र	लाचू मेमोरियल कालेज, जोधपुर
23.	श्री भगवती लाल माथुर/ श्री गिरधारी लाल	व्या. प्रशासन	सेठ ज्ञान ज्योति कालेज, श्रीकरणपुर
24.	श्री रणजीत सिंह अरोड़ा/ श्री जसवन्त सिंह	गणित	एस.जी.एन. खालसा कालेज, श्रीगंगानगर
25.	श्री प्रमोद कुमार वाजपेयी/ श्री उमा शंकर	समाज कार्य	उदयपुर स्कूल आफ सोशल वर्क, उदयपुर

राजस्थान हैल्थ डवलपमेंट योजनान्तर्गत कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु आयोजित कार्यशालाएं

88. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 5 वर्षों में राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कितने प्रशिक्षण कार्यशालाओं को आयोजित करने का प्रावधान था तथा अब तक कितने प्रशिक्षण कार्यशालाओं को आयोजित किया गया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004-05 से इसमें कितने चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था तथा कितने चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रशिक्षण कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए कितने बजट का प्रावधान था व वर्ष 2004-05 से 15 जनवरी, 2013 तक कितना व्यय किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट की पी.आई.पी. में चिकित्सा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कराने की संख्या का लक्ष्य निर्धारित नहीं था, अपितु चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मियों को प्रशिक्षित किये जाने की संख्या का लक्ष्य निर्धारित था।

परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये जाने वाले चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मियों की संख्या का लक्ष्य एवं उपलब्धि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ, ब एवं स पर संलग्न है।

आर.एच.एस.डी.पी. परियोजना 30 सितम्बर 2011 को समाप्त हो चुकी है।

(2) परियोजना के प्रथम चरण (2004-05 से सितम्बर 2009 तक) में कुल 21458 चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था जिसमें 10286 चिकित्सक एवं 11172 पैरामेडिकल स्टाफ थे।

समय-समय पर विश्व बैंक से प्राप्त अनुमोदन पश्चात चिकित्साकर्मियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई बार

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में परिवर्तन किये गये, तथा परियोजना के प्रथम चरण हेतु कुल संशोधित लक्ष्य 13297 निर्धारित किया गया जिनमें 6099 चिकित्सक एवं 7198 पैरामेडिकल स्टाफ थे।

संशोधित लक्ष्यों के विरुद्ध परियोजना के प्रथम चरण में कुल 23120 चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 6066 चिकित्सक एवं 17054 पैरामेडिकल स्टाफ थे। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

आरएचएसडीपी परियोजना की दो वर्ष की विस्तार अवधि (अक्टूबर 2009 से 30 सितम्बर, 2011 तक) में कुल 46047 चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें 6764 चिकित्सक एवं 39283 पैरामेडिकल स्टाफ थे। इन लक्ष्यों के विरुद्ध कुल 38817 प्रशिक्षणार्थियों, जिसमें 5037 चिकित्सक एवं 33780 पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

आर.एच.एस.डी.पी. परियोजना 30 सितम्बर, 2011 को समाप्त हो चुकी है।

(3) परियोजना की पी.आई.पी. में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु राशि रुपये 2685.46 लाख का प्रावधान किया गया था। समय-समय पर विश्व बैंक के अनुमोदन पश्चात चिकित्सा विभाग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षणार्थियों की संख्या एवं प्रशिक्षण स्थल में परिवर्तन होने के कारण परियोजना के प्रथम चरण में कुल राशि रुपये 1010.90 लाख तथा परियोजना की दो वर्ष की विस्तार अवधि में राशि रुपये 795.05 लाख का व्यय प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर किया गया। अत: कुल मिलाकर सम्पूर्ण परियोजना अवधि में राशि रूपये 1805.95 लाख का व्यय प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर किया गया तथा शेष राशि समय रहते परियोजना की अन्य गतिविधियों हेतु हस्तान्तरित कर दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय का वर्षवार विवरण (प्रथम चरण एवं विस्तार अवधि) परिशिष्ट-द एवं य पर संलग्न है।

आर.एच.एस.डी.पी. परियोजना 30 सितम्बर, 2011 को समाप्त हो चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-54 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

राज्य के विभिन्न अभयारण्यों में अतिक्रमण/अवैध निर्माण की सूची

क्र. सं.	नाम अभयारण्य/संरक्षित क्षेत्र	अतिक्रमण की संख्या	अतिक्रमित क्षेत्रफल (है. मे)	वर्ष 2012-13 में हटाये गये अतिक्रमण	
				संख्या	क्षेत्रफल (है. में)
1.	वन्यजीव अभयारण्य माउंट आबू	10	1.59	—	—
2.	वन्यजीव अभयारण्य सीतामाता	662	2151.70	—	—
3.	वन्यजीव अभयारण्य बस्सी	1	5.00	—	—
4.	वन्यजीव अभयारण्य शेरगढ़	50	38.52	—	—
5.	वन्यजीव अभयारण्य कुम्भलगढ़	324	304.94	—	—
6.	वन्यजीव अभयारण्य फुलवारी की नाल	1604	1588.11	—	—
7.	वन्यजीव अभयारण्य जयसमन्द	218	66.1	—	—
8.	वन्यजीव अभयारण्य सज्जनगढ़	1	0.0633	—	—
9.	बाघ परियोजना रणथम्भौर	22	125.5	4	6.25
10.	वन्यजीव अभयारण्य नाहरगढ़	137	1.25	8	0.04
11.	वन्यजीव अभयारण्य जमवारामगढ़	135	51.75	28	18.39
12.	वन्यजीव अभयारण्य कैलादेवी	14	30.4	—	—
13.	बाघ परियोजना सरिस्का	102	166.5	51	52.205
14.	रामसागर अभयारण्य	1	5.06	—	—
	योग	**3281**	**4536.4833**	**91**	**76.885**

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-57 की सूचना)

परिशिष्ट "अ"

पाली जिले में क्षेत्रवार चिह्नित बाल श्रमिकों की सूचना

क्र. सं.	क्षेत्र/उपखण्ड	सर्वे में चिह्नित बाल श्रमिकों की संख्या
1.	बाली	51
2.	सुमेरपुर	111
3.	रायपुर	70
4.	सोजत	63
5.	मारवाड़ जंक्शन	99
6.	जैतारण	78
7.	रोहट	66
8.	पाली	141
9.	रानी	35
	कुल	**714**